दश माला, खंड 14, अंक 6

मंगलवार, 27 फरवरी, 2001
8 फाल्गुन, 1922 (शक)

NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 14 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...51...
Date ...18/12/01...

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 14, छठा सत्र, 2001/1922 (शक)]

अंक 6, मंगलवार, 27 फरवरी, 2001/8 फाल्गुन, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 83	1-35
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 84 से 100	35-64
अतारांकित प्रश्न संख्या 853 से 1014	64-283
सभा पटल पर रखे गए पत्र	283-284
लोक लेखा समिति	
की गई कार्यवाही संबंधी विवरण	284
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	285
रेल संबंधी स्थायी समिति	
तीसरा, छठा, सातवां और आठवां प्रतिवेदन	285
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
अठानवेवां और निन्यानवेवां प्रतिवेदन	286
कार्य मंत्रणा समिति के अठारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	286
खोपरा की खरीद करने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता के बारे में	292-295
नियम 377 के अधीन मामले	316-322
(एक) झारखंड के रांची जिले में हाथियों के आतंक को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
प्रो. दुखा भगत	316
(दो) गोंडा और बहराइच जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री बृज भूषण शरण सिंह	317
(तीन) उत्तर प्रदेश में रामपुर रेलवे स्टेशन पर और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
बेगम नूर बानो	317
(चार) केरल में सभी उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री टी. गोविन्दन	318
(पांच) आन्ध्र प्रदेश में पेद्दापल्ली रेलवे स्टेशन के निकट प्रथम श्रेणी गेट 41टी पर रेलवे उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी	318

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(छह)	आलू उत्पादकों विशेषकर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री धर्मराज सिंह पटेल	319
(सात)	दिल्ली-मुरादाबाद-हरिद्वार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्र विजय सिंह	319
(आठ)	केरल के कालीकट हवाई अड्डे पर लिये जा रहे "प्रयोक्ता शुल्क" को समाप्त किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ई. अहमद	320
(नौ)	बैंकों में कार्यान्वित की जा रही स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री विलास मुत्तेमवार	321
(दस)	उच्च बाल मृत्यु दर को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री विजय हान्दिक	321
नियम 193 के अधीन चर्चा		322-410
गुजरात में आए भीषण भूकम्प से उत्पन्न स्थिति		322
	श्री सोमनाथ चटर्जी	322
	श्री राजू राणा	337
	कुमारी मायावती	341
	श्री शिवराज वि. पाटील	345
	श्री वी. चेत्रिसेलवन	353
	श्री मुलायम सिंह यादव	358
	श्री प्रभुनाथ सिंह	361
	श्री पवन कुमार बंसल	366
	श्री चन्द्रेश पटेल	371
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	373
	श्री जोवाकिम बखला	388
	श्री हरिभाई चौधरी	390
	श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया	392
	श्री बीर सिंह महतो	393
	श्री रामजीवन सिंह	394
	श्री हरीभाऊ शंकर महाले	396
	श्री रामदास आठवले	397
	डा. डी.वी.जी. शंकर राव	398
	श्री सवशीभाई मकवाना	399
	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	400
	डा. बी.बी. रमैया	401
	श्री के.पी. सिंह देव	402
	श्री नीतीश कुमार	404

लोक सभा

मंगलवार, 27 फरवरी, 2001/8 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

आतंकवादी संगठनों द्वारा लश्करे-तोइबा के साथ सहयोग करना

*81. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जनवरी, 2001 के 'राष्ट्रीय सहारा' में लश्करे-तोइबा के साथ सहयोग कर रहे आठ आतंकवादी संगठनों के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन आतंकवादी संगठनों द्वारा आपस में सहयोग करने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए हैं?

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) समाचार इस अनुमान पर आधारित है कि लाल किले के गोलीकांड के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में गिरफ्तार किए गए अशफाक अहमद और वर्ष 1998 में पहले गिरफ्तार किए गए कामरन ने पूछताछ के दौरान यह बताया था कि समाचार में उल्लिखित 8 आतंकवादी गुटों ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ हाथ मिला लिया है। यह वास्तव में सही नहीं है क्योंकि गिरफ्तार किए गए दोनों उग्रवादियों ने पूछताछ के दौरान इस प्रकार की कोई बात नहीं कहीं।

(ग) राज्यों को, अन्य बातों के साथ-साथ, आन्तरिक गड़बड़ियों से बचाने की अपनी ड्यूटी के निर्वहन में और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में केन्द्र सरकार, देश में सक्रिय विभिन्न उग्रवादी गुटों की योजनाओं और गतिविधियों के बारे में उपलब्ध सूचना के आधार पर राज्य सरकारों को सुग्राही बनाएं रखती है। केन्द्रीय आसूचना एजेन्सियों और राज्य आसूचना/विशेष शाखाओं के बीच सहयोग और सूचना के प्रवाह के स्तर में सुधार लाने के लिए सतत आधार पर प्रयास भी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सूचना का आदान-प्रदान करने और उग्रवादी गतिविधियों तथा सीमा-पार के आतंकवाद से निपटने के लिए रणनीतियां तैयार करने के लिए संबंधित केन्द्र और राज्य प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से बातचीत की जाती है और सुरक्षा को मजबूत करने तथा अपराधियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ-साथ उनके आकाओं पर विशेष नजर रखने की आवश्यकता के बारे में, समय-समय पर, राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने यह कहा कि लाल किला में आतंकवादियों द्वारा जो घटना घटित की गई, उसके उपरांत जो आतंकवादी पकड़े गये, उनसे पूछताछ में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आतंकवादी संगठनों ने एक अलग संगठन बनाकर कई आतंकवादियों से मिल-जुलकर, भारत के विरुद्ध कोई कूट रचना रचित कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन परिस्थितियों को देखा जाये और समझा जाये कि आपने जो जानकारी दी है, वह सही है या गलत है किस बात पर आधारित है। लश्कर-ए-तोइबा के प्रमुख प्रो. हाफिज मोहम्मद सईद ने अपने एक भाषण में पाकिस्तान में यह का है:

> "कि कैसी शान्ति वार्ता, कौन सी शान्ति प्रक्रिया? जब तक भारत अखंड है, उसके साथ कोई शान्ति संभव नहीं है। काट डालो, टुकड़े-टुकड़े कर डालो, इस कदर खंडित करो कि घुटने के बल रेंगकर तुम से दया की भीख मांगे। इसके बाद ही उन से शान्ति की बात संभव है"

इसके साथ-साथ कारगिल में इतनी बड़ी घटना हुई। कश्मीर में सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी पंडित मारे गये, कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुंदर लाल तिवारी, कृपया पूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी: मैं, पूरक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है कि उसके बाद सैंकड़ों लोगों की वहां हत्या हुई। कश्मीरी पंडितों का वहां से पलायन हुआ। सिक्खों का पलायन शुरू हो गया है और उसके बाद आपका यह कहना कि आपको कोई जानकारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि ये जो वारदातें हुई और हमारे गुप्तचर हैं, जो सरकार के अधीन हैं, क्या यह सब गुप्तचरों की सूचना पर आधारित है?

अध्यक्ष महोदय: तिवारी जी, यह ठीक नहीं है। आपको प्रश्न ना है, भाषण नहीं करना है।

कृपया समझिए की यह प्रश्न काल है। मंत्री जी समाधान करेंगे। आपको जानकारी देने की जरूरत नहीं है। आपको जानकारी प्राप्त करना है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से यह पूछना है कि आपने जो जानकारी दी है, वह केवल उन पकड़े गये दो आतंकवादियों के आधार पर यह जानकारी दी है या अखबार में जिनके नाम दिये गये हैं, उन दो आतंकवादियों के बयान के आधार पर आपने यह जानकारी दी है या आपने गुप्तचरों या अन्य एजेंसीज से जानकारी प्राप्त करने के बाद यह सूचना दी है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, वह अपनी जानकारी के आधार पर नहीं पूछा बल्कि 'राष्ट्रीय सहारा' समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना के आधार पर पूछा है - जिसका सरकार ने उत्तर दिया है। हमने यह समाचार देखा है और समाचार के आधार पर तथ्य यह है कि आठ आतंकवादी गुटों ने लश्कर-ए-तोइबा के साथ मिलकर इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ाने का निर्णय किया है - यह जानकारी अशफाक अहमद और कामरान ने सरकार को दी है। उसके उत्तर में हमने कहा है कि ऐसी कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी है। लेकिन हमारा कहने का यह अभिप्राय बिलकुल नहीं कि सरकार लश्कर-ए-तोइबा को खतरनाक नहीं समझती है। सरकार इसे बहुत खतरनाक मानती है। यह उन प्रमुख संस्थाओं में से है जो हमारी ओर से घोषित सीज-फायर को नहीं मानती और यह उन्होंने कहा कि हम हिंसा जारी रखेंगे, आतंकवाद जारी रखेंगे। इस प्रकार वे अपने कामों में कई सारे लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। सरकार उनके प्रति सतर्क है, उनके खिलाफ कार्यवाही करती रही है और उनके प्रति संज्ञान रखती है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं था...*(व्यवधान)* मेरे पहले प्रश्न का जवाब नहीं आया। मेरा कहना है कि माननीय गृह मंत्री जी द्वारा या सरकार द्वारा जो जानकारी दी गई है, क्या वह उन पकड़े गये दो आतंकवादियों के बयान के आधार पर जानकारी दी है? क्या सरकारी एजेंसीज ने यह पता लगाया कि कहीं ऐसे आतंकवादियों का गठजोड़ तो नहीं हुआ है और एक नया संगठन बनाकर वे भारतवर्ष के खिलाफ तैयार नहीं हुये, इस आधार पर यह जानकारी दी गई है? हमारा मूल प्रश्न यह है कि क्या केवल उन दो आतंकवादियों के बयान के आधार पर यहां जानकारी दी गई है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: हमने कोई जानकारी नहीं दी है। यह जानकारी एक समाचार पत्र में आयी है जिसमें यह कहा गया कि उन दो आतंकवादियों ने सरकार को यह जानकारी दी है जिसके बारे में सरकार ने इनकार किया है कि ऐसी कोई जानकारी उन्होंने हमें नहीं दी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार इनकी खतरनाक गतिविधियों के प्रति असावधान है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: अध्यक्ष महोदय, फिर भी यह जवाब नहीं है। अखबार में जो समाचार था, वह प्रश्न पूछने के लिये एक माध्यम बना। मेरा कहना है कि आज पूरा देश आशंकित है क्योंकि आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ रही है और 8-8 आतंकवादी संगठन एक साथ आ रहे हैं। क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच कराई है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा जांच कराने के पश्चात् कोई तथ्य सामने आये हैं- यह मेरा प्रश्न है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने सात मिनट से अधिक समय लिया है। मैंने श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी को पुकारा है जिनका दूसरा नाम है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यहां यह प्रक्रिया नहीं है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी को पुकारा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा यह क्या है?

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न काल में किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। आप सीधे मामले को उठा रहे हैं। यह कार्यवाही वृत्तांत का अंश नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सभा का समय बर्बाद नहीं कीजिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 जनवरी, 2001 के 'राष्ट्रीय सहारा' अंक में प्रकाशित समाचार के आधार पर सरकार ने कहा कि ऐसी जानकारी आंतकवादियों ने सरकार को नहीं दी। मेरा प्रश्न यह है कि 'राष्ट्रीय सहारा' के 3 जनवरी, 2001 के अंक में प्रकाशित सूचना के अतिरिक्त, पिछले अनेक महीनों, बल्कि एक-डेढ़ साल से निरंतर विभिन्न समाचार-पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, मासिक पत्रिकाओं में और इंटैलीजैंस रिपोर्ट्स के आधार पर कोई जानकारी सरकार को मिली है या कोई सूचना दी गई है कि विभिन्न आतंकवादी संगठनों के बीच में सांमजस्य और तालमेल बनाकर, आज कश्मीर के अंदर विघटनकारी कार्यवाहियों और गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है?

यदि ऐसी सूचना दी गई है तो यह आपको सबसे पहले कब प्राप्त हुई और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की? मेरे प्रश्न का (ब) भाग यह है कि क्या सरकार की इंटेलीजेन्स एजेन्सीज ने आपको यह भी सूचित किया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के प्रशिक्षण के केन्द्र और जो कैम्प लगे हुए हैं उनके अंदर भी विभिन्न आतंकवादी संगठनों के बीच, आई.एस.आई. के माध्यम से, वहां ट्रेनिंग का सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है और वहां आधुनिकतम टैक्नोलोजी पर आधारित अस्त्र-शस्त्रों की ट्रेनिंग दी जा रही है। यदि सरकारी एजेन्सीज ने आपको यह जानकारी दी है तो उस संबंध में सरकार की प्रो-एक्टिव नीति और जीरो टोलेरेन्स नीति का, जिसका आपने उल्लेख किया था, उसका अभी तक क्या प्रभाव हुआ है और आपके द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई- कृपया इसकी जानकारी दें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि आई.एस.आई. की ओर से विगत काफी समय से इस बात की कोशिश होती रही है कि देश के भीतर अगर कोई मिलिटेन्ट आर्गेनाइजेशन है तो उनकी नैटवर्किंग की जाए और उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो भारत के भीतर न होकर पाकिस्तान से ही ऑपरेट करते हैं जिनमें अल-जेहाद, अल-उमर, जैशे-मौहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिदीन- इस प्रकार की संस्थाएं हैं। इन सब संस्थाओं में भी जो सबसे अधिक एग्रेसिव मानी जाती है, वह लश्कर-ए-तोइबा है, जिसका उल्लेख प्रमुख रूप से इस समाचार में किया गया है। भारत सरकार इनकी गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी रखती है, सावधानी बरतती है और इनकी नैटवर्किंग न हो, इसकी भी कोशिश करती है। इतनी अच्छी बात है कि हिजबुल मुजाहिदीन जो उनमें से एक प्रतिबंधित संस्था है और जिसकी कम्पोजीशन में ज्यादातर कश्मीरी हैं, उनमें ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि सरकार द्वारा सीजफायर की ओर कदम उठाना उचित है। उसे आगे बढ़ाना चाहिए और इस कारण उनमें कुछ अंतर पैदा हुआ है। बाकी जितने सारे मिलिटेन्ट आर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें से अधिकांश का बेस पाकिस्तान में ही है और जिनकी गतिविधियां आई.एस.आई. द्वारा संचालित हैं, वे निश्चित रूप से कोशिश करते हैं कि आतंकवाद बढ़ता जाए और हम उन्हें नियंत्रित करने में लगे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री जगदम्बी प्रसाद यादव।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये, मैंने श्री जगदम्बी प्रसाद यादव को बुलाया है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए जो प्रो-एक्टिव पॉलिसी बनाई थी, उस प्रो-एक्टिव पालिसी के कारण आपने कितनी सफलताएं अर्जित की और आप किस प्रकार से इन्हें नियंत्रित कर पाये हैं और इस पालिसी ने वहां की आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने में क्या प्रभाव डाला है, यह मेरा प्रश्न था।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, मेरे पास वर्ष 1999-2000 में आई.एस.आई. के कितने लोग पकड़े गये हैं, उनकी सूची है और कहां-कहां उनके अड्डे थे, जिनको खोजकर भारत सरकार वहां की प्रदेश सरकार के सहयोग से निरस्त कर सकी है, इसकी भी सूची है। उन्हें अभी विस्तार से बताया जा सकता है। लेकिन इस सवाल में प्रमुख रूप से लश्कर-ए-तोइबा के साथ आठ संस्थाओं का जुड़ जाना, उसके ऊपर फोकस था, जिसका मैंने उत्तर दिया।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: आप यहां पूर्ण जानकारी नहीं दे पा रहे हैं तो आप बाद में विस्तार से लिखित जानकारी भिजवा दें। *...(व्यवधान)*

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: अध्यक्ष जी, सीजफायर के बाद लश्कर-ए-तोइबा ने इसे माना नहीं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि लश्कर-ए-तोइबा की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने आज तक लश्कर-ए-तोइबा के कितने लोगों को पकड़ा है, कितने लोगों के बारे में उसके पास सूचना है और देश में, जम्मू-कश्मीर में तथा उसके बाहर कहां-कहां इनकी गतिविधियां चल रही हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इस सवाल के उत्तर में मैं इतना कहना चाहूंगा कि यद्यपि सरकार ने घोषणा की थी कि हम अपनी तरफ से ऑपरेशंस इनीशिएट नहीं करेंगे, लेकिन सरकार ने इस बात पर भी बल दिया कि इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारी सिक्युरिटी फोर्सेज हथियार रख देंगी और हम किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। जो पिछले तीन महीने बीते हैं, इन तीन महीनों के अंदर 184 मिलिटेन्ट्स जम्मू-कश्मीर में मारे गये हैं। उनमें से अधिकांश लश्कर-ए-तोइबा के ही सदस्य होंगे, चूंकि वही सबसे अधिक सक्रिय है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, भारत सरकार द्वारा कश्मीर में युद्ध विराम तथा शांति की पहल के संबंध में देश में आम सहमति अब बन चुकी है। किंतु विभिन्न आतंकवादी संगठन इस शांति प्रक्रिया को बाधित करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि भारत का आतंकवादी संगठनों को अलग-अलग करने तथा इस शांति प्रक्रिया को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए किन कदमों को उठाने का विचार है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, मैं समझता हूं कि ये जम्मू और कश्मीर के लोग हैं जिन्होंने सरकार द्वारा शुरू की गई शांति पहल पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वास्तव में उन्होंने ही इन लोगों को अलग-अलग किया है और इसी कारण आज हमारा पड़ोसी, जो इन कारगुजारियों को चला रहा है, दोहरे दबाव में है- एक जम्मू और कश्मीर की जनता का जो इस शांति प्रक्रिया का समर्थन करते हैं तथा दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का जो यह समझती है कि भारत सरकार सही नीति का अनुसरण कर रही है और पाकिस्तान जब तक शांति के अनुकूल माहौल तैयार नहीं करता है तथा सीमा-पार से आतंकवाद को नहीं रोकता है, यह समस्या नहीं सुलझाई जा सकती है। इसलिए, पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में अलग-अलग पड़ गया है। इस दोहरे चाल से शांति प्रक्रिया आगे बढ़ाने में अत्यधिक मदद मिली है तथा इन उग्रवादी संगठनों को अलग-थलग कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि पिछले तीन महीनों में 184 आतंकवादी मारे गए। शायद पिछले वर्ष की यह सबसे अधिक संख्या होगी। जब से रमजान से सीजफायर हमारी सरकार ने घोषित किया है, तब से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और अब आतंकवादी लालकिला तक पहुंच गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सीजफायर की एकतरफा घोषणा के बाद आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं और जिन्होंने लालकिला पर हमारे जवानों की हत्या की, वे किस संगठन के आतंकवादी थे?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री ने सीजफायर शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया। अलबत्ता उन्होंने यह जरूर कहा कि हम शांति की ओर बढ़ते हुए, अपनी सिक्यूरिटी फोर्सेज को यह हिदायत दे रहे हैं कि अपनी ओर से कम्बैटिव ऑपरेशन्स इनीशियेट न करें लेकिन आप सुरक्षा रखें। मिलिटैन्ट्स के बारे में जानकारी मिले तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उसी का परिणाम है कि 184 मिलिटैन्ट्स इन्हीं तीन महीनों में मारे गए हैं। जहां तक लालकिला की घटना का सवाल है, निश्चित रूप से उनको इस मामले में जो सफलता मिली, वह डिमॉन्स्ट्रेटिव सफलता थी, लेकिन तुरन्त उसको फॉलो अप किया गया, कुछ लोगों को पकड़ा गया, कुछ लोगों को मारा गया और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, ऑपरेशन के बाद, उनसे काफी जानकारी मिली उनकी गतिविधियों के बारे में और उसके आधार पर कार्रवाई की गई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री संतोष मोहन देव।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: आपने कहा कि 184 आतंकवादी मारे गए हैं, उसके पीछे हकीकत यह है कि आतंकावादी पुलिस कैम्पों में घुसने लगे हैं, घरों में घुसने लगे हैं। कल के अखबार में पढ़िये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? मैंने श्री संतोष मोहन देव को पुकारा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री संतोष मोहन देव, जो कुछ बोलेंगे उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी: गीते जी ने प्रश्न पूछा था कि लालकिला की घटना में शामिल आतंकवादी किस संगठन के थे, वह आपने नहीं बताया।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: वे लश्कर-ए-तोइबा के थे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री चतुर्वेदी यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री भूरिया, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव: माननीय अध्यक्ष, महोदय, जैसा कि मेरे मित्र श्री सुरेश कुरूप ने ठीक ही कहा कि भारत की परम्परा अनेकता में एकता रही है। जब देश खतरे में है, सभी राजनीतिक दलों ने अपने वाद को दर किनार करते हुए, हाथ से हाथ मिलाया है और सरकार को कश्मीर समस्या का समाधान करने में सहायता की है।

इस तथ्य के बावजूद, देश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं वह अत्यन्त ही परेशान करने वाली हैं। मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान आज के समाचार पत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है उसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें एक संगठन ने कहा है कि वे सरकार के साथ बातचीत तथा सहयोग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि सरकार यह फैसला नहीं कर लेती तथा यह घोषणा नहीं कर देती कि जम्मू और कश्मीर भारत का विवादित क्षेत्र है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपका ध्यान इस ओर दिलाया गया है अथवा नहीं और क्या आप सार्वजनिक रूप से इसका प्रतिवाद करने जा रहे हैं अथवा आप चुप रहेंगे। हम इससे भ्रम में हैं। हम नहीं जानते कि हम इसकी सहायता कर रहे हैं और हम इसलिए सहायता कर रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार ऐसी खबरों को दृढ़ता से इन्कार कर दे। मैंने उम्मीद किया कि जब आपने उत्तर दिया, आप इस पर कुछ बोलेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, माननीय सदस्य ने हुर्रियत के एक नेता ने जो कहा है उससे संबंधित प्रश्न पूछा है। उन्होंने यह इसलिए कहा है कि वह इस संबंध में सरकार के मत के बारे में जानते हैं। हम जम्मू और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं और कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानने का कोई प्रश्न ही नहीं है, जो वह भी कह सकते हैं।

जब हम ऐसे संगठनों तथा ऐसे नेताओं के बारे में अपनी मनोवृत्ति तय करते हैं तो हम उनकी मनोवृत्ति का भी ख्याल करते हैं। जहां तक भारत सरकार का संबंध हैं भारत सरकार न सिर्फ भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है अपितु, कुछ वर्ष पूर्व महान सभा में अंगीकृत संकल्प के प्रति भी प्रतिबद्ध है कि हम सम्पूर्ण जम्मू और कश्मीर राज्य को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा सवाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने ऐसा उत्तर दिया है जिससे पूरे देश में भ्रम फैलेगा। उन्होंने कहा है कि प्रधान मंत्री जी ने कभी भी "सीज फायर" शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपके माध्यम से उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिन पहले सर्वदलीय बैठक प्रधान मंत्री जी ने बुलाई थी। उसमें माननीय गृह मंत्री जी का भाषण हुआ। सारे दलों के

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नेताओं ने जो भाषण किए उनमें 'युद्ध विराम' शब्द का ही इस्तेमाल किया गया और जिन दलों के नेताओं ने भाषण दिए उन्होंने अपने भाषणों में युद्ध विराम शब्द की ही समर्थन किया, लेकिन अब उन्होंने ऐसा उत्तर देकर कि प्रधान मंत्री जी ने कभी 'सीज़ फायर' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, भ्रम फैलाने का काम किया है। यह युद्ध विराम नहीं, तो और क्या है?

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि, ज्यादातर अखबारों में छपा है, कुछ अखबारों में नहीं छपा है कि परसों गृह मंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान युद्ध विराम से बाज नहीं आएगा। इसमें कितना सच है, यह तो आप ही बता पाएंगे क्योंकि आपके बयान का ही अखबारों में उल्लेख किया गया है। मैंने सभी अखबार देखे हैं, सभी में यह समाचार नहीं है, लेकिन कुछ में है। एक-दो अखबारों में तो बिलकुल स्पष्ट आया है कि गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान युद्ध विराम से बाज नहीं आएगा। इस प्रकार यदि आपने ऐसा बयान दिया है, इससे भी भ्रम फैला है और देश भ्रमित हुआ है। इसलिए इस सदन के चलते, क्या आपने ऐसा कोई बयान दिया है और क्या प्रधान मंत्री का वक्तव्य है वह युद्ध विराम नहीं है इन सब बातों का स्पष्ट उत्तर दें?

अध्यक्ष महोदय, यह देश का सवाल है। इस तरह की टेढ़ी-मेढ़ी बातें करके नहीं चला जा सकता है। ऐसी भ्रमित करने वाली बातों से देश नहीं चला करता है। यह पूरे देश का सवाल है। पूरे का पूरा विपक्ष और देश की पूरी की पूरी जनता की चिन्ता देश के साथ है। ऐसे मौके पर आप भ्रमित करके देश को नहीं चला सकते हैं। प्रधान मंत्री जी के कहने का क्या आशय है और क्या आपने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान युद्ध विराम से बाज नहीं आएगा इन बातों की सफाई होनी चाहिए?

अध्यक्ष महोदय, मैं पहले से ही इसके पक्ष में नहीं हूं और शुरू से कहता आ रहा हूं और मेरा आरोप है कि केन्द्र सरकार ऐसी नीति अपनाकर आतंकवादियों के साथ नरम रूख अपना रही है। फिर आपने ''पड़ौसी'' शब्द का इस्तेमाल किया है। इसलिए मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि पड़ौसियों के साथ विदेश नीति के तहत कह सकते हैं कि हम उनके साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं किसी देश का नाम लेकर किसी को फंसाना नहीं चाहता, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि एक पड़ौसी देश अपनी आतंकवादी गतिविधियां, हमारे अन्य पड़ौसी देशों के माध्यम से हमारे देश में चला रहा है जिनमें भूटान और नेपाल प्रमुख हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आप प्रश्न पूछिए और अब बैठिए। आपने तो पहले ही कहा कि मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहता हूं, लेकिन आपने तो कई सवाल पूछ लिए। अब प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, नेपाल में भी आतंकवादी प्रवेश कर गए हैं। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपको आसपास के देशों से किस प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग मिल रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सिर्फ स्पष्टीकरण दीजिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, रमजान का महीना आरंभ होने से पहले प्रधान मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था, उसमें जिस शब्द का प्रयोग किया था, वह यह था कि हम सलाह दे रहे हैं। मेरे पास इस समय कोटेशन नहीं है।

[अनुवाद]

हम सुरक्षा बलों को निदेश दे रहे हैं कि वे आक्रामक कार्रवाई की पहल नहीं करें। युद्ध विराम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था क्योंकि सामान्य बोलचाल में युद्ध विराम का अभिप्राय दो पक्षों के बीच समझौता है।

[हिन्दी]

हथियार रख देना। इस बार उन्होंने इलैबोरेट करके जब उसे तीन महीने के लिए बढ़ाने की बात की तो उन्होंने कहा कि

[अनुवाद]

शांति प्रक्रिया सिर्फ उनके लिए है जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं। सरकार ऐसे संगठनों अथवा तत्वों जिन्होंने शांति प्रक्रिया को बाधित करने की प्रतिज्ञा कर रखी है अथवा जो जम्मू कश्मीर में हिंसा और निर्दोषों की हत्या करना जारी रखना चाहते हैं के द्वारा इस प्रक्रिया को दिशाहीन, क्षीण बनाने अथवा इसका दुरूपयोग करने की इजाजत नहीं देगी। सरकार का संदेश स्पष्ट और बिल्कुल साफ है। यदि वे जम्मू और कश्मीर राज्य में अथवा अन्यत्र किसी भारतीय नागरिक को आघात पहुंचाते हैं, अथवा हिंसा या आंतकवाद की कार्रवाई करते हैं, तो सुरक्षा बलों को निर्णायक कार्रवाई करने तथा उनके इरादों को नाकाम करने का स्पष्ट निर्देश है। कानून और व्यवस्था बनाई रखी जाएगी।

[हिन्दी]

इन इंस्ट्रक्शन्स के परिणामस्वरूप ही 184 लोग मारे गये। जहां तक पाकिस्तान की रिस्पांस का प्रश्न है, हमारा कहना यह है कि पाकिस्तान ने रिस्पोंड नहीं किया है। यदि किया है तो थोड़ा किया है और वह यह है कि बॉर्डर पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर शैल्लिंग कम हुई है। उसके परिणाम भी कुछ मात्रा में वहां पर अच्छे हैं। लेकिन जिस प्रकार के रिस्पांस की हम अपेक्षा करते थे, जैसे लश्कर-ए-तोइबा जैसे संगठन को रोकना, उनको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देना या उनको किसी भी प्रकार के हथियार नहीं देना आदि-यह पाकिस्तान ने नहीं किया है। मैंने जब कहीं अपना वक्तव्य दिया तो उसमें मैंने यही जिक्र किया। मैंने कहा कि पाकिस्तान ने जितना रिस्पांस दिया है, वह टोटली इनऐडीक्वेट है। हम उनसे अधिक रिस्पांस की अपेक्षा करते हैं।

जहां तक पड़ौसी देशों का सवाल है, हम जानते हैं कि पाकिस्तान और आई.एस.आई. अपने मिलिटैंट्स के लिए नेपाल, बंगलादेश, बर्मा और भूटान का उपयोग अलग-अलग ढंग से करते हैं। हमारा सबसे सम्पर्क रहा है और उनके साथ को-आपरेट करके हम लगातार यह प्रयत्न कर रहे हैं कि वे इन क्षेत्रों को, इन देशों को ऐसाइलम की तरह यूज न करे, बेस ऑफ आपरेशन करके यूज न करें। मोटे तौर पर सब देश हमारा सहयोग कर रहे हैं।

महिलाओं का उत्थान

*82. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई महिलाओं के उत्थान, उन्हें रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस बारे में हुई प्रगति और आबंटित/उपयोग में लाई गई धनराशि का राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार महिलाओं के उत्थान हेतु कुछ अन्य योजनाएं शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

सरकार ने महिलाओं के उत्थान और उन्हें रोजगार तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में अनेक स्कीमें शुरू की हैं। इन स्कीमों का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध-I से III में दिया गया है।

सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए 2 नई स्कीमें, अर्थात् (क) समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम; और (ख) कठिन परिस्थितियों में महिलाएं, शुरू करने पर विचार कर रही है। तथापि, इन्हें अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

अनुबंध-I

महिलाओं के उत्थान तथा उन्हें रोजगार एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा नौंवी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान शुरू की गई स्कीमों का ब्यौरा

1. बालिका समृद्धि योजना

बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए यह स्कीम 2 अक्तूबर, 1997 को शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत 15 अगस्त, 1997 के बाद गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली माताओं को दो बालिकाओं के जन्म तक 500/- रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 1999 में इस स्कीम को पुन: निरूपित करके 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्कीम बना दिया गया। अब यह राशि बालिका के नाम से बैंक अथवा डाकघर में ब्याजधारी खाते में जमा करवा दी जाती है। इसके अतिरिक्त, अब बालिका उत्तीर्ण की गई प्रत्येक कक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने की भी हकदार है। छात्रवृत्ति की दर कक्षा-I से X तक 300 रुपए से 1000/- रुपए वार्षिक है। छात्रवृत्ति की राशि भी उक्त खाते में जमा करवा दी जाएगी। जमा हुई सम्पूर्ण राशि बालिका को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तथा इस आयु तक अविवाहित रहने पर दी जाएगी। विगत तीन वर्षों के दौरान राशि के उपयोग का स्कीम-वार/राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II पर दिया गया है।

2. स्व-शक्ति परियोजना:

कृषि विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन की सहायता से यह स्कीम वर्ष 1998 में शुरू की गई थी। इसमें 7 राज्य, नामत: बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश शामिल हैं। यह स्कीम 191.21 करोड़ रुपए के परिव्यय से 5 वर्ष की अवधि के लिए चलाई गई। इस परियोजना का उद्देश्य महिलाओं के आत्म-निर्भर स्व-सहायता समूहों का गठन करना है, जो ऋण देने वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करेंगे, ताकि आयोत्पादक कार्यकलापों के लिए

ऋण प्राप्त किया जा सके। इस परियोजना के तहत लगभग 2.14 लाख लाभार्थियों का कवर किए जाने की योजना है। विगत तीन वर्षों के दौरान राशि के उपयोग का स्कीम-वार, राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-III पर दिया गया है।

3. महिला विकास तथा सशक्तिकरण हेतु दूरस्थ शिक्षा

यह परियोजना इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई, ताकि परियोजना के ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं में से उनके प्रशिक्षकों, पर्यवेक्षकों तथा जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया जा सके तथा उनके क्षेत्रों में व्यवहार्य स्व-सहायता समूहों का गठन किया जा सके। परियोजना की कुल लागत लगभग 3.90 करोड़ रुपए हैं तथा यह दो वर्ष में पूरी कर ली जाएगी। तत्पश्चात् यह इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का एक नियमित प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम बन जाएगा। अब तक इस परियोजना पर 1.40 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

4. महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण हेतु प्रशिक्षण

यह यूनाइटिड नेशंस फण्ड फॉर पॉपूलेशन एक्टिविटी द्वारा वित्त-पोषित एक परियोजना है, जो निम्नलिखित उद्देश्यों से महाराष्ट्र राज्य के 21 खण्डों में चलाई जा रही है:

(क) महिलाओं के समरूप समूहों का गठन तथा चयन;

(ख) इन्हें गांव तथा ब्लाक स्तर पर संघबद्ध करना; और

(ग) महिलाओं के स्तर, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक मामलों के बारे में सदस्यों में विश्वास, आत्म-सम्मान तथा जागरूकता का सृजन करना।

परियोजना की कुल लागत 220 लाख रुपए है, जिसमें से अब तक 77 लाख रुपए इस परियोजना पर खर्च किए जा चुके हैं।

5. महिला सशक्तिकरण वर्ष, 2001

भारत सरकार ने महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के सम्बन्ध में पूरे देश में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष, 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया है। इस प्रयोजनार्थ अनुमोदित स्कीम में विभिन्न विषयों, जैसे महिलाओं के मानवाधिकार, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण, कठिन परिस्थितियों में महिलाएं, महिलाएं और प्रौद्योगिकी, महिलाएं और शासन, महिलाएं और शिक्षा, महिलाएं तथा स्वास्थ्य, पोषाहार, महिलाएं तथा प्रचार माध्यम, महिलाओं में उद्यमवृत्ति, आदि पर पूरे वर्ष चलने वाले कार्यक्रम और गतिविधियां परिकल्पित हैं। वर्ष की शुरूआत औपचारिक रूप से 4 जनवरी को विज्ञान भवन में प्रधान मंत्री द्वारा की गई, जब पांच महिलाओं को निर्धन और पिछड़ी महिलाओं के उत्थान के लिए उनके उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रथम स्त्री शक्ति-पुरस्कार प्रदान किये गए।

सरकार महिलाओं के उत्थान, प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए कई अन्य स्कीमें भी चला रही है, जो नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि से पूर्व शुरू की गई। इनमें महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार सहायता कार्यक्रम (स्टेप), महिला रोजगार कार्यक्रम (नोराड), कामकाजी महिला होस्टल, अल्पावास गृह, जागरूकता विकास कार्यक्रम तथा परिवार परामर्श केन्द्र शामिल हैं।

इसके अलावा, जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा पोषण, शहरी और ग्रामीण रोजगार तथा सामाजिक अक्षमताओं में सुधार के उद्देश्य से अन्य क्षेत्रों में चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रमों का भी महिलाओं के उत्थान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

अनुबंध-II

विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त की गई राशि
बालिका समृद्धि योजना

(रुपए लाखों में)

क्रम सं.	राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के नाम	1997-1998*	1998-1999	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	219.52	219.45	146.35	70.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.32	6.82	6.21	2.50

1	2	3	4	5	6
3.	असम	215.48	129.85	143.66	105.00
4.	बिहार	1068.69	630.75	712.46	212.50
5.	गोवा	3.34	3.34	2.23	2.50
6.	गुजरात	158.23	108.08	105.49	75.00
7.	हरियाणा	86.49	59.29	57.66	25.00
8.	हिमाचल प्रदेश	27.74	27.72	18.50	12.00
9.	जम्मू व कश्मीर	52.50	48.74	35.00	30.00
10.	कर्नाटक	227.02	226.99	151.35	87.00
11.	केरल	81.92	48.19	54.62	25.00
12.	मध्य प्रदेश	550.35	489.18	366.90	262.00
13.	महाराष्ट्र	457.42	324.03	304.95	60.00
14.	मणिपुर	11.48	6.03	7.65	5.50
15.	मेघालय	17.84	9.08	11.90	–
16.	मिजोरम	3.08	3.07	2.05	2.50
17.	नागालैंड	5.30	3.12	3.54	1.25
18.	उड़ीसा	332.11	332.11	221.41	175.00
19.	पंजाब	42.41	38.23	28.28	20.00
20.	राजस्थान	325.67	244.84	217.12	50.00
21.	सिक्किम	3.25	3.26	2.17	1.25
22.	तमिलनाडु	238.16	149.54	158.77	12.50
23.	त्रिपुरा	17.42	17.42	11.60	2.50
24.	उत्तर प्रदेश	1403.91	872.43	935.94	100.00
25.	प. बंगाल	412.77	236.49	275.18	–
26.	दिल्ली	18.81	18.81	12.54	–
27.	पाण्डिचेरी	5.03	5.03	3.35	2.50
28.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.65	1.02	1.10	0.38
29.	चण्डीगढ़	1.92	1.42	1.28	0.88
30.	दादर एवं नागर हवेली	–	0.80	–	–
31.	दमन एवं दीव	0.70	0.57	0.47	0.13
32.	लक्षद्वीप	0.39	0.39	0.26	0.13

टिप्पणी: नवगठित राज्यों, अर्थात् झारखण्ड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ के लिए राशि उनके मूल राज्यों में शामिल की गई है।

अनुबंध-III

विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त की गई राशि

स्व-शक्ति परियोजना

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ-राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98*		1998-99		1999-2000		2000-2001	
		आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
1.	बिहार	–	–	180.00	97.05	110.00	40.00	130.00	–
2.	गुजरात	–	–	180.00	117.53	110.00	4.00	130.00	–
3.	हरियाणा	–	–	180.00	101.44	110.00	40.00	130.00	–
	कर्नाटक	–	–	180.00	117.53	110.00	40.00	130.00	–
5.	मध्य प्रदेश	–	–	300.00	111.68	160.00	45.00	200.00	–
6.	उत्तर प्रदेश	–	–	780.00	203.60	481.00	198.24	580.00	–

*यह परियेजना 1998-99 से शुरू की गई और केवल छः राज्यों में ही चलाई जा रही है।

नवगठित राज्यों, अर्थात् झारखण्ड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ के लिए राशि उनके मूल राज्यों में शामिल की गई है।

श्री थावरचन्द गेहलोत: अध्यक्ष महोदय....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सिर्फ महिला सदस्यों को स्पष्टीकरण पूछने का हक है और पुरूष सदस्यों को नहीं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या आप मेरे साथ भी ऐसा ही करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका मामला अपवाद है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महिलाओं को शक्ति प्रदत्त करने वाली समिति का मैम्बर बनाया है इसलिए प्रश्न तो पूछना ही पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रामदास जी, आप रोज हाउस में क्या करते रहते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप पहले बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए। यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपका हाउस में कोई नियम नहीं है। आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री धावरचन्द गेहलोत: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक उत्थान की ओर अग्रसर करने के लिए जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं जैसे स्वशक्ति परियोजना, रोजगार और प्रशिक्षण के लिए स्टेप योजना, नोराड योजना तथा इसके साथ और भी अन्य योजनायें भी हैं, उनके अन्तर्गत पिछले दो-तीन वर्षों में कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार दिया गया?

यदि ये राज्यवार स्थिति बता सकें तो ठीक है नहीं तो महिलाओं की संख्या की ही जानकारी दे दें। जो नई योजनाएं प्रस्तावित कर रहे हैं, क्या उन्हें इस महिला शक्ति सशक्तिकरण वर्ष में लागू कर देंगे?

श्रीमती सुमित्रा महाजन: नोराड़ योजना की राज्यवार डिटेल बाद में दे दूंगी लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी की नोराड़ योजना के अन्तर्गत करीब-करीब 2.50 लाख महिलाओं को ट्रेंड किया गया है और पूरे हिन्दुस्तान में 1,777 प्रोजैक्ट्स नोराड़ के अन्तर्गत चालू किए गए हैं। स्टेप योजनाएं, जिनमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और साथ-साथ रोजगार के लिए भी, मार्किटिंग से लेकर सब प्रकार की मदद दी जाती है, उनमें करीब 4,46,000 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है और ऐसे 83 प्रोजेक्ट्स इसमें चल रहे हैं। राष्ट्रीय महिला कोष भी एक योजना है जिसके अन्तर्गत महिलाओं के छोटे-छोटे सैल्फ हैल्प ग्रुप्स बना कर ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को छोटे-छोटे काम करने के लिए जो ऋण दिया जाता है, उसमें करीब साढ़े तीन लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

श्री धावरचन्द गेहलोत: नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो स्वशक्ति परियोजना लागू की गई है, वह केवल सात राज्यों में लागू की गई है और जिन सात राज्यों को राशि आबंटित की गई है, उनमें से अधिकांश राज्यों में केवल एक-तिहाई राशि ही खर्च हुई है। मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस योजना को देश के सभी राज्यों में लागू करेंगी और जिन राज्यों को राशि आबंटित की थी, जिसमें से लगभग एक-तिहाई राशि ही खर्च हुई है, उसके क्या कारण हैं? जो राशि कम खर्च हुई है, क्या उसके विषय में कोई कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: अध्यक्ष जी, जो स्वशक्ति प्रोजैक्ट शुरू किया गया है, वह 1998 से प्रारंभ किया गया है। इसमें पहले जो स्ट्रैस था, वह ग्रामीण महिलाओं के छोटे-छोटे सैल्फ हैल्प ग्रुप्स बना कर, वे अपने आप सोचें कि हम क्या चाहते हैं, यानी एक प्रकार से उनको ट्रेनिंग देना, उनमें अवेयरनैस निर्माण करना, इस प्रकार की पूरी योजना थी। अवेयरनैस होने के बाद महिलाएं खुद तय करें कि अपने गांव में क्या करना चाहती हैं, किस प्रकार पैसा उन्हें मिले, किस प्रकार उसे व्यय करना चाहेंगी। इस प्रकार के ये स्वशक्ति प्रोजैक्ट्स हैं। ये छ: राज्यों में प्रारंभ किए गए थे। सैल्फ हैल्प ग्रुप्स बनाना उसका पहला टारगैट था। अभी तक करीब, 5,000 से ऊपर सैल्फ हैल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं। सैल्फ हैल्प ग्रुप्स बनाना, उनको ट्रेनिंग देना और उसके बाद महिलाएं स्वयं कार्यरत हो जाएंगी-इससे धीरे-धीरे लगता है कि इसका खर्च कम हो गया है लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। पहले सात राज्यों में इसे ठीक से चलाएंगे फिर आगे की बात सोचेंगे।

[अनुवाद]

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा: महोदय, राष्ट्रीय महिला आयोग जो सांविधिक निकाय है तथा महिलाओं संबंधी मामलों की निगरानी करता है को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला और बाल विकास विभाग का अधीनस्थ बना दिया गया है और इससे यह शक्ति विहीन हो गया है अब यह शक्तिशाली निकाय नहीं रह गया है।

मैं जानना चाहती हूं कि (क) राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदनों को संसद में क्यों नहीं रखा जाता है और (ख) क्या सरकार ने आयोग को और अधिक शक्तिशाली बनाने, जैसाकि इसका उद्देश्य था, के लिए इस पर पुन: विचार किया है? मैं समझता हूं कि यह प्रश्न मूल प्रश्न के साथ अत्यधिक प्रासंगिक है।

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): महोदय...

अध्यक्ष महोदय: वे इसका उत्तर दे सकती हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: वो भी उत्तर देंगी। मैं एक सूचना दूंगा।

यदि आयोग के प्रतिवेदन सदन में नहीं रखे जाते हैं तो इसका कारण यह है कि इन प्रतिवेदनों को विभिन्न विभागों एजेंसियों और मंत्रालयों को परिचालित किया जाता है। जब हमें सारी सूचना प्राप्त

हो जाती है तो हम इसे सदन के समक्ष रखते हैं। अत: इन प्रतिवेदनों को सदन के समक्ष नहीं रखे जाने की कोई मंशा नहीं है।

दूसरे विभाग इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि एन.एस.डब्ल्यू. को और अधिक अधिकार कैसे दिए जाएं। एन.एस.डब्ल्यू. के साथ चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है और हमें कई विषयों पर विधि मंत्रालय और गृह मंत्रालय से चर्चा करनी हैं। इसके पश्चात हम एन.एस.डब्ल्यू. को और अधिक अधिकार दिए जाने के संबंध में एक विस्तृत व्यवस्था तैयार करेंगे।

श्रीमती कृष्णा बोस: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2001 को महिला अधिकारिता वर्ष के रूप में भी घोषित किया है।

इस सभा में हम सभी जानते हैं कि भारत की महिलाओं को राष्ट्र की निर्णय लेने वाली संस्थाओं जैसे संसद और राज्य विधान मंडलों में शामिल किया जाना उनके लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है। हालांकि अड़चनें हैं फिर भी हमें विश्वास है कि ऐसा होगा और शीघ्र ही होगा?

महोदय, इसे ध्यान में रखकर मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि क्या उनके पास महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के लिए कुछ लक्षित योजनाएं हैं जिनके माध्यम से उन्हें प्रशासनिक, संवैधानिक और नेतृत्व संबंधी गुणों के विकास के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। यह इसलिए है कि ऐसी योजनाएं भविष्य में महिलाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: अध्यक्ष जी, इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑलरेडी चलाये जा रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगी कि जैसे ही संविधान का 73वां और 74वां एमेंडमेंट हुआ था तो हमारी जो निब्सटेड नाम की संस्था है, उसके द्वारा कारपोरेटर्स के लिए ऑलरेडी इस प्रकार की दो दिन की वर्कशाप लगाई गई थी। इसी प्रकार से जगह-जगह महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए वर्कशाप भी लगाये जा रहे हैं। एक योजना हमने इग्नू की मदद से शुरू की है। इग्नू और इसरो की मदद से हमने महिलाओं के लिए, जिसमें वे वहां आकर काम करती हैं, महिला सोशल वर्कर्स हैं या जिसे आप कहेंगे कि लीडरशिप डवलप करने की दृष्टि से उनके लिए सर्टिफिकेट कोर्स की भी हमने एक योजना बनाई है। वह स्टार्ट हो गई है और 16 अगस्त को हमने इसकी शुरूआत की है। इसमें डिस्टेंट एजुकेशन के द्वारा भी, उनको कुछ मैटीरियल भेजकर और कुछ डायरैक्टली, हमने महिला बाल विकास विभाग के द्वारा ऐसे 100 सैण्टर्स स्थापित किये हैं, प्लक इग्नू के जो अपने सैण्टर्स हैं, वे मिलकर टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा भी हम उनको प्रशिक्षित करते हैं। ऐसी अनेक प्रशिक्षण की योजनाएं हमारी ऑलरेडी चल रही हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस: यदि आप तैयार हैं तो हमें यह कदम शीघ्र ही उठाना चाहिए।

डा. वी. सरोजा: माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2001 को महिला अधिकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से सबसे पहले जानना चाहती हूं कि क्या इस वर्ष आर्थिक अधिकारिता विशेषकर महिलाओं की आर्थिक अधिकारिता के संबंध में कोई विशेष बजट आबंटन किया गया है। अथवा नहीं। दूसरे सभी राज्यों में सरकारी एजेंसियां, स्व-सहायता दलों और ऋण सुविधाओं को अत्यंत हल्के रूप से ले रही है। क्या सरकार इस विशेष योजना के लिए एन.जी.ओ. को प्रोत्साहित करने हेतु आगे आयेगी?

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न के पहले भाग का नहीं बल्कि दूसरे भाग का उत्तर दे सकती हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: फर्स्ट पार्ट के लिए मैं कहना चाहूंगी कि अभी जो योजनाएं चल रही हैं, उसी को हम स्ट्रेंदन कर रहे हैं और अलग से भी हमने जैसे इण्टीग्रेटिड वूमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है या वूमेन इन डिफीकल्ट सरकमसटांसेज है, इस प्रकार के और अलग से भी प्रोग्राम चलाने के लिए योजना बनाई हुई है। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी कि माइक्रो क्रेडिट के लिए या महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बनाने के लिए जो हमारा राष्ट्रीय महिला कोष है, एक तो स्वशक्ति के द्वारा भी हम यह काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय महिला कोष की योजना को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंदन करके, इसके रीजनल आफिस खोलकर इसे और ज्यादा स्प्रेड करने के लिए हमने योजना बनाई है। राष्ट्रीय महिला कोष, छोटे से छोटे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं तक पहुंचता है और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, जो हो सकता है कि बैंक से सहयोग प्राप्त नहीं कर सकें, वे राष्ट्रीय महिला कोष से सहयोग प्राप्त करती हैं। इसको हमारी स्ट्रेंदन करने की भी योजना है।

श्रीमती जस कौर मीणा: अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के उत्थान एवं समर्थन सेवाओं के विस्तार के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस प्रश्न में महिलाओं के उत्थान की बात की गई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि पूरे देश के जिलों में महिला होस्टलों की व्यवस्था किस प्रकार की है?

राज्यवार सरकार ने कामकाजी महिलाओं के कितने हॉस्टल खोले हैं? इंदिरा महिला योजना के विस्तार और लाभार्थी महिलाओं के बारे में भी मैं मंत्री जी से राज्यवार ब्यौरा जानना चाहती हूं? ये दो योजनाएं ऐसी हैं, जिनका प्रत्येक राज्य में क्रियान्वयन किया गया है, लेकिन क्रियान्वयन की उदासीनता इतनी गम्भीर है कि राजस्थान में प्रत्येक जिले में जो होना चाहिए, वह नहीं है। वर्तमान में राज्यवार ब्यौरा जानने की मेरी इच्छा है और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक जिले में कितने हॉस्टल हैं और कितने ब्लाक्स में इंदिरा महिला योजना सफलता से चल रही है?

श्रीमती सुमित्रा महाजन: वर्किंग वूमैन हॉस्टल का प्रस्ताव जब-जब हमारे पास आता है तो पहले हम लैंड के लिए पैसा देते हैं और दूसरे कंस्ट्रक्शन के लिए भी देते हैं। उसे देने के बाद जब वर्किंग वूमैन हॉस्टल शुरू हो जाता है तो शुरू होने के बाद हमारे सोशल वैलफेयर बोर्ड के द्वारा पांच साल तक उसकी मैनटेनेंस के लिए भी थोड़ा पैसा दिया जाता है। प्रोपोजल आने के बाद हम तुरंत स्वीकृत कर देते हैं। अभी आप देखें कि पूरे हिन्दुस्तान में करीब-करीब 830 वर्किंग वूमैन हॉस्टल चल रहे हैं। इनमें 293 सेंटर्स में डे केटर सेंटर भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें उनके बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है। इनसे 58,000 से ऊपर महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। मैं राजस्थान के बारे में बताना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय: आप बाद में उनको जानकारी दे देना।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: राजस्थान के बारे में बाद में दे दूंगी। मेरे पास सभी राज्यों की लिस्ट है। जब-जब किसी राज्य से सोशल आर्गेनाइजेशन का प्रस्ताव आता है और हमारे यहां स्वीकृति में देर नहीं लगती, बशर्ते वहां से ठीक तरह का प्रपोजल आए। राजस्थान में टौंक जिले में 1996-97 में एक प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है, पूरा ब्यौरा बाद में दे दूंगी।

कोयला खानें

*83. **श्री राम टहल चौधरी:**
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में राज्य-वार और सरकारी/निजी क्षेत्र-वार कितनी कोयला खानें चल रही है;

(ख) इस समय कोयला उद्योग द्वारा राज्य-वार कितनी खानों में खनन कार्य नहीं किया जा रहा हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक राज्य-वार कितनी कोयला खानों को बंद किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन अलाभप्रद खानों को बेचने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इन खानों को अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार ने क्या योजना तैयार की है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इस समय देश में राज्य-वार और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र-वार चल रही कोयला खानों की संख्या निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	राज्य	चल रही कोयला खानों की संख्या		जोड़
		सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	67	–	67
2.	असम	06	–	06
3.	छत्तीसगढ़	58	01	59
4.	झारखंड	170	07	177
5.	जम्मू कश्मीर	03	–	03
6.	मध्य प्रदेश	78	–	78
7.	मेघालय	01	–	01
8.	महाराष्ट्र	51	–	51

1	2	3	4	5
9.	उड़ीसा	22	–	22
10.	उत्तर प्रदेश	04	–	04
11.	पश्चिम बंगाल	102	01	103
	जोड़	562	09	571

(ख) इस समय, कोयला उद्योग द्वारा जिन खानों में खनन कार्य नहीं किया जा रहा है, उनकी राज्य-वार संख्या निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	राज्य	उन कोयला खानों की संख्या जिनमें खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।
1.	छत्तीसगढ़	11
2.	झारखंड	40
3.	मध्य प्रदेश	36
4.	महाराष्ट्र	16
5.	पश्चिम बंगाल	58
6.	आंध्र प्रदेश	33
	जोड़	194

(ग) इस समय, कोयला उद्योग द्वारा कोयला खानों में खनन कार्य न किए जाने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:-

(1) संसाधनों का समापन;

(2) प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियां;

(3) आग की घटनाएं;

(4) खनन की असुरक्षित परिस्थितियां;

(5) जलप्लावन;

(6) सामान्य तकनीकी-आर्थिक अव्यवहार्यता।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. द्वारा बंद की गई कोयला खानों की संख्या इस प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान बंद की गई खानों की संख्या			
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 (फरवरी, 2001 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	–	2	2	3
2.	छत्तीसगढ़	2	–	1	–
3.	झारखंड	1	5	1	–
4.	मध्य प्रदेश	3	6	5	1
5.	महाराष्ट्र	1	–	–	–
6.	पश्चिम बंगाल	1	4	1	–
	जोड़:	8	17	10	4

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न के उक्त-भाग (ङ) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(छ) प्रश्न के उक्त भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित कारणों से बंद खानों को पुन: खोलना संभव नहीं होगा। अत: इन खानों की व्यवहार्यता/अव्यवहार्यता का प्रश्न ही नहीं उठता। परिणामत:, इन बंद खानों को व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई कोई योजना नहीं है।

श्री राम टहल चौधरी: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कोयला खानों को लाभदायक बनाने के लिए पूछा गया है, जिससे हम खनन कार्य अच्छी तरह से कर सकें। देश में कोयले का उत्पादन कोयला खानों से कम होता जा रहा है। जबकि बीच में ज्यादा उत्पादन करने के लिए कई तकनीकी शुरू की गई थीं। हमारे पास अच्छा कोयला भी है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आधुनिक किस्म की तकनीकी का प्रयोग किया जाए, अन्यथा आते समय में कोयले का उत्पादन दिनों-दिन गिरता जाएगा। एक-दो स्थान ऐसे हैं, जहां कोयले का क्षमता से अधिक उत्पादन हो रहा है, जैसे एन.सी.एल., डब्ल्यू.सी.एल., बाकी जगहों पर नुकसान ही नुकसान है। 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 का मैंने आंकड़ा मांगा था। उसके अनुसार 1997-98 में 283.41 मिलियन टन कोयला खनन का लक्ष्य था, लेकिन 260.55 मिलियन टन हुआ। 1998-99 में लक्ष्य 297.14 मिलियन टन था, लेकिन उत्पादन 256.48

मिलियन टन हुआ। पिछले साल भी लक्ष्य 296.31 मिलियन टन था, जिसमें 260.69 मिलियन टन ही खनन हुआ। हर साल बढ़ने के बजाय उत्पादन घटता जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि कई राज्यों में अनेक कोयला खानें बंद हैं। सरकार के ही आंकड़े हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में काफी संख्या में खानें बंद हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामटहल चौधरी, आप पूरी सूचना क्यों दे रहे हैं? आपको माननीय मंत्री महोदय से सूचना प्राप्त करनी है, आपको उन्हें सूचना नहीं देनी है। आप कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी: इस तरह से कुल 194 खदानें बंद हैं और रोज बंद होती जा रही हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो हमारी कोल उत्पादन क्षमता रोज घटती जा रही है, कौन सी गड़बड़ी के कारण उत्पादकता में कमी होती जा रही है और सरकार इस संबंध में क्या उपाय करने जा रही है?...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: पहले कोयले की चोरी रोकिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, यह कहना सही नहीं है कि कोयला का उत्पादन घटता जा रहा है। कोयले का उत्पादन पहले से बढ़ा है और उसकी उत्पादकता में सुधार हेतु कुछ कदम उठाये जा रहे हैं। नयी परियोजना शुरू करना, नयी खानें खोलना, उनका आधुनिकीकरण करना और प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना, इत्यादि जैसे कदम उठाये जा रहे हैं। इसी आधार पर खदानें चल रही हैं। उतनी ही खदानों में काम चल रहा है, जितनी हमारी जरूरत है। कुछ खदानें बहुत पुरानी हैं जिससे कोयले को बाहर निकालने में लागत बढ़ती जा रही है, इसलिए सरकार कुछ नयी खदानों को फिर से शुरूआत करने वाली है।

श्री राम टहल चौधरी: अध्यक्ष जी, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि झारखंड सरकार ने कोयला खान लेने के लिए कितने प्रस्ताव भेजे हैं और वह किन-किन खानों को लेना चाहती है? हजारीबाग बोकारों के अन्तर्गत क्या आप जोगेश्वर, जोगेश्वर खास, जोगेश्वर कुकिंग कोल क्या झारखंड सरकार को देने जा रहे हैं?

1989 की खनन नीति के अन्तर्गत झारखंड सरकार को खनन करने के लिए कोई खदान दी गई हैं या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं दी गई? मेरा अन्तिम प्रश्न है कि कोयले की चोरी रोकने के लिए और खानों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं क्योंकि जब तक कोयले की चोरी नहीं रोकी जाएगी, घाटा कभी कम नहीं होगा। घाटे को रोकने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है? अभी सात खदानें निजी क्षेत्र में दी गई हैं, मैं जानना चाहता हूं कि ये खदानें किन को दी गई हैं? झारखंड सरकार को क्यों नहीं दी गई और क्या सरकार भविष्य में झारखंड सरकार को ये खदानें देने जा रही है? कोयले की चोरी रोकने के लिए और इससे संबंधित दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है क्योंकि तभी घाटा रूक सकता है अन्यथा घाटा नहीं रूक सकता।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: 1989 की कोयला खनन नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार को अभी तक 9 खदानें दी गई हैं। बिहार सरकार के प्रस्ताव के हिसाब से बिहार राज्य खनिज विकास निगम को पट्टे पर दी जा रही 9 खदानें हैं जिनमें जगदलगा जयन्ती सेंटर, जयन्ती खाद, जयन्ती जैन, फिलाड्र्स, फिलाड्र्स प्राइवेट लिमिटेड, फिलाड्र्स प्राइवेट लिमिटेड II, बालगरा और सागरपुर, ये 9 खदानें 17.06.1999 और 26.02.2000 को सौंपी गई हैं लेकिन अभी तक वहां खनन कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इनका दूसरा प्रश्न जोगेश्वर की खदानें, बोकारो की हजारी बाग जिले में खास जोगेश्वर और जोगेश्वर खानों के लिए है, क्योंकि 1989 की पॉलिसी के अंदर नॉन-कुकिंग कोल की खदान लीज पर नहीं देते थे लेकिन सरकार इस बात पर विचार कर रही है। सरकार इसमें संशोधन करने का विचार रखती है और कैबिनेट के लिए नोट बनाकर इसे संबंधित मंत्रालय को सौंप दिया गया है और वहां से कई सुझाव भी आये हैं। खास जोगेश्वर की खदानें, जिनमें 7 मिलियन टन प्रामाणिक कुकिंग कोल है, झारखंड सरकार इस पर फिर से प्रस्ताव करे क्योंकि बिहार सरकार ने भी प्रस्ताव किया था कि ये दोनों खदानें उसे दे दी जायें। कोयला मंत्रालय ने इस पर एक नोट बनाकर संबंधित मंत्रालय को भेजा है। कई लागों से टिप्पणियां भी प्राप्त हो गई हैं। कुछ मंत्रालयों से टिप्पणियां प्राप्त होने वाली हैं और मैं समझता हूं कि झारखंड सरकार इस का फिर से प्रस्ताव भेजे क्योंकि सरकार इस नीति पर विचार कर रही है।

जो कुकिंग कोल की खदानें हैं, उनको राज्य सरकार को देने पर विचार कर सकते हैं। अगर झारखण्ड सरकार से फ्रैश प्रस्ताव आएगा, तो सरकार उसे देने पर विचार करेगी।

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो बातों पर सूचना प्राप्त करना चाहता हूं।

सरकार द्वारा उन खनन इकाइयों की अर्थक्षमता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं जो अर्थक्षम नहीं है।

मैं गत दो वर्षों के दौरान खानों में हुई दुर्घटनाओं से संबंधित ब्यौरा जानना चाहता हूं। सरकार द्वारा इन त्रासदियों के शिकार व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि खानों का निजीकरण किए जाने के मद्देनजर सरकार लोगों के हितों की किस प्रकार रक्षा करेगी क्योंकि सरकारी क्षेत्र का आशय सामाजिक उत्तरदायित्व है जबकि निजीकरण से अधिक दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ सकती है। सरकार का लोगों को इन दुर्घटनाओं से बचाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने पूछा है कि खदानों को निजीकरण से बचाने के लिए सरकार कौन से प्रयास कर रही है। कोल इंडिया जो 1973 में बनी थी, उसकी खदानों को निजी हाथों में देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। सरकार ने उन्हीं खदानों को निजी क्षेत्रों में देने की कोशिश की है, जो उसके क्षेत्र से बाहर हैं। जहां रेल माध्यम से हम नहीं पहुंच सकते हैं और छोटी-छोटी पाकेट्स हैं। कोल इंडिया का खदान में पर्याप्त कोयला है, उसको देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। अगर इसी प्रकार कोयले को अगले 35 वर्षों तक इसी रफ्तार से निकलते रहें, तो भी उसमें कमी नहीं आएगी।

दूसरा प्रश्न, माननीय सदस्य ने खदानों की सुरक्षा के बारे में पूछा है, जो मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से बागडिगी कोयला खान में हुई दुर्घटना की गंभीरता महसूस करने का अनुरोध करती हूं। उस भयानक दुर्घटना के पश्चात् क्या माननीय मंत्री महोदय के लिए यह उचित नही है कि वे पूरे विषय पर गंभीरता से विचार करें। वे विषय से हटकर उत्तर दे रहे हैं। मैं उनकी बात लगातार सुन रही हूं। मैं कोयला क्षेत्रों में गई हूं और मैंने स्वयं वहां व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को महसूस किया है। अधिकांश कोयला खानों में वहां की देखभाल करने वाले अधिकारी नहीं हैं। ऐसा परिस्थितियों में मैं यह कैसे आशा करूं कि बागडिगी जैसी दुर्घटना बार-बार नहीं होगी।

मैं क्षमा चाहूंगी लेकिन चार माह पूर्व इसी महत्वपूर्ण विषय पर मेरे तारांकित प्रश्न में मैंने स्थिति को समझाने का अनुरोध किया था। वास्तविकता यह है कि इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। क्या आप कृपाकर इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आधे घंटे की चर्चा कराने की अनुमति देंगे?

अध्यक्ष महोदय: अब कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है। श्री उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान प्रश्न के भाग (छ) के संबंध में दिए गए उत्तर की ओर दिलाता हूं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह: महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।...*(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: उन्होंने कहा है कि बंद पड़ी इन खानों को अर्थक्षम बनाने के संबंध में सरकार द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गई है। आप कृपया प्रश्न के भाग (ग) के संबंध में दिए गए उत्तर को पढ़े।...*(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह: महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय: आपका अनुपूरक प्रश्न क्या था?

श्रीमती श्यामा सिंह: मैं प्रश्न के पहले भाग का उत्तर चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके अनुपूरक प्रश्न को नहीं समझ पाया हूं।

श्रीमती श्यामा सिंह: मेरे प्रश्न का पहला भाग बागडिगी दुर्घटना से संबंधित था। क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि अधिकांश विभागों में उनके प्रमुख के पद पर कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं है? बागडिगी दुर्घटना में कितने व्यक्ति हताहत हुए हैं। सरकार द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस संबंध में सरकार सभा में पहले ही वक्तव्य दे चुकी है। क्या सरकार की ओर से कोई सूचना है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, इस संबंध में पहले ही सरकार द्वारा स्टेटमेंट दिया जा चुका है। दूसरा प्रश्न, इस मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान प्रश्न के भाग (छ) के संबंध में दिए उत्तर की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें यह कहा गया है कि सरकार द्वारा बंद पड़ी

खानों को अर्थक्षम बनाने हेतु कोई योजना तैयार नहीं की गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि खानों को बंद किए जाने के कारण उत्तर के भाग (ग) में दिए गए हैं। भाग (ग) में उन्होंने संसाधनों का समाप्त होना, प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियां, आग की घटनाएं, असुरक्षित खनन संबंधी परिस्थितियां, जल का जमाव और सामान्य तकनीकी आर्थिक रूप से अलाभकर होना, आदि कारण बताए हैं। दर्शायें गए इन कारणों में से आंध्र प्रदेश में बंद की गई खानों हेतु विशिष्ट कारण क्या है। सरकार इन खानों का पुनरुद्धार करने अथवा इनका निजीकरण करने संबंधी योजना क्यों नहीं तैयार करती है। यदि सरकार इन्हें पुन: चालू नहीं करने जा रही है तो क्या उनके पास इन बंद पड़ी खानों का निजीकरण करने संबंधी कोई योजना है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि विभिन्न कारणों से जो खदानें बंद की गई हैं, अभी तक 194 खदानें बंद की गई हैं जिनमें 153 ऐसी खदानें हैं जो भंडार समाप्त होने के कारण बंद कर दी गई हैं। सात खदानें ऐसी हैं, जो सुरक्षा संबंधी विचार की वजह से बंद की गई हैं और एक खदान भू-खनन परिस्थिति की वजह से बंद की गई है। चार खदानें ऐसी हैं जो आग की वजह से बंद की गई हैं और दो जलमग्न होने की वजह से बंद की गई हैं। 27 खदानें तकनीकी और आर्थिक पहलू की वजह से बंद की गई हैं। अभी बागडिगी दुर्घटना के बाद कुछ खदानें बंद की गई हैं, ऐसी दस खदानें बंद की गई हैं। उसके कुछ पाकेट बंद किए गए हैं, जिनमें आठ ऐसी हैं- कुसुंडा, लोदना, ईस्टर्न, झरिया, कुटकी, बिल्हारी, वस्तुकोला, सिजुआ। ये आठ खदानें ऐसी हैं, जो डीजीएमएस (डायरेक्टर जनरल माइंस सेफ्टी), लेबर मंत्रालय के अंतर्गत हैं, उसके सुझाव पर बंद की गई हैं। हम खदानों की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। मजदूरों की जान की कीमत पर हम खनन नहीं करेंगे, ऐसा सरकार का विचार है।

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: महोदय, मैंने पूछा था कि क्या उनके द्वारा नहीं चलाए जाने वाले खानों का निजीकरण किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय: पूर्व के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने इस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप कहें तो हम कल से प्रश्न-काल छोड़ देंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको पहले अपनी जगह पर बैठना है, यह आपकी जगह नहीं है। आप पहले कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[अनुवाद]

डा. नीतिश सेनगुप्ता: भारतीय कोयला उद्योग की समस्याओं में से एक मुख्य समस्या अत्यधिक धूल मिश्रण की है। इससे निपटने के लिए कुछ वर्ष पूर्व, शायद छठी अथवा सातवीं योजनावधि के दौरान एक निर्णय लिया गया था। मैं नहीं जानता कि उन्हें इसकी जानकारी है अथवा नहीं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से विशेष प्रश्न यह है कि क्या उन्हें छठी अथवा सातवीं योजनावधि के दौरान सभी प्रमुख कोयला खानों के मुहानों पर कोयला धोवनशाला स्थापित किए जाने के संबंध में लिए गए निर्णय की जानकारी है। वास्तव में विश्व बैंक ने उस समय इस व्यय के लिए आसान शर्तों पर ऋण देने की पेशकश की थी। लेकिन यह सार्थक प्रस्ताव राजनैतिक अनिश्चितता के परिणामस्वरूप राजनैतिक पक्षाघात का शिकार हो गया। क्या माननीय मंत्री महोदय को इस निर्णय की जानकारी है और यदि है, तो क्या इस पर कार्यवाही की जा रही है और यदि नहीं, तो क्या इसे शीघ्रता से क्रियान्वित करने हेतु कोई निर्णय लिए जाने की संभावना है। इससे भारतीय कोयले की उत्पादकता में काफी हद तक वृद्धि होगी।

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया संक्षेप में उत्तर दीजिए।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, इन खदानों के बारे में जो निर्णय किया गया था, उनके बारे में विस्तृत जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस सवाल से उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। मैं इसकी विस्तृत जानकारी लेकर आपके पास पहुंचा दूंगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, मंत्री जी का उत्तर बहुत बढ़िया है। आपको याद होगा कि अयोध्या में इन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया तभी हम लोग इन्हें आहिस्ते-आहिस्ते प्रोन्नति भी दे रहे हैं।

महोदय, इन्होंने उत्तर में कहा है कि लगभग 233 खदानें बंद हैं। मैं संक्षिप्त रूप से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आज भी इन खदानों में काफी कोयला है या होना चाहिए, उस परिस्थिति में इन खदानों की कोई ऐसी सूचना है कि जो खदानें बंद हैं, क्या उनमें चोरी की संभावनाएं हैं। क्या इनके विभाग ने इन्हें संतुष्ट कर दिया है कि बची हुई खदान है वहां कोयले की चोरी नहीं हो रही है, इस बारे में क्या विभाग ने आपको संतुष्ट किया है?

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप माननीय सदस्य को लिखित उत्तर भेज सकते हैं। अब समय समाप्त हो चुका है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

राष्ट्रीय इस्पात नीति

*84. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय इस्पात नीति विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह नीति कब से लागू होने की संभावना है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) और सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों द्वारा विनिर्मित इस्पात अन्य देशों में उत्पादित इस्पात की तुलना में महंगा है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय इस्पात की कीमतों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या लौह अयस्क के समुचित उपयोग के लिए कोई योजना तैयार की जा रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के स्थापना व्यय में कटौती करने के लिए कोई नीति तैयार की गई है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क), (ख), (च) और (छ) जी हां। वैश्वीकरण और दूसरी पीढ़ी के सुधारों को ध्यान में रखते हुए अगले दस वर्षों हेतु इस्पात उद्योग की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय इस्पात नीति तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इस समय इस नीति को लागू करने की निश्चित समय-सीमा बता पाना मुश्किल है क्योंकि इसकी प्रमुख उत्पादकों, उनके संघों, धातु विज्ञान क्षेत्र के विशेषज्ञों, वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय आदि के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिया जाना है। राष्ट्रीय इस्पात नीति में लौह अयस्क सहित कच्चे माल के उपयोग पर भी विचार किया जाएगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) लागत में कमी एक सतत् प्रक्रिया है क्योंकि इस्पात के मूल्य बाजार शक्तियों के पारस्परिक प्रभाव से निर्धारित होते हैं।

(ज) और (झ) सेल ने अपने स्थापना संबंधी व्यय में कमी करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं शुरू करना।
2. आगामी पांच वर्षों में जनशक्ति को घटाकर 01 लाख करने के लिए सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करना।
3. छुट्टी यात्रा रियायत/उदार छुट्टी यात्रा रियायत को आस्थगित करना।
4. छुट्टी नकदीकरण पर रोक।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का कार्य-निष्पादन

*85. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वित्त वर्ष के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अपने वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार दर्शाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रमुख इस्पात विनिर्माता ने दिसम्बर, 2000 को समाप्त हुए नौ महीने की अवधि के दौरान 166 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया;

(घ) क्या बाजार मूल्य में भारी गिरावट के बावजूद तिमाही वित्तीय परिणामों ने सतत् प्रगति दर्शाया है;

(ङ) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकर लिमिटेड के ऋण के बोझ से कब तक मुक्त होने की संभावना है; और

(च) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड पर कुल ऋण और उस पर अब तक जमा हो गए ब्याज की राशि कितनी है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (ग) चालू वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अपने वित्तीय निष्पादन में सुधार दर्शाया है जिसे निम्नलिखित विवरण से देखा जा सकता है:-

(करोड़ रुपए)

	2000-2001 (अप्रैल-दिसंबर, 2000)	1999-2000 (अप्रैल-दिसंबर, 1999)
सकल मार्जिन	1507	504
ब्याज	1341	1643
नकद लाभ	166	-1139
मूल्य ह्रास	864	925
निवल लाभ/हानि (-)	-698	-2065

(घ) और (ङ) तीसरी तिमाही के दौरान सेल के एकीकृत संयंत्रों को बिक्री से हुई औसत निवल प्राप्ति में गिरावट आई है। तथापि, इस तिमाही में हानि अपेक्षाकृत कम रही क्योंकि पहली दो तिमाहियों में छुट्टी-नकदीकरण के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया गया था।

(च) दिसंबर, 2000 के अंत में बकाया ऋण 14360 करोड़ रुपए था। सेल द्वारा ब्याज का भुगतान देय तिथि पर किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड में श्रम उत्पादकता

*86. **प्रो. दुखा भगत:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने गहरी खानों से कोयला निकालने में श्रम उत्पादकता हेतु कोई नए मानदंड निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) वर्ष के लिए केयला निष्कर्षण की योजना बनाते समय, कोल इंडिया लि. अपनी सहायक कंपनियों के अधीन कार्य कर रही सभी खानों के लिए, जिसमें गहरी भूमिगत खानें भी शामिल है, प्रत्येक वर्ष श्रम उत्पादकता अर्थात् प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादन (ओ.एम.एस.) का लक्ष्य निर्धारित करता है।

(ख) वर्ष 2001-2002 के लिए कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों की समग्र भूमिगत श्रम उत्पादकता (ओ.एम.एस.) नीचे दी गई है:-

वर्ष 2001-2002 के लिए लक्ष्य

कंपनी	ओ.एम.एस. (टन)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	0.47
भारत कोकिंग कोल लि.	0.54
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	0.43
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	0.79
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	0.96
महानदी कोलफील्ड्स लि.	0.71
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	0.28
कोल इंडिया लि.	0.63

रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन

*87. **श्री प्रह्लाद सिंह पटेल:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में आए भूकम्प से रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) डीएपी रासायनिक उर्वरकों के घरेलू उत्पादन और देश में कृषि क्षेत्र में उनकी खपत के बीच कितना अन्तर है; और

(घ) इस अन्तराल को पाटने के लिए सरकार की क्या नीति है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) गुजरात स्थित उर्वरक संयत्रों को 26 जनवरी, 2001 को आये भयंकर भूकम्प के कारण हुई हानि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(i) कलोल स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइडर कोपरेटिव लि. (इफको) उर्वरक संयंत्र को 26 से 28 जनवरी 2001 के बीच अनुमानत: 3120 मी. टन अमोनिया उत्पादन की हानि हुई।

(ii) कांडला स्थित इफको उर्वरक संयंत्र में भारी क्षति हुई। इस पूर्वधारणा के आधार पर कि उत्पादन तीन माह के पश्चात पुन: शुरू हो जायेगा, 1,77,000 मी. टन पी2 ओ5 उत्पादन हानि होने का अनुमान लगाया गया।

(iii) हजीरा स्थित कृषक भारती कोपरेटिव लि. (कृभको) संयंत्र में अनुमानत: 6900 मी. टन यूरिया उत्पादन की हानि हुई।

(iv) गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (जीएसएफसी) ने अपने सिक्का संयंत्र में 1000 मी. टन डीएपी उत्पादन की हानि उठायी।

(ग) वर्ष 2000-2001 में 57 लाख मी. टन की बिक्री के रूप में अनुमानित खपत की तुलना में डीएपी का उत्पादन 51 लाख मी. टन होने का अनुमान है। तथापि 1 अप्रैल, 2000 को 9.45 लाख मी. टन के प्रारम्भिक स्टाक तथा 31 जनवरी 2001 को 8.6 लाख मी. टन के आयातों के साथ डीएपी का स्वदेशी उत्पादन चालू वर्ष के दौरान मांग/उपलब्धता के बीच कोई अन्तर न छोड़ते हुए 69 लाख मी. टन की संचयी उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

(घ) डीएपी का उत्पादन और आयात नियंत्रणमुक्त और असरणीबद्ध है इसलिए इसकी उपलब्धता मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों पर निर्भर करती है। तथापि अत्यावश्यकता के मामले में राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार के खाते में मै. इंडियन पोटाश लि. द्वारा सुरक्षित रखे गए बफर स्टाक के माध्यम से डीएपी की आपूर्ति में वृद्धि की जाती है।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

*88. **श्री वी.एम. सुधीरन:**
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के लिए गांवों की पहचान करने और सड़कों के चयन आदि हेतु कोई निर्देश/मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किन्हीं राज्य सरकारों ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आपत्तियां उठाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) भारत सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2000-2001 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। दिशा-निर्देशों में किए गए प्रावधान के अनुसार ग्रामों की योजना-प्रक्रिया और चयन, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

2. हाल ही में जब कुछ राज्य सरकारों ने योजना के कार्यान्वयन में संशोधनों का सुझाव दिया। उनके परियोजना प्रस्तावों, जो अलग से प्राप्त हुए हैं, पर अनुमोदन के लिए ऐसे तरीके से विचार कर लिया गया/किया जा रहा है कि संगत ग्रामीण सड़क कार्य जितना जल्दी संभव हो, शुरू किया जा सके।

अर्द्ध-सैनिक बलों में मनोविकार संबंधी मामले

*89. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री शिवाजी माने:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान अर्द्ध-सैनिक बलों में विशेषकर उनमें जो उग्रवाद और विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में सेवारत हैं, दर्ज किए गए मनोविकार संबंधी मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मामलों को देखते हुए सरकार इस खतरे का मुकाबला करने के लिए व्यापक नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में सूचित किए गए मनोविकार संबंधी मामले इस प्रकार हैं:-

बल का नाम	मामला की संख्या और वर्ष	
	1999	2000
सीमा सुरक्षा बल	114	126
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	115	116
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	99	93
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	–	–
असम राइफल्स	38	43

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान। जवानों को वार्षिक छुट्टी पर जाने, सामूहिक गतिविधियों, खेलों, मनोरंजन कार्यक्रमों, सामाजिक मेल-मिलाप आदि में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसी गतिविधियों के लिए आधारभूत आवश्यकताएं, जहां तक सम्भव हो सकती है, पूरी की गई हैं। कार्मिकों की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित रूप से सैनिक सम्मेलन और विचार विनिमय किया जाता है और जवानों के परिवारों के कल्याण कार्यों पर तत्परता से कार्रवाई की जाती है।

सीमा पार से आतंकवाद

*90. **डा. विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर काबू पाने के लिए आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके जम्मू और कश्मीर राज्य को गड़बड़ी वाला क्षेत्र घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने सीमा पार से आतंकवाद को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी नहीं। सम्पूर्ण राज्य को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित करने संबंधी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जुलाई, 1990 में, राज्य सरकार ने सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 की धारा 3 के अधीन निम्नलिखित क्षेत्रों को "विक्षुब्ध" घोषित किया था:-

अनंतनाग, बारामुल्ला, बदगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, और श्रीनगर के सम्पूर्ण जिलों और पुंछ और राजौरी जिलों में नियंत्रण रेखा से 20 कि.मी. के अन्दर पड़ने वाले क्षेत्र।

इस समय घोषित "विक्षुब्ध क्षेत्रों" में क्या किसी परिवर्तन की आवश्यकता है, यह जानने के लिए सावंधिक पुनरीक्षा की एक प्रणाली तैयार की गई है जिसके द्वारा राज्य सरकार सहित संबंधित एजेंसियों से विचार-विमर्श किया जाता है। सरकार की शांति पहल और मौजूदा सुरक्षा स्थिति के वर्तमान संदर्भ में "विक्षुब्ध" के रूप में घोषित क्षेत्रों में कोई बदलाव करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(घ) जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया हुआ है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ करना, भीतरी प्रदेश में सुरक्षा बल की समुचित कार्रवाईयां, सूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी हथियार, उपकरण, गहन गश्त, ग्राम सुरक्षा समिति/एसपीओ के माध्यम से ग्रामीणों को स्वरक्षा के लिए प्रेरित करना आदि शामिल है।

[हिन्दी]

अपराध रोकने के लिए केन्द्रीय सहायता

*91. श्री मानसिंह पटेल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार अपराध रोकने के लिए राज्य सरकारों को कोई केन्द्रीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो सहायता किस प्रकार की होती है; और

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए, केन्द्र सरकार राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु एक गैर-योजना स्कीम के अंतर्गत नवीनतम उपस्करों और प्रौद्योगिकी के साथ उनके पुलिस बलों को सुसज्जित करने के लिए उन्हें सहायता देती रही है। वर्ष 1969-70 से 1999-2000 तक की अवधि के दौरान, राज्य सरकारों को 536.74 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

उपर्युक्त के अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों को वाहनों, शस्त्र और गोलाबारूद, संचार उपकरण और ऐसे अन्य आवश्यक उपकरणों के लिए माल के रूप में, भी सहायता दी जाती है।

वर्ष 1996-97 से, कुछ राज्य सरकारों को वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए उनके द्वारा किए गए सुरक्षा-संबधी व्यय के 50% तक सहायता प्रदान की जा रही है। उन राज्य सरकारों को जारी की गई धनराशि के ब्यौरे निम्न प्रकार है:

आन्ध्र प्रदेश	30.6 करोड़ रु.
बिहार	28.80 करोड़ रु.
मध्य प्रदेश	5.00 करोड़ रु.
महाराष्ट्र	1.96 करोड़ रु.
उड़ीसा	3.58 करोड़ रु.

सरकार, जम्मू और कश्मीर पुलिस के लिए शस्त्र और गोलाबारूद, वाहनों तथा संचार उपकरण की खरीद के लिए विभिन्न आयुध निर्माणियों/निजी कंपनियों को, माल के रूप में सहायता अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर सरकार को, सीधे भुगतान भी कर रही है। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार को भी, उस राज्य में, जम्मू और कश्मीर राज्य से फैले उग्रवाद को नियंत्रित/रोकने के उनके प्रयासों में मदद करने के उद्देश्य से वर्ष 1998-1999 से सहायता दी गई है।

गत तीन वर्षों, प्रत्येक वर्ष के दौरान दी गई सहायता के राज्यवार ब्यौरे विवरण-I, II, III के रूप में किए गए हैं।

विवरण-I

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अधीन गत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान जारी की गई निधियां

(रु. लाखों में)

राज्य का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	कुल जोड़
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	1209.560	709.560	354.780	2273.900
अरुणाचल प्रदेश	96.270	23.135	177.100	295.505
असम	47.715	47.715	47.715	143.145
बिहार	783.120	633.120	508.530	1924.770
गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
गुजरात	150.180	75.090	570.300	795.570
हरियाणा	71.710	71.710	319.520	462.940
हिमाचल प्रदेश	20.345	100.000	437.820	558.165
जम्मू व कश्मीर	81.540	581.540	40.770	703.850
कर्नाटक	200.800	250.800	621.300	1072.900
केरल	113.990	शून्य	189.990	303.980
मध्य प्रदेश	387.820	437.820	846.360	1672.000
महाराष्ट्र	शून्य	324.915	568.820	893.735
मणिपुर	217.315	234.630	17.315	469.260
मेघालय	51.880	125.940	12.970	190.790
मिजोरम	87.780	43.890	173.385	305.055
नागालैंड	238.430	238.430	164.375	641.235
उड़ीसा	104.610	104.610	52.305	261.525
पंजाब	284.650	42.325	42.325	369.300
राजस्थान	154.920	77.460	शून्य	232.380
सिक्किम	43.015	8.610	शून्य	51.625
तमिलनाडु	296.850	321.750	163.960	782.560
त्रिपुरा	246.530	23.265	177.795	447.590
उत्तर प्रदेश	626.300	436.300	951.065	2010.665
प. बंगाल	174.770	87.385	761.500	1023.665
कुल	5750.000	5000.000	7200.000	17950.00

विवरण-II

पूर्वोत्तर राज्यों को दिए गए शस्त्र और गोलाबारूद तथा वाहनों के ब्यौरे

वर्ष 1997-1998

	असम	नागालैंड	मणिपुर	त्रिपुरा	मेघालय	मिजोरम	अरुणाचल प्रदेश	सिक्किम	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वाहन									
मारुति जिप्सी	197	134	108	73	–	–	–	–	512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
टाटा 407/709	115	36	55	35	–	–	–	–	241
कुल वाहन	312	170	163	108	–	–	–	–	753
शस्त्र और गोलाबारूद									
एसएलआर	1020	300	–	1000	–	–	–	–	2320
कारबाइन	1270	–	–	–	–	–	–	–	1270
9 एम एम पिस्तौल	500	15	–	–	–	–	–	–	515
कुल शस्त्र	2790	315	–	1000	–	–	–	–	4105
बम/ग्रेनेड	25509	–	8580	–	–	–	–	–	34089
गोलाबारूद	911720	118100	332080	402000	402000	–	–	–	1763900

वर्ष 1998-1999

	असम	नागालैंड	मणिपुर	त्रिपुरा	मेघालय	मिजोरम	अरुणाचल प्रदेश	सिक्किम	कुल
वाहन									
मारूति जिप्सी	47	22	22	23	10	10	10	–	144
शस्त्र और गोलाबारूद									
एस एल आर	–	–	–	–	100	–	–	–	100
9 एम एम पिस्तौल	1100	150	100	250	250	150	100	–	2100
कुल शस्त्र	1100	150	100	250	350	150	100	–	2200
गोलाबारूद	55000	7500	5000	12500	117500	7500	5000	–	210000
									1763900
अन्य उपकरण									
वाहनों को बुलट प्रूफ बनाना	60	–	–	–	–	–	–	–	60

वर्ष 1999-2000

	असम	नागालैंड	मणिपुर	त्रिपुरा	मेघालय	मिजोरम	अरुणाचल प्रदेश	सिक्किम	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वाहन									
मारूति जिप्सी	34	40	35	33	40	40	35	–	257
मारूति ओमनी	5	–	–	–	–	–	–	–	5
टाटा सूमो	20	–	–	–	–	–	–	–	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महिन्द्रा कमांडर	5	–	–	–	–	–	–	–	5
टाटा 407/709	60	35	10	10	10	15	45	–	185
महिन्द्रा केबकिंग	56	–	–	–	–	–	–	–	56
महिन्द्रा एम्बुलेंस	15	–	–	–	–	–	–	–	15
जिप्सी एम्बुलेंस	–	–	–	3	–	1	–	–	4
कुल वाहन	195	75	45	46	50	56	80	–	547
शस्त्र और गोलाबारूद									
एल एम जी	210	–	10	40	–	20	20	–	300
एस एल आर	–	500	800	800	200	200	200	–	2700
कारबाइन	725	125	–	250	–	–	–	–	1100
9 एम एम पिस्तौल	2500	225	180	225	170	100	100	–	3500
कुल शस्त्र	3435	850	990	1315	370	320	320	–	7600
गोलाबारूद	1302640	275840	258960	342720	68960	84480	64480	–	2398080
संचार									
वी एच एफ मोबाइल	600	200	200	100	225	50	–	–	1375
वी एच एफ हैंड हैल्ड	700	–	–	50	467	100	–	–	1317
कुल रेडियो सेट	1300	200	200	150	692	150	–	–	2692
रिपोर्टर्स	7	20	–	2	11	–	–	–	40
अन्य उपकरण									
वाहनों को बुलट प्रूफ बनाना	–	–	8	–	–	–	–	–	8

विवरण-III

जम्मू और कश्मीर के लिए एस.आर.ई. (माल के रूप में)
(जम्मू और कश्मीर पुलिस के लिए)

(रु. करोड़ में)

मद	वर्ष 1998-99	वर्ष 1999-2000
1. शस्त्र/गोला बारूद	14.01	45.62
2. वाहन	06.96	12.45
3. संचार उपकरण	–	0.17
कुल	20.97	58.24

[हिन्दी]

नागरिकता अधिनियम में संशोधन

*92. **डा. मन्दा जगन्नाथ:**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने लोगों ने भारतीय नागरिकता प्राप्त की है;

(घ) क्या सरकार का विचार बंग्लादेशी प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता का अधिकार न देने वाले नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) असम सरकार और अखिल असम छात्र संघ के इस संबंध में क्या विचार हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1998-2000 के दौरान 3648 विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) अखिल असम छात्र संघ और असम सरकार का विचार है कि जन्म से नागरिकता प्रदान करने संबंधी नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 को संशोधित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय महिला कोष

***93. श्री किरीट सोमैया:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना अवधि के लिए राष्ट्रीय महिला कोष (आर.एम.के.) के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में महिलाओं को इस कोष से अब तक कितनी मात्रा में ऋण वितरित किया गया;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय महिला कोष के अन्तर्गत योजनाओं के कारगर कार्यान्वयन हेतु राज्यों को नए दिशा-निर्देशों का सुझाव दे रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने में अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) 46 करोड़ रुपए।

(ख) 52.1 करोड़ रुपए (1997-98 से 31.3.2001 तक)।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय महिला कोष की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत, प्रारम्भ से 31 जनवरी, 2001 तक कुल 3,93,345 महिलाएं और केवल नौवीं योजनावधि के दौरान ही 2,02,654 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा 1997-98 में 14 गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण के आधार पर 7 स्वतन्त्र संस्थाओं के माध्यम से प्रायोजित एक मूल्यांकन से ऋण प्राप्तकर्ताओं पर ऋण के कुछ सकारात्मक प्रभावों का पता चला है, परन्तु मूल्यांकन में यह भी कहा गया था कि राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण प्राप्त किए इतना समय नहीं हुआ है, जिससे इस बात का सही तरीके से पता लगाया जा सके कि ऋण से होने वाली आमदनी का किस प्रकार उपयोग किया गया है और ऋण प्राप्तकर्ताओं ने अपनी और अपने परिवार की पोषाहारीय स्थिति में, खाद्यान्नों की उपलब्धता, स्वास्थ्य, शिक्षा और साक्षरता में किस प्रकार सुधार किया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने मार्च, 2000 में महिलाओं की जीवन परिस्थितियों पर ऋण संवितरण के प्रभाव का एक राष्ट्र-स्तरीय मूल्यांकन शुरू कराया है।

[हिन्दी]

देश में कपार्ट द्वारा चलाई जा रही योजनाएं

***94. श्री निखिल कुमार चौधरी:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और आज तक देश में "कपार्ट" द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख के अनुसार कपार्ट द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार "कपार्ट" के कार्यकरण को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) मै. कपार्ट ने मार्च, 1999 तक विभिन्न कारगर योजनाओं को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी ली जैसे जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई), आवास, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, लाभार्थियों का संगठन, समाज सुधारक प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, जन सहयोग, ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पंचायती राज, सामाजिक वानिकी, वाटरशेड विकास, विकलांगता कार्यक्रम और मीडिया। 1 अप्रैल, 1999 से योजनाओं को लचीलापन प्रदान करने हेतु मै. कपार्ट ने तीन मुख्य योजनाओं-जन सहयोग, लाभार्थियों का संगठन और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देता रहा है। मै. कपार्ट विकलांगता कार्यक्रम और वाटरशेड विकास के अन्तर्गत भी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है। ये योजनाएं सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समान हैं।

(ख) 1 सितम्बर, 1986 में शुरूआत होने से लेकर 31.12.2000 तक मै. कपार्ट ने 555.15 करोड़ रुपये की राशि से 19364 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं और 427.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

(ग) से (ङ) मै. कपार्ट की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने और इसे और भी प्रभावी बनाने तथा निर्णय लेने में (विशेषकर परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए) स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर राष्ट्रीय स्थायी समिति तथा क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय समितियां गठित करके संगठन में एक समिति प्रणाली शुरू की गई थी। राष्ट्रीय स्थायी समितियों को 1 करोड़ रुपये तक की परियोजनाएं स्वीकृत करने की शक्तियां प्राप्त हैं जबकि उच्च परिव्यय (एक करोड़ रु. से अधिक) की परियोजनाओं पर कार्यकारी समिति द्वारा विचार किया जाता है। क्षेत्रीय समितियों को बारह लाख रुपये तक की परियोजनाएं स्वीकृत करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

इस दिशा में की गई अन्य पहलों में शामिल हैं:-

* स्वैच्छिक संगठन की संगठनात्मक रूपरेखा (प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत की जाने वाली) को अब संगठन के संबंध में विस्तृत जानकारी दिए जाने की आवश्यकता है।

* संपूर्ण परियोजना चक्र की निगरानी, इसकी प्राप्ति से लेकर बंद होने तक, को कम्प्यूटरीकृत कर लिया गया है जो पंजीकरण के लिए किसी प्रस्ताव के स्वीकार किए जाने पर तब तक रोक लगाता है जब तक अपेक्षित दस्तावेज निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्ताव के साथ उपलब्ध नहीं हो। किसी भी प्रस्ताव को तब तक प्रोसेसिंग में नहीं लिया जाता है जब तक कि उसे कम्प्यूटर में पंजीकृत नहीं कर लिया जाता है। स्वीकृति पत्र भुगतान आदेश, पत्र, अग्रेषण चैक, मॉनीटरों के नाम, मॉनीटर को नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, मॉनीटर पत्र, पूर्ण करना और बंद करना, को पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत कर लिया गया है।

* प्रत्येक प्रस्ताव या तो स्वीकृति के लिए अथवा रद्द करने के लिए निरपवाद रूप से राष्ट्रीय स्थायी समिति/क्षेत्रीय समिति के समक्ष रखे जाते हैं। संबंधित समिति परियोजना मूल्यांकनकर्ताओं की वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन रिपोर्ट, परियोजना का टिकाऊपन और स्वैच्छिक संगठन की विश्वसनीयता सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करने के बाद निर्णय ले पाती है।

* परियोजनाओं की निगरानी परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों पर परियोजना मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करके की जाती है जैसे परियोजना स्वीकृत करने से पहले वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन के रूप में, परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान मध्यावधि मूल्यांकन के रूप में और परियोजना पूरी हो जाने पर परियोजना पश्चात मूल्यांकन के रूप में।

* स्वीकृत परियोजनाओं के विवरणों की प्रदर्शनी परियोजना स्थल पर लगाना अनिवार्य बना दिया गया है।

* विभिन्न योजनाओं के लाभों के संबंध में जनता को सूचित करने के लिए ग्राम पंचायतों की एजेंसी और न्यूजलेटर का उपयोग सूचना के माध्यमों के रूप में किया जाता है। स्वीकृति पत्रों की प्रतियां संबंधित जिला कलक्टरों के अलावा संबंधित ग्राम पंचायतों को भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

* मैं. कपार्ट का डब्ल्यू. डब्ल्यू. डब्ल्यू. कपार्ट. निक. इन पर अपना वेबसाइड है जिसमें संगठन के बारे में सभी सूचनाएं हैं। स्वैच्छिक संगठन संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

* संबंधित राज्यों की सक्रिय भागीदारी से स्वैच्छिक आंदोलन को प्रोत्साहन देने के लिए वहां पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं जहां स्वैच्छिक आंदोलन कमजोर हैं।

* कपार्ट योजनाओं के अरहस्यमय और स्पष्ट बनाने के लिए परियोजना गठन के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

* परियोजना मूल्यांकनकर्ताओं का सूचीकरण एक समिति के जरिए एक स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से किया जाता है। परियोजना मूल्यांकनकर्ताओं को जिम्मेदारियां किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशेष ज्ञान के आधार पर दी जाती हैं।

* अनियमित गतिविधियों को रोकने के लिए मैं. कपार्ट ने स्वैच्छिक संगठनों पर वित्त पोषण प्रतिबंध लगाने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं।

* मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।

* मैं. कपार्ट की कार्यकारी समिति ने नीति दिशा निर्देशों को अनुमोदित कर दिया है जो उन पैरामीटर्स को निर्धारित करते हैं जिनके अनुसार संगठन को कार्य करना है।

[अनुवाद]

विद्यालयों की स्थापना

***95. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ठन बस्तियों के एक किलोमीटर के दायरे में विद्यालयों या वैकल्पिक विद्यालयों की स्थापना के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है जहां विद्यालय नहीं है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य-वार कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो देश में राज्य-वार ऐसी कितनी बस्तियों की पहचान की गई है; और

(घ) इस कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हाँ। 'शिक्षा गारंटी योजना एवं वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा' की घोषणा की गई है जिसके तहत स्थानीय मांग के आधार पर 1 कि.मी. की दूरी के भीतर स्कूल रहित बस्तियों में शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है।

(ख) और (ग) छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (1993) के अनुसार लगभग 1.8 लाख बस्तियाँ ऐसी थी जहाँ 1 कि.मी. के भीतर अध्ययन केन्द्र नहीं थे। राज्यवार स्कूल रहित बस्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) इस कार्यक्रम के लिए अपेक्षित निधियों की मात्रा वास्तविक मांग के आधार पर राज्यों द्वारा शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक स्कूल स्थापित करने के लिए भेजे जाने वाले प्रस्तावों पर निर्भर करेगी।

विवरण

ऐसी बस्तियों की राज्यवार संख्या जहाँ 1 कि.मी. के भीतर स्कूल/केन्द्र नहीं हैं

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बस्तियों की कुल संख्या	ऐसी बस्तियों की संख्या जहाँ 1 कि.मी. के भीतर स्कूल नहीं हैं
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	62905	7189
2.	अरुणाचल प्रदेश	3834	2030
3.	असम	41179	5879
4.	बिहार	109858	13388
5.	गोवा	788	95
6.	गुजरात	25749	1093
7.	हरियाणा	7589	529
8.	हिमाचल प्रदेश	35003	14197
9.	जम्मू और कश्मीर	15176	2962
10.	कर्नाटक	48813	7932

1	2	3	4
11.	केरल	8745	1554
12.	मध्य प्रदेश	102276	18664
13.	महाराष्ट्र	72465	11432
14.	मणिपुर	3369	410
15.	मेघालय	6576	1573
16.	मिजोरम	705	85
17.	नागालैंड	1277	160
18.	उड़ीसा	73148	12859
19.	पंजाब	13345	571
20.	राजस्थान	63970	16259
21.	सिक्किम	1407	359
22.	तमिलनाडु	45139	623
23.	त्रिपुरा	6802	1668
24.	उत्तर प्रदेश	212125	42704
25.	पश्चिम बंगाल	96511	11875
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	601	270
27.	चंडीगढ़	36	5
28.	दादर और नागर हवेली	489	88
29.	दमन और द्वीव	67	3
30.	दिल्ली	271	37
31.	लक्षद्वीप	15	1
32.	पांडिचेरी	379	29
	कुल	1060612	176523

उर्वरकों हेतु परिव्यय

*96. **श्री दिलीप संघाणी:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उर्वरकों हेतु कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों की नई यूरिया परियोजनाओं की स्थापना/उनका विस्तार करने हेतु कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ग) उर्वरक विभाग द्वारा आज तक उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस उद्देश्य हेतु धन का कम उपयोग किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों की प्रमुख नई विस्तार की जाने वाली यूरिया परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है; और

(छ) यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं पर सम्पूर्ण परिव्यय का पूर्ण रूप से उपयोग किया जायेगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) उर्वरक विभाग के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2000) के लिए अनुमोदित परिव्यय 11013 करोड़ रुपये है। इसमें से वर्ष 1998-98, 1999-2000 और 2000-2001 (दिसम्बर, 2000 तक) के दौरान क्रमश: 1324.38 करोड़ रुपये, 801.30 करोड़ रुपये, 604.25 करोड़ रुपये और 444.50 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया गया है। नौवीं योजना के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों की नयी/वास्तविक विस्तार परियोजनाओं के लिए कुल परिव्यय 7566.25 करोड़ रुपये बैठता है।

(घ) से (छ) नौवीं योजना के लिए योजनागत परिव्यय का कम उपयोग मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों की निम्नलिखित नयी/विस्तार यूरिया परियोजनाओं को कार्यान्वित न किए जाने के कारण हुआ, जिनके लिए कुल परिव्यय 4825 करोड़ रुपये बैठता है:-

(i) गुजरात में कृभकों के हजीरा संयंत्र का विस्तार।

(ii) उत्तर प्रदेश में एफसीआई के गोरखपुर संयंत्र के मौजूदा स्थल पर कृभको द्वारा स्थापित किया जाने वाला एक नया यूरिया संयंत्र।

(iii) महाराष्ट्र में आरसीएफ के थाल संयंत्र का विस्तार।

(iv) आन्ध्र प्रदेश में इफको द्वारा नैल्लोर में स्थापित किया जाने वाला ग्रास रूट यूरिया संयंत्र।

अप्रैल 1999 में, सरकार ने इन परियोजनाओं को सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा इन परियोजनाओं के निवेश मूल्यांकन की शर्त पर "सिद्धान्ततः" अनुमोदन प्रदान किया था। पीआईबी द्वारा इन सभी चार यूरिया परियोजनाओं का निवेश मूल्यांकन जुलाई, 1997 में किया गया था। जून 2000 में, इन परियोजनाओं पर अन्तिम निवेश निर्णय लेने हेतु एक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और इसे आस्थगित रखा गया था। यह प्रस्ताव परियोजनाओं की व्यवहार्यता, सब्सिडी की आवर्ती में कमी करने के लिए फीड स्टाक के रूप में तरलीकृत प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने की वांछनीयता तथा सीमित मांग आपूर्ति अन्तर भविष्यवाणियों के कारण प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्यान्वयन को धीमा रखने के आवश्यकता के बारे में पीआईबी की टिप्पणियां ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। चूंकि आज की तारीख तक भी इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू नहीं किया गया है, अतः हम प्रयोजनार्थ कुल परिव्यय का पूर्ण उपयोग होने की सम्भावना नहीं है।

भारतीय समाज विज्ञानियों और विदेशों में बसे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों के मध्य अनुसंधान हेतु सहयोग

*97. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एस.एस.आर.) भारत में समाज विज्ञानियों और विदेशों में बसे भारतीय मूल के समाज विज्ञानियों के मध्य अनुसंधान संबंधी सहयोग को सुगम बनाने के लिए नया कार्यक्रम शुरू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाने वाला अनुसंधान उन विषयों तक सीमित रहेगा जिनका उद्देश्य भारत के लिए नीति-निर्देश बनाना है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य क्या है; और

(घ) सरकार को इसके लक्ष्यों को किस हद तक प्राप्त कर लेने का विश्वास है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) सूचना युग में चिरस्थाई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के संबंध में एक राष्ट्रीय सेमिनार 15 से 17 जनवरी, 2001 तक आयोजित किया गया था और इसमें विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की अनुसंधान हेतु सहभागिता आकृष्ट करने सम्बन्धी विषय (रिसर्च अट्रेक्टिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा) पर विचार-विमर्श हुआ था। परिषद् ने सूचना युग में चिरस्थाई वैज्ञानिकों और विदेशों में बसे भारतीय मूल के सामाजिक वैज्ञानिकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के संगम ज्ञापन के अनुसार परिषद् सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान सम्बन्धी विषयों पर समय-समय पर भारतीय विद्वानों और विदेशी विद्वानों से प्रस्ताव आमंत्रित करती है।

उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति

*98. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विद्यमान उर्वरक दरों का ब्यौरा क्या है जिनका अनुपालन अनेक राज्यों द्वारा किया जा रहा है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल उर्वरक उत्पादन और उर्वरकों के निर्यात एवं आयात संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अलग-अलग राज्य में उर्वरकों के मूल्यों में अन्तर को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में उर्वरकों के मूल्य निर्धारण की जांच करने के लिए समिति का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, इसके सदस्यों के नाम और निदेश पदों संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) केन्द्र सरकार नियंत्रित उर्वरक यूरिया के एक समान अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करती है तथा सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) के अलावा नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के संबंध में अधिकतम खुदरा मूल्य निर्दिष्ट करती है। एसएसपी के मामले में अधिकतम खुदरा मूल्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित/निर्दिष्ट अधिकतम खुदरा मूल्य में कुछ राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए बिक्री कर अन्य स्थानीय कर शामिल नहीं होते हैं। स्थानीय करों के बिना प्रमुख उर्वरकों के मौजूदा अधिकतम खुदरा मूल्य इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	उर्वरक का नाम	अधिकतम खुदरा मूल्य (रुपये प्रति टन)
1	2	3
1.	यूरिया	4600
2.	डीएपी	8900
3.	एमओपी	4255
4.	मिश्रित उर्वरक	6620-8520 की रेंज

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान कुल उर्वरक उत्पादन के ब्यौरे निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं:-

(लाख रुपये मी. टन में)

उर्वरक का नाम	उत्पादन अवधि				
	1994-95	1995-96	1997-98	1998-99	1999-2000
यूरिया	142.82	158.19	185.95	192.91	198.29
अमोनियम सल्फेट	5.82	6.34	5.43	5.50	6.02
कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट	5.71	4.91	4.41	4.61	3.18
अमोनियम क्लोराइड	1.37	1.37	1.10	0.63	0.87
डीएपी	28.23	26.46	36.91	38.67	38.63
एसएसपी	26.36	29.84	31.39	34.06	32.05
मिश्रित उर्वरक	35.73	40.52	35.17	37.74	50.01

गत पांच वर्षों के दौरान उर्वरकों के आयात के ब्यौरे निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं:-

(लाख मी. टन में)

क्र. सं.	उर्वरक का नाम	इस दौरान आयात की मात्रा				
		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	यूरिया	37.82	23.28	23.89	5.56	5.33
2.	डीएपी	15.14	5.34	14.60	21.05	32.68
3.	एमओपी	21.92	10.21	19.00	25.70	28.98

1997-2000 की आयात निर्यात नीति के अन्तर्गत सभी रासायनिक उर्वरकों का निर्यात प्रतिबन्धित है, जिसके लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। विगत पांच वर्षों के दौरान निर्यात हेतु अनुमोदित उर्वरकों की मात्राओं के ब्यौरे निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं:-

(लाख मी. टन में)

क्र. सं.	उर्वरक का नाम	इस दौरान निर्यात की मात्रा				
		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999 2000
1.	यूरिया	12000	10000	14687	–	31227.4*
2.	एनपीके मिश्रित	400	600	–	–	40

*दिसम्बर 2000 तक।

इसके अलावा नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार एसएसपी के निर्यात हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था:

(मी. टनों में)

क्र.सं.	अवधि	एसएसपी की मात्रा जिसके निर्यात हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया
1	2	3
1.	1995-96	466075

1	2	3
2.	1996-97	237900
3.	1997-98	234000
4.	1998-99	217000
5.	1999-2000	10500

(ग) सरकार द्वारा यूरिया हेतु अधिकतम खुदरा मूल्य और एसएसपी को छोड़कर नियंत्रणमुक्त पोटाशिक और फॉस्फेटिक उर्वरकों के लिए निर्दिष्ट अधिकतम खुदरा मूल्य सम्पूर्ण देश में एक समान है।

(घ) और (ङ) सरकार ने उर्वरकों के बिक्री मूल्य के निर्धारण की जांच के लिए कोई भी समिति गठित नहीं की है। तथापि, सरकार राजकोषीय निरन्तरता और संतुलित पौद्यपोषकों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों के बिक्री मूल्यों की आवधिक समीक्षा करती है।

राष्ट्रीय औषध नीति

*99. **डा. वी. सरोजा:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का औषधि क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय औषध नीति तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक तैयार कर लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) औषध नीति में किसी प्रकार का संशोधन करते समय विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के प्रभावों समेत सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा हेतु पृथक बल

*100. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दिल्ली में लाल किले पर हाल ही में हुई घटना को देखते हुए ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों की सुरक्षा के लिए पृथक बल बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी नहीं। सरकार का ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों की सुरक्षा के लिए एक अलग बल गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य पुलिस की है। तथापि, यदि किसी केन्द्रीय बल द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है तो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जाता है।

[हिन्दी]

आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए नया कानून

853. **प्रो. रासासिंह रावत:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए नया कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) इस मंत्रालय की सलाह पर, भारत के विधि आयोग ने आतंकवाद निवारण विधेयक, 2000 के मसौदा प्रस्तुत किया है। विधेयक के मसौदे में, देश में, आतंकवाद के बढ़ते खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेन्सियों को उपयुक्त शक्तियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसमें जांच एजेंन्सियों द्वारा शक्तियों के दुरूपयोग को रोकने के लिए भी उपबंध हैं। सरकार ने इस विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर सभी राज्य सरकारों के विचार मांगे हैं। सरकार अंतिम निर्णय लेने से पहले राजनैतिक पार्टियों और अन्य संबंधित एजेन्सियों/ग्रुपों के साथ विचार-विमर्श करेगी। विधेयक को संसद के समक्ष कब रखा जाएगा, इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

भारत-पाकिस्तान सीमा पर महिला गार्डों की तैनाती

854. श्री सिमरनजीत सिंह मान: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि कार्य करने के लिए सीमा पार जाने वाली महिला कृषि कामगारों की जांच के लिए भारत-पाक सीमा पर लगी कांटेदार तार पर महिला गार्डों की तैनाती करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) महिला गार्डों की तैनाती कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। भारत सरकार ने, खेती के लिए सीमा पार जाने वाली महिला कामगारों की जाम:तलाशी के लिए पंजाब में सीमा बाड़ पर रखे गए गेटों पर 302 महिला होम गार्डस की तैनाती के लिए पंजाब सरकार को आवश्यक स्वीकृति जारी कर दी है। चूंकि महिला होम गार्डों को सीमा सुरक्षा बल के साथ तैनात किया जाएगा, अत: उन्हे देय ड्यूटी भत्ता पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पंजाब सरकार महिला होम गार्डों की भर्ती और सीमा बाड़ पर उनकी तैनाती करेगी।

पोत भंजक यार्ड

855. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोत भंजक यार्ड किन-किन राज्यों में उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और पोत भंजक यार्ड स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार, स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) पोत भंजक यार्ड गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में उपलब्ध हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति

856. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए देय मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति की दशकों से रुपए के घटते मूल्य और जीवन निर्वाह लागत के अनुसार समीक्षा, संशोधन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक संशोधित किए जाने और जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के अनुसार लाए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) इस मंत्रालय के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अधीन केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को ही मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था हो। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन इस प्रकार की एक योजना है और उनके अनुसार दरों में 1.10.1995 से संशोधन किया गया था।

(ख) और (ग) ये दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध नहीं है।

आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य का उत्पादन

857. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक, 2001 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "जैनेटिकली मोडिफाइड फूड्स गैट्स नोड" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 88वीं इंडियन साइंस कांग्रेस ने कृषि उत्पादों की उत्पादकता और पौष्टिकता बढ़ाने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य उत्पादन के लिए स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इंडियन साइंस कांग्रेस के सुझाव मान लिए हैं;

Scanned by CamScanner

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या इसके दुष्प्रभावों को ध्यान में रखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बच्चदा'): (क) से (ङ) जी.एम.ओ. और जीनोमिक्स पर 5 जनवरी, 2001 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के पूर्ण सत्र में, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, इसकी कृषि में भूमिका, जनजागरूकता, जैवसुरक्षा मामले और किसान समुदाय की आवश्यकताओं से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पर्यावरणीय सततता के आधार पर कृषि उत्पादकता और फसलों की पौषकता स्थिति को बढ़ाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण साधन है। हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार उपर्युक्त पर आधारित है। आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों और उसके उत्पादों को भारतीय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और नियमावली 1989 के तहत आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य सुरक्षा की मंजूरी लेनी होती है। सभी आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों का सुरक्षा मूल्यांकन होता है और अलग-अलग मामले के मूल्यांकन के आधार पर सरकार निर्णय लेती है। भारत में विपणन के लिए सरकार ने अभी तक आनुवंशिक रूप से संशोधित किसी खाद्य पदार्थ की स्वीकृति नहीं दी है।

आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य का आयात

858. **श्री एस.पी. लेपचा:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य के आयात के बारे में कोई जानकारी रख रही है;

(ख) यदि हां, तो ये कौन-कौन सी मदें हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बच्चदा'): (क) से (ग) भारतीय बाजार में सभी प्रकार की आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य सामग्रियों के प्रवेश के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों तथा उनसे तैयार उत्पादों पर लागू भारतीय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और नियमावली-1989 के तहत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ऐसी खाद्य-सामग्रियों की सुरक्षा के मूल्यांकन संबंधी हर मामले की अलग से जांच करने के बाद ही अनुमोदन दिया जाता है। सरकार ने अभी तक भारत में विपणन हेतु किसी भी आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य-सामग्री के आयात एवं उपयोग को मंजूरी नहीं दी है।

भारतीय इस्पात उद्योग का आधुनिकीकरण

859. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्समबर्ग सरकार और वहां स्थित कम्पनियों ने भारतीय इस्पात उद्योग के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहयोग बढ़ाने में अत्यधिक रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इस्पात संयंत्रों में विद्युत की आवश्यकता

860. **श्री रामदास आठवले:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के सभी सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में संयंत्र-वार विद्युत की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) प्रत्येक इस्पात संयंत्र को जिन स्रोतों से आवश्यक विद्युत की प्राप्ति होती है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी विद्युत संयंत्र ने अपना रिजर्व विद्युत संयंत्र स्थापित किया है/स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) (1) वर्ष 1999-2000 के दौरान सेल के इस्पात संयंत्रों की विद्युत आवश्यकता निम्नानुसार रही:-

(सभी आंकड़े औसत मेगावाट में)

क्रम सं.	संयंत्र	विद्युत आवश्यकता
1.	भिलाई इस्पात संयंत्र	213.74
2.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र*	119.07
3	राउरकेला इस्पात संयंत्र	161.92
4.	बोकारो इस्पात संयंत्र	250.76
5.	सेलम इस्पात संयंत्र	8.16
6.	विश्ववैश्वरैया आयरन स्टील लि.	10.14
7.	इस्को	26.92

*मिश्र इस्पात संयंत्र सहित

(2) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) के वाइजग इस्पात संयंत्र (वी.एस.पी.) को विद्युत की कुल वार्षिक) आवश्यकता, पूर्ण क्षमता पर, 221 मेगावाट है।

(ख) इन इस्पात संयंत्रों की विद्युत आपूर्ति का स्रोत निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	संयंत्र	विद्युत का स्रोत
1.	भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी)	निजी तथा एमपीईबी
2.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी)	निजी तथा डीवीसी
3.	राउरकेला इस्पात संयंत्र (बीएसएल)	निजी तथा डब्ल्यूईएससीओ
4.	बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल)	निजी तथा डीवीसी
5.	सेलम इस्पात संयंत्र	टीएनईबी
6.	वी.आई.एस.एल.	के.ई.बी.
7.	इस्को	निजी तथा डी.वी.सी.
8.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. विशाखापत्तनम	निजी तथा ए.पी.एस.ई.बी.

(ग) और (घ) सेल और आर.आई.एन.एल. के इस्पात संयंत्रों के निजी विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(मेगावाट)

क्र.सं.	संयंत्र	स्थापित क्षमता
1.	बी.एस.पी.	110
2.	डी.एस.पी.	140
3.	आर.एस.पी.	245
4.	बी.एस.एल.	302
5.	इस्को	60
6.	वी.एस.पी. (आर.आई.एन.एल.)	247.5

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों का दुरुपयोग

861. श्री एन.आर.के. रेड्डी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के उत्थान के लिए आन्ध्र प्रदेश के गैर-सरकारी संगठनों को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या राज्य से केन्द्र सरकार को धनराशि के दुर्विनियोग और दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के गैर-सरकारी संगठनों को विभिन्न शैक्षिक योजनाओं अर्थात अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिए भोजन तथा छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ करने और संस्कृत को प्रोत्साहित करने के तहत लगभग 8.98 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गई है।

(ख) और (ग) संस्वीकृति के बाद अनुवीक्षण की आमतौर पर इन योजनाओं में ही व्यवस्था होती है। मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण दौरे भी किए जाते हैं। निधियों के उपयोग का अनुवीक्षण करने के लिए एक कार्यबल भी गठित किया गया है।

वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक

862. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कितने वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक हैं;

(ख) वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों की कुल संख्या के संबंध में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है; और

(ग) वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों के संबंध में भारत से अग्रणी देश कौन-कौन से हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा'): (क) अनुप्रयुक्त मानवशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एम.आर.) द्वारा किए गए एक आकलन के अनुसार वर्ष 1999 के आरंभ में देश में वैज्ञानिक एवं तकनीकी (एस. एंड टी.) कार्मिकों की संख्या 70,99,400 थी।

(ख) और (ग) एस. एण्ड टी. कार्मिकों की अन्तर्राष्ट्रीय तुलना की कुछ सीमाएं होती है क्योंकि यूनेस्कों के सदस्य राष्ट्र यूनेस्को को आंकड़े उपलब्ध कराते समय एस. एण्ड टी. कार्मिकों को परिभाषित करने तथा उनका वर्गीकरण करने में अपने-अपने तरीके अपनाते हैं और आंकड़ों के सन्दर्भ में वर्ष भी अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग होते हैं। इन सीमाओं के कारण अन्तर्राष्ट्रीय तुलना अवास्तविक हो जाती है।

अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान

863. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान खोले गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन और पुनर्आयोजन की योजना के तहत राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार शिक्षक शिक्षा संस्थानों को शिक्षक शिक्षा कालेजों और उच्च अध्यनन शिक्षा संस्थानों के रूप में स्तरोन्नत करने का प्रावधान है। अब तक इस योजना के तहत 83 शिक्षक कालेज और 37 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान संस्वीकृत किए गए हैं जिनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

संस्वीकृत शिक्षक शिक्षा कालेजों तथा उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संस्वीकृत संख्या	
		शिक्षक शिक्षा कालेज	उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	10
2.	असम	10	0
3.	बिहार	5	0
4.	गुजरात	7	4
5.	हिमाचल प्रदेश	1	0
6.	जम्मू और कश्मीर	2	0
7.	कर्नाटक	10	1
8.	केरल	3	1
9.	मध्य प्रदेश	7	3
10.	महाराष्ट्र	4	1
11.	मणिपुर	1	0
12.	मेघालय	2	0
13.	मिजोरम	1	0
14.	नागालैंड	1	0
15.	उड़ीसा	6	3
16.	पंजाब	2	1
17.	राजस्थान	6	4
18.	तमिलनाडु	5	2
19.	त्रिपुरा	1	0
20.	उत्तर प्रदेश	3	3
21.	पश्चिम बंगाल	2	2
22.	दिल्ली	0	2
	कुल	83	37

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

864. श्री बसुदेव आचार्य: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला खानों में दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में कोयला खानों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों में सांघातिक दुर्घटनाओं और मौतों में कमी आयी है परन्तु गंभीर दुर्घटनाओं (दुर्घटनाएं जिनमें फ्रेक्चर शामिल है) और चोटों में वृद्धि हुई है।

(ख) कोल इंडिया लि. की कोयला खानों में दुर्घटनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	सांघातिक दुर्घटनाएं	मौतें	गंभीर दुर्घटनाएं	गंभीर चोटें
1998	91	104	416	432
1999	94	103	419	447
2000	79	99	447	471

(ग) दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं।

1. प्रत्येक मानसून से पूर्व प्रत्येक खान में पानी के सतही और भूमिगत स्रोतों से जलप्लावन के खतरे की जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, उसके लिए निवारक उपायों हेतु कार्य योजना तैयार की जाती है और उसका क्रियान्वयन किया जाता है।

2. अनुभवी खनन एवं इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरों द्वारा खानों की नियमित एवं आवधिक सुरक्षा लेखा परीक्षा करना और उनकी सिफारिशों का कार्यान्वयन करना।

3. भूमिगत खानों की विकास खदानों में रॉक-मास-रेटिंग अध्ययन पर आधारित वैज्ञानिक अवलम्ब प्रणाली द्वारा रूफ सोपर्ट पद्धति का ढांचा बनाना।

4. भूमिगत खानों में स्टील सपोर्ट का उत्तरोत्तर प्रयोग करना।

5. भूमिगत खानों की विकास खदानों में सपोर्ट के लिए क्विक-सेटिंग-सीमेन्ट कैपसूल ग्राउटेड रूफ बोल्ट्स का बृहत्तर प्रयोग करना।

6. जमीन के नीचे की खानों में एसडीएल और एलएचडी के प्रयोग को बढ़ाकर लोडिंग प्रचालनों को यंत्रीकरण करके मजदूरों को खनन से होने वाले खतरों को कम करना।

7. श्रमिकों में सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए श्रमिकों, सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण एवं पुन: प्रशिक्षण पर बल देना।

8. ओपनकास्ट खानों और खानों की सतह पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई है।

समिति का गठन

865. श्री रामजी मांझी: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च-न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम को दिल्ली में अनधिकृत निर्माण का पता लगाने के लिए समिति गठित करने का निर्देश दिया है ताकि दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम के दोषी अधिकारियों के नाम न्यायालय को पेश किये जा सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या अनधिकृत भवनों और दोषी अधिकारियों की पहचान कर ली गई है और तथ्यों को दिल्ली उच्च न्यायालय को प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

फार्म हॉउस

866. श्री राधा मोहन सिंह: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री 25.7.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 421 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक एकत्र कर लिया जाएगा?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने दिनांक 7.8.2000 की अधिसूचना के तहत 23 जुलाई, 1998 की अधिसूचना से पूर्व मौजूद फार्म हाऊसों के लिए योजना और विकास नियंत्रण मानदण्ड अधिसूचित किये हैं। इसके बाद दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में मंजूर और निर्मित फार्म हाऊसों की संख्या पर एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। दिल्ली नगर निगम के अनुसार दिल्ली में 1886 फार्म हाऊस मंजूर किये गये हैं, जिनमें से 616 दिल्ली विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में हैं। दिल्ली नगर निगम ने 22.2.2001 तक 229 सम्पत्तियों का विस्तृत सर्वेक्षण किया है, जिनमें 144 सम्पत्तियों में अनधिकृत निर्माण का पता चला है। 18 सम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 1.2.2001 की स्थिति के अनुसार उसके क्षेत्र की 616 सम्पत्तियों में 61 सम्पत्तियों का सर्वेक्षण किया गया था। इनमें से 40 सम्पत्तियों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण हेतु नियमों और अधिनियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

फार्म हाऊसों में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय में 21.8.2000 को शहरी विकास मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जो सूचना एकत्र करने और उन पर कार्रवाई की निगरानी कर रही है। मंत्रालय ने दिल्ली में सभी अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमणों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए दिल्ली में सभी स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों 28.8.2000 को व्यापक अनुदेश भी जारी किए हैं।

[हिन्दी]

जनजाति कल्याण

867. श्री बाबूभाई के. कटारा: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 2000 से अब तक गुजरात के दाहोद जिले के विभिन्न संगठनों और जन प्रतिनिधियों से जनजातियों के कल्याण संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) लम्बित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दी जाएगी और इनके लिए धनराशि कब तक जारी किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए योजना-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संगठनों के नाम, परियोजनाओं के नाम, प्रस्तावित राशि, निर्मुक्त तथा प्रत्येक प्रस्ताव पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) प्रस्ताव लम्बित हैं क्योंकि वे अपूर्ण हैं और केवल पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जाएगा। दी गई सूचना और योजनाओं के मानदंडों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

(ङ) प्राप्त किए गए प्रस्तावों में से अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एक छात्रावास चलाने हेतु 5,16,753 रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

विवरण

क्र.सं.	संगठन/लोक प्रतिनिधियों का नाम	परियोजना का नाम	संगठन द्वारा प्रस्तावित राशि	मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त राशि	कारणों के साथ स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री धधेला कलवानी मंडल, धधेला, जिला दाहोद, गुजरात	अनुसूचित जनजातियों के लिए होस्टल	7403000 रुपए	515753 रुपए	1999-2000 के दौरान स्वीकृत

1	2	3	4	5	6
2.	गुजरात आदिवासी विकास परिषद, कोर्ट रोड, दाहोद, गुजरात	स्कूल और कालेज बिल्डिंग का निर्माण	लागू नहीं	लागू नहीं	योजना के अंतर्गत शामिल नहीं
3.	आदर्श चेरिटेबल ट्रस्ट, एट मोतीबुगेदी, पो.आ. नानीबुगेदी तह, संतरामपुर, जिला दाहोद गुजरात	लड़कियों का आवासीय सेकेण्डरी स्कूल और मोबाइल डिस्पेंसरी	2050110 रु. (आवासीय सेकेण्डरी स्कूल के लिए) 938267 रु. (मोबाइल डिसपेंसरी के लिए)	लागू नहीं	अपूर्ण प्रस्ताव/राज्य सरकार द्वारा संस्तुत नहीं। राज्य सरकार को दिनांक 9.12.2000 को पत्र जारी किया गया।
4.	पंचमहल आदिवासी विकास युवक मंडल, एट धलसीमल, पो.आ. माली, दि झलोद, जिला दाहोद, गुजरात	जनजातियों के लिए सीनियर सेकेण्डरी आवासीय स्कूल	1538200 रुपए	–	प्रस्ताव 16.2.2001 को प्राप्त किया गया है। इस पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

जाली मुद्रा

868. श्री अमर राय प्रधान: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000 और 2001 के दौरान अब तक जाली नोटों/सिक्कों और मुद्रा के साथ राज्य-वार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे उक्त कितना सामान जब्त किया गया है; और

(ख) सरकार ने इस खतरे को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने केवल जाली मुद्रा नोटों की जांच के लिए ही एक विशेष यूनिट का सृजन किया है। सीमा सुरक्षा बल ने अपनी अग्रिम टुकड़ियों को और अधिक चौकस कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रकार के मुद्रा नोट तस्करी करके देश में न लाए जा सकें।

जाली मुद्रा की समस्या से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) भारतीय मुद्रा के सुरक्षा पहलुओं से संबंधित मुद्दों के सम्पूर्ण मामले की जांच करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, गृह मंत्रालय/राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एन.एस.सी.एस.) के प्रतिनिधियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

(ii) विगत में जब्त किए गए नकली नोटों की जांच करने के लिए ताकि सरकार मुद्रण और सुरक्षा विशेषताओं के साथ-साथ सुधारात्मक उपाय करने में सक्षम हो सके, श्री बी.आर. गायकवाड़, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में गठित एक छ: सदस्यीय तथ्यान्वेषण समिति, जिसमें नोट प्रिंटिंग/करेंसी पेपर इत्यादि के विशेषज्ञ शामिल हैं, की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक को सलाह दी गई है कि असली नोटों में समाविष्ट सुरक्षा विशेषताओं के बारे में प्रचार अभियान चलाए ताकि जनता असली और जाली नोटों के बीच अंतर को समझ सके।

[हिन्दी]

दिल्ली में उद्योगों को बंद/सील किया जाना

869. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:
श्री जोरा सिंह मान:
श्री रामजीलाल सुमन:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
डा. (श्रीमती) सुधा यादव:
श्री हन्नान मोल्लाह:

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने प्रदूषणकारी उद्योगों की पहचान करने के लिए क्या मानदण्ड नियत किए हैं;

(ख) दिल्ली में अब तक कितने प्रदूषणकारी उद्योगों को सील/बंद किया गया है;

(ग) ये उद्योग किन क्षेत्रों में कार्यरत थे;

(घ) कितने उद्योगों को स्थानान्तरित किया गया और कितने प्रदूषणकारी उद्योग अभी चालू हैं;

(ङ) सरकार द्वारा कितने उद्योगों को सील किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में कितने कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं;

(छ) इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है;

(ज) क्या गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को भी सील किया गया है; और

(झ) यदि हां, ता तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) दिल्ली के मास्टर प्लान में प्रदूषण फैलाने वाले उन उद्योगों का उल्लेख किया गया है कि जो "एफ" श्रेणी में आते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12-9-2000 के आदेशों के अनुसरण में इस मंत्रालय द्वारा गठित नोडल एजेंसी ने 81 उद्योगों में से प्रथम चरण में बंद करने के लिए 27 'एफ' श्रेणी के उद्योगों का पता लगाया है। शेष 54 "एफ" श्रेणी के उद्योगों की सूची की रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ दल द्वारा जांच की गई और अन्ततः प्रदूषण फैलानी वाली 33 "एफ" श्रेणी उद्योगों की एक सूची विशेषज्ञ दल द्वारा तैयार की गई थी जिन्हें दूसरे चरण में बंद/सील किया जाना था। विशेषज्ञ दल ने इन मदों के निर्माण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें की हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली सरकार ने बताया है कि प्रथम चरण में "एफ" श्रेणी के 27 उद्योगों के मामले में सील करने की कार्रवाई की गई। प्रवर्तन दलों (एनफोर्समेंट टीम) द्वारा दिसंबर-जनवरी, 2000-2001 के दौरान कुल 18972 उद्योगों को मुआयना किया गया। इनमें से 2773 औद्योगिक इकाईयों, जिन्हें 27 श्रेणियों के अंतर्गत शामिल पाया गया, को सील कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, पहले की कार्रवाई में जल प्रदूषण फैलाने वाली 863 ईकाईयों को पहले ही सील कर दिया गया था। इन उद्योगों द्वारा किये जा रहे 27 क्रियाकलापों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) दिल्ली सरकार ने बताया है कि पुनर्वास योजना के तहत जिन 16394 औद्योगिक इकाईयों को प्लाट/फ्लैट आबंटित किये गये है, उनमें से 6563 इकाईयां "एफ" श्रेणी के उद्योगों में शामिल हैं।

(ङ) 1996 के सर्वेक्षण में सूचीबद्ध "एफ" श्रेणी के उद्योगों की कुल संख्या करीब 39000 है जिनमें से 3636 इकाईयां पहली ही चरण-I में सील कर दी गई हैं। सील करने की कार्रवाई का दूसरा चरण शुरू हो गया है और दूसरे चरण में सील किये जाने वाले उद्योगों की सही संख्या कार्रवाई का दूसरा चरण पूरा होने के बाद ही बताई जा सकेगी।

(च) और (छ) दिल्ली सरकार ने यह भी बताया है कि प्रदूषण फैलाने वाले "एफ" श्रेणी के 5700 उद्योगों तथा जल प्रदूषण फैलाने वाले 863 उद्योगों, जिन्होंने पुनर्वास योजना के तहत वैकल्पिक औद्योगिक वास के आबंटन के लिए आवेदन किया है, को वैकल्पिक प्लाट का आबंटन प्राथमिकता आधार पर पहले ही कर दिया गया है जहां मजदूरों को रोजगार अवसर भी उपलब्ध होंगे। तथापि, बेरोजगार हुये मजदूरों की सही संख्या सुलभ नहीं है।

(ज) और (झ) दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के रिहायशी और गैर-मंजूरशुदा क्षेत्रों में चल रहे प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को ही बंद करने के प्रयास किये गये हैं। तथापि, परेशानी से बचने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो गलती से सील की गई इकाईयों से अभ्यावेदन प्राप्त करके उनकी जांच करेगी।

विवरण

1	2
1.	एसिड और रसायन लघु उद्योग
2.	एल्यूमिनियम एनोडाइजिंग
3.	कसाईखाने से जुड़े हुए उद्योग
4.	आटो इलेक्ट्रोप्लेटेड उपकरण
5.	बैटरी बॉक्स
6.	बैटरी और उपकरण
7.	रंगाई, ब्लीचिंग, फिनिशिंग प्रोसेसिंग वस्त्र (इसमें मरसराइजिंग, केलेंडरिंग, ग्लेजिंग आदि शामिल हैं)
8.	इलेक्ट्रोप्लेटिंग (बड़े पैमाने पर)

1	2
9.	इनेमल वेयर
10.	ईंधन गैस (गौण उत्पादों सहित)
11.	गल्वेनाइजड बकेट
12.	कांच के उत्पाद
13.	ग्रीस, तेल आदि
14.	प्रचलित सीमेंट कंक्रीट पाइप (छोटे पैमाने पर)
15.	लोहा ढ़लाई घर (फ्राउंडरी)
16.	निकल पालिशिंग
17.	प्लास्टिक उत्पाद
18.	प्लास्टिक डाई
19.	पी.वी.सी. कम्पाउंड
20.	पोलीथीन बैग
21.	रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर
22.	स्टील री-रोलिंग मिल्स (छोटे पैमाने पर)
23.	स्टील की ढलाई (कास्टिंग)
24.	टॉयलेट सोप
25.	वेक्यूम फ्लास्क
26.	राइटिंग और मेकिंग इंक
27.	जिंक पालिशिंग।

[हिन्दी]

दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना

870. **श्री अरुण कुमार:**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूकम्प की दृष्टि से दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना की दोषपूर्णता की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या इसके मार्ग में कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो प्रस्तावित स्टेशनों के साथ अंतिम मार्ग मानचित्र का विवरण क्या है; और

(च) परियोजना के पूरे होने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डी.एम.आर.सी.) लिमिटेड दिल्ली मेट्रो रेल परिवहन प्रणाली चरण-I की कार्यान्वयन एजेंसी है, ने बताया है कि दिल्ली मेट्रो रेल परिवहन प्रणाली हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते हुए, मैसर्स राइट्स-सलाहकार ने इस मुद्दे पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से राय मांगी थी और विभाग ने 7.0 मात्रा के भूकम्प की अधिक सम्भावना वाली स्थिति में संरचना का डिजाइन करते हुए 0.07 जी बुनियादी सीसमिक कोएफीशियन्ट अपनाने की सिफारिश की थी, यह सिफारिश इस तथ्य के बावजूद था कि दिल्ली जोन-IV में आती हैं जहां भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) कोड संख्या आई.एस. 1893 के अनुसार संबंधित बुनियादी सिसमिक कोएफीशियन्ट 0.05 जी है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने बताया है कि उनके द्वारा सभी संरचनाओं का डिजाईन इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड ब्रिज रूल्स, आई.एस. 1893, आदि और रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत लदान मानक के अनुसार किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल परिवहन प्रणाली चरण-I की पहले निर्मित या निर्माणाधीन संरचनाएं उपर्युक्त मानदण्डों के अनुरूप है।

(ग) 31.1.2001 तक वास्तविक प्रगति 11.4% रही है।

(घ) सरकार द्वारा पहले से मंजूर दिल्ली मेट्रो रेल परिवहन प्रणाली के चरण-I के मार्ग में भारत सरकार द्वारा या दिल्ली सरकार द्वारा किसी परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ङ) दिल्ली मेट्रो रेल चरण-I में निम्नलिखित रूट शामिल हैं:

–	शाहदरा-त्रिनगर-नांगलोई रेल कॉरीडोर (25 कि.मी.)	-19 स्टेशन*
–	त्रिनगर-बरवाला (16 कि.मी.)	-12 स्टेशन*
–	विश्वविद्यालय-केन्द्रीय सचिवालय (11 कि.मी.)	-10 स्टेशन*

*ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) पूरा होने की निर्धारित तारीख-मार्च, 2005।

विवरण

दिल्ली मेट्रो रेल परिवहन प्रणाली परियोजना चरण-I के प्रस्तावित स्टेशनों का ब्यौरा

शाहदरा-त्रिनगर-नॉंगलोई रेल कारीडोर:

शाहदरा, सीलमपुर, गौतमपुर, शास्त्री पार्क, आई.एस.बी.टी., तीस हजारी, पुल बंगश, प्रताप नगर, विवेकानंद पुरी, त्रिनगर, रामपुरा, श्रीनगर गार्डन, शकूरबस्ती, सूर्य एन्कलेव, मुल्तान नगर, मंगोलपुरी, ज्वालापुरी, कविता कालोनी, नांगलोई।

त्रिनगर-बरवाला रेल कारीडोर:

त्रिनगर, कन्हैया नगर, लारेंस रोड, वजीरपुर, कोहाट एन्कलेव, पीतमपुरा, रोहिणी (पूर्वी) रोहिणी (पश्चिमी), रिठाला, दौलतपुर, पहलादपुर, बरवाला।

विश्वविद्यालय-केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो कारीडोर:

विश्वविद्यालय, पुराना सचिवालय, सिविल लाइन्स, आई.एस.बी.टी., दिल्ली मेन, चावड़ी बाजार, नई दिल्ली, कनॉट प्लेस, पटेल चौक, केन्द्रीय सचिवालय।

अन्नपूर्णा योजना

871. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:
प्रो. रासासिंह रावत:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों के लाभार्थ अन्नपूर्णा योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारें योजना के कार्यान्वयन में कठिनाइयों का सामना कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से इस योजना में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों को शामिल करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) जी हां, 1 अप्रैल, 2000 से अन्नपूर्णा योजना को ऐसे वृद्ध असहायों को मुफ्त में खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए शुरू किया गया था जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र होते हुए भी इस समय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह 10 कि.ग्रा. खाद्यान्न मुफ्त मुहैया कराए जाता है। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत निधियां राज्य सरकारों को जारी की जाती है जो आगे संबंधित राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों को देती हैं।

(ग) और (घ) कुछ राज्यों के मामले में कार्यान्वयन विभागों को निधियों हस्तांतरित करने में कठिनाईयां पाई गई हैं। जिससे भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न उठाने में विलम्ब होता है अथवा नहीं उठाया जाता है। हरियाणा राज्य ने बताया है कि चूंकि राज्य सरकार के वृद्धावस्था पेंशनर प्रतिमाह 200 रु. प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति लाभ प्राप्त करना नहीं चाहेगा। तमिलनाडु राज्य ने राज्य में मौजूदा अनेक व्यापक पेंशन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए अधिक वित्तीय वचनबद्धता वाली योजना के प्रति कठिनाई जतायी है। मध्य प्रदेश सरकार ने भावी लाभार्थियों के अभाव की सूचना दी है, क्योंकि 60 वर्ष से अधिक की आयु के सभी असहाय 150 रु. वृद्धावस्था पेंशन के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। राज्य ने 10 कि.ग्रा. खाद्यान्न की सहायता को भी अपर्याप्त पाया है। महाराष्ट्र सरकार ने सुझाया है कि अन्नपूर्णा योजना के लाभ राष्ट्रीय अथवा राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी दिए जाएं। त्रिपुरा सरकार ने चावल की मात्रा बढ़ाकर 15 कि.ग्रा. प्रतिमाह करने और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने तथा इसमें लाभार्थियों को कुछ वित्तीय सहायता देने के लिए प्रावधान शामिल करने का सुझाव दिया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न ही नहीं उठते।

तत्स्थानिक मूल्य निर्धारण तंत्र

872. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला कंपनियों के लिए तत्स्थानिक बाजार खोले जाने के साथ इन कंपनियों को तत्स्थानिक मूल्य निर्धारण तंत्र आरंभ करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोल कंपनी लि. को खुले बाजार में कोयला बेचने का अनुमति दी गई;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अंतर्गत "सी.आई.एल." और "एस.सी.सी.एल." द्वारा तत्स्थानिक मुल्य निर्धारण (स्पॉट प्राइसिंग) आरंभ किया जाएगा;

(घ) क्या कोयला कंपनियां असम्बद्ध (नॉन लिंक्ड) ग्राहकों को "जहां है-जैसा है" आधार पर कोयला देंगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्स्थानिक मूल्य निर्धारण कोयला कंपनियों के लिए कितना सहायक होगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ङ) कोयले के मूल्य निर्धारण तथा वितरण को केन्द्र सरकार द्वारा 1.1.2000 से पूर्णतया विनियंत्रित कर दिया गया है। तब से कोयला कंपनियां स्वयं ही अपने खानों से निकाले गए कोयले का मूल्य निर्धारित करने के लिए सक्षम हैं। कोल इंडिया लि. तथा सिंगरेनी कोलयिरीज कंपनी लि. समय-समय पर, अपने संबद्ध ग्राहकों की आवश्यकता को पूरी करने के पश्चात् कोयला उपलब्ध होने पर, कोयला कंपनियों द्वारा अधिसूचित दरों और शर्तों एवं नियमों पर, कोयला खुले बाजार में बेचती है।

आई.डी.पी.एल., गुड़गांव

873. श्री खारबेल स्वाई: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार इंडियन ड्रग्स और फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव की कुल मिल्कियत क्या है;

(ख) इसके उत्पादों का बाजार में हिस्सा कितना है;

(ग) क्या यह उद्योग घाटे में चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके घाटे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) 31.12.2000 को आई.डी.पी.एल. की कुल मिल्कियत (-) 1343 करोड़ रुपये थी।

(ख) भेषज बाजार में आई.डी.पी.एल. का बाजार हिस्सा लगभग 0.15% है।

(ग) से (ङ) आई.डी.पी.एल. एक रुग्ण कंपनी है जिसका मामला औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को भेजा गया है। पुनरुद्धार समेत इस कंपनी का भविष्य बी.आई.एफ.आर. की कार्यवाहियों और अंतिम निर्णय द्वारा तय किया जाएगा।

कोयले की मांग में गिरावट

874. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:

श्री जोरा सिंह मान:

डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान कोयले की मांग में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में किन-किन प्रमुख क्षेत्रों को कोयले की आपूर्ति की जा रही है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक क्षेत्र द्वारा श्रेणी-वार कितने कोयले की मांग की गई और उसे कितने कोयले की आपूर्ति की गई; और

(ङ) विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति किए जा रहे कोयले में राख का प्रतिशत कितना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) वर्ष 1998-99 को छोड़कर, कोयले की मांग और उठान में अनुकूल रूप से वृद्धि होती रही है। वर्ष 1998-99 में व्यापक आर्थिक मंदी थी और परिणामत: बड़े उपभोक्ताओं द्वारा कम मांग की गई। जिन बड़े क्षेत्रों को कोयले की आपूर्ति की जाती है, वे हैं-इस्पात, विद्युत, सीमेंट आदि। गत तीन वर्षों के दौरान मुख्य क्षेत्रों और अन्य द्वारा की गई कोयले की

कुल उठान का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(मिलियन टन में)

क्रम सं.	उपभोक्ता	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	बिजली घर	212.92 (3.62)	204.68 (3.02)	222.63 (2.11)
2.	इस्पात संयंत्र और कोकरीज (अपरिष्कृत कोककर कोयला)	23.61	24.98	21.40
3.	सीमेंट संयंत्र	10.13	8.61	9.50
4.	अन्य	50.30 (2.10)	50.31	50.86
	कुल उठान	296.96 (5.72)	288.58 (3.02)	304.39 (2.11)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वाशरी मिडिलिंग की आपूर्ति को दर्शाते हैं।

(ङ) अधिकांश विद्युत आपूर्ति किए गए कोयले में राख और आर्द्रता की मात्रा 34.1 प्रतिशत से 47.1 प्रतिशत के बीच है।

हिन्दी]

विशेष दल का बिहार दौरा

875. श्री राजो सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के विशेष दल ने राज्य में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु बिहार का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दल ने केन्द्र सरकार के पास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर राज्य सरकार से की गई कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की थी;

(च) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य क्या हैं; और

(छ) सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों के समुचित रूप से क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय के बिहार से संबंधित क्षेत्र अधिकारियों ने विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए 3 से 5 नवम्बर, 2000 तक राज्य का दौरा किया।

(ग) जी, हां।

(घ) क्षेत्र अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना तथा समन्वित बंजर भूमि विकास परियोजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति विशेषकर बिहार में धीमी रही है।

(ङ) और (च) बिहार सरकार को इस मामले की तेजी से छानबीन करने तथा की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट की एक प्रति भेजी गई है। बिहार सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।

(छ) मंत्रालय ने राज्यों में कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवधिक प्रगति रिपोर्ट, राज्य के सरकारी अधिकारियों द्वारा जांच, क्षेत्र अधिकारी योजना, निष्पादन समीक्षा समिति इत्यादि जैसी विभिन्न तंत्रों के जरिए निगरानी की एक व्यापक प्रणाली विकसित की है।

सट्टेबाजों की गिरफ्तारी

876. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस ने आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के भारत आगमन से पूर्व क्रिकेट मैच फिक्सिंग के लिए किसी सट्टेबाज को गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में मैच फिक्सिंग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्यसूची में प्रविष्टि के अनुसार, खेल राज्य का विषय है और इसलिए यह राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि इस संबंध में निवारक कदम उठाएं।

'साइंस विलेज'

877. श्री रामशकल: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बहुद्देशीय समेकित ग्रामीण विकास के लिए साइंस विलेज स्थापित किये है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी, नहीं। तथापि विभाग द्वारा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय जानकारियों के माध्यम से कुछ गांवों में समेकित विकास का कार्य शुरू किया गया है। वर्तमान में ये सभी परियोजनाएं कार्यान्वयन के आरंभिक चरणों में हैं।

(ख) इनका राज्य-वार विवरण निम्नलिखित है:

राज्य	स्थान
1	2
जम्मू और कश्मीर	1. सूचनी गांव, तहसील साम्बा, जिला जम्मू
	2. अरि-पन्थन, तहसील बेरवा, जिला बडगाम
कर्नाटक	3. नागासान्द्रा, जिला कोलार
केरल	4. ग्राम-अमरावती, जिला इडुकी
महाराष्ट्र	5. चाहुचीवाडी, मिरजुलवाडी, भीकरवाडी, तालुक करजात, जिला रायगड
मध्य प्रदेश	6. सिंहपुरा और लोटना, जिला टीकमगढ़
	7. ग्राम चिचपोलेंड, कोंडागांव, जिला बस्तर
	8. धुना कलान, जिला सिहोर
	9. ग्राम-बतरा, तामिया, खण्ड, जिला छिंदवाडा
उड़ीसा	10. गुप्त गंगा, बंसपाल खण्ड, जिला क्योंझर
	11. ग्राम-भुई पल्ली, जिला सुन्दरगढ़
सिक्किम	12. ग्राम छवांग, फैम्टम, उत्तरी जिला
तमिलनाडु	13. सिरूपाझविराकड, खण्ड मन्जूर, जिला तिरूवल्लूर
	14. छिन्नाडिकुप्पम, जिला चेन्नई
उत्तरांचल	15. ग्राम कोटी, खण्ड-जखोली, जिला रूद्र प्रयागा
	16. ग्राम सहसपुर, जिला देहरादून
उत्तर प्रदेश	17. मेहरा नहर गंज, खण्ड बरोली, जिला आगरा
	18. रइया, जिला हाथरस
	19. ढकौली एवं उमरी, जिला-फतेहपुर

जनजातीय कल्याण हेतु विशेष कार्य योजना

878. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय कल्याण के लिए कोई विशेष कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकार को विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (घ) इस मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए न तो कोई कार्य योजना और न आर्थिक पैकेज तैयार किया है। तथापि, राज्य सरकार इस मंत्रालय द्वारा जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास संबंधी योजनाओं के अंतर्गत लाभों के लिए पात्र हैं।

उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजों का आधुनिकीकरण

879. श्री पदमनसेन चौधरी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजों के आधुनिकीकरण से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने इंजीनियरी कॉलेजों में प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। वर्ष 2000-2001 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश से प्राप्त निम्नलिखित प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है:-

	संस्थान का नाम	राशि (रु. लाख में)
(i)	डी.ई.आई. तकनीकी कॉलेज, *आगरा*	12.00
(ii)	हारकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकीय संस्थान, कानपुर	10.00
(iii)	इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ	6.00
(iv)	कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर	9.00
	कुल	37.00

[अनुवाद]

वैदिक अध्ययन

880. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैदिक अध्ययन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा श्री काव की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या है;

(ग) समिति की किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है और सरकार द्वारा इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) स्वीकार न की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) मंत्रालय द्वारा वैदिक अध्ययनों के लिए ऐसी कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की गयी है।

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग

881. श्री पुष्प जैन:
श्री चन्द्रेश पटेल:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान 'कपार्ट' (लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद) द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान किए गये अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन संगठनों द्वारा धनराशि के दुर्विनियोजन के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्यवार विशेषकर गुजरात में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई या किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) कपार्ट द्वारा वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को दिए गए अनुदान राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) कपार्ट को पांच स्वैच्छिक संगठनों के बारे में उन्हें उक्त अवधि के दौरान दी गई निधियों के दुर्विनियोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्हें विवरण-II में (राज्यवार) दिया गया है। इस अवधि के दौरान गुजरात राज्य के स्वैच्छिक संगठनों के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) इन पांच संगठनों में से तीन संगठनों को "आगे सहायता बन्द" (एफ.ए.एस.) श्रेणी में रखा गया है, एक को संदेहास्पद श्रेणी में रखा गया है और शेष एक के मामले में संगठन के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करने की प्रक्रिया चल रही है।

विवरण-I

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	93.75	214.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.54	–
3.	असम	51.68	26.22
4.	बिहार	73.55	90.14
5.	दिल्ली	3.60	3.88
6.	गुजरात	86.11	115.85
7.	हिमाचल प्रदेश	123.20	107.89
8.	जम्मू व कश्मीर	18.72	1.05
9.	केरल	16.67	39.00
10.	कर्नाटक	40.94	28.44
11.	मध्य प्रदेश	105.35	60.43
12.	महाराष्ट्र	80.07	88.90
13.	मणिपुर	18.58	9.10
14.	मिजोरम	1.28	2.54
15.	मेघालय	1.88	1.55
16.	नागालैंड	3.41	–
17.	उड़ीसा	166.49	239.10
18.	राजस्थान	51.50	180.13
19.	गोवा	–	–
20.	अंडमान निकोबार	3.08	3.78
21.	तमिलनाडु	62.82	59.53
22.	त्रिपुरा	8.42	10.40
23.	उत्तर प्रदेश	75.66	167.76
24.	पश्चिम बंगाल	177.42	185.76
25.	पंजाब	15.39	10.51
26.	चण्डीगढ़	6.92	10.30
27.	हरियाणा	108.19	159.25
28.	झारखण्ड	7.51	3.50
29.	सिक्किम	1.48	–

विवरण-II

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों के नाम व पते	वर्तमान स्थिति
1.	डेवलपमेंट प्रोमोटर्स, सोलन (हिमाचल प्रदेश)	एफ.ए.एस. के अन्तर्गत रखा गया
2.	महिला उत्थान केन्द्र, पिनजोर (हरियाणा)	-वही-
3.	राष्ट्रीय ग्राम्य व समाज, कल्याण समिति, भरतपुर, राजस्थान	-वही-
4.	लाइफ एंड सेन्टर, कटमदाप्पुर जिला एम.जी.आर. (टी.एन.)	सन्देहास्पद श्रेणी में रखा गया
5.	पिपुल्स मूवमेन्ट फार सोसल एक्शन जी.पी. मल्लाप्पापुरम, जिला कामराज नगर कर्नाटक	संगठन के विरुद्ध आगे यथोचित कार्रवाई करने की प्रक्रिया चल रही है।

तमिलनाडु में जनजातीय समुदाय

882. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में विभिन्न जनजातीय समुदायों, उनकी जनसंख्या, उनका आवास क्षेत्र और उनके जीवन स्तर में सुधार करने हेतु विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा दक्षिण भारत में जनजातीय समुदायों विशेषकर लंबाड़ी जनजाति के जीवन स्तर में सुधार करने हेतु विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में जनजातीय लोगों के लिए स्वरोजगार अवसर प्रदान करने हेतु कोई नई योजना शुरू की गई है या शुरू किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जनजाति वर्गीकरण हेतु भारतीय मानवविज्ञानी सर्वेक्षण की रिपोर्ट ही एकमात्र प्राधिकृत स्रोत है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार 36 जनजातीय समुदायों को अधिसूचित किया गया है। भारतीय जनगणना ने अब तक जनजातिवार जनसंख्या प्रकाशित नहीं की है। 1991 की जनगणना के अनुसार, तमिलनाडु की कुल जनजातीय आबादी 5.74 लाख थी जो राज्य की कुल आबादी की 1.03 प्रतिशत थी। तमिलनाडु में विभिन्न जिलों में जनजातीय आबादी वाली समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं का नाम और उनका वर्ग कि.मी. में क्षेत्र नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	जिला	आई.टी.डी.पी. का नाम	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)
1.	नामाक्कल	कोली हिल्स	224.85
2.	सालेम	यरकाड हिल्स	147.50
3.	सालेम	काल्डायान हिल्स	319.21
4.	सालेम	अरुनूतूमलाई हिल्स	29.02
5.	सालेम	पंचमलाई	109.82
6.	तिरूवन्नमलाई	त्वाधू हिल्स	310.35
7.	विल्लुपुरम	कलहासन हिल्स	600.00
8.	धरमपुरी	सिथेरी हिल्स	188.00
9.	त्रिचि	पंचमलाई	128.83

तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए जनजातीय उप-योजना की संकल्पना 1996-97 लागू है, जिसके दो उद्देश्य हैं:-

(क) अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक विकास, और (ख) जनजातीय लोगों को शोषण से बचाना।

अनुसूचित जनजाति के परिवारों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से अपना जीवन स्तर बढ़ाने हेतु सहायता दी जाती है। विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति परिवारों को उनके रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। राज्य में बागवानी, पशुपालन, खादी और ग्रामोद्योग, रेशम कीट-पालन, लघु सिंचाई, वानिकी, निगम, विद्युतीकरण, आवास, संचार, जनशक्ति और रोजगार, पेय जल, चिकित्सा तथा ग्रामीण स्वास्थ्य आदि जैसे विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं।

(ख) लंबाडी अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित लोग आन्ध्र प्रदेश राज्य के मैदानी क्षेत्रों में और साथ ही साथ संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा) के अंतर्गत 41 पाकेटों और 178 क्लस्टरों में छितरे हुए जनजातियों के रूप में बसे हैं। विभिन्न विकास संबंधी योजनाओं को इन क्षेत्रों में जनजातियों के उत्थान के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) राज्य और केन्द्रीय मंत्रालयों की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा विभिन्न स्वरोजगार सृजन संबंधी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। मानवविज्ञान सर्वेक्षण अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न आयामों पर मानवविज्ञान संबंधी प्ररिप्रेक्ष्य से क्षेत्र आधारित प्राधिकृत रिपोर्टें तैयार करता है। महारजिस्ट्रार (भारतीय जनगणना) भारत सरकार के अलावा राज्य सरकारों के विभिन्न जनजातीय अनुसंधान संस्थान तथा मानवविज्ञान के विश्वविद्यालय विभाग हैं और वे भी भारत की जनजातियों पर रिपोर्टें तैयार करते हैं।

दिल्ली में स्कूल बसों को चलाना

883. श्री रघुनाथ झा:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रामजी मांझी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद भी स्कूल बसों के प्रबंधन और चलाने में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है और सड़कों पर स्कूली बच्चों को निर्दयतापूर्वक कुचलना और घायल करना जारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बसों में खड़े होकर यात्रा करने वाले यात्रियों की कोई सीमा है;

(घ) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ङ) पुलिस द्वारा कानून को लागू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(च) दिल्ली पुलिस द्वारा चालू वर्ष के दौरान बिना इलेक्ट्रानिक गति नियंत्रक के चलने वाली कितनी बसों को जब्त किया गया;

(छ) इन बसों द्वारा कितने व्यक्ति मारे गये;

(ज) क्या सदियों पुराने कानून के कारण लापरवाह चालक आसानी से बच जाते हैं; और

(झ) यदि हां, तो इन मौतों को रोकने और लापरवाह चालकों को अनुकरणीय दण्ड देने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) यद्यपि, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें स्कूली बच्चे शिकार हुए हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि चूक करने वाले वाहन स्कूल बसें हों। दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के राज्य परिवहन प्राधिकरण और स्कूल प्रबन्धन के साथ मिलकर उच्चतम न्यायालयों के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर रही हैं।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। परमिट की शर्तों के अनुसार, स्टेज कैरीज बस में खड़े होकर यात्रा करने वाले 20 यात्रियों को ले जाने का प्रावधान है।

(ङ) दिल्ली यातायात पुलिस ने, बसों की दर्ज क्षमता से अधिक स्कूली बच्चे ले जाने के लिए 1998 से 15 फरवरी, 2001 तक की अवधि के दौरान 42 स्कूल बसों का चालान किया।

(च) इस अपराध के संबंध में चालू वर्ष के दौरान 12 फरवरी, 2001 तक दिल्ली पुलिस द्वारा परिबद्ध की गई बसों की संख्या 83 है।

(छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ज) और (झ) तेज रफ्तार से वाहन चलाने के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मौजूदा कानून में विशिष्ट दाण्डिक प्रावधान है। यातायात के आवागमन को प्रभावी रूप से विनियमित करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए उपायों में, यातायात नियमों और विनियमों का सख्त अनुपालन और उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चलाना, इस प्रकार की घटनओं के वास्तविक कारणों की पहचान करने के लिए घातक दुर्घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण और पहचाने गए कारणों को दूर करने के लिए उपचारी उपाय सुझाना, और सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में पर्याप्त प्रचार के माध्यम से जनता में जागरूकता पैदा करना शामिल है।

उड़ीसा में चक्रवात पीड़ितों के लिए आवासीय इकाइयां

884. श्री के.पी. सिंह देव: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के सभी चक्रवात पीड़ितों के पास कोई आवास नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में चक्रवात प्रभावित परिवारों को आश्रय उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्यवाही करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनके कब तक निर्मित/उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) उड़ीसा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह सही नहीं है कि उड़ीसा के सभी चक्रवात पीड़ितों के पास आवासीय इकाई नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार ने उड़ीसा के चक्रवात से प्रभावित परिवारों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख आवास मंजूर किए हैं। उड़ीसा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवासों के निर्माण की हडको ऋण योजना के अंतर्गत 109008 परिवारों को सहायता दी जा रही है। इसी प्रकार ग्रामीण आवास ऋण सह सब्सिडी योजना के अंतर्गत 29526 आवास बनाए जा रहे हैं।

(ङ) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि उड़ीसा के चक्रवात से प्रभावित परिवारों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख आवासों के 30.6.2001 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

अवैध कोयला खानें

885. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अवैध कोयला खानें कार्यरत हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे खनन कार्य से निपटने और इन खानों के श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल. के कोयला खनन क्षेत्रों से, जिनकी कोयला खानें पूर्व बिहार (अब झारखंड) तथा पश्चिम बंगाल में हैं, चोरी-छिपे कोयला निष्कर्षण करने, परित्यक्त, बंदी पड़ी और प्रयोग में न लाई जा रही खानों से तथा आउटक्राप्स क्षेत्रों से भी कोयले की चोरी करने जैसी अवैध खनन गतिविधियों के बारे में रिपोर्टें मिली हैं।

(ख) कोयला कंपनियों के पट्टाधारी क्षेत्र में जब कभी अवैध खनन का कोई मामला पाया जाता है तब संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट की जाती है और ऐसे मामलों में कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों के साथ कार्रवाई की जाती है। राष्ट्रीयकृत कोयला कंपनियों के पट्टाधारी क्षेत्रों से बाहर पाये गए अवैध खनन के मामले के बारे में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य प्रशासन को तत्काल सूचित किया जाता है। सी.आई.एल. प्रयोग में न लायी जा रही खदानों में अवैध खनन के बारे में सतर्क है।

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान

886. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत पहले से ही पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों को नकदी और वस्तु के रूप में विदेशी अंशदान स्वीकार करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे संगठनों को देश के किसी भी हिस्से में किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय नकदी और वस्तु के रूप में विदेशी अंशदान प्राप्त करने की स्थायी आधार पर अनुमति देने का भी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां। केन्द्र सरकार ने 1 फरवरी, 2001 से और 31 मार्च, 2001 तक उपरिलिखत स्वरूप की सभी एसोशिएसनों (राजनैतिक दलों को छोड़कर) को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर केन्द्र सरकार की औपचारिक अनुमति प्राप्त किए बिना विदेशी अभिदाय, नकद या वस्तुओं में, स्वीकार करने के लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 6 (1-क) उपबंधों से छूट दी है:-

(i) प्रत्येक एसोसिएशन इस प्रयोजन के लिए एक नया बैंक खाता खोलेगी।

(ii) इस खाते का नाम 'गुजरात भूकम्प राहत खाता' रखा जाएगा।

(iii) एसोशिएसन केवल इस नाम के बैंक खाते में ही विदेशी अभिदाय प्राप्त करेगी।

(iv) एसोशिएसन, इस नाम के बैंक खाते में प्राप्त विदेशी अभिदाय के अलग लेखें और रिकार्ड रखेगी।

(v) एसोशिएसन, इस नाम का बैंक खाता खोलने के एक सप्ताह के भीतर गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग को प्रपत्र एफ.सी.-1 ए. में ब्यौरे प्रस्तुत करेगी; और

(vi) एसोशिएसन, प्राप्त विदेशी अभिदाय के बारे में प्रपत्र एफ.सी.-3 में और वस्तुओं के बारे में प्रपत्र एफ.सी.-6 में, वर्ष की समाप्ति के चार महीनों के भीतर, चार्टर्ड एकाऊन्टेन्ट द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित सूचना, विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 1976 में यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग को देगी।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय कवि के सम्मान में 'पीठ'

887. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु जून, 1995 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में एक भारतीय कवि के सम्मान में एक 'पीठ' की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने धन की कमी के कारण इस 'पीठ' को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस कवि के भारतीय भाषाओं के प्रति समर्पण को देखते हुए भारत सरकार का इस 'पीठ' के लिए धन उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) भारत सरकार की किसी वित्तीय सहायता से जून 1995 में ऐसी कोई पीठ स्थापित नहीं की गई थी।

(ग) से (ङ) इस समय ऐसा कोई अनुरोध वित्तीय सहायता के लिए सरकार के समक्ष नहीं है।

हवाला आपरेटरों के विरुद्ध बड़ा अभियान

888. **श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ और प्रवर्तन निदेशालय ने संयुक्त रूप से दिल्ली में हवाला आपरेटरों के विरुद्ध एक बड़ा अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या लाल किले की घटना में हवाला कारोबार के संबंध में अपराध सिद्ध करने वाले कोई दस्तावेज बरामद हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली की हवाला गतिविधियों का जम्मू और कश्मीर की उग्रवादी गतिविधियों से कोई सीधा संबंध है; और

(ङ) यदि हां, तो हवाला आपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) जी, हां। हाल ही में, लाल किले के गोलीकाण्ड मामले के एक अभियुक्त से दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि उसने हवाला के जरिए भारी धनराशि एकत्र की थी, जिसका एक हिस्सा बाद में, जम्मू तथा कश्मीर राज्य में खोले गए एक बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया गया था, जो स्पष्ट रूप से उक्त राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए थी।

(ङ) हवाला आपरेटर के परिसर में मारे गए छापों के परिणामस्वरूप लगभग 1.10 लाख रु. बरामद हुए। प्रश्नाधीन हवाला आपरेटर फरार हैं और न्यायालय के आदेशों के तहत उसकी चल सम्पत्ति कुर्क कर दी गई है।

पदोन्नति योजना

889. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्र सरकार ने "वेतनमानों में संशोधन नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अध्यापकों की अन्य सेवा शर्तें योजना" के बारे में क्रमश: दिनांक 24 दिसम्बर, 1998 और 27 जुलाई, 1998 को अधिसूचनाएं जारी की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना विश्वविद्यालय और महाविद्यालय दोनों के अध्यापक पर लागू होती हैं;

(ग) क्या इन अधिसूचनाओं में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में रीडर और प्रोफेसर के पदों के लिए अलग-अलग चयन समितियों के गठन का प्रावधान है;

(घ) क्या इन अधिसूचनाओं में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों के लिए पदोन्नति योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ व्याख्याता, रीडर और प्रोफेसर के रूप में पदोन्नतियों के लिए समान पात्रता मानकों का प्रावधान है;

(ङ) क्या प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति को केवल महाविद्यालयों में बंद किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (च) इस अधिसूचना में कैरियर प्रोन्नति योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों की पदोन्नति के लिए पात्रता मानदण्डों और इसके लिए चयन समितियां गठित करने का प्रावधान किया गया है। दिनांक 27.07.98 के सरकारी आदेश में यह निर्धारित किया गया है कि यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त स्वायत्त कालेजों में प्रोफेसर के पद सृजित किए जाएंगे तथापि इस स्तर के अन्य कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सरकार के परामर्श से तैयार किए गए मानदण्डों के अनुसार आयोग द्वारा अभिनिर्धारित किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब अपने दिनांक 6.10.2000 के पत्र द्वारा विश्वविद्यालयों को यह सूचित किया है कि रीडर से प्रोफेसर पदोन्नत करने की कैरियर प्रोन्नति योजना कालेजों पर लागू नहीं होगी।

अशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995

890. **श्री आर.एस. पाटिल:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात की जानकारी मिली है कि दिल्ली सहित देश के कुछ सरकारी तकनीकी महाविद्यालय अशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की धारा 39 को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सभी सरकारी तकनीकी कॉलेजों से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकार की आरक्षण नीतियों का पालन करें। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय तकनीकी कॉलेजों में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत किए गए आरक्षण का सूक्ष्म ब्यौरा नहीं रखता है क्योंकि संस्थाएं निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रवेश देती हैं।

दिल्ली में नशीली दवाओं का अवैध व्यापार

891. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:**
श्री रामजीवन सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली के विभिन्न भागों में नशीली दवाओं का धंधा करने वाले महाविद्यालयों और विद्यालयों के बाहर बेरोक-टोक अपना काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसमें शामिल कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) नशीली दवाओं का धंधा करने वालों और इस खतरे को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) दिल्ली में कालेजों और स्कूलों के बाहर नशीली दवाओं का धंधा करने के कुछेक इक्के-दुक्के मामले दिल्ली पुलिस के ध्यान में आए हैं। इस संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 1998 में 6 व्यक्ति और वर्ष 1999 और 2000 प्रत्येक में एक-एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया।

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा इस खतरे को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में जिन क्षेत्रों में नशीली दवाओं की बिक्री की घटनाएं ध्यान में आती है उन क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस द्वारा पैदल तथा चल-गश्त लगाना, नशीली दवाओं का धंधा करने वाले ज्ञात अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखना, इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त संदिग्ध अपराधियों के ठिकानों पर बार-बार छापे मारना, ऐसी गतिविधियों में प्रवृत्त ज्ञात/संदिग्ध क्षेत्रों में विशेष टुकड़ियों की स्थापना, नशीली दवाओं के आदी व्यक्तियों, जो नशीली दवाओं की बिक्री से संबंधित अपराधों में प्रवृत्त हैं, पर नियमित रूप से निगरानी रखना, नशीली दवाओं की बुराईयों के बारे में विज्ञापन पट्टों और साहित्य के जरिए पर्याप्त प्रचार करना शामिल हैं।

[हिन्दी]

प्राथमिक शिक्षा का स्तर

892. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.सी.ई.आर.टी. ने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण कराकर यह रिपोर्ट प्रकाशित की है कि देश में प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु क्या उपाए करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा हाल में ऐसा कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विद्यालय जाने वाले बच्चों को मनोचिकित्सकीय सहायता

893. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यालय जाने वाले ऐसे बच्चों का कोई सर्वेक्षण कराया गया है जिन्हें मनोचिकित्सकीय मदद की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में इसका परिदृश्य बहुत खराब है और बच्चों में यह समस्या वर्षों से बनी हुई थी परंतु इसके लिए बहुत कम कार्य किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या भूमिका है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा स्कूल शिक्षा के लिए तैयार नए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे में कुछ संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया गया है जैसे, (क) बाह्य परीक्षाओं के वर्चस्व को कम करना तथा कक्षा X तक उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण संवर्गों को समाप्त करना, (ख) ग्रेडिंग की विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग, अधिगम के शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्र, तथा (ग) एक मानवीय, शिक्षु के उपयुक्त, दोष मुक्त, जवाबदेह और पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली को तैयार करना।

[अनुवाद]

बच्चों के अधिकार संबंधी राष्ट्रीय चार्टर

894. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बच्चों के अधिकार संबंधी राष्ट्रीय चार्टर कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई प्रारूप चार्टर तैयार किया गया है और उसे अनेक मंत्रालयों को परिचालित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) राष्ट्रीय बाल चार्टर को अंगीकार करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) ब्यौरे को अन्तिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बाल चार्टर का एक अप्रोच पेपर तैयार किया गया तथा भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों एवं विभागों और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके मत और टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु परिचालित किया गया। तथापि, राष्ट्रीय बाल चार्टर का प्रारूप विचाराधीन है तथा यह कहना संभव नहीं है कि इस चार्टर को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा।

इस्पात संयंत्रों में देशी कोकिंग कोल का उपयोग करने हेतु प्रौद्योगिकी

895. श्री बसुदेव आचार्य: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद ने इस्पात संयंत्रों में देशी कोकिंग कोल का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी हां, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की घटक इकाई केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद के प्रक्षालन की दृष्टि से श्रमसाध्य न्यून वाष्पशील कोककारी कोयले की गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिए बहु स्तरीय सज्जीकरण प्रक्रम प्रौद्योगिकी विकसित की है। यह प्रौद्योगिकी निम्न संस्तर कोयले को स्टील संयंत्रों के उपयोगार्थ उन्नत कर सकती है। यह प्रौद्योगिकी लागत प्रभावी एवं पर्यावरणानुकूल है।

[हिन्दी]

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कोयले का उत्पादन

896. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान कोयले के उत्पादन हेतु सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. द्वारा कोयला खान-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. की प्रत्येक कोयला खान में इस समय अनुमानित कितना कोयला है; और

(ग) वर्ष 2000 के दौरान और आज तक कोयला का उत्पादन इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) से (ग) चालू वर्ष के लिए कोयले के उत्पादन के लक्ष्य, 18 फरवरी, 2001 तक का वास्तविक (अनंतिम) और वर्तमान में कोलियरी-वार कोयले के भंडारों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(टन/क्यू.मी.)

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	वार्षिक लक्ष्य 2000-2001	लक्ष्य अनुमान 18 फरवरी, 2001 तक	वास्तविक अनंतिम 18 फरवरी, 2001 तक	भू-वैज्ञानिक भंडार (मि. टन)
1	2	3	4	5	6
1.	भुरकुंडा	530000	457895	289122	367
2.	लेपंगा	0	0	0	54
3.	सौंदा डी.यू.जी.	230000	201491	167433	266
4.	सौंदा डी.ओ.सी.	350000	298502	204266	
5.	सी. सौंदा	80000	70362	76800	62
6.	सुंडा	50000	43505	56586	13
7.	ए. करनपुरा	0	0	0	41
8.	के. करनपुरा	0	0	0	67
9.	सयाल डी	280000	246010	245361	75
10.	उरीमरी	1080000	921967	988566	195
11.	नार्थ उरीमरी	200000	170503	186072	

1	2	3	4	5	6
12.	हिंदगीर	70000	61754	40051	65
13.	गीडी ए	110000	93890	96168	289
14.	गीडी सी	100000	85259	86510	180
15.	रेलिगरा	300000	256760	207399	100
16.	सिरका	530000	454738	362237	91
17.	अगरडा	40000	34887	46326	87
18.	मंकी-चूरी	250000	218769	183292	51
19.	डी. बुकबुका	500000	426499	460301	85
20.	के.डी.	4500000	3840257	2938662	148
21.	करकट्टा	550000	469609	187680	85
22.	रोहनी	600000	512757	409943	86
23.	हुतूर	0	0	0	0
24.	राजहरा	50000	43096	113974	1
25.	तेतरीयाखेर	70000	60376	48157	40
26.	राय बछरा	280000	246010	207048	54
27.	पीपरवार	6500000	5546980	7047196	243
28.	अशोका	1500000	1281880	1528239	506
29.	राजरप्पा	2800000	2389217	1295301	189
30.	सरूबेरा	220000	190520	166762	32
31.	आरा	120000	102510	96708	211
32.	कुजु	120000	105261	77891	281
33.	टोपा	360000	309870	303935	130
34.	पिंडरा	140000	122512	74383	78
35.	पुंडी	250000	213255	126706	446
36.	करमा	150000	127985	64799	38
37.	परेज इस्ट	1750000	1493124	1081635	152

1	2	3	4	5	6
38.	केडला यू/जी	100000	87625	146245	292
39.	केडला ओ/सी	450000	384362	317580	
40.	तपिन नार्थ	150000	127985	199972	131
41.	तपिन साउथ	220000	188358	119466	77
42.	झारखंड	400000	241610	184514	152
43.	लइओ	100000	87625	91241	107
44.	बोकारो ओ.सी.	700000	598002	157257	19
45.	करगली ओसी.	400000	341610	83654	421
46.	करगली यू.जी.	65000	56764	45366	12
47.	कारो ओ.सी.	800000	682876	819061	184
48.	कारो यू.जी.	60000	50863	34236	
49.	के. महल ओ.सी.	600000	511757	338990	33
50.	के. महल यू.जी.	40000	37106	16497	14
51.	के.एस.पी. यू.जी.	60000	53096	43884	5
52.	गिरीडीह	220000	187358	146761	23
53.	आलो	800000	682876	451490	70
54.	धोरी	300000	256392	119167	50
55.	एस. धोरी (मेके.)	1100000	938242	966548	14
56.	एन.एस. धोरी (यू.जी.)	1100000	96641	55021	3
57.	एस.डी.क्यू. 3	950000	811257	882396	53
58.	धोरी खास	170000	147012	114081	200
59.	कटहरा	500000	426513	402828	75
60.	जरंगडीह	460000	397127	460251	124
61.	सवांग	225000	195137	273049	36
62.	गोविंदपुर	360000	310956	159282	35
	कुल जोड़	34000000	28997160	26094346	6938

[अनुवाद]

उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

897. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में आठवीं और नौवीं योजनाओं में कितने उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए;

(ख) उक्त संयंत्रों में से कितने संयंत्र मुनाफा कमा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने घाटे वाले उर्वरक संयंत्रों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो समीक्षा के तहत शामिल की गई अवधि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति विषयक संकल्प के अनुसार उर्वरक संयंत्रों की स्थापना/विस्तार करने के लिए किसी भी लाइसेंस की सामान्यत: आवश्यकता नहीं होती है। उद्यमी पर्यावरणीय मंजूरी की शर्त पर देश पर कहीं भी उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए स्वतन्त्र हैं। तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों को उनको प्रदत्त शक्तियों से परे ऐसा पूंजी व्यय करने से पहले सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होता है।

आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र में उनके नामों के सामने उल्लिखित राज्यों में निम्नलिखित प्रमुख उर्वरक परियोजनाएं प्रारम्भ की गई:-

(i) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको)

(क) आवंला यूरिया विस्तार परियोजना, आंवला यूपी।

(ख) कलोल यूरिया विस्तार परियोजना, कलोल, गुजरात।

(ग) फूलपुर यूरिया विस्तार परियोजना, फूलपुर, उत्तर प्रदेश।

(घ) कांडला डीएपी/एनपीके विस्तार परियोजना, कांडला, गुजरात।

(ii) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल)

(क) विजयपुर यूरिया विस्तार परियोजना, विजयपुर एम.पी.

(ख) नांगल यूरिया विस्तार परियोजना नांगल, पंजाब।

मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एमएफएल) की पुनरुद्धार परियोजना मनाली चैन्नई।

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (1999-2000) के दौरान उपरोक्त सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समिति ने लाभ सूचित किया है।

(ग) से (ङ) सरकार सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र की सभी उर्वरक कम्पनियों के प्रचालन एवम् वित्तीय निष्पादन सहित इनके कार्यों की आवधिक समीक्षा करती है। मानीटरिंग/समीक्षा के आधार पर सरकार उपचारात्मक उपायों के साथ-साथ वित्तीय/पूंजी पुनर्गठन के माध्यम से राहत और बजटीय सहायता देती है ताकि वे अपने कार्यशील पूंजी आवश्यकता तथा महत्वपूर्ण पूंजी व्यय को पूरा कर सकें।

नवोदय विद्यालयों के लिए भवन

898. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की नवोदय विद्यालयों के लिए भवनों के निर्माण हेतु क्या योजना है;

(ख) प्रत्येक राज्य में विशेषकर उत्तर प्रदेश में कितने नवोदय विद्यालय बिना भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के चल रहे हैं;

(ग) भवनों के निर्माण और उनमें अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान आज तक इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गई और जारी की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) जवाहर नवोदय विद्यालयों के भवनों के निर्माण, विद्यालय की संख्या में वृद्धि के अनुपात में दो चरणों में किया जाता है। भवनों की व्यवस्था में स्कूल परिसर, शयनशाला, आवासीय क्वार्टर, भोजन कक्ष, खेल का मैदान आदि शामिल है।

(ख) 31.03.2000 को संस्वीकृत 423 विद्यालयों में से 382 विद्यालयों के लिए भवन संस्वीकृत किए गए हैं। 287 विद्यालय स्थायी भवनों में चल रहे हैं तथा शेष विद्यालय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए अस्थायी भवनों में कार्य कर रहे हैं। अस्थायी भवनों में चल रहे विद्यालयों के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उत्तर प्रदेश सहित इन विद्यालयों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में है।

(ग) सरकार ने विद्यालयों में भवनों का निर्माण करने और अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए है:

1. विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध करना जहां पर भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

2. जैसे ही भूमि उपलब्ध हो जाती है, निर्माण कार्य को संस्वीकृत कर दिया जाता है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और अन्य राज्य सरकार के उपक्रमों को सौंप दिया जाता है।

3. जब विद्यालय में भवन निर्माण को संस्वीकृत किया जाता है यह सुनिश्चित किया जाता है कि बिजली, पानी, पर्याप्त भवन, खेल का मैदान आदि जैसी सभी अन्य सुविधाएं संस्वीकृति में शामिल हो।

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए संस्वीकृत राशि 145.58 करोड़ रु. है जिनमें 115.69 करोड़ रु. पहले से ही खर्च किए जा चुके हैं।

विवरण

संस्वीकृत विद्यालयों, भवन के निर्माण कार्य की संस्वीकृति तथा अपने भवनों में चल रहे विद्यालयों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	संस्वीकृत विद्यालय (3.2.2000 की स्थिति के अनुसार)	अपने भवनों में चल रहे विद्यालय (12/2000 की स्थिति के अनुसार)	अस्थायी स्थानों पर बिना भवनो के चल रहे विद्यालय
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2	1	1
2.	आंध्र प्रदेश	22	22	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	9	1	8
4.	असम	20	3	17
5.	बिहार #	48	24	24
6.	चण्डीगढ़	1	1	0
7.	दमन एवं दीव	2	2	0
8.	दादरा एवं नगर हवेली	1	1	0
9.	दिल्ली	2	2	0
10.	गोवा	2	0	2
11.	गुजरात	16	10	6
12.	हिमाचल प्रदेश	11	8	3
13.	हरियाणा	15	10	5
14.	जम्मू एवं कश्मीर	14	9	5
15.	कर्नाटक	23	20	3
16.	केरल	12	10	2
17.	लक्षद्वीप	1	0	1
18.	मध्य प्रदेश*	47	41	6
19.	महाराष्ट्र	29	23	6
20.	मणिपुर	8	7	1
21.	मेघालय	6	0	6
22.	मिजोरम	3	1	2
23.	नागालैंड	4	1	3
24.	उड़ीसा	16	11	5
25.	पांडिचेरी	4	3	1
26.	पंजाब	13	11	2
27.	राजस्थान	30	25	5
28.	सिक्किम	3	1	2
29.	त्रिपुरा	3	1	2
30.	उत्तर प्रदेश$	56	38	18
	कुल	423	287	136

#झारखंड सहित *छत्तीसगढ़ सहित $उत्तरांचल सहित

[हिन्दी]

बाल विकास परियोजनाएं

899. **श्री कुंवर अखिलेश सिंह:**
श्री टी. गोविन्दन:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास बच्चों के विकास हेतु मौजूदा परियोजनाएं कितनी हैं और उनके नाम क्या-क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में बच्चों के विकास के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई और उनके विकास पर खर्च की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी उपलब्धियां प्राप्त की गई; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के लिए प्रदत्त धनराशि के उचित प्रयोग हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम देश में 4348 परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-I पर दी गई है।

(ग) सूचना विवरण-II पर दी गई है।

(घ) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से मासिक और त्रैमासिक आधार पर राशि के उपयोग की नियमित रूप से मानीटरिंग करने का अनुरोध किया गया है। संशोधित दिशा-निर्देश एवं मानीटरिंग प्रपत्र राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है। उच्च स्तर पर, यहां तक कि मंत्री पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। विभाग ने नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्र अधिकारी भी नामित किये हैं।

विवरण-I

(रुपये लाखों में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विगत तीन वर्षों में राज्य सरकारों को प्रदान की गई राशि			विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा व्यय की गई राशि		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	3135.53	3185.12	5402.87	2807.35	5027.92	5396.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	406.52	660.57	817.00	528.13	630.56	681.19
3.	असम	1634.35	1911.71	2211.00	1657.72	2578.92	3296.53
4.	बिहार	1469.02	3691.13	4918.64	3960.00	3568.07	3791.99
5.	गोवा	188.76	326.48	284.13	253.77	268.66	282.21
6.	गुजरात	5312.40	4788.12	5370.21	4002.01	4980.97	4587.98
7.	हरियाणा	2203.65	2633.07	2754.12	2267.26	2815.99	2823.14
8.	हिमाचल प्रदेश	904.24	1045.40	1640.09	1086.45	1351.44	1428.67
9.	जम्मू व कश्मीर	511.86	1431.72	1963.00	1802.04	1481.25	2199.92
10.	कर्नाटक	5158.03	5709.83	5111.35	5768.69	5935.36	6424.15

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	केरल	2380.62	3120.80	2641.82	2045.74	2827.88	3288.67
12.	मध्य प्रदेश	4840.29	5131.48	4368.00	4205.73	5393.84	5783.16
13.	महाराष्ट्र	6925.69	6792.45	6584.73	6335.89	7316.95	9502.78
14.	मणिपुर	795.10	846.78	840.48	764.86	646.78	958.13
15.	मेघालय	524.81	350.60	535.00	409.72	530.49	531.80
16.	मिजोरम	413.11	542.12	535.66	438.08	535.79	535.66
17.	नागालैंड	543.85	1321.37	1245.00	906.18	1354.00	1245.00
18.	उड़ीसा	2158.13	6641.30	4042.97	2134.72	4609.42	5010.71
19.	पंजाब	1525.90	2382.58	2413.14	1988.23	2242.10	2583.91
20.	राजस्थान	3373.72	3512.19	4197.55	3734.91	4603.38	4443.53
21.	सिक्किम	63.29	241.96	129.75	83.61	155.87	130.26
22.	तमिलनाडु	2513.24	7297.05	10704.77	1449.30	7171.01	8822.42
23.	त्रिपुरा	447.67	463.68	646.06	418.06	507.42	603.38
24.	उत्तर प्रदेश	7401.73	7265.52	11349.00	6337.18	7669.84	8899.15
25	प. बंगाल	5151.28	6456.11	6088.00	5930.00	8728.47	8728.47
26.	दिल्ली	565.98	1248.18	818.42	633.05	1046.69	698.42
27.	पाण्डिचेरी	105.55	151.82	181.58	148.12	181.27	142.31
28.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	63.27	112.26	130.44	76.07	85.65	83.47
29.	चण्डीगढ़	95.77	77.71	78.29	57.68	77.71	78.29
30.	दादर नागर हवेली	21.88	28.60	26.83	27.81	28.60	29.25
31.	दमन एवं दीव	26.79	28.17	42.00	32.82	28.17	31.60
32.	लक्षद्वीप	8.82	25.20	25.69	16.87	26.30	26.48

विवरण-II

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99		1999-2000	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2262337	1546079	2262337	1546079	1695816	2069769
2.	अरुणाचल प्रदेश	99579	96758	99597	96758	150192	94709

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	757958	496507	757958	496507	837648	1007328
4.	बिहार	2498889	1839348	2498889	1839348	2320632	1839348
5.	गोवा	47770	37858	47770	42013	65664	39093
6.	गुजरात	1728193	1118545	1728193	1118545	1815768	1484046
7.	हरियाणा	1018240	1090241	1018240	1226520	718992	1227042
8.	हिमाचल प्रदेश	196009	185595	196009	185595	384624	228472
9.	जम्मू व कश्मीर	308520	226736	308520	226736	586584	197849
10.	कर्नाटक	2188040	2672440	2188040	2672440	3099541	2799430
11.	केरल	1153907	778204	1153907	778204	1017216	663358
12.	मध्य प्रदेश	2138843	2223061	2138843	2223061	2708784	2498273
13.	महाराष्ट्र	3672652	2321473	3672652	2321473	2629880	4298850
14.	मणिपुर	159642	58913	159642	58913	235944	95518
15.	मेघालय	100842	69173	100842	69173	131688	108621
16.	मिजोरम	73334	84286	73334	84286	72432	93695
17.	नागालैंड	157726	194302	157726	194302	113544	194302
18.	उड़ीसा	1877854	1621457	1877854	1621457	1533960	4476473
19.	पंजाब	335122	350501	335122	540786	719496	450944
20.	राजस्थान	1660771	1069050	1660771	1291000	1470600	925295
21.	सिक्किम	27632	17713	27632	17713	25560	28040
22.	तमिलनाडु	605371	547834	605371	547834	3018888	1779151
23.	त्रिपुरा	103697	84435	103697	84435	202320	145894
24.	उत्तर प्रदेश	4167094	2581820	4167094	4167000	3622176	4008130
25.	प. बंगाल	2310671	1568417	2310671	1568417	2463408	2598648
26.	दिल्ली	20417	18191	20417	18191	28440	27651
27.	पाण्डिचेरी	16759	17150	16759	17150	16200	27537
28.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	16329	16341	16329	16341	7488	16341
29.	चण्डीगढ़	375793	355834	375793	355834	210744	480896
30.	दादर नागर हवेली	18056	6724	18056	6724	4680	6724
31.	दमन एवं दीव	7902	4478	7902	4478	4032	4478
32.	लक्षद्वीप	52371	46158	52371	49390	48744	49277
	जोड़	30158338	23345622	30158338	25486703	31971685	33875182

[अनुवाद]

नकली स्टांप पेपर रैकेट

900. **श्रीमती श्यामा सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने बैंकों और कम्पनियों को करोड़ों रुपए के सरकारी नकली टिकट बेचने वाले गैर-सरकारी फर्मों के रैकेट का भंडाफोड़ किया है जैसाकि दिनांक 5 जनवरी, 2001 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस रैकेट की कार्यप्रणाली क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे अपराध रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां। दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच-पड़ताल से यह पता चला कि नकली और जाली टिकटें मुंबई की एक फर्म से प्राप्त की जा रहीं थीं और विभिन्न असंदेही एजेंसियों को बेची जाती थीं, जिन्हें काफी मात्रा में टिकटों की आवश्यकता थी।

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

(ङ) ऐसे अपराधों की रोकथाम हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, ऐसे अपराधों के बारे में पुलिस कार्मिकों को सुग्राही बनाना; मुद्रणालयों पर नजर रखना, और ऐसे अपराधों में संलिप्त होने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखना, शामिल है।

दिल्ली में साइबर अपराध

901. **डा. रमेश चंद तोमर:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने साइबर अपराधों को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000 और 2001 के दौरान आज तक राजधानी में पता चले साइबर अपराधों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या साइबर अपराधों में लिप्त अपराधियों का पता लगाया गया है और गिरफ्तार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो राजधानी में साइबर अपराध रोकने के लिए उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली पुलिस के चुनिन्दा अधिकारियों ने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद द्वारा आयोजित साइबर अपराध पर दो अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस प्रशिक्षण कालेज में 12 कैप्सूल पाठ्यक्रम चलाए गए जिनमें 99 अभियोजकों सहित 1142 पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया।

(ग) और (घ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 लागू होने के पश्चात् दिल्ली पुलिस ने फरवरी, 2001 में साइबर अपराध का एक मामला दर्ज किया जिसके सिलसिले में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

(ङ) दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों में साइबर अपराधों का पता लगाने और जांच-पड़ताल में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देना और अपराध के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए अधिकारियों के एक समर्पित दल की तैनाती शामिल है।

आदिवासियों का पलायन

902. **श्री अनन्त नायक:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में क्योझर जिले में जुआंग और भुयान जनजातियों के लोग काम की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें रोजगार प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इन जनजातीय ग्रामों में "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (घ) अपेक्षित सूचना उड़ीसा सरकार से एकत्र की जा रही है।

आतंकवादी हिंसा

903. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादियों द्वारा हाल ही में हिंसा की बढ़ती लहर के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो 2000 तथा 2001 के दौरान आज तक राज्य-वार मानव जीवन, सम्पति और सरकारी संस्थापनाओं विशेषकर सुरक्षा शिविरों का कुल कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या सरकार ने आतंकवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां। सरकार, सुरक्षा स्थिति से पूर्णत: अवगत है और जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के राज्यों, दोनों के सुरक्षा परिदृश्य की उच्चतम स्तरों सहित नियमित रूप से पुनरीक्षा करती है।

(ख) जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद/आतकवाद संबंधी हिंसा की घटनाओं में मरने वालों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं.	राज्य का नाम	मारे गए सुरक्षा कर्मी		मारे गए सिविलियन		मारे गए उग्रवादी/आतंकवादी	
		2000 में	14 फरवरी 2001 तक*	2000 में	14 फरवरी 2001 तक*	2000 में	14 फरवरी 2001 तक*
1.	जम्मू और कश्मीर*	482	58	762	124	1520	132
2.	असम	76	11	419	51	321	43
3.	नागालैंड	4	–	13	2	84	6
4.	मणिपुर	51	3	93	5	102	14
5.	त्रिपुरा	17	1	360	40	38	3
6.	मेघालय	7	4	7	–	15	3
7.	मिजोरम	7	–	4	–	1	–
8.	अरुणाचल प्रदेश	3	–	7	3	24	–
	कुल	647	7	1665	222	2105	201

*जम्मू और कश्मीर के आंकड़े 14 फरवरी, 2001 तक हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार, जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर अपनी बहु-आयामी रणनीति जारी रखे हुए है, जिसमें न केवल समुचित रूप से आतंकवाद से निपटना बल्कि आर्थिक विकास को तेज करने के लिए कदम उठाना और लोगों की वास्तविक शिकायतों को दूर करना भी शामिल है।

सरकार ने यह भी जता दिया है कि वह पूर्वोत्तर में किसी भी आतंकवादी गुट, जो हिंसा को त्याग देते हैं और भारतीय संविधान के दायरे में रहकर, वार्ता के लिए आगे आते हैं, से वार्ता करने को तैयार है। एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) और बी.एल.टी. वार्ता के लिए आगे आए हैं और इन दोनों के विरुद्ध, संघर्ष विराम/आपरेशन का आस्थगन फिलहाल लागू हैं।

जम्मू और कश्मीर में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए अपने प्रयासों के भाग के रूप में सरकार ने सुरक्षा बलों को रमजान के अति पवित्र महीने के दौरान जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध संघर्ष ऑपरेशन न चलाने के अनुदेश दिए हैं जिसे आगे मई 2001 के अंत तक बढ़ा दिया गया है। यह जम्मू और कश्मीर राज्य में लोगों को शांति के लिए लालसा के अनुरूप है। सरकार ने जम्मू और कश्मीर में हिंसा का मार्ग छोड़ने वाले सभी व्यक्तियों और ग्रुपों से बातचीत करने की इच्छा भी दोहराई है।

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन/मूल्य और गुणवत्ता

904. श्री जोरा सिंह मान:
श्री नवल किशोर राय:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उत्पादित औसत कोयला न तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का होता है और न ही यह मूल्य की दृष्टि से प्रतिस्पर्धात्मक होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या देश में उत्पादित कोयले का मूल्य आयातित कोयले से अधिक होता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो वर्ष 2000 के दौरान और अभी तक देश में और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले का औसत मूल्य क्या रहा और मूल्य में इस अंतर के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) भारतीय कोयले की गुणवत्ता, इसके भूगर्भीय स्रोत से संबद्ध अन्तर्निहित विशेषताओं के कारण अपेक्षाकृत निम्नकोटि की है। भारतीय कोयले की पिट हैड उत्पादन लागत विश्व में सबसे कम है। फिर भी घरेलू कोयले की सुपुर्दगी कीमत, कोलफील्ड से दूर-दराज के स्थानों पर कोयले की निम्न सकल कैलोरिफिक मान, उच्च फ्रेट प्रभार तथा दूसरे प्रभारों के कारण, उष्मामान की प्रति इकाई अधिक हो जाती है।

(घ) और (ङ) कोयला ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत आता है और कोयला मंत्रालय द्वारा कोयले का आयात मानिटर नहीं किया जाता है। उपभोक्ता, कोयले का विशेषकर कोककर कोयला और बढ़िया किस्म के अकोककर कोयले का, घरेलू स्रोतों से ऐसे कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण, आयात कर रहे हैं। कोयले का आयात इसलिए भी किया जाता है क्योंकि मौजूदा सीमा शुल्क और रेल भाड़ा ऐसे आयातों को कुछ स्थानों पर विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्रों में कैलोरीमान प्रति यूनिट लागत प्रतिस्पर्द्धी बनाते है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले का औसत मूल्य उपलब्ध नहीं है। कोल इंडिया लि. स्रोतों से उत्पादित स्वदेशी रन-आफ-माइ कोल (नॉन-लांग फ्लेम) का मूल्य निम्न प्रकार है:-

ग्रेड	मूल्य रेंज (रु. प्रति टन)	
	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि./ रानीगंज	महानदी कोलफील्ड्स लि
ए	1184	912
बी	1115	819
सी	939	674
डी	748	566
ई	524	445
एफ	417	351
जी	296	250

आधुनिक प्रौद्योगिकी युक्त अपराध-विज्ञान प्रयोगशालाएं

905. श्री रामपाल सिंह
डा. अशोक पटेल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान समय में अपराधियों की बदली हु कार्यविधियों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपराध की जांच कर वाली एजेंसियों और अपराध-विज्ञान प्रयोगशालाओं को आधुनि उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभाव है?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) ग्यारहवें वित्त आयोग ने पोलिग्राफ मशीन, नाईट विजिन डिवाइस, विस्फोटक डिटेक्टर, डीप रिसर्च माईन/मैटल डिटेक्टर, बम्ब ब्लैक्ट और बम्ब निपटान उपकरण आदि जैसे नवीनतम अधुनातम उपकरणों की खरीद के लिए राज्य पुलिस बलों को 79.16 करोड़ रुपए की राशि संस्तुत की है। आयोग ने वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद के लिए राज्य सरकार के अर्न्तगत प्रत्येक विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) के लिए 53 लाख रुपए और देश के 415 जिलों, जहां वर्तमान में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, में मोबाइल फोरेंसिक यूनिटें स्थापित करने के लिए 49.80 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। इसने 1.92 करोड़ रुपए की लागत से गोवा में एक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, प्रत्येक क्षेत्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 1.80 करोड़ रुपए की लागत से उड़ीसा (1) पंजाब (1) उत्तर प्रदेश (2) क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रावधान भी किया है। राज्य सरकारों से इस बारे में आगामी आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) में व्याप्त भ्रष्टाचार

906. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) और उसकी सहायक कंपनियों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में सेल और उसकी सहायक कंपनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध पाए गए भ्रष्टाचार के मामलों की श्रेणीवार संख्या क्या है; और

(ग) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) सेल के कर्मचारियों को मुख्यतया दो श्रेणियों में बांटा गया है अर्थात् श्रमिक तथा अन्य कर्मचारी अर्थात् कार्यपालक और लिपिक वर्गीय स्टाफ। श्रमिक संबंधित संयंत्रों/इकाइयों पर लागू स्थायी आदेश के दायरे में आते हैं। ये स्थायी औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 पर आधारित हैं तथा त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर के पश्चात् कार्यान्वित किए गए हैं। शेष कर्मचारी अर्थात् कार्यपालक तथा लिपिक वर्गीय स्टाफ सेल आचरण, अनुशासन तथा अपील नियमावली, 1977 (सीडीए) के दायरे में आते हैं जिसे लोक उद्यम विभाग द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परिचालित की गई मानक सीडीए नियमावली के आधार पर तैयार किया गया है।

(ख) जानकारी विवरण-I में दी गई है

(ग) अभ्यारोपित छोटी और बड़ी शक्तियों का ब्यौरा क्रमश: विवरण-II और III में दिया गया है।

विवरण-I

बोकारो इस्पात संयंत्र सहित सेल के संयंत्रों/इकाइयों में कर्मचारियों के खिलाफ शुरू किए भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या

	वित्तीय वर्ष 1997-98	वित्तीय वर्ष 1998-99	वित्तीय वर्ष 1999-2000
शुरू किए गए मामलों की संख्या			
बोकारो इस्पात संयंत्र	17	14	13
अन्य संयंत्र/इकाई	228	195	203
सहायक कम्पनियों सहित सेल के कुल मामले	243	209	216

विवरण-II

व्यक्तियों की संख्या जिन पर छोटी शास्ति अभ्यारोपित की गई

	वित्तीय वर्ष 1997-98	वित्तीय वर्ष 1998-99	वित्तीय वर्ष 1999-2000
1	2	3	4
छोटी शास्ति			
बोकारो इस्पात संयंत्र			
कार्यपालक	7	3	2
गैर-कार्यपालक	3	2	1
कुल	10	5	3
सहायक कंपनियों सहित अन्य संयंत्र/इकाइयां			
कार्यपालक	22	12	17
गैर-कार्यपालक	65	41	29
कुल	87	53	46

1	2	3	4
सहायक कम्पनियों सहित सेल का योग			
कार्यपालक	29	15	19
गैर-कार्यपालक	68	43	30
सकल योग (कार्यपालक+गैर कार्यपालक)	97	58	49

विवरण-III

व्यक्तियों की संख्या जिन पर बड़ी शास्ति अभ्यारोपित की गई

	वित्तीय वर्ष 1997-98	वित्तीय वर्ष 1998-99	वित्तीय वर्ष 1999-2000
बड़ी शास्ति			
बोकारो इस्पात संयंत्र			
कार्यपालक	5	1	शून्य
गैर-कार्यपालक	9	10	4
कुल	14	11	4
सहायक कम्पनियों सहित			
अन्य संयंत्र/इकाइयां			
कार्यपालक	26	17	10
गैर-कार्यपालक	147	140	109
कुल	173	157	119
सहायक कम्पनियों सहित			
सेल का योग			
कार्यपालक	31	18	10
गैर-कार्यपालक	156	150	113
सकल योग (कार्यपालक+गैर कार्यपालक)	187	168	123

[अनुवाद]

जाली शस्त्र लाइसेंस जारी करने वाला गिरोह

907. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने दिनांक 7 फरवरी, 2000 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार जाली शस्त्र लाइसेंस जारी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित जानकारी के संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) जाली शस्त्र लाइसेंस धारकों से बरामद किए गए अवैध शस्त्रों और गोला बारूदों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में लोगों को अवैध रूप से शस्त्र रखने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में दो व्यक्तियों से जाली शस्त्र लाइसेंस बरामद करने से दो अन्य मामले दर्ज किए गए, जिनके आधार पर कुल 32 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और 30 गन और 12 बौर के 134 कारतूस जब्त किए गए।

(घ) दिल्ली पुलिस द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों में, जिन व्यक्तियों के बारे में यह सन्देह है कि उनके पास बगैर लाइसेंस के अवैध शस्त्र हैं उनके संबंध में आसूचना एकत्र करना, इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त या जिनके बारे में संलिप्त होने का संदेह है उनकी गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखना और ऐसे अपराधों में संलिप्त अन्तर्राज्यीय गिरोहों की गतिविधियों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए पड़ोसी राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेन्सियों और अन्य आसूचना एजेन्सियों के बीच गहन सम्पर्क स्थापित करना शामिल है।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

908. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पर कोई आन्तरिक अध्ययन या समीक्षा कार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विशेष तौर पर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रभाव के संदर्भ में तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या इससे अपेक्षानुसार रोजगार सृजित नहीं हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इस योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार किस प्रकार सृजित किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। योजना का अध्ययन अथवा समीक्षा करना जल्दबाजी होगी क्योंकि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना अभी 1.4.1999 से ही शुरू की गई है।

(ग) से (ङ) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मुख्यत: ग्राम स्तरीय ढांचा सृजित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। परन्तु मजदूरी रोजगार इसका गौण उद्देश्य है। चूंकि इसमें स्तरीय ग्रामीण ढांचा के सृजन पर बल दिया जाता है इसलिए 60:40 के मजदूरी और सामग्री अनुपात को अब पुनर्गठित जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत शिथिल किया गया है और श्रमदिन सृजन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार पर विशेष जोर देने के उद्देश्य से यह मंत्रालय सुनिश्चित रोजगार योजना चला रही है।

केन्द्रीय विद्यालयों का निरीक्षण

909. **श्री के. येरननायडू:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों के निरीक्षण के लिए कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थानीय सांसदों को इस निरीक्षण कार्य में शामिल किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक विद्यालय की स्थानीय कार्यकारी समिति केन्द्रीय विद्यालय का निरीक्षण करती है। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक निरीक्षण क्षेत्र के सहायक आयुक्त/शिक्षा अधिकारियों तथा इस प्रयोजनार्थ गठित टीम द्वारा किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) क्योंकि ऐसे निरीक्षण स्कूलों की नैमितिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में होते हैं इसलिए इन निरीक्षणों में स्थानीय सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता।

कम लागत वाली स्वच्छता योजना

910. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कम लागत वाली स्वच्छता योजना को लागू करने के स्वच्छ और हरित प्रदेश (क्लीयर एंड ग्रीन) कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्र सरकार ने कितने शहरों के लिए कम लागत वाली स्वच्छता योजना को मंजूरी दी है और इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि हुई है;

(घ) क्या कुछ और शहरों को कम लागत वाली स्वच्छता योजना चरण-दो में शामिल किए जाने संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास मंजूरी हेतु अभी भी लंबित पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (च) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया था कि शहरी कस्बों में समग्र सफाई दशा सुधारने के लिए उन्होंने "सफाई और हरित कार्यक्रम" शुरू किया है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह भी सूचित किया था कि उन्होंने राज्य में सभी शहरी कस्बों में शहरी गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम (आई.एल.सी.एस.) कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। आवास एवं नगर विकास निगम (हडको) ने सूचित किया है कि इस मंत्रालय द्वारा हडको के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रवर्तित एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश के 110 कस्बों में स्कीमें स्वीकृत की गई हैं जिनमें 14598.32 लाख रुपए का हडको ऋण और 7330.76 लाख रुपए की भारत सरकार सब्सिडी शामिल है। इन 110 कस्बों की सूची विवरण-I में है।

आन्ध्र प्रदेश के 34 कस्बों को एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम के अन्तर्गत शामिल करने का प्रस्ताव आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया था जिसमें से 24 कस्बों को इस मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया। इन 24 कस्बों की सूची विवरण-II में है। शेष 10 कस्बों, जिनमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पहले स्कीम स्वीकृत की गई थी उनमें एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम स्वीकृत करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा ले लिया गया है। इन निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से टिप्पणियां मांगी गई हैं ताकि इन 10 कस्बों के लिए पहले स्वीकृत की गई स्कीमों के अन्तर्गत उस मंत्रालय द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार को जारी की गई सब्सिडी की वापसी का मुद्दा निपटाया जा सके। इन 10 कस्बों की सूची विवरण-III में है।

विवरण-I

आंध्र प्रदेश में एकीकृत कम लागत सफाई कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कस्बों की सूची

क्र.सं.	कस्बे का नाम	क्र.सं.	कस्बे का नाम
1	2	1	2
1.	अदिलाबाद	16.	चिराला
2.	अदोनी	17.	चित्तर
3.	अमालापुरम	18.	कुडप्पा
4.	अमुदलावलसा	19.	धरमवरम
5.	अनाकापाल्ले	20.	एलेरू
6.	अनंतपुरम	21.	मडवल
7.	बपातला	22.	गाजूवाका
8.	बेल्लामपल्ली	23.	गुडीवडा
9.	भेनसा	24.	गुडूर
10.	भीमावरम	25.	गुंटकल
11.	भीमुनिपटनम	26.	गुंटूर
12.	भोंगीर	27.	हिन्दूपुर
13.	बोबिली	28.	इच्छापुरम
14.	बोधन	29.	जगैयापेट
15.	चिलकालरीपेट	30.	जगट्याल
31.	जनगांव	59.	नरसरावपेट
32.	कादिरी	60.	नरायनपेट
33.	कागजनगर	61.	नरसापुरम
34.	काकीनड़ा	62.	नेल्लौर
35.	कामारेडी	63.	नेडाडगोल
36.	अंडूकुर	64.	निरमल
37.	करीमनगर	65.	निजामाबाद
38.	टावली	66.	बुजवेड
39.	खम्माम	67.	ओंगोल
40.	कोरतला	68.	कलकोल
41.	कोथागडेल	69.	पलसाकस्सीबुगा
42.	कोव्वूर	70.	पलवंछा
43.	करनूल	71.	पार्वतीपुरम
44.	एलबी नगर	72.	पेडाना
45.	मेछरियर	73.	पेडापुरम
46.	मेछरेला	74.	पीठापुरम
47.	मछलीपट्नम	75.	पोन्नूर
48.	मदनापल्लै	76.	पोरोडाटूर
49.	महबूबनगर	77.	पुंगनूर
50.	मल्कानगिरी	78.	कुतबुल्लापुर
51.	मनापेट	79.	राजामुनरी
52.	मंदामरी	80.	राजेन्द्र नगर
53.	मंगलागिरी	81.	रामचन्द्रपुरम
54.	मरकापुर	82.	रामगुंडम (एनएसी)
55.	मेंडक	83.	रायदुर्ग
56.	मिरयालगुडा	84.	रिपाल्ले
57.	नालगोंडा	85.	सदाशिवपेट
58.	नादयाल	86.	सेल्लूर
		87.	चमालकोट

88.	संगारेड्डी	100.	तेनाली
89.	सतेनपल्ली	101.	तिरुपती
90.	सरलिंगमपल्ली	102.	तुनी
91.	सिद्दीपेट	103.	उप्पलकला
92.	सिरसिला	104.	विजयवाड़ा
93.	सिरकाकुलम	105.	विकराबाद
94.	सूर्यपेट	106.	विजयनगरम
95.	सिरकलाहस्ती	107.	वनापारथी
96.	तोडीपतरी	108.	वारंगल
97.	तेंदुर	109.	येम्मीगनूर
98.	ताबुकू	110.	जहीराबाद
99.	तेंडापल्लीगुडम		

विवरण-II

समन्वय समिति द्वारा आंध्र प्रदेश में स्वीकृत कस्बों का नाम

1.	पार्वतीपुरम	13.	तेडाना
2.	समरलाकोटा	14.	तेन्नूर
3.	निदादबोल	15.	कन्नूर
4.	मरकापुर	16.	यममिगनूर
5.	कन्दुपुर	17.	वारंगल
6.	श्रीकलाहस्ती	18.	जलगांव
7.	पंगनूर	19.	जगतयाल
8.	पलवंछा	20.	सिदीपेट
9.	अमादलावलसा	21.	अदोनी
10.	राजामुंदरी	22.	बोबिली
11.	पीतापुरम	23.	मंडापेट
12.	येल्लेर	24.	रामागुंडम

विवरण-III

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कस्बों की सूची

1.	इच्छापुरम	6.	नासापुर
2.	राजाले	7.	कामारेड्डी
3.	रामचन्द्रपुरम	8.	बेल्लामपल्ली
4.	नरसरावपेट	9.	कोरकला
5.	गुडूर	10.	येल्लेन्दू

विज्ञान शिक्षा

911. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेजों और ऐसे कालेजों की संख्या क्या है जहां विज्ञान विषय विशेषतया भौतिकी, रसायन शास्त्र और इलैक्ट्रिानिकी की शिक्षा सुविधा नहीं है; और

(ख) क्या नौवीं योजना के अन्त तक देश के प्रत्येक डिग्री कॉलेज में विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार देश में विज्ञान शिक्षा प्रदान कर रहे डिग्री कालेजों की संख्या 6100 है और उन कालेजों की संख्या जहां विज्ञान विषय विशेषतया भौतिकी, रसायन विज्ञान और इलैक्ट्रानिकी की शिक्षा सुविधा नहीं है, 5278 है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डिग्री कालेजों में विज्ञान शिक्षा प्रारंभ करने के लिए अनुदान संस्वीकृत करने संबंधी प्रस्तावों पर समय-समय पर विचार करता है।

भूमि सुधार

912. **श्री अनंत गुढे:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों के साथ हुए सम्मेलन में भूमि सुधारों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जिस कार्यसूची पर चर्चा की गई, लिए गए निर्णयों और तैयार कार्ययोजना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) भूमिहीन परिवारों को राज्य-वार कितनी अतिरिक्त भूमि वितरित की गई/वितरित की जाने वाली है; और

(घ) विशेष रूप से देश के हिन्दी भाषी क्षेत्र में भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) भूमि सुधारों से संबंधित विभिन्न मामलों को सुलझाने के लिए किये जाने वाले उपायों के संबंध में एक राय तैयार करने तथा राज्यों के राजस्व मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में विचारार्थ विशिष्ट विषय तैयार करने को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व सचिवों को एक सम्मेलन 14.10.2000 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुआ था जिसमें भूमि सुधारों से संबंधित सभी पहलुओं के बारे में चर्चा की गई थी/गहराई से समीक्षा की गई थी। सम्मेलन में लिए गए मुख्य निर्णय विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) राज्य-वार फालतू घोषित की गई भूमि और कब्जे में ली गई भूमि तथा भूमिहीन गरीबों को वितरित की गई भूमि को दिखाने वाला विवरण-II में दिया गया है।

(घ) भूमि सुधारों के कारगर कार्यान्वयन के लिए और राज्यों के राजस्व मंत्रियों के आगामी राष्ट्रीय सम्मेलन में विचारार्थ विशिष्ट विषय तैयार करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व सचिवों के दिनांक 14.10.2000 को हुए सम्मेलन के दौरान की गई सिफारिशों में लिए गए निर्णयों को लागू करने को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने अपर सचिव (भूमि संसाधन) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तरीय कार्यबल का गठन किया है।

विवरण-I

राजस्व सचिवों के 14.10.2000 को हुए सम्मेलन में लिए गए मुख्य निर्णय

(i) समग्र देश में सभी किसानों को एकसमान पट्टा पासबुकें जारी की जाएं।

(ii) विपरीत काश्तकारी की प्रक्रिया को समाप्त किया जाना चाहिए।

(iii) काश्तकारों/बटाईदारों को अधिभोग अधिकार प्रदान करने के लिए "आपरेशन बर्गा" के अनुरूप विशेष अभियान चलाया जाए।

(iv) राज्य में धर्मार्थ न्यासों/धार्मिक/शैक्षिक/औद्योगिक संस्थाओं के नाम में भूमि जोतों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उन्हें दी गई छूटों की उस मात्रा और सीमा को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की जानी चाहिए जहां तक अभिप्रेत प्रयोजन पूरे हो रहे हों।

(v) बेनामी भूमि का पता लगाने की दृष्टि से काश्तकारों और बटाईदारों के संगठन बनाए जाने चाहिए ताकि बेनामी लेन-देन को रोकने में सहायता हेतु आवश्यक साक्ष्य देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए ग्राम सभाओं और स्वयंसेवी संगठनों संगठनों को सहयोजित किया जा सकता है।

(vi) भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण के कार्य में तेजी लायी जानी चाहिए और जनजातीय क्षेत्रों में इस कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(vii) भू-कर मानचित्रों के अंकीकरण का कार्य आधुनिक उपस्करों की सहायता के साथ आरंभ किया जाना चाहिए ताकि यथार्थता और विश्वसनीयता बनायी रखी जा सके।

(viii) जनजातीय लोगों तथा अन्य द्वारा कृषि की गई वन भूमि के संबंध में वन अधिकारियों द्वारा पट्टा वितरण का कार्य पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

(ix) राज्यों में न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों के शीघ्रता से निपटान के लिए विशेष पीठों की स्थापना करने हेतु उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया जाए।

(x) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि से जुड़े मामलों के संबंध में कार्रवाई करने हेतु राजस्व अधिकारियों को दंडाधिकारीय शक्तियां प्रदान की जाएं।

विवरण-II

अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण का राज्य-वार ब्यौरा

(एकड़ में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	फालतू घोषित की गई भूमि	कब्जे में ली गई भूमि	अलग-अलग लाभभोगियों को वितरित की गई भूमि	लाभभोगियों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	792762	640180	581568	534603
2.	असम	612500	575337	483951	444997
3.	बिहार	415447	390752	306964	379528
4.	गुजरात	227404	160190	139748	32174
5.	हरियाणा	107517	102534	102027	29203
6.	हिमाचल प्रदेश	316556	304895	4374	6365
7.	जम्मू और कश्मीर	455575	450000	450000	450000
8.	कर्नाटक	268478	161834	121070	32880
9.	केरल	139548	96253	66669	156568
10.	मध्य प्रदेश	298763	260323	186942	74705
11.	महाराष्ट्र	739206	670237	642002	140462
12.	मणिपुर	1830	1685	1682	1258
13.	उड़ीसा	178503	167143	156494	138599
14.	पंजाब	223115	105801	104199	28570
15.	राजस्थान	610676	568331	460879	81129
16.	तमिलनाडु	199729	190237	178801	141680
17.	त्रिपुरा	1995	1944	1598	1424
18.	उत्तर प्रदेश	374125	341464	258698	294062
19.	पश्चिम बंगाल	1372074	1283059	1042716	2536317
20.	दादर और नगर हवेली	9406	9305	6851	3353
21.	दिल्ली	1132	394	394	654
22.	पांडिचेरी	2326	1185	1046	1427
	योग	7348667	6483713	5298673	5509958

'रिक्ति आधारित रोस्टर' को लागू किया जाना

913. **श्री के.ए. सांगतम:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय और संबद्ध कार्यालयों के अन्तर्गत I, II, III और IV श्रेणियों/ग्रेडों की सेवा का श्रेणी/ग्रेड-वार ब्यौरा क्या है जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक पहुंच गया है और जिसके परिणामस्वरूप 'रिक्ति आधारित रोस्टर' के स्थान पर 'पद आधारित रोस्टर' की शुरूआत की गई है; और

(ख) उन श्रेणियों की सेवाओं में भी 'रिक्ति आधारित रोस्टर' के स्थान पर 'पद आधारित रोस्टर' लागू करने के क्या कारण हैं जिनमें उनका प्रतिनिधित्व आरक्षण प्रतिशत तक नहीं पहुंचता है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

[हिन्दी]

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में औद्योगिक दुर्घटनाएं

914. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा इनमें मारे गए लोगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दुर्घटनाओं के पीछे क्या कारण थे और इनमें कुल कितने जान-माल की क्षति हुई थी; और

(ग) जान माल की क्षति तथा ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 326 दुर्घटनाएं हुईं और 10 व्यक्ति मारे गए। क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 17,23,675 रुपए का भुगतान किया गया और इन दुर्घटनाओं के कारण 3.18 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। इन दुर्घटनाओं के कारण सर्पण और पात, इलैक्ट्रीकल फ्लैश ओवर, ऊंचाई से गिरना, चीजों से टकराना और रासायनिक आग आदि हैं।

(ग) कारणों का पता लगाने के लिए सभी दुर्घटनाओं की जांच की गई थी और सभी मामलों में आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त नियमित आधार पर किए जाने वाले कुछ उपचारात्मक उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) असुरक्षित स्थितियों और असुरक्षित प्रक्रियाओं का पता लगाने के लिए संयंत्रों का आवधिक रूप से निरीक्षण करना और सुधारात्मक उपाय करना।

(ii) सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(iii) संपूर्ण संयंत्र की वर्ष में एक बार बाह्य सुरक्षा लेखा परीक्षा और वर्ष में दो बार आंतरिक लेखा परीक्षा तथा आगे के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना।

(iv) सुरक्षा सप्ताह, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का आयोजन और क्रैश हैलमेट अभियान जैसे सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले कार्यकलाप।

(v) सुरक्षा सप्ताह, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का आयोजन और क्रैश हैलमेट अभियान जैसे सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले कार्यकलाप।

(vi) व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध प्रणालियों का कार्यान्वयन।

(vii) केन्द्रीय सुरक्षा समिति की आवधिक समीक्षा और आवश्यकतानुसार अनुवर्ती कार्रवाई।

(viii) विभागीय सुरक्षा समिति की बैठकें आवधिक रूप से आयोजित करना और आवश्यकतानुसार अनुवर्ती कार्रवाई करना।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए बॉन्ड जारी किया जाना

915. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए धन उगाही हेतु बाजार बांड जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में किन-किन प्रकार के बांड जारी किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) इस संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन कार्यक्रम (पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल प्रोग्राम)

916. श्री पी.आर. खुंटे: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन कार्यक्रम (पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल प्रोग्राम) चला रही है या चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) नामक कोई कार्यक्रम नहीं है और न ही ऐसे किसी कार्यक्रम को चलाने का मंत्रालय का प्रस्ताव है। सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन कुछेक सर्वेक्षणों तथा अध्ययनों में प्रयोग की जाने वाली एक पद्धति है।

सी.आई.एल. में रिक्त पद

917. श्री ब्रजमोहन राम: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों में अध्यक्ष और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के न होने के कारण इनके कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.), महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.) और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.) में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों (सी.एम.डी.) के पद रिक्त हैं। लोक उद्यम चयन बोर्ड ने इन रिक्तियों को भरने के लिए पैनल की सिफारिश की है। इनमें से, सी.आई.एल., बी.सी.सी.एल. और डब्ल्यू.सी.एल. में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव पहले ही सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए भेजा गया है। एम.सी.एल. में सी.एम.डी. के पद के संबंध में पैनल में शामिल अभ्यर्थी की केन्द्रीय सतर्कता आयोग से सतर्कता संबंधी अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही है।

इन कंपनियों के चुस्त एवं प्रभावी कार्यों को सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से, इन कंपनियों में नियमित सी.एम.डी. नियुक्त किए जाने तक, सी.एम.डी. के पदों के लिए अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

औषधि आयात के लिए पंजीकरण

918. डा. बलिराम: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्वभर में औषधियों के आयात के लिए उत्पाद और कंपनी-पंजीकरण की प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में सस्ती किस्म की औषधियों के प्रवाह को रोकने के लिए पंजीकरण की ऐसी प्रणाली लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) देश में आयात करने से पहले औषध पंजीकरण प्रणाली एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति रही है। सरकार ने ऐसी पद्धति का अनुसरण करने के लिए पहले ही एक प्रारूप अधिसूचना जारी की है। अंतिम अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी।

उर्वरक उद्योग

919. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उर्वरक उद्योग अप्रतिस्पर्द्धात्मक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उर्वरक उद्योग को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने तथा इसके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) यद्यपि भारतीय उर्वरक उद्योग ने अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता के मानक प्राप्त कर लिए हैं, फिर भी यह मूल्य प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, जिसका प्रमुख कारण हाइड्रोकार्बन फीडस्टाक और कच्चे माल/इनपुट की उच्च लागत है।

(ग) सरकार सम्पूर्ण देश में उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक उत्पादन क्षेत्र के निष्पादन की आवधिक समीक्षा करती है। तथापि, सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्रों में, सरकार ऊर्जा खपत मानको, राजस्व/पूंजी खर्च, परियोजना क्रियान्वयन विपणन लागत और वित्तीय निष्पादन इत्यादि जैसे विभिन्न मानदण्डों के अनुसार उनके सम्पूर्ण प्रचालन एवं वित्तीय निष्पादन का मानीटर भी करती है। इसके अलावा, सरकार नयी मूल्य निर्धारण नीति को तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य लागत कम करने के उपाय करने तथा अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए यूरिया एककों को प्रोत्साहित करना है।

[हिन्दी]

नर्मदा घाटी में भूकंप

920. **मोहम्मद शहाबुद्दीन:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान गुजरात में आए भूकंप के ठीक पहले नर्मदा घाटी में भू-वैज्ञानिक बदलाव के आधार पर संभावित महाविनाशकारी भूकंप के संबंध में भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा दी गई चेतावनी की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र में यह भूवैज्ञानिक परिवर्तन असामान्य-सा हो गया है जो एक चिंता का विषय है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वैज्ञानिकों ने देश को पांच भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में बांटा है जिनमें मध्य प्रदेश के जबलपुर को गुजरात के बाद स्थान दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा'): (क) से (ग) महोदय, नर्मदा घाटी में भू-वैज्ञानिक बदलाव के आधार पर संभावित भूकंप के बारे में भू-वैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। नर्मदा घाटी में गुजरात में 26 जनवरी, 2001 को आए भूकंप के पहले या बाद में कोई भू-वैज्ञानिक परिवर्तन देखने में नहीं आया है।

(घ) और (ङ) भारतीय मानक ब्यूरो (आई.एम: 1893-1984) के अनुसार देश को पांच भूकम्पीय क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, क्षेत्र-V भूकम्पीय दृष्टिकोण से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है, जबकि क्षेत्र-I कम सक्रिय है। कच्छ का रन क्षेत्र, क्षेत्र-V में आता है जबकि मध्य प्रदेश का जबलपुर क्षेत्र-III में आता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भोपाल और बिलासपुर में इस क्षेत्र की भूकम्पीय गतिविधि को मानीटर करने के लिए अधुनातन डिजिटल सिस्मोग्राफ्स से सज्जित दो भूकंप वैज्ञानिक वेधशालाएं स्थापित की गई हैं। उपर्युक्त के अलावा, जी.एस.आई. द्वारा भी जबलपुर में एक अद्युनातन भूकम्प वैज्ञानिक वेधशाला का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खण्डवा क्षेत्र में एक भूकम्पीय दूरमीतिक क्लस्टर की भी योजना है। नर्मदा नदी घाटी विकास प्राधिकार एवं अन्य संगठनों द्वारा इस क्षेत्र में 14 भूकंपीय केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इन वेधशालाओं के आंकड़े भूकम्पीय गतिविधि को मानीटर करने तथा भूकम्परोधी निर्माण कार्यों की डिजाइन तैयार करने में सहायक है। जबलपुर क्षेत्र का माइक्रोजोनेशन अध्ययन कार्य भी शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यचर्या का उन्नयन

921. **श्री कोलूर बसवनागौड:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियंत्रण में राज्यवार कितने विश्वविद्यालय हैं;

(ख) क्या यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को यूजीसी मॉडल पाठ्यचर्या को अपनाकर उनकी पाठ्यचर्या को अद्यतन करने का निर्देश दिया है;

(ग) यदि हां, तो देश में, राज्यवार विशेषकर कर्नाटक में, वे कौन-कौन से विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने अपनी पाठ्यचर्या को अद्यतन करने के लिए पहले ही कार्यवाही कर ली है; और

(घ) शेष विश्वविद्यालयों के खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालय संस्थाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पाठ्यचर्या विकास समितियों के माध्यम से पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों के 32 विषयों में पाठ्यचर्या स्तरोन्नयन/नई पाठ्यचर्या विकास का काम हाथ में लिया है। समितियों की रिपोर्टें सभी विश्वविद्यालयों को मार्गदर्शन/अपनाये जाने के लिए परिचालित की जाएंगी।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुझाई गई पाठ्यचर्या सभी विश्वविद्यालयों को इस अनुरोध के साथ परिचालित की जाएगी कि वे समय-समय पर अपनी पाठ्यचर्या को अद्यतन बनाएं।

विवरण

देश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों तथा सम विश्वविद्यालय संस्थाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	16
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	5
4.	बिहार और झारखण्ड	15
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	10
7.	हरियाणा	4
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	जम्मू और कश्मीर	3
10.	कर्नाटक	13
11.	केरल	7
12.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	17
13.	महाराष्ट्र	17
14.	मणिपुर	1
15.	मेघालय	1
16.	नागालैंड	1
17.	उड़ीसा	8
18.	पंजाब	5
19.	राजस्थान	6
20.	सिक्किम	1
21.	तमिलनाडु	15
22.	त्रिपुरा	1
23.	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	21
24.	पश्चिम बंगाल	11
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5
26.	पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	1

क्र.सं.	राज्य	सम विश्वविद्यालय संस्थाओं की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	झारखंड	2
3.	गुजरात	1
4.	हरियाणा	1
5.	कर्नाटक	3
6.	मध्य प्रदेश	1
7.	महाराष्ट्र	9
8.	पंजाब	1
9.	राजस्थान	4
10.	तमिलनाडु	5
11.	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	5
12.	पश्चिम बंगाल	1
13.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	6

रिक्ति आधारित रोस्टर

922. **श्री रमेश सी. जीगाजीनागी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गृह मंत्रालय और इसके नियंत्रण वाले सभी सांविधिक/स्वायत्त/संबद्ध/अवर संगठनों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी/ग्रेड की सेवाएं कितनी हैं जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों का अभ्यावेदन आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता तक पहुंच गया है और जिसके कारण रिक्ति आधारित रोस्टर के स्थान पर पद आधारित रोस्टर लागू किया गया है; और

(ख) उन सेवाओं में भी रिक्ति आधारित रोस्टर की जगह पद आधारित रोस्टर लागू किए जाने के क्या कारण हैं, जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों का अभ्यावेदन आरक्षण की प्रतिशतता तक नहीं पहुंच पाया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई इस व्यवस्था के अनुसरण में कि आरक्षण पदों के संदर्भ में होना चाहिए न कि रिक्तियों के संबंध में, सरकार ने केन्द्र सरकार के अधीन पदों के संबंध में पद-आधारित रोस्टर प्रारम्भ करने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसी कोई पूर्व-शर्त नहीं है कि पद आधारित रोस्टर प्रारम्भ करने से पहले रिक्ति-आधारित रोस्टर के आधार पर, आरक्षण के लिए निर्धारित प्रतिशतता पूरी हो जानी चाहिए। पद-आधारित रोस्टर यह सुनिश्चित करने का एक तंत्र है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित सिद्धान्तों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों को आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक पदों का उचित हिस्सा मिले। गृह मंत्रालय और इसके अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों में इन अनुदेशों का पालन किया जा रहा है।

फैक्ट (एफएसीटी) संयंत्र में जल का अभाव

923. **श्री जार्ज ईडन:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फैक्ट (एफएसीटी) का कोचीन डिवीजन अपने संयंत्रों में जलाभाव की समस्या का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जलाभाव की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदण उठाए गए हैं।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां?

(ख) फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) को जल की आपूर्ति खुली नहरों के द्वारा पेरियार वैली एरिगेशन प्रोजेक्ट के भूथाथंकेटू बराज से की जाती है। मुख्यत: कमजोर उत्तर पश्चिमी मानसून, केनाल की खराब होती है स्थिति एवं भूथाथंकेटू शटरों के भारी रिसाव के कारण फैक्ट अक्टूबर 2000 से जल की समुचित आपूर्ति प्राप्त नहीं कर रहा है।

(ग) केरल सरकार द्वारा फैक्ट को भूथाथंकेटू के शटरों के रिसाव को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करने की अनुमति के पश्चात फैक्ट ने रिसावग्रस्त शटरों को ठीक करने का कार्य प्रारम्भ किया है।

[हिन्दी]

पंचायती राज संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतें

924. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में बड़े पैमाने पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि में मध्य प्रदेश में कितने सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है;

(घ) क्या इन शिकायतों के निवारण हेतु सरकार के पास कोई कार्य-योजना विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (च) जी, हां। राज्य तथा केन्द्र स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निष्पादित कार्यों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। चूंकि पंचायती राज्यों का विषय है, इसलिए केन्द्र स्तर पर ऐसी शिकायतों की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। परंतु मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त शिकायतें संबंधित राज्य सरकार को उनके मौजूदा पंचायती राज अधिनियम तथा अन्य संबद्ध कानूनों तथा नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु भेजी जाती है। केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों से अनुरोध करती रही है कि ग्राम सभा को अधिकार सम्पन्न बनाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें, लोगों को सूचना अधिकार दिए जाए तथा उन्हें पंचायती राज्य संस्थाओं द्वारा निष्पादित कार्यों के रिकार्ड उपलब्ध कराए जाएं। हाल ही में एक व्यापक दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया है—जैसे कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों के संबंध में सार्वजनिक जागरूकता, पारदर्शिता, कार्यों के कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी तथा ग्राम सभा द्वारा लेखा परीक्षा। इसके अलावा इस मंत्रालय की सभी ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी तथा सर्वेक्षण करने के लिए सतर्कता एवं निगरानी समितियां हैं।

[अनुवाद]

नोरड योजना

925. श्री किरीट सोमैया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं को नार्वेजियन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (नोरड) की सहायता से प्रशिक्षण रोजगार और उत्पादन केन्द्र (नोरड) योजना के अंतर्गत नवीन कार्यकुशलता से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर महाराष्ट्र में इस योजना को अधिक प्रभावी रूप से लागू करने और इस योजना के अंतर्गत और अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) नोरड स्कीम के अन्तर्गत, पिछले तीन वर्षों में महिला लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) स्कीम के कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:

(i) राज्य सरकारों/महिला विकास निगमों/स्वैच्छिक संगठनों को अधिक व्यावहारिक स्कीमें भेजने के लिए प्रेरित किया जाता है।

(ii) प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम और न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की गई हैं।

(iii) स्कीमों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा की जा रही है और स्वतंत्र संगठनों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान नोरड स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित महिलाओं की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या		
		1998-99	1999-2000	2000-2001 (23.1.2001 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1950	6980	1920
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	260	170	280
4.	बिहार	160	100	50
5.	चण्डीगढ़ प्रशासन	60	100	–
6.	दिल्ली	3720	–	1550
7.	गोवा	–	–	–
8.	गुजरात	2300	210	300
9.	हरियाणा	590	800	580
10.	हिमाचल प्रदेश	120	400	–
11.	जम्मू व कश्मीर	1830	190	170
12.	केरल	400	120	960
13.	कर्नाटक	240	150	1740
14.	महाराष्ट्र	280	1060	1510
15.	मध्य प्रदेश	190	1440	1580
16.	मणिपुर	25	510	1190
17.	मेघालय	–	–	–
18.	नागालैण्ड	–	–	150
19.	उड़ीसा	1230	1040	1650
20.	पंजाब	1480	210	2220
21.	राजस्थान	350	840	240

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	560	120	190
23.	त्रिपुरा	–	–	50
24.	उत्तर प्रदेश	2230	3460	2950
25.	पश्चिम बंगाल	400	780	855
	जोड़	18215	18680	20135

[हिन्दी]

काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर

926. **श्री रामदास आठवले:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि "स्टेट काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर" महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में विशेषकर जनजातीय और दलित लोगों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रही है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी/कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) राज्य बाल कल्याण परिषदें महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में सरकार की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों, जैसे आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम केन्द्र तथा शिशुगृह कार्यक्रम केन्द्र का कार्यान्वयन कर रही हैं। सरकार को इस संबंध में राज्य परिषदों के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) उक्त को दृष्टिगत रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

देश में मलिन बस्तियों का विकास

927. **श्री एस.पी. लेपचा:** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितनी मलिन बस्तियां हैं; और

(ख) हडको ने कितनी मलिन बस्तियों का विकास किया है और गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टीसीपीओ) ने 1995-96 में स्लमों पर एक अध्ययन किया था और "भारतीय स्लमों का संकलन-1996" शीर्षक से एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की स्लम आबादी की पहचान/अनुमान दिया गया है। राज्य-वार अभिज्ञात/अनुमानित स्लम आबादी का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) हडको द्वारा यथासूचित पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में सुधारे गए स्लमों की संख्या तथा इस प्रयोजन के लिए दी गई वित्तीय सहायता राज्यवार विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

राज्य-वार अभिज्ञात/अनुमानित स्लम आबादी

(आबादी लाख में)

क्र.सं.	राज्य/के.शा.प्र.	1981			1991		
		शहरी आबादी	अभि.स्ल.आबा.	प्रतिशत	शहरी आबादी	अनु.स्ल.आबा.	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	124.876	28.579	22.9	178.871	43.133*	24.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.414	–	–	1.106	0.221	20.0

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	17.824	1.236	6.9	24.878	4.483+	18.0
4.	बिहार	87.190	32.699	37.5	113.530	26.906	23.7
5.	गोवा	3.518	0.242	6.9	4.798	0.833	17.4
6.	गुजरात	106.017	15.316	14.5	142.461	25.814*	18.1
7.	हरियाणा	28.274	2.742	9.7	40.547	6.843*	16.9
8.	हिमाचल प्रदेश	3.260	0.761	23.3	4.492	1.258+	28.0
9.	जम्मू कश्मीर	12.604	6.270	49.7	18.394	5.922	32.2
10.	कर्नाटक	107.296	5.745	5.4	139.078	12.934	9.3
11.	केरल	47.713	4.101	8.6	76.303	12.218	15.9
12.	मध्य प्रदेश	105.865	10.749	10.2	153.388	21.029	13.7
13.	महाराष्ट्र	219.936	43.149	19.6	305.416	78.724	25.8
14.	मणिपुर	3.755	0.165	4.4	5.056	0.853	16.9
15.	मेघालय	2.413	0.660	27.4	3.300	0.833+	25.2
16.	मिजोरम	1.218	लागू नहीं	-	3.179	0.572	18.0
17.	नागालैंड	1.202	लागू नहीं	-	2.082	0.416	20.0
18.	उड़ीसा	31.103	2.820	9.1	42.350	8.432*	19.9
19.	पंजाब	46.478	11.868	25.1	59.932	14.144*	23.6
20.	राजस्थान	72.105	10.252	14.2	100.671	24.000+	23.8
21.	सिक्किम	0.511	0.024	4.7	0.370	0.095+	25.7
22.	तमिलनाडु	159.519	26.760	16.8	190.776	35.713*	18.7
23.	त्रिपुरा	2.256	0.184	8.2	4.217	0.744*	17.6
24.	उत्तर प्रदेश	198.991	25.800	13.0	276.059	58.391*	21.1
25.	पश्चिम बंगाल	144.467	30.280	21.0	187.076	51.949	27.8
	कुल राज्य	1528.805	260.202	17.0	2078.830	436.460	21.0

राज्यवार अभिज्ञात/अनुमानित स्लम आबादी
2001

(आबादी लाख में)

1	2	शहरी स्लम आबादी 3	अनुमानित स्लम आबादी 4
1.	आन्ध्र प्रदेश	249.654	60.166
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.879	0.375
3.	असम	32.367	5.826
4.	बिहार	149.556	35.444
5.	गोवा	6.559	1.141
6.	गुजरात	189.993	34.388
7.	हरियाणा	59.572	10.067
8.	हिमाचल प्रदेश	5.765	1.614
9.	जम्मू कश्मीर	24.173	7.783
10.	कर्नाटक	190.989	17.761
11.	केरल	103.774	16.452
12.	मध्य प्रदेश	204.050	27.954
13.	महाराष्ट्र	416.155	117.367
14.	मणिपुर	6.702	1.132
15.	मेघालय	4.608	1.161
16.	मिजोरम	6.424	1.156
17.	नागालैंड	3.049	0.609
18.	उड़ीसा	56.320	11.207
19.	पंजाब	80.241	18.936
20.	राजस्थान	137.193	32.651
21.	सिक्किम	0.479	0.123
22.	तमिलनाडु	233.080	43.585
23.	त्रिपुरा	5.078	0.893
24.	उत्तर प्रदेश	365.397	77.098
25.	पश्चिम बंगाल	236.620	65.780
	कुल राज्य	2769.377	580.669

राज्यवार अभिज्ञात/अनुमानित स्लम आबादी

(आबादी लाख में)

क्र.सं.	के.शा. प्रदेश	1981			1991			2001	
		श. आबादी	अभि. स्लम आबादी	प्रतिशत	शहरी आबादी	अनु. स्लम आबादी	प्रतिशत	शहरी आबादी	अनु. स्लम आबादी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.496	–	–	0.750	0.349+	46.5	1.102	0.512
27.	चण्डीगढ़	4.228	–	–	5.758	1.612	28.0	7.618	2.133
28.	दादरा नागर हवेली	0.069	–	–	0.117	0.023	19.7	0.199	0.039
29.	दमन दीव**	–	–	–	0.475	0.095	20.0	0.698	0.139
30.	दिल्ली	57.682	18.000	31.2	84.716	22.480+	26.5	122.891	32.566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	लक्षद्वीप	0.186	–	–	0.291	0.058+	19.9	0.362	0.072
32.	पाण्डिचेरी	31.60	0.942	29.8	5.170	1.531	29.6	7.190	2.128
	कुल	65.821	18.942	28.8	97.277	26.148	26.9	140.060	27.589
	सकल योग	1594.626	279.144	17.5	2176.107	462.608	21.3	2909.437	618.258

नोट: + अनुमानित स्लम आबादी के आंकड़े संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा (पूरे राज्य के लिए) दिए गए हैं।

* स्लम आबादी अनुमान राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों से वर्ष 1991 के लिए प्राप्त (श्रेणी-I व श्रेणी-II शहरों/कस्बों के लिए) सूचना पर आधारित है।

** 1981 के आंकड़े पहले ही गोवा में शामिल किए गए हैं।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान हडको द्वारा सुधारे गए स्लमों की संख्या

1997-98

राज्य का नाम	स्कीमों की संख्या	परि. लागत करोड़ रु. में	ऋण राशि करोड़ रु. में	रिहा. यूनिटों की संख्या	बेड की संख्या	जारी राशि करोड़ रु. में
आन्ध्र प्रदेश	3	10.73	7.36	2944	0	5.44
छत्तीसगढ़	1	0.31	0.28	314	0	0.14
गुजरात	2	3.81	3.31	21959	0	3.11
कर्नाटक	6	1.86	1.47	295	0	1.26
तमिलनाडु	13	27.49	19.80	2441	0	4.88
कुल	25	44.20	32.22	27953	0	14.82

1998-99

राज्य का नाम	स्कीमों की संख्या	परि. लागत करोड़ रु. में	ऋण राशि करोड़ रु. में	रिहा. यूनिटों की संख्या	बेड की संख्या	जारी राशि करोड़ रु. में
आन्ध्र प्रदेश	1	1.19	0.99	396	0	0.75
कर्नाटक	11	8.69	7.28	3265	0	3.83
महाराष्ट्र	1	105.67	60.00	2803	0	30.00
तमिलनाडु	7	19.02	13.81	1372	0	1.86
कुल	20	134.57	82.07	7836	0	36.43

1999-2000

राज्य का नाम	स्कीमों की संख्या	परि. लागत करोड़ रु. में	ऋण राशि करोड़ रु. में	रिहा. यूनिटों की संख्या	बेड की संख्या	जारी राशि करोड़ रु. में
कर्नाटक	33	15.57	12.27	2089	0	0
मध्य प्रदेश	3	0.75	0.29	0	216	0.06
तमिलनाडु	4	45.26	40.43	26450	0	3.85
कुल	40	61.58	52.99	28539	216	3.91

भारतीय रिजर्व बटालियन

928. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार/संघ-राज्य क्षेत्रवार कितनी भारतीय रिजर्व बटालियनें हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अतिरिक्त बटालियनों को गठित करने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) केन्द्र सरकार ने आज की तिथि तक कितने प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं;

(घ) विभिन्न राज्य सरकारों की अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बटालियनें गठित करने संबंधी कितने आवेदन लंबित पड़े हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन आवेदनों को कब तक स्वीकार कर लिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त मांगों और सुरक्षा परिदृश्य के मूल्यांकन के आधार पर, इस मंत्रालय ने इंडिया रिजर्व बटालियनों की आवश्यकता का आंकलन किया और आज तक कुल 45 बटालियनों स्वीकृत की हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण के अनुसार हैं।

(घ) और (ङ) इंडिया रिजर्व बैंक बटालियनों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की भावी मांग और सम्भावित सुरक्षा परिदृश्य के आधार पर किए गए मूल्यांकन के अनुसार, सरकार ने अगले चार वर्षों के दौरान, चरणों में, 40 और इंडिया रिजर्व बटालियनें स्वीकृत करने की योजना बनाई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्वीकृत इंडिया रिजर्व बटालियनों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	4
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	2
4.	असम	4
5.	बिहार	2
6.	चंडीगढ़	–
7.	छत्तीसगढ़	1
8.	दिल्ली	–
9.	दादरा और नागर हवेली	1/2
10.	दमन और दीव	–
11.	गुजरात	–
12.	गोवा	–
13.	हिमाचल प्रदेश	2
14.	हरियाणा	–
15.	झारखंड	1
16.	जम्मू और कश्मीर	6
17.	कर्नाटक	–
18.	केरल	–

1	2	3
19.	लक्षद्वीप	1/2
20.	मध्य प्रदेश	–
21.	महाराष्ट्र	–
22.	मणिपुर	3
23.	मिजोरम	2
24.	मेघालय	1
25.	नागालैण्ड	1
26.	उड़ीसा	1
27.	पंजाब	6
28.	पांडिचेरी	–
29.	राजस्थान	2
30.	सिक्किम	1
31.	तमिलनाडु	2
32.	त्रिपुरा	3
33.	उत्तर प्रदेश	–
34.	पश्चिम बंगाल	–
	कुल	45

[हिन्दी]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन के लिए निर्धारित की गयी धनराशि

929. प्रो. रासासिंह रावत: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा शहरी विकास और गरीबी उपशमन कार्यक्रम के लिए योजनावार और राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित और स्वीकृत धनराशि में से योजना-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) कार्यान्वित की गयी योजनाओं की योजनावार और राज्यवार उपलब्धियां क्या रही;

(घ) केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष के दौरान शहरी विकास और गरीबी उपशमन के लिए योजनावार और राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की;

(ङ) क्या विश्व बैंक एशियाई बैंक अंतर्राष्ट्रीय कोष जैसी विदेशी संस्थाओं से अथवा अन्य स्रोतों से धन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो यह किन नियमों और शर्तों पर प्राप्त हुआ/ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

फार्म हाउसिज

930. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** फार्म हाउसिज के बारे में 14.12.1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2227 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) द्वारा अनुमति प्राप्त सीमा से अधिक निर्माण करने के लिए 869 फार्म हाउसों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) अधिनियम के अनुसार उक्त फार्म हाउसों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) ने डी.एल.आर. अधिनियम, 1954 की धारा 81 के अन्तर्गत कार्यवाई आरंभ करने के लिए इन फार्म हाउसों की सूची पंचायत/राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार को भेज दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन फार्म हाउसों की संख्या कितनी है और गांवों के नाम क्या हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 7.8.2000 को अधिसूचना के तहत 23 जुलाई, 1998 की अधिसूचना से पूर्व मौजूद फार्म हाउसों के लिए योजना और विकास नियंत्रण मानदण्ड अधिसूचित किए हैं। इसके बाद दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में मंजूर और निर्मित फार्म हाउसों की संख्या पर एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। दिल्ली नगर निगम के अनुसार दिल्ली में 1886 फार्म हाउस मंजूर किए गए हैं जिनमें से 616 दिल्ली विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में हैं। दिल्ली नगर निगम ने 22.2.2001 तक 229 सम्पत्तियों का विस्तृत सर्वेक्षण किया है जिनमें 144 सम्पत्तियों में अनधिकृत निर्माण का पता चला है। 18 सम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 1.2.2001 की स्थिति अनुसार उसके क्षेत्र की 616 सम्पत्तियों में से 61 सम्पत्तियों का सर्वेक्षण किया गया था। इनमें से 40 सम्पत्तियों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण हेतु नियमों और अधिनियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

फार्म हाऊसों में अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने 21.8.2000 को शहरी विकास मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो सूचना एकत्र करने और उन पर कार्रवाई की निगरानी कर रही है। मंत्रालय ने दिल्ली में सभी अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमणों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए दिल्ली में सभी स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों को 28.8.2000 को व्यापक अनुदेश भी जारी किए हैं।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्थायी निकायों को अधिकार

931. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों के स्थानीय निकायों के कार्यकरण की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को अभी तक इस संबंध में अधिकार प्रदत्त नहीं किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने और पंचायती राज प्रणाली को सुचारू बनाने हेतु राज्य सरकारों को निदेश जारी किए हैं अथवा जारी करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) यद्यपि स्थानीय निकाय राज्यों का विषय है, फिर भी संविधान के 73वें संशोधन के पारित होने के बाद, केंद्र सरकार स्थानीय निकायों के कार्यों की समीक्षा करती रही है। अब, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इन निकायों को अधिकार सौंपने के कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया गया है ताकि उन्हें स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनानया जा सके। स्थानीय निकायों को अधिकार सौंपने का मुद्दा लगातार चलने वाला प्रक्रिया है। 73वें तथा 74वें संविधान संशोधनों के कानून बनने के बाद राज्यों ने स्थानीय निकायों को अलग-अलग रूप में वित्तीय तथा कार्यकारी अधिकार सौंप दिए हैं।

(ङ) और (च) केंद्र सरकार उच्च स्तरीय बैठकों तथा मुख्य मंत्रियों, राज्य मंत्रियों एवं पंचायती राज के प्रभारी राज्य सचिवों के साथ पत्राचार के जरिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध करती रही है कि वे पंचायतों को और अधिक अधिकार सौंपे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पंचायतों को पर्याप्त अधिकार सौंपने का अनुरोध किया गया है ताकि उन्हें स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाया जा सके और पंचायतों के कार्यों में जवाबदेही तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा को सुदृढ़ बनाया जा सके। हम अधिकार सौंपने के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों तथा पंचायती राज मंत्रियों की एक बैठक बुलाने पर विचार कर रहे हैं।

महासागर ताप ऊर्जा संयंत्र

932. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:**
डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई महासागर ताप ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र कहां स्थित है और इसकी लागत और क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ और फ्लोटिंग महासागर ताप ऊर्जा संरक्षण संयंत्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त संयंत्र कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है; और

(च) इस उद्देश्य के लिए कितना धन निर्धारित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (च) सरकार ने चेन्नै स्थित राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिक संस्थान के माध्यम से 35.25 करोड़ रुपए की लागत से जय विज्ञान मिशन कार्यक्रम के रूप में 1 मैगावाट का प्लावी समुद्री ताप ऊर्जा अंतरण प्रायोगिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना के कार्यान्वयन को शुरू किया है। इस संयंत्र का स्थल तूतीकोरिन के 60 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है।

2. सरकार ने अभी तक किसी स्थान पर समुद्री ताप ऊर्जा अंतरण संयंत्र स्थापित नहीं किया है। सरकार की तत्काल किसी समुद्री ताप ऊर्जा अंतरण संयंत्र स्थापित करने की योजना नहीं है। सरकार के भावी कदम प्रायोगिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना के परिणाम पर निर्भर करेंगे।

[हिन्दी]

भूकंप रोधी तकनीक का उपयोग

933. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भवनों के निर्माण के लिए भूकंप रोधी तकनीक को अनिवार्य घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो देश के कौन-कौन से भागों में इस प्रावधान को अनिवार्य घोषित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार घटिया भवन सांग्री पर प्रतिबंध लगाने और 'क' श्रेणी की भवन सामग्री के उपयोग को अनिवार्य घोषित करने का भी है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सलाह दी है कि भूकम्प-रोधी तकनॉलाजी को सभी भवन-विनियमनों का अनिवार्य अंग बनाया जाए।

(ख) इन प्रावधानों को अनिवार्य बनाए जाने के लिए सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को पहले ही सलाह दी जा चुकी है।

(ग) और (घ) चूंकि आवास राज्य का विषय है, भवन निर्माण के लिए भवन सामग्री के बारे में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों एवं मानकों का पालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा की जानी होती है। तथापि, केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को भारतीय मानक ब्यूरो के विनियमनों का निष्ठापूर्वक पालन करने की सलाह दी है।

मदरसा बोर्ड और वक्फ़ परिषद्

934. **श्री थावरचन्द गेहलोत:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने, 1998-99 और 2000-2001 के दौरान अल्पसंख्यक-समुदाय के सहायतार्थ मदरसा बोर्ड और वक्फ़ परिषद् के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान दी गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इस धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों, मदरसा बोर्डों तथा वक्फ़ परिषदों को धनराशि उपलब्ध कराती है। मदरसा बोर्डों तथा वक्फ़ परिषदों को संबंधित अवधियों में जारी की गई धनराशि का विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

1. स्वैच्छिक अरबी, फारसी और उर्दू संगठनों को अनुदान सहायता की योजना के अंतर्गत मदरसा बोर्ड तथा वक्फ़ परिषद् के माध्यम से वर्ष 1998-99 तथा 2000-2001 के दौरान राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद् द्वारा निम्नलिखित निधियां प्रदान की गई हैं:-

राज्य	1998-99	2000-2001	माध्यम
असम	9,18,600 रु.	शून्य (धनराशि जारी नहीं की गई चूंकि राज्य सरकार से प्रतिभूति प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं हुआ था)	राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, असम
बिहार	शून्य (धनराशि जारी नहीं की गई, चूंकि राज्य सरकार की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई)	5,40,000 रु.	बिहार राज्य शिक्षा मदरसा बोर्ड, पटना
त्रिपुरा	शून्य (कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ)	91,800 रु.	वक्फ़ त्रिपुरा बोर्ड, अगरतला

2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उर्दू वक्फ़ सम्पत्तियों के विकास के लिए अपनी योजनेतर योजना के अंतर्गत वर्ष 1998-99 तथा 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय वक्फ़ परिषद् को निम्नलिखित राशि प्रदान की है:

(राशि रु. लाखों में)

राज्य	1998-99	2000-2001
कर्नाटक	63.00	30.000
केरल	10.00	30.00
महाराष्ट्र	20.00	25.00
मध्य प्रदेश	12.32	शून्य *
राजस्थान	23.68	शून्य *
उत्तर प्रदेश	20.00	25.00
कुल	149.00	110.00

* कभी-कभी धनराशि जारी नहीं की जाती है क्योंकि संबंधित राज्य सरकार से काउंटर-गारंटी और अन्य अपेक्षित दस्तावेज पूरे नहीं होते।

सरकारी आवासों को किराये पर देना

935. श्री राम टहल चौधरी: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक सामान्य पूल तथा अन्य पूलों में प्रत्येक टाइप के ऐसे कितने बंगले, फ्लैट और क्वार्टर्स पाए गए, जिन्हें उनके आवंटिती ने किराये पर दे दिया हो;

(ख) इस प्रकार के मामलों में ऐसे किराएदारों से उक्त आवासों को खाली करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा अभी तक ऐसे कितने व्यक्तियों से आवास को खाली कराया गया और शेष मामलों के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

Scanned by CamScanner

(ग) सरकारी आवास के ऐसे आवंटितियों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सम्पदा निदेशालय तथा मंत्रालय के ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने सरकारी आवास को किराये पर देने में आवंटितियों के साथ सांठगांठ की?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) संपदा निदेशालय के नियंत्रणाधीन क्वार्टरों को आकस्मिक जांच के दौरान वर्ष 1998, 1999, 2000 और 15.2.2001 तक उप-किराएदारी पर होने के संदिग्ध क्वार्टरों की संख्या का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उप-किराएदारी पर होने के संदिग्ध क्वार्टरों के आबंटियों की सक्षम प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। सुनवाई के बाद सक्षम प्राधिकारी किसी मामले में उप-किराएदारी होने या न होने का निर्णय करता है। यदि किसी मामले में सक्षम प्राधिकारी इस नतीजे पर पहुंचता है कि उप-किराएदारी हुई है, तो आवंटन रद्द कर दिया जाता है। आबंटी को संपदा निदेशक को अपील करने का अधिकार होता यदि अपील अस्वीकार हो जाती है तो आबंटी को क्वार्टर खाली करना पड़ता है। यदि आवंटी क्वार्टर खाली नहीं करता है, तो सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम 1971 के तहत बेदखली कार्यवाही के लिए मामला सम्पदा अधिकारी को भेजा जाता है। क्वार्टर रद्द करने के अलावा, ऐसे आबंटियों के खिलाफ संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज) (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) नियम, 1965 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाती है। वर्ष 1998, 1999, 2000 और 2001 (15.2.2001 तक) के दौरान 379 क्वार्टरों का आबंटन रद्द किया गया और 159 मकान अपेक्षित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद खाली करावाए गए।

(घ) आबंटियों द्वारा सरकारी वास को उप-किराएदारी पर देने में संपदा निदेशालय व मंत्रालय के किसी कर्मचारी की सांठगांठ नहीं पाई गई। तथापि प्रैस पूल वास की उप-किराएदारी में मिंटो रोड भारत सरकार प्रेस के एक कर्मचारी की सांठगांठ होने से संबंधित एक शिकायत मिली है।

विवरण

वर्ष 1998, 1999, 2000 और 2001 15.2.2001 तक के दौरान उप-किराएदारी पर होने की संदिग्ध क्वार्टरों की संख्या

वर्ष	टाइप-I	टाइप-II	टाइप-III	टाइप-IV	टाइप-V	कुल
1998	48	68	30	3	1	150
1999	120	103	74	10	–	307
2000	164	154	110	7	–	435
1.1.2001 से 15.2.2001 तक	56	26	31	1	–	114

[अनुवाद]

उड़ीसा में इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास गृहों का निर्माण

936. श्री भर्तृहरि महताब: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में, विशेषकर महाचक्रवात से विनष्ट जिलों में, इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास-गृहों के निर्माण का क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक जिलेवार कितने आवास-गृहों का निर्माण किया गया और उन्हें गरीब व्यक्तियों को आबंटित किया गया;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में गरीबों के लिए आवास-गृहों की अपेक्षित संख्या के बारे में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्य के महाचक्रवात से विनष्ट जिलों में इन आवास गृहों के निर्माण का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(च) इस पर कितना व्यय आने की संभावना है; और

(छ) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान आवास-गृहों के निर्माण का जिले-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 के लिए हुए सामान्य आबंटन के अनुरूप 48,820 नए मकान बनाए जा रहे हैं और 10,946 मकानों को अपग्रेड़ किया जा रहा है। सामान्य इन्दिरा आवास योजना के अतिरिक्त 1,73068 अतिरिक्त मकान चक्रवात प्रभावित जिलों में बनाए जाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। हडको से सहायता प्रदत्त ऋण योजना के अन्तर्गत, 1,09008 मकान और ग्रामीण आवास संबंधी ऋण सह सब्सिडी योजना के अन्तर्गत 29,526 और मकान चक्रवात प्रभावित जिलों में बनाए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(ख) उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु पहचान किए गए और निर्मित किए गए मकानों की जिलावार संख्या विवरण-I में दी गयी है।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उड़ीसा राज्य में गरीबों के लिए अपेक्षित मकानों की संख्या का कोई आकलन नहीं किया है। तथापि, 1991 की जनगणना के अनुसार, उड़ीसा राज्य में 6,84,655 आवासों की कमी है।

(ङ) उड़ीसा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित जिलों में इन्दिरा आवास योजना के मकानों को 30.6.2001 तक पूरा करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(च) उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित जिलों में इन्दिरा आवास योजना के मकानों का निर्माण करने में होने वाले संभावित खर्च का अनुमान 440 करोड़ रु. लगाया है।

(छ) उड़ीसा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2000-2001 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण का लक्ष्य 1.5 लाख निश्चित किया गया है। वर्ष 2001-2002 के लिए यह लक्ष्य वर्ष 2001-2002 के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले बजटीय आबंटन पर निर्भर है।

विवरण

इंदिरा आवास योजना

क्र. सं.	जिला का नाम	निर्माण हेतु पहचाने गए आवासों की संख्या	पूर्ण हो चुके आवासों की संख्या
1	2	3	4
1.	बलासौर	12525	4427
2.	भद्रक	13771	3325
3.	कटक	30784	7050
4.	ढेनकनाल	3012	1604
5.	गजपति	1092	613
6.	गंजम	8807	8858
7.	जगतसिंहपुर	48126	8358
8.	जाजपुर	18706	5268
9.	केंद्रपाड़ा	28867	6137
10.	क्योंझर	3798	2844
11.	खुर्दा	6466	2173
12.	मयूरभंज	4663	4601
13.	नयागढ़	1208	716
14.	पुरी	18175	7264
	कुल	200000	63239

[हिन्दी]

पेयजल/जल-मल व्ययन परियोजनाएं

937. प्रो. दुखा भगत: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नवसृजित राज्यों में, जिनमें झारखण्ड भी शामिल है, पेयजल और जल-मल व्ययन परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन राज्यों को राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(घ) इन परियोजनाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजना में समामेलित करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या विश्व बैंक या किन्हीं अन्य एजेंसियों ने इन परियोजनाओं में सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) जल आपूर्ति और सीवेज राज्य के विषय हैं अत: जल आपूर्ति और सीवेज सुविधाओं की योजना बनाना, उसका कार्यान्वयन, परिचालन तथा रखरखाव करना और इस प्रयोजनार्थ अपनी राज्य आयोजना में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करना राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, 20,000 (1991 की जनगणना के अनुसार) से कम आबादी वाले कस्बों को जल आपूर्ति सुविधाएं मुहैया कराने के राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 1993-94 के दौरान केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) शुरू किया गया ताकि केन्द्र व राज्यों के बीच 50:50 आधार पर राज्यों को केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जा सके। नए राज्यों यथा झारखण्ड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ में त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित योजनाों के ब्यौरे क्रमश: विवरण-I, II तथा III में दिए गए हैं। केन्द्रीय क्षेत्र की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत सीवेज सुविधाओं की व्यवस्था के लिए धनराशि मुहैया कराई जा सके।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य: झारखण्ड

विवरण-I

18.02.2001 तक

स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	स्वीकृति की तारीख माह/वर्ष	अनुमोदित परियोजना लागत (लाख रु.)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	बरवाडीह	पलामू	नवम्बर, 98	82.68	उक्त योजनाओं के लिए राज्यों को धनराशि दे दी गई है जिनमें से नए बने झारखण्ड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ राज्यों को वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अलग कर दिया गया है।
2.	राजमहल	साहिबगंज	फरवरी, 99	119.86	
3.	निरसा	धनबाद	अप्रैल, 99	197.42	
4.	चकुलिया	पू. सिंहभूम	अप्रैल, 99	48.61	
5.	सरायकेला	प. सिंहभूम	मई, 99	76.81	
6.	लातेहार	पलामू	सितम्बर, 99	122.32	
7.	जामतारा	दुमका	दिसम्बर, 99	195.63	
8.	कोडरमा	कोडरमा	फरवरी, 2000	498.76	
9.	मुरी	रांची	मई, 2000	148.55	
				1490.64	

"ख" योजनाएं जिनकी जांच की जा रही है

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	परियोजना लागत	अभ्युक्तियां
	शून्य	शून्य	शून्य	

विवरण-II

राज्य: उत्तरांचल 18.02.2001 तक

अनुमोदित परियोजनाएं

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	स्वीकृति की तारीख माह/वर्ष	अनुमोदित परियोजना लागत (लाख रु.)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	बाजपुर	नैनीताल	मार्च, 99	86.20	उक्त योजनाओं के लिए राज्यों को धनराशि दे दी गई है जिनमें से नए बने झारखण्ड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ राज्यों को वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अलग कर दिया गया है।
2.	नरेन्द्रनगर	टिहरी गढ़वाल	मार्च, 99	240.50	
3.	चम्बा	टिहरी गढ़वाल	मार्च, 99	537.80	
4.	कालाडुंगी	नैनीताल	मार्च, 99	121.90	
5.	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	अगस्त, 99	410.78	
6.	लालकुंआ	नैनीताल	मार्च, 2000	65.75	
7.	जोशीमठ	चमोली	जुलाई, 2000	166.63	
8.	दिनेशपुर	यू.एस. नगर	अगस्त, 2000	183.42	
9.	श्रीनगर	गढ़वाल	अक्टूबर, 2000	604.35	
10.	नन्दप्रयाग	चमोली	जनवरी, 2001	52.15	
11.	देवप्रयाग	टिहरी गढ़वाल	जनवरी, 2001	172.91	
	योग			2642.39	

''ख'' योजनाएं जिनकी जांच की जा रही है

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	परियोजना लागत	अभ्युक्तियां
	बागेश्वर	बागेश्वर	704.30 लाख रु.	योजना की तकनीकी जांच की जा रही है।

विवरण-III

राज्य: छत्तीसगढ़ 18.2.2001 तक

स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	स्वीकृति की तारीख माह/वर्ष	अनुमोदित परियोजना लागत (लाख रु.)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	भातगांव	रायपुर	मार्च, 94	56.00	उक्त योजनाओं के लिए राज्यों को धनराशि दे दी गई है जिनमें से नए बने झारखण्ड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ राज्यों को वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अलग कर दिया गया है।
2.	बागबेहरा	रायपुर	मार्च, 94	56.00	
3.	पिथौरा	रायपुर	मार्च, 94	51.00	

1	2	3	4	5	6
4.	गरियाबंद	रायपुर	मार्च, 94	42.00	
5.	अहिवारा	दुर्ग	मार्च, 94	56.00	
6.	डोंगरगांव	राजनन्दगांव	मार्च, 94	63.00	
7.	गेडइ-पंडयाना	राजनन्दगांव	मार्च, 94	55.00	
8.	कुरूड़	रायपुर	जनवरी, 96	61.20	
9.	पाटन	दुर्ग	फरवरी, 99	94.24	
10.	बालोद	दुर्ग	मार्च, 99	131.61	
11.	पेंडस	विलासपुर	मार्च, 99	55.06	
12.	रतनपुर	विलासपुर	मई, 99	71.18	
13.	सक्ति	विलासपुर	मई, 99	125.34	
14.	शेओरिनारायन	विलासपुर	फरवरी, 2000	72.69	
15.	सारंगगढ़	रायगढ़	मार्च, 2000	42.53	
	योग			1032.85	

* लागू योजनाएं

''ख'' योजनाएं जिनकी सीपीएचईईओ में जांच की जा रही है

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	परियोजना लागत	अभ्युक्तियां
	शून्य	शून्य	शून्य	

बागडिगी कोयला खान दुर्घटना

938. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:**
डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री ताराचंद भगोरा:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बागडिगी कोयला खान दुर्घटना के लिए संभावित रूप से जिम्मेवार उन कारणों को मान लिया है, जिन्हें इलैक्ट्रॉनिक समाचार-माध्यमों ने प्रसारित किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तय किए गए दण्डात्मक प्रावधान क्या हैं;

(ग) क्या इस दुर्घटना के संबंध में प्रबंधन द्वारा गलत सूचना दी गई;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और परिणाम क्या हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (च) दिनांक 2.2.2001 को हुई बागडिगी कोयला खान महाविपदा के कारण के बारे में दुर्घटनापर जांच पूरी होने के बाद ही ज्ञात होगा। खान अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड अधिनियम में ही निर्धारित हैं। जांच की सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

अपशिष्ट-प्रबंधन के लिए कार्ययोजना

939. श्री वी.एम. सुधीरन: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की नगरपालिकाओं और नगर निगमों में ठोस अपशिष्ट/कूड़ा-कर्कट के उपयोग (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ राज्यों/स्थानीय निकायों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों की ओर से कोई अनुरोध मिले हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर राज्यवार क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी नहीं। ठोस कचरा-प्रबंधन के लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार करना नगर-निगमों और शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। शहरी स्थानीय निकायों की मदद के लिए, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने कचरा-प्रबंधन हेतु प्रमाणिक प्रौद्योगिकियों, अनुसंधान व विकास, वित्तीय संसाधनों, निजी क्षेत्र की भागीदारी के दायरे क्षमता निर्माण आदि के बारे में सूचना एकत्र करने और उसे प्रसारित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी सलाहकार समूह (तकनालॉजी एडवाइजरी ग्रुप) की स्थापना की है। शहरी स्थानीय निकायों के मार्गदर्शन के लिए मंत्रालय द्वारा कचरा प्रबंधन पर एक विस्तृत मैनुअल भी प्रकाशित किया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने म्यूनिसिपल कचरा (प्रबन्धन एवं निपटान) नियम, 2000 अधिसूचित किए हैं, जिनके अनुसार प्रत्येक नगर प्राधिकरण इन नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन और म्यूनिसिपल कचरा के संकलन, भण्डारण, पृथक्करण, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान हेतु मूलभूत सुविधायें जुटाने के लिए जिम्मेदार होंगे। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण समितियों को म्यूनिसिपल कचरा प्रबन्धन हेतु नगर/कस्बा-वार कार्ययोजना तैयार करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नगर निकाय से सम्पर्क करने के लिए कहा गया है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों को कृषि और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालयों के मैजूदा कार्यक्रमों के तहत क्रमश: कूड़ा-खाद कारखानों/यांत्रिक कूड़ा-खाद संयंत्रों तथा नगरीय ठोस कचरे से ऊर्जा प्राप्ति परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई है। राज्य-वार ब्यौरे विवरण-I एवं II में हैं।

(घ) से (च) कुछ राज्य सरकारों, यथा गुजरात और केरल, ने कचरा प्रबन्धन हेतु वित्तीय सहायता के लिए इस मंत्रालय से संपर्क किया था। लेकिन उन्हें बता दिया गया है कि इस प्रयोजन के लिए फिलहाल मंत्रालय का केन्द्रीय सहायता का कोई कार्यक्रम नहीं है।

विवरण-I

कृषि मंत्रालय

कृषि और सहकारिता विभाग

8वीं योजना (1993-94 से 1996-97) के दौरान उर्वरकों के "संतुलित एवं एकीकृत उपयोग" की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत कूड़ा-खाद कारखानों की स्थापना हेतु दी गई निधियां

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	तमिलनाडु	20.00(1)	शून्य	70.20(5)	शून्य	90.20(6)
2.	केरल	20.00(1)	शून्य	20.00(1)	शून्य	40.00(2)
3.	मध्य प्रदेश	10.00	10.00(1)	20.00(1)	शून्य	40.00(2)

1	2	3	4	5	6	7
4.	पंजाब	शून्य	20.00(1)	शून्य	शून्य	20.00(1)
5.	असम	शून्य	20.00(1)	शून्य	शून्य	20.00(1)
6.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	20.00(1)	शून्य	20.00(1)
7.	दिल्ली	शून्य	शून्य	20.00(1)	शून्य	20.00(1)
8.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	20.00(1)	20.00(1)	40.00(2)
9.	राजस्थान	शून्य	20.00(1)	20.00(1)	शून्य	40.00(2)
10.	आन्ध्र प्रदेश	3.35	शून्य	16.65(1)	शून्य	20.00(1)
11.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	20.00(1)	20.00(1)
12.	पाण्डिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	20.00(1)	20.00(1)
	कुल	53.35(2)	70.00(4)	206.85(12)	60.00(3)	390.20(21)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गए आंकड़े स्कीम के तहत सहायता प्राप्त नगरपालिकाओं की संख्या दशाते हैं।

कृषि मंत्रालय

कृषि और सहकारिता विभाग

9वीं योजना (1997-98 से 2000-2001) के दौरान "उर्वरकों के संतुलित एकीकृत उपयोग" की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के तहत कूड़ा-खाद संयंत्रों की स्थापना के लिए जारी की गई निधियां

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल
1.	कर्नाटक	40.00(4)	–	74.52(2)	–	114.50(6)
2.	महाराष्ट्र	–	–	125.00(3)	–	125.00(3)
3.	मेघालय	–	–	50.00(1)	–	50.00(1)
4.	प. बंगाल	–	–	50.00(1)	–	50.00(1)
5.	गुजरात	–	–	–	50.00(1)	50.00(1)
6.	दिल्ली	–	–	–	50.00(1)	50.00(1)
	कुल	40.00(4)	–	299.52(7)	100.00(2)	439.52(13)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए आंकड़े कार्यक्रम के तहत स्थापित किए जाने वाले कूड़ा-खाद संयंत्रों की संख्या दर्शाते हैं।

विवरण-II

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

कचरे से ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में शहरी स्थानीय निकायों और राज्य एजेंसियों को मंजूर/जारी वित्तीय राशि

क्र.सं.	परियोजना	शहरी स्थानीय निकाय/ राज्य एजेन्सी को सुविधा हेतु	मंजूर धनराशि (लाख रु. में)	20.2.2001 तक जारी धनराशि (लाख रु. में)
1.	मैसर्स एनबी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. भोपाल द्वारा बीओओ आधार पर नागपुर शहर में 520 टीपीडी नगर ठोस कचरे से 4.00 मेगावाट (नेट) बिजली और 150 टीपीडी जैव खाद सृजन परियोजना	नागपुर नगर निगम	60.00	30.00
	-वही-	महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (एमईडीए)	20.00	10.00
2.	मैसर्स सेल्को इन्टरनेशनल लि., हैदराबाद द्वारा बीओओ आधार पर हैदराबाद में 700 टीपीडी नगर ठोस कचरे से 210 टीपीडी इंधन के उत्पादन की परियोजना	आन्ध्र प्रदेश गैर-पारम्परिक ऊर्जा विकास निगम लि. (एनईडीसीएपी) हैदराबाद	5.00	5.00

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

कचरे से ऊर्जा परियोजनाओं के साध्यता अध्ययन करने के लिए राज्यों को मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/नगर	एमएनईएस द्वारा मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता (रुपयों में धनराशि)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	
i.	वारंगल	1,00,000.00
ii.	गून्टूर	1,00,000.00
iii.	विजयवाड़ा	1,00,000.00
	कुल	3,00,000.00
2.	बिहार	
	मुजफ्फरपुर	15,465.00
3.	दिल्ली	4,10,580.00
4.	गुजरात	
i.	अहमदाबाद	64,487.50
ii.	बड़ोदरा	64,487.50
iii.	भावनगर	64,487.50
iv.	राजकोट	64,487.50
v.	भड़ूच	16,350.00
vi.	भुज	16,300.00
vii.	वलसाद	16,350.00
	कुल	3,06,950.00
5.	हिमाचल प्रदेश	
i.	बद्दी कस्बा	23,000.00
6.	कर्नाटक	
i.	मनिपाल-उडुपी	50,000.00

1	2		3
7.	केरल		
	i.	तिरूवनन्तपुरम	1,10,000.00
8.	मध्य प्रदेश		
	i.	भोपाल	1,62,500
	ii.	इंदौर	87,500
	iii.	सागर	87,500
	iv.	बिलासपुर	87,500
	v.	जबलपुर	87,500
	vi.	उज्जैन	87,500
	vii.	ग्वालियर	87,500
	viii.	भिलाई/दुर्ग	87,500
		कुल	7,75,000.00
9.	उत्तर प्रदेश		
	i.	गाजियाबाद	67,500.00
	ii.	मेरठ	67,500.00
	iii.	अलीगढ़	67,500.00
	iv.	बरेली	67,500.00
	v.	मुरादाबाद	67,500.00
	vi.	आगरा	67,500.00
	vii.	कानपुर	67,500.00
	viii.	लखनऊ	67,500.00
	ix.	इलाहाबाद	67,500.00
	x.	गोरखपुर	67,500.00
	xi.	वाराणसी	67,500.00
		कुल	7,42,500.00
10.	पश्चिम बंगाल		
		कलकत्ता	5,00,000.00

[हिन्दी]

अधिकृत/अनधिकृत कालोनियां

940. श्री रामशकल: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में स्थित अधिकृत और अनधिकृत कालोनियों की वैधता को परिभाषित करने के लिए कोई मानदण्ड तय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) ऐसी सभी कालोनियां, जिनके विन्यास नक्शे (ले-आउट प्लान), उनके अनुमोदन के समय लागू कानून के अनुसार स्थानीय प्राधिकरणों/दिल्ली विकास प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जा चुके हैं अधिकृत कालोनियां समझी जाती हैं।

थारू जनजाति का विकास

941. श्री पदनसेन चौधरी: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के बहराइच और श्रावस्ती जिलों में रहने वाली थारू जनजाति का विकास सुनिश्चित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में जिन परियोजनाओं को संस्वीकृत किए जाने की संभावना है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का थारू जनजाति के बालकों के लिए मुफ्त आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उक्त विद्यालय कब तक खोले जाएंगे;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सामाजिक-आर्थिक विकास योजनाएं उत्तर प्रदेश के थारू सहित देश की अनुसूचित जनजातियों की सम्पूर्ण जनसंख्या के समग्र लाभ के लिए अभिप्रेत हैं। ये योजनाएं और परियोजनाएं सतत् स्वरूप की हैं।

(ग) से (ङ) आवासीय स्कूलों की स्थापना सहित मंत्रालय की योजनाएं या तो राज्य सरकारों या स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कार्यान्वित की जाती हैं। आदर्श मॉडल आवासीय स्कूलों की योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को दो परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। राज्य सरकार ने अभी भी इन स्कूलों के स्थान को बताना है। इस प्रयोजन के लिए 100 लाख रुपए का अग्रिम निर्मुक्त किया गया है।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र

942. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के कुछ कार्मिकों के विरुद्ध कंपनी को करोड़ों रुपये का घाटा पहुंचाने के आरोप में, एक प्रकरण दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में खोजी कार्रवाई के दौरान सी.बी.आई. द्वारा जब्त किए गए सामानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस विषय में सरकार द्वारा आगे और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (घ) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.टी.एफ.) द्वारा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी.एस.पी.) को जारी किए गए मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों (वी.ए.बी.ए.एल.) में कतिपय संशोधनों, जिनके परिणामस्वरूप दिल्ली की एक निजी फर्म मैसर्स रूपाली एजेंसीज (पी.) लि. को 1.27 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ और इतना ही राजकोषीय घाटा हुआ, के संबंध में आरोप संबंधी एक नियमित मुकदमा संख्या 6(ए)/96 ए.सी.यू./8) (×) दिनांक 12.7.96 को दायर किया गया था।

जांच को अंतिम रूप दिए जाने के समय एक जनहित याचिका संख्या 431/96 भी माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की गई थी। जांच पूरी हो जाने के बाद स्थिति से संबंधित रिपोर्ट दिनांक 13.11.1997 को माननीय न्यायालय को प्रस्तुत की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 24.1.1997 को जनहित याचिका संख्या 431/96 को रद्द करने तथा इस मामले को बंद करने संबंधी आदेश जारी किए। तदनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संदिग्ध अधिकारियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 173 के अंतर्गत इस मामले को बंद करने की रिपोर्ट सक्षम न्यायालय में दिनांक 23.10.1997 को दायर की गई थी। न्यायालय ने अपने दिनांक 16.10.2000 के आदेश के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दायर मुकदमें को बंद करने संबंधी रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है।

सीमा सुरक्षा संबंधी समिति

943. **श्री मानसिंह पटेल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा पर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देने के लिए माधव गोडबोले की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक कार्यान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (ख) से (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की पूरी तरह से समीक्षा करने तथा विशेष रूप से कारगिल पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने और इसके क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के लिए अप्रैल, 2000 में मंत्रियों के एक ग्रुप (जी.ओ.एम.) का गठन किया गया था। जी.ओ.एम. ने डॉ माधव गोडबोले की अध्यक्षता में सीमा प्रबंधन पर एक टास्क फोर्स सहित चार टास्क फोर्स गठित किए। इस टास्क फोर्स ने 29 अगस्त, 2000 को अपनी रिपोर्ट जी.ओ.एम. को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट पर जी.ओ.एम. द्वारा विचार किया जा रहा है।

अवैध बांग्लादेशी प्रवासी

944. **डा. मन्दा जगन्नाथ:**
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जनवरी, 2001 को 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में देश में चल रहे अवैध विदेशी मुद्रा रैकेट संबंधी समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक विभिन्न राज्यों से सरकार की जानकारी में ऐसे कितने मामले आये हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अवैध प्रवासियों द्वारा चलाये जा रहे अवैध विदेशी मुद्रा रैकेट को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र

945. **श्री निखिल कुमार चौधरी**: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र को किस स्रोत से एल्युमिनियम की आपूर्ति की जाती है;

(ख) क्या संयंत्र में कई आयातित मशीनें बेकार पड़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त संयंत्र में भी विनिवेश का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) बोकारो इस्पात संयंत्र अपनी एल्युमिनियम इनगाट्स की आपूर्ति मुख्यतया मैसर्स बाल्को तथा मैसर्स नालको (सरकारी क्षेत्र के उपक्रम) से प्राप्त करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

व्यय सुधार आयोग की कोयला उद्योग के संबंध में सिफारिशें

946. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर**: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा व्यय सुधार आयोग का गठन कोयला उद्योग के पुनर्गठन हेतु किया गया था;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अब तक मंजूर की गई और लागू की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी सिफारिशों को कब तक मंजूर किए जाने/लागू किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) सरकार द्वारा गठित व्यय सुधार आयोग (ई.आर.सी.) ने अपनी दूसरी रिपोर्ट सितम्बर, 2000 में प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट के चार भाग हैं। रिपोर्ट का चौथा भाग ''कोयला मंत्रालय के कार्यों, क्रियाकलापों और संरचना की पुनर्संरचना'' से संबंधित है।

(ख) व्यय सुधार आयोग की रिपोर्ट में सम्मिलित सिफारिशों का सारांश निम्नानुसार है:-

1. मंत्रालय को, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोयला क्षेत्र की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए, अपनी नीतियों को रिओरिएंट करने की आवश्यकता है।

2. कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 में शीघ्र संशोधन करके, कोयले के अन्वेषण और उत्पादन में प्राइवेट विकासकर्ताओं को निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी जाए। जिसके लिए एक विधेयक संसद में लंबित है।

3. नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के क्षेत्र से बाहर लिग्नाइट संसाधनों का विकास संबंधित राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा जा सकता है।

4. कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने और सुव्यवस्थित विकास करने तथा उदारीकृत माहौल में कोयला क्षेत्र के लिए समुचित स्तर प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक निकाय का गठन करने की आवश्यकता है।

5. कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974 में संशोधन करने की आवश्यकता है और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्रों को, कोयला खानों में वैज्ञानिक खनन, सुरक्षा, खानों में आग, कोयला धुलाई और अन्य संरक्षण, पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं जैसे पहलुओं के लिए बराबर जिम्मेवार बनाया जाए।

6. कोयला आयोग के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्वच्छ, पारदर्शी और भेदभाव रहित दिशानिर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता है।

7. प्रचालन दक्षता में सुधार करने और सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों में सरप्लस जनशक्ति का निष्कासन करने की आवश्यकता है। रायल्टी और राज्य सरकारों की अन्य लेवियों तथा कोयले के संचलन पर रेल भाड़ा दरों को भी युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है ताकि घरेलू उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

8. कोल इंडिया के समस्त देश में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों और सहायक कंपनियों के कलकत्ता स्थित लाईजन कार्यालयों को समाप्त करने की आवश्यकता है।

9. कोल इंडिया लि. के साथ कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों को धारक कंपनी से अलग करके पूर्णत: बोर्ड प्रबंधित कंपनियां बनाने और कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जे.बी.सी.सी.आई.) को समाप्त करने की आवश्यकता है।

10. केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. (सी.एम.पी.डी.आई.एल.) को एक स्वतंत्र तकनीकी परामर्शदात्री निकाय के रूप में पुनर्गठित करना जिसमें, कोयला क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और प्राइवेट यूनिटों की इसके प्रबंधन और इक्विटी ढांचे में सहभागिता हो।

11. कोयला नियंत्रक के कार्यालय को समाप्त करने और भुगतान आयुक्त कार्यालय के शेष कार्य को चरणबद्ध तरीके से निपटाने की आवश्यकता है।

12. कोयला कंपनियों पर प्रशासनिक प्रभार को कम करने और कोयला खान लिंकड पेंशन योजना के लिए सरकार वित्तीय सहायता को कम करने के उद्देश्य से कोयला खान भविष्य निधि संगठन को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।

13. दनकुनी में भारी घाटा उठाने वाले लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन प्लांट को बेचने की आवश्यकता है।

14. पर्यावरण संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने तथा आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए भी विद्युतघरों के लिए अत्यधिक राख वाले कोयले की धुलाई को लागू करने की आवश्यकता है।

15. "बिक्री योग्य कोयला" संकल्पना को लागू करने की आवश्यकता है तथा "सकल कैलोरी मान" पर आधारित वैज्ञानिक और वाणिज्यिक तौर पर पारदर्शी कोयला ग्रेडिंग प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है।

16. कोयले से सिंथेटिक तेल निकालने का मामला एक अथवा अन्य ईंधन अनुसंधान एजेंसियों को हस्तांतरित किया जा सकता है।

(ग) और (घ) व्यय सुधार आयोग की रिपोर्ट मंत्रालय में अक्तूबर, 2000 में प्राप्त हुई थी। आयोग की सिफारिशें इस मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

ग्रामीण आवास

947. श्री पुष्प जैन:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण आवास और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनाओं के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं के अन्तर्गत आवासों की मांग पूर्ण नहीं की जा सकी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान आवासों के निर्माण हेतु क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा ग्रामीण आवास की जरूरत जब तक पूर्ण कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ङ) 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान इंदिरा आवास योजना (जो कि भारत सरकार की प्रमुख ग्रामीण आवास योजना है) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और निर्मित आवास/लाभान्वित परिवारों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बजट की उपलब्धता के अनुसार इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना—ग्रामीण आवास को चालू वर्ष के दौरान शुरू किया गया है और इस योजना के अंतर्गत राज्यवार विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। सरकार ने गरीबों और निराश्रितों पर विशेष ध्यान देते हुए "सभी के लिए आवास" उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार 9वीं योजना अवधि के अंत तक सभी बेघर ग्रामीण परिवारों को आवास मुहैया कराने और 10वीं योजना अवधि के अंत तक सभी बेकार कच्चे मकानों को अर्द्ध पक्के/पक्के मकानों में बदलने का भरपूर प्रयास कर रही है।

विवरण

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के अंतर्गत लक्षित और निर्मित आवासों की राज्यवार संख्या

1999-2000

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवासों की संख्या	
		लक्षित	निर्मित आवास/ लाभान्वित परिवार*
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	88288	89823
2.	अरुणाचल प्रदेश	5667	3210
3.	असम	121765	20412
4.	बिहार	308784	165892
5.	गोवा	544	333
6.	गुजरात	25944	26351
7.	हरियाणा	9368	9843
8.	हिमाचल प्रदेश	3870	3711
9.	जम्मू व कश्मीर	4644	5830
10.	कर्नाटक	47184	39398
11.	केरल	28416	20716
12.	मध्य प्रदेश	73464	77886
13.	महाराष्ट्र	84680	71958
14.	मणिपुर	5208	199
15.	मेघालय	7944	356
16.	मिजोरम	1954	1795
17.	नागालैंड	4907	7706
18.	उड़ीसा	73232	53328
19.	पंजाब	5960	4154
20.	राजस्थान	25864	37440
21.	सिक्किम	917	752
22.	तमिलनाडु	46768	54935
23.	त्रिपुरा	10769	11229
24.	उत्तर प्रदेश	187629	155248
25.	पश्चिम बंगाल	96127	62653
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	727	6
27.	दा. व ना. हवेली	414	52
28.	दमन व दीव	162	3
29.	लक्षद्वीप	17	34
30.	पांडिचेरी	402	426
	कुल	1271619	925679

* अनंतिम

2000-2001

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवासों की संख्या	
		लक्षित	निर्मित आवास/ लाभान्वित परिवार*
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	88288	38912
2.	अरुणाचल प्रदेश	4246	2206
3.	असम	98856	32512
4.	बिहार	238664	85114
5.	छत्तीसगढ़	16364	1127
6.	गोवा	544	244
7.	गुजरात	25944	18148
8.	हरियाणा	9368	7988
9.	हिमाचल प्रदेश	3870	1487
10.	जम्मू व कश्मीर	4644	2658
11.	झारखण्ड	70120	41173
12.	कर्नाटक	47184	25753
13.	केरल	28416	12724

1	2	3	4
14.	मध्य प्रदेश	57800	22142
15.	महाराष्ट्र	84680	37023
16.	मणिपुर	5062	551
17.	मेघालय	6726	0
18.	मिजोरम	1615	1398
19.	नागालैंड	4342	4859
20.	उड़ीसा	73232	46058
21.	पंजाब	5960	3415
22.	राजस्थान	25864	21867
23.	सिक्किम	1164	861
24.	तमिलनाडु	46768	20425
25.	त्रिपुरा	9821	0
26.	उत्तरांचल	16848	6315
27.	उत्तर प्रदेश	170781	14982
28.	पश्चिम बंगाल	96127	48254
29.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	727	0
30.	दादर व नगर हवेली	414	32
31.	दमन व दीव	162	1
32.	लक्षद्वीप	17	12
33.	पांडिचेरी	402	255
	कुल	1244320	498496

* अनंतिम

दिल्ली में घरेलू नौकर

948. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली में घरेलू नौकरों द्वारा आपराधिक घटनाओं में वृद्धि की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू नौकरों की आपराधिक गतिविधियों में कमी लाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) दिल्ली में घरेलू नौकरों द्वारा किए, बताए गए अपराधों की संख्या 1988 में 413 से घटकर 1999 में 379 और 2000 में 370 आ गई है; और

(ख) इस बारे में दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, घरेलू नौकरों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन, स्थानीय पुलिस द्वारा घरेलू नौकरों के रिकार्ड रखना और घरेलू नौकरों द्वारा किए जाने वाले अपराधों को रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षापायों के बारे में नागरिकों को सुग्राही बनाना शामिल है।

साम्प्रदायिक दंगे

949. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1997, 1998, 1999 और 2000 के दौरान देश में कोई साम्प्रदायिक दंगे हुये; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इतिहास का पुनर्लेखन

950. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जनवरी, 2001 को 'दि हिन्दु' में "आर्गनाइड बिड टू रिराइट हिस्ट्री" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु कि वर्तमान इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् ने हाल में अयोध्या के विवादित स्थल के बारे में कोई टिप्पणी की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) सरकार 3 जनवरी, 2001 को 'दि हिन्दु' में ''आर्गनाइज्ड बिड टू रिराइट हिस्ट्री'' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार से अवगत है। यह समाचार अन्य बातों के साथ-साथ उस वक्तव्य से संबंधित है जो दिनांक 18.12.2000 को अयोध्या मसले पर भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के निदेशक (अनुसंधान और प्रशासन) डॉ. सुशील कुमार के नाम से राष्ट्रीय समाचार पत्रों में आया था। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परिषद् द्वारा मामले की जांच की गई और डॉ. सुशील कुमार को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया। डॉ. सुशील कुमार ने परिषद् को सूचित किया है कि उन्होंने प्रैस को ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया था। दिनांक 22.12.2000 को 'एशियन ऐज' में डॉ. सुशील कुमार का इस समाचार का खंडन भी प्रकाशित हुआ था।

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् ने भी सूचित किया है कि इस संबंध में परिषद् की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

नेताजी बोस पर आयोग

951. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता ने नेताजी से संबंधित फाइल को प्राप्त करने हेतु वर्ष 1995 में एक टीम रूस भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या रूस की सरकार ने दल को यह कहकर ठीक से प्रत्युत्तर नहीं दिया कि इसके लिए भारत से पर्याप्त आधिकारिक दबाव नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फाइलों को देने के लिए रूसी सरकार पर दबाव डालने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) भारत और रूस के बीच संबंधों को प्रतिबिम्बित करते हुए कार्यों को स्पष्ट करने के लिए एशियाटिक सोसायटी आफ कोलकाता, भारत और दी इस्टिच्यूट आफ ओरियंटल स्टडीज, मास्को, रूस के बीच सहयोग के प्रोटोकॉल के अनुसार एक अनुसंधान परियोजना कार्यान्वित करने के लिए एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता ने 1995 में एक दल मास्को, रूस भेजा था।

(ख) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता ने विदेश मंत्रालय से अपने विद्वानों की ''राष्ट्रपति के अभिलेखागार, विदेश सुरक्षा सेवा के अभिलेखागार और आर्मी जनरल स्टाफ के अभिलेखागार'' तक पहुंच की अनुमति प्राप्त करने के लिए रूस संघ सरकार से सम्पर्क करने का अनुरोध किया था। सोसायटी को परामर्श दिया गया था कि चूंकि अभिलेखागार जिनमें पहुंच की अनुमति मांगी गई है अनिवार्य रूप से आसूचना और सुरक्षा संबंधी अभिलेखागार हैं जिन्हें अवर्गीकृत नहीं किया है अत: सोसायटी को अपने प्रतिपक्ष संगठन, दी इस्टिच्यूट आफ ओरियन्टल स्टडीज, मास्को के माध्यम से भारत-रूस संबंधों पर सूचना प्राप्त करने के प्रयासों को जारी रखना चाहिए।

(ग) और (घ) इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या नेताजी के बारे में उनके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध है, समय-समय पर रूस सरकार के साथ सरकारी स्तर पर प्रयास किए गए हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि केन्द्रीय और गणराज्य अभिलेखागार में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, रूस की संघीय सुरक्षा सेवा के केन्द्रीय अभिलेख संग्रहण और आधुनिक इतिहास पर दस्तावेजों के प्रतिधारण और अवलोकन के रूसी केन्द्र के अलावा एतिहासिक दस्तावेजी संग्रहण के प्रतिरक्षण के केन्द्र के डाटा के अनुसार 1945 और उसके बाद के वर्षों के सोवियत संघ में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के रहने के बारे में किसी भी प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

मेट्रो रेल में अपराध

952. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने मेट्रो रेल में अपराधों पर रोक लगाने हेतु एक बल के गठन की योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बल से मेट्रो रेल में अपराधों पर किस सीमा तक रोक लगने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली पुलिस ने मैट्रो रेल के शाहदरा-तीस हजारी खंड, जो दिल्ली मैट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण को कवर करती है, में अपराधों से निपटने के लिए अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल पर पुलिस स्टेशन स्थापित करने के लिए दिल्ली मैट्रो रेल निगम लि. को एक प्रस्ताव भेजा है। इसके स्थापित होने से इस खंड में अपराधों पर प्रभावशाली अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

शिक्षा आदान-प्रदान कार्यक्रम

953. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दस वर्षों के दौरान शिक्षा आदान-प्रदान कार्यक्रम और भारत तथा विदेशों के बीच विद्वानों के आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने प्रोफेसर, विद्वान, वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री विदेश गये;

(ख) क्या आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेश गये अधिकांश लोग केवल दिल्ली और अन्य बड़े नगरों के हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और शहर-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बाहर जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने और बड़े महानगरों के अलावा देश के अन्य भागों से विद्वान लोगों, को बाहर भेजने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी श्रम शक्ति चुनौती संबंधी रिपोर्ट

954. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
श्री रामशेठ ठाकुर:
मोहम्मद अनवारूल हक:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी श्रम शक्ति चुनौती और इसके प्रत्युत्तर के लिए देश में सूचना प्रौद्योगिकी श्रम शक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 2000 करोड़ रुपये के निवेश के संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में 50 संस्थानों को आई.आई.टी./आई.आई.एम. इत्यादि के स्तर तक उन्नयनित किए जाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के तहत प्रस्तावित संस्थान कौन से हैं; और

(ङ) देश में वे संस्थान राज्यवार कितने हैं जो कि अधिकतम संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यवसायी तैयार करते हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हां। सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास पर गठित कार्यबल ने 47 सिफारिशें की थी जिनका लक्ष्य घरेलू तथा विश्वस्तरीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में कोटिपरक सूचना प्रौद्योगिकी जनशक्ति की आपूर्ति को सुनिश्चित करना था। देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण तथा स्तरोन्नयन के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए 7 वर्षों की अवधि के दौरान (10वीं पंचवर्षीय योजना तक) 2000 करोड़ रु. (केवल केन्द्रीय अंशदान) के निवेश की आवश्यकता होगी।

(ग) और (घ) कार्यबल द्वारा 17 क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों और 33 अन्य विश्वविद्यालय स्तरीय/प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों को सहायता हेतु मुख्यत: कंप्यूटिंग तथा नेटवर्किंग सुविधाएं प्रदान करने हेतु अभिनिर्धारित किया गया है ताकि सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा की कोटि में सुधार लाया जा सके।

(ङ) राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण (डिग्री, डिप्लोमा स्तरीय तथा एम.सी.ए) में दिया है।

विवरण

उन संस्थानों के ब्यौरे जो कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं

I. डिग्री स्तर

राज्य/संघ शासित प्रदेश	सूचना प्रौद्योगिकी		कम्प्यूटर विज्ञान व इंजीनियरी		इलैक्ट्रोनिक्स व संचार इंजीनियरी	
	संस्थान	दाखिला	संस्थान	दाखिला	संस्थान	दाखिला
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	74	4230	101	7020	96	6445
अंडमान व निकोबार	00	00	00	00	00	00

1	2	3	4	5	6	7
अरुणाचल प्रदेश	00	00	1	30	00	00
असम	00	00	2	60	00	00
बिहार	6	225	9	385	9	425
चंडीगढ़	1	30	1	30	00	00
दमन व दीव	00	00	00	00	00	00
दिल्ली	3	165	2	120	7	425
गोवा	00	00	2	120	2	120
गुजरात	16	1010	18	1140	18	1040
हरियाणा	14	710	18	1310	22	1550
हिमाचल प्रदेश	00	00	2	90	2	105
जम्मू व कश्मीर	1	60	3	140	4	210
कर्नाटक	55	2795	80	5820	66	5570
केरल	12	620	20	1173	25	1575
मध्य प्रदेश	25	1330	32	2110	17	1015
महाराष्ट्र	85	4710	106	7410	126	8603
मणिपुर	00	00	1	60	1	60
मेघालय	1	60	1	60	1	60
मिजोरम	00	00	1	40	1	40
नागालैंड	00	00	00	00	00	00
उड़ीसा	14	785	25	1525	19	1055
पांडीचेरी	3	160	5	280	4	200
पंजाब	8	410	11	540	10	550
राजस्थान	10	420	19	1124	13	822
सिक्किम	01	60	1	90	1	90
तमिलनाडु	115	7379	150	10153	148	9731
त्रिपुरा	00	00	1	40	00	00
उत्तर प्रदेश	38	2025	62	3858	44	2685
पश्चिम बंगाल	26	1320	26	1460	18	1040
कुल	509	28504	700	46188	654	43416

II. डिप्लोमा स्तर

राज्य/संघ शासित प्रदेश	सूचना प्रौद्योगिकी		कम्प्यूटर विज्ञान व इंजीनियरी		इलैक्ट्रोनिक्स व संचार इंजीनियरी	
	संस्थान	दाखिला	संस्थान	दाखिला	संस्थान	दाखिला
आन्ध्र प्रदेश	00	00	52	2585	54	2890
अंडमान व निकोबार	00	00	1	10	00	00
असम	1	30	2	50	2	50
बिहार	16	540	13	450	9	365
चंडीगढ़	00	00	00	00	2	70
दिल्ली	00	00	10	490	9	405
गोवा	00	00	1	30	2	70
गुजरात	15	800	20	1003	15	783
हरियाणा	5	220	22	950	17	790
हिमाचल प्रदेश	1	30	5	135	5	150
जम्मू व कश्मीर	2	90	12	530	9	400
कर्नाटक	26	1140	141	6869	153	6935
केरल	00	00	31	1290	11	450
मध्य प्रदेश	14	535	14	565	2	100
महाराष्ट्र	50	1980	88	5015	76	4010
मणिपुर	00	00	00	00	1	30
मेघालय	00	00	1	20	1	30
मिजोरम	00	00	1	30	1	30
उड़ीसा	7	270	12	495	3	95
पांडीचेरी	00	00	2	66	3	103
पंजाब	6	220	22	1070	25	1140
राजस्थान	1	30	7	290	00	00
सिक्किम	00	00	1	30	00	00
तमिलनाडु	6	310	27	1420	128	6960
त्रिपुरा	00	00	00	00	1	20
उत्तर प्रदेश	1	30	14	400	64	2127
पश्चिम बंगाल	1	30	10	370	14	400
कुल	152	6255	509	24163	607	28403

III. एम.सी.ए. स्तर

राज्य/संघ शासित प्रदेश	संस्थान	दाखिला
आन्ध्र प्रदेश	167	6569
असम	3	120
बिहार	2	120
दिल्ली	7	310
गोवा	1	30
गुजरात	10	480
हरियाणा	10	500
कर्नाटक	69	3075
केरल	7	210
मध्य प्रदेश	27	1300
महाराष्ट्र	19	870
उड़ीसा	28	1092
पांडीचेरी	4	120
पंजाब	4	180
राजस्थान	2	100
तमिलनाडु	143	7295
उत्तर प्रदेश	44	2240
पश्चिम बंगाल	10	355
कुल	557	24992

सरकारी आवासों का आवंटन

955. श्री रामजी मांझी: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की तिथि के अनुसार कितने सरकारी कर्मचारी टाइप-वार सरकारी आवासों के आवंटन के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): 1.1.2000 को प्रारंभ हुए वर्तमान आवंटन वर्ष के लिए मांगे गए सीमित आवेदन-पत्रों के आधार पर 19.2.2001 को आबंटन वर्ष 2000-2001 में सरकारी आवास आबंटित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे सरकारी कर्मचारियों की टाइप-वार संख्या इस प्रकार है:

टाइप	कार्मिकों की संख्या
टाइप-I	4950
टाइप-II	14925
टाइप-III	8754
टाइप-IV	3097
होस्टल	1902
टाइप-IV स्पेशल	592
टाइप-Vए (डी-II)	1326
टाइप-Vबी (डी-I)	584
टाइप-VIए (सी-II)	577
टाइप-VIबी (सी-I)	51

घरेलू लौह एवं इस्पात के लिए घरेलू परियोजनाएं

956. श्री सुबोध मोहिते:
श्री सुनील खां:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उस "बाई इंडियन एक्ट" को लागू करने का है जिसके अंतर्गत घरेलू लौह एवं इस्पात के उत्पाद के लिए ही घरेलू परियोजनाओं की अनुमति दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अन्य देशों ने भी घरेलू उद्योग को संरक्षण देने के लिए ऐसे कानून अधिनियमित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या विश्व व्यापार समझौते के तहत इस प्रकार के कानूनों के अधिनियम की अनुमति है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) घरेलू इस्पात उद्योग ने "बाय अमरीकन एक्ट" के अनुरूप "बाय इंडियन एक्ट" लागू करने के लिए सरकार को अभ्यावेदन किया है। इस अधिनियम का उद्देश्य सरकारी अधिप्राप्ति को रचनात्मक तरजीह देकर स्वदेशी उद्योग की संवृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करना है।

(ग) से (ङ) जी हां। संघीय सरकार द्वारा घरेलू रूप से उत्पादित उत्पादों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए यू.एस.ए. में "बाय अमरीकन एक्ट" है। हम समझते हैं कि सरकार द्वारा माल की अधिप्राप्ति संबंधी यू.एस. नीति 1933 के "बाय अमरीकन एक्ट" और 1994 डब्ल्यू.टी.ओ. के अन्तर्गत सरकारी अधिप्राप्ति संबंधी बहुपक्षीय करार पर आधारित है।

प्रयोगशाला संचित निधि का उपयोग

957. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीएसआईआर के अंतर्गत प्रयोगशाला संचित निधि के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस तिथि को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे;

(ग) क्या इनकी पुनरीक्षा की आवश्यकता है खासकर के इस बारे में कि सरकार ने इस निधि के उपयोग में पारदर्शिता की आवश्यकता को महसूस किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी हां। सीएसआईआर में प्रयोगशाला संचित निधि (एलआरएफ) अप्रैल, 1992 से स्थापित की गई। इसके उपयोग संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत सीएसआईआर की शासी निकाय के अनुमोदन से दिनांक 10 मार्च, 1992 को जारी किए गए थे। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में प्रयोगशाला संचित निधि (एलआरएफ) में जमा की जा सकने वाली निधियों तथा प्रयोगशाला संचित निधि के उपयोग संबंधी व्यय शीर्षों के ब्यौरे का विशेष उल्लेख था।

(ग) और (घ) इस प्रयोगशाला संचित निधि के लगभग पांच वर्षों की संचालन अवधि के दौरान प्रयोगशाला संचित निधि के उपयोग में अत्यधिक स्पष्टता व पारदर्शिता लाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों की आवश्यकता अनुभव की गई। प्रयोगशाला संचित निधि (एलआरएफ) के वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों की पर्याप्तता की जांच करने और उनमें अत्यधिक स्पष्टता तथा पारदर्शिता लाने के लिए दिनांक 28.2.2000 को सीएसआईआर द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआईआर की शासी निकाय के अनुमोदन से संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत सभी प्रयोगशालाओं को दिनांक 4.9.2000 को जारी किए गए थे। इन संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों में पहली बार प्रयोगशाला संचित निधि का उपयोग न किए जा सकने वाले व्यय शीर्षों का विशेष उल्लेख किया गया।

लघु-इस्पात संयंत्र

958. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक, चण्डीगढ़, उड़ीसा और झारखण्ड जैसे राज्यों में लघु-इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने की व्यापक सम्भावना है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के पास इस संबंध में कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार "लोहा और इस्पात उद्योग" को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से भी छूट दे दी गई है। अत:, स्थान-स्थिति संबंधी कतिपय प्रतिबंधों को छोड़कर लोहा और इस्पात उत्पादन/प्रक्रमण सुविधाएं स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित नहीं हैं। इसलिए उद्यमी अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर देश में कहीं भी इस प्रकार की सुविधाएं स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) देश में कोई नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने का केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगारी की समस्या

959. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को कोई विशेष निधि आबंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निधि में राज्यवार आवंटन का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय राज्यों/संघ प्रदेशों के मार्फत (1) 9वीं कक्षा तक पढ़े व्यक्तियों को स्वरोजगार उद्यम लगाने को प्रोत्साहित करके (2) मजदूरी रोजगार प्रावधान के जरिए शहरी बेरोजगारों अथवा अल्परोजगार प्राप्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराने के लिए 1.12.1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना पर व्यापक दिशानिर्देशों के अलावा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ प्रदेश सरकारों को समुचित निर्देश जारी किए जाते हैं। राज्यों/संघ प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) के अंतर्गत लघु उद्यम लगाने के लिए 278902 लाभार्थियों को सहायता तथा शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी) के अंतर्गत 334.52 लाख श्रम दिवसों का सृजन किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्र और राज्य 75:25 के अनुपात में कार्यक्रम को वित्त मुहैया कराते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष जारी धन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान जारी केन्द्र अंश का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997-98 के दौरान जारी	1998-99 के दौरान जारी	1999-2000 के दौरान जारी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	839.66	1364.28	1398.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	50.99	65.01	88.65
3.	असम	540.38	823.08	191.07
4.	बिहार	506.09	779.22	408.63
5.	गोवा	20.94	34.40	28.72
6.	गुजरात	521.86	788.28	340.62
7.	हरियाणा	86.87	134.79	182.23
8.	हिमाचल प्रदेश	50.54	74.94	70.91
9.	जम्मू व कश्मीर	63.54	72.31	97.76
10.	कर्नाटक	736.46	1114.08	1340.11
11.	केरल	202.99	377.09	448.32
12.	मध्य प्रदेश	927.18	1511.77	1836.21
13.	महाराष्ट्र	1402.22	2043.29	715.38

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	122.95	191.12	44.24
15.	मेघालय	73.24	118.45	27.30
16.	मिजोरम	69.63	125.64	146.30
17.	नागालैंड	53.33	84.16	82.34
18.	उड़ीसा	223.11	360.44	460.83
19.	पंजाब	68.33	135.22	160.99
20.	राजस्थान	329.91	620.52	330.23
21.	सिक्किम	20.51	30.98	30.02
22.	तमिलनाडु	919.50	1479.77	514.00
23.	त्रिपुरा	93.98	157.74	82.52
24.	उत्तर प्रदेश	1181.03	1988.42	2344.02
25.	पश्चिम बंगाल	518.64	822.00	285.52
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप	72.66	116.43	71.97
27.	चंडीगढ़	48.42	80.98	0.00
28.	दादर व नागर हवेली	12.50	37.67	54.06
29.	दमन व दीव	50.05	63.92	47.66
30.	दिल्ली	32.70	183.61	19.00
31.	पांडिचेरी	22.66	67.39	29.60
	योग	9862.87	15847.00	11877.29

बोंदा आदिवासियों का उत्थान

960. श्री अनन्त नायक: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं और नौवीं पचंवर्षीय योजनाओं के दौरान उड़ीसा में बोंदा आदिवासियों के उत्थान के लिए कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) क्या बोंदा आदिवासियों के कल्याण/उत्थान के लिए विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजनाओं के दौरान इसके क्या निष्कर्ष रहे?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना उड़ीसा सरकार से एकत्र की जा रही है।

विदेशी नागरिकों/आतंकवादियों को छोड़ना

961. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रिहा किए गए उन विदेशी नागरिकों जिनमें ऐसे उग्रवादी भी शामिल हैं जिन्होंने हमारे देश के हितों के विरुद्ध कार्य किए हैं, का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इंटरपोल की सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) राष्ट्र हित के विरुद्ध कार्य करने के दोषी आतंकवादियों सहित विदेशी नागरिकों के विरुद्ध कानून के संगत उपबंधों के अनुसार मुकदमा चलाया जाता है और रिहा किया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

इसके अलावा, जहां कहीं आवश्यकता होती है, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इन्टरपोल की सहायता भी प्राप्त की जाती है। ऐसी सूचना के ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं है।

जीवन रक्षक दवाओं का आयात

962. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, आज तक आयातित जीवन रक्षक दवाओं का कुल मूल्य क्या है;

(ख) किन कंपनियों से इन दवाओं का आयात किया गया है; और

(ग) देश में ही इन दवाओं के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) औषधि नीति या औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 में जीवन रक्षक तथा अन्य औषधियों का कोई वर्गीकरण नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आयात की गई औषधियों तथा दवाइयों का कुल मूल्य निम्न प्रकार है:

(रु. लाख में)

वस्तु/वर्ष	1997-98	1998-99	1999-2000
चिकित्सीय तथा भेषज उत्पादों का आयात	144711.68	161519.91	150230.30

स्रोत: भारतीय विदेशी व्यापार आंकड़े, मार्च, 2000 डी.जी.सी.आई.एस. वाणिज्य मंत्रालय।

(ख) औषधियों के आयात को कंपनीवार मानीटर नहीं किया जाता है।

(ग) औषध नीति का उद्देश्य उचित मूल्य पर पर्याप्त औषधि उपलब्ध कराना है। इस दिशा में, 1999 में, जो औषधियां विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित थी, उन्हें आरक्षण मुक्त कर दिया गया है। स्वत: मार्ग से 74% तक के सीधा विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के अनुमति के जरिए भेषज क्षेत्र में सीधा विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) को उदार कर दिया गया है।

मियादरा समुदाय के दावों के संबंध में अध्ययन

963. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण से उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जनजातीय प्रवृत्तियों के संबंध में मियादरा समुदाय के दावों के संबंध में अध्ययन करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार उक्त अध्ययन की क्या स्थिति है;

(घ) क्या इस संबंध में ए.एस.आई. द्वारा सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (च) भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) को मियादरा समुदाय पर एक अध्ययन करने के लिए 24 अप्रैल, 2000 को लिखा गया था। भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण ने इस समुदाय पर कुछ आलेख प्रस्तुत किया है लेकिन दी गई सामग्री पर्याप्त नहीं पाई गई। भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण से समुदायों को अनुसूचित करने के लिए निर्धारित मानदंडों के आलोक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का पुन: अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

आंध्र प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र

964. श्री ए. नरेन्द्र: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कुल जनजातीय क्षेत्र में से आंध्र प्रदेश में कितना जनजातीय क्षेत्र है;

(ख) उक्त राज्य में जनजातीय लोगों की जाति-वार जनसंख्या कितनी है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय लोगों को क्या प्रोत्साहन दिया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) आन्ध्र प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र देश के कुल जनजातीय क्षेत्र का 6.27% है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	जनजातीय का नाम	1991 में जनजातीय संख्या
1	2	3
1.	अन्ध	8228
2.	बगाता	109686
3.	भील	312
4.	चेंचू, चोंचबार	40869
5.	गदाबास	33127
6.	गोंड, नाइकपोद, राजगोंद	212058
7.	गौदू	11279
8.	हिल रेड्डी	432
9.	जतापूस	104804
10.	कम्मारा	44613
11.	काट्टूनायाकन	643
12.	कोलारम, मान्नेरवारलू	41254
13.	कोंडा धोरास	179334
14.	कोडा कापूस	34897
15.	कोंडा रेड्डी	76391
16.	कोंडास, कोडी, कोधू दसागा कोडस, धोगरला कोंडस	66629
17.	कोटिया, बेंथो ओनया, बायट्का, धूलिया, दुलिया	41591
18.	कोया, गोड, रालहा, राशा, कोया, लिंगधारी कोया	456496
19.	कूलिया	516
20.	मल्लास	2925
21.	मन्ना धोरा	21309
22.	मुखा धोरा, नूका धोरा	29680
23.	नायकस	23564
24.	प्रधान	20387
25.	पोरजा प्रगलपोरजा	24154
26.	रेड्डी धोरास	5677
27.	रोना, रेना	361
28.	सवारस कपू, मलाया सवारस खूट्टू सवारस	105465
29.	सुगाली लम्बाडीस	1641897
30.	थौटी	3654
31.	वाल्मिक	55836
32.	वेनादीस	395739
33.	येरूकुलास	387898
सभी अनुसूचित जनजातियों (अवर्गीकृत जनसंख्या शामिल है)		4199481

[अनुवाद]

स्मार्ट स्कूल

965. श्री सुरेश रामराव जाधव:
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) ने स्मार्ट स्कूलों के कोई ब्ल्यूप्रिंट तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितने स्कूलों के स्मार्ट स्कूल में परिवर्तित होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) इसमें स्कूलों के उद्देश्यों, उनकी मुख्य विशेषताओं और सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई है। इसमें छात्रों के कार्यकलापों के क्षेत्र, शिक्षकों की भूमिका, हार्डवेयर और साफ्टवेयर आवश्यकता तथा ऐसे स्मार्ट स्कूलों की स्थापना के लिए अपेक्षित प्रशासनिक सहायता की प्रकृति की रूपरेखा भी दी गई है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान स्मार्ट स्कूलों के रूप में परिवर्तित किए जाने के लिए संभावित स्कूलों की संख्या शून्य है। स्मार्ट स्कूलों की स्थापना स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन की प्रस्तावित संशोधित योजना के संघटकों में एक है। योजना को अभी इसके कार्यान्वयन के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

966. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजान के अन्तर्गत निधियों में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार की योजना के बीच अंतर को दूर करने और देश में गरीबी दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय आबंटन को वर्ष 1999-2000 की तुलना में कम कर दिया गया है। वर्ष 1999-2000 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पहला वर्ष था। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का कार्यान्वयन प्रक्रियान्मुख है जिसमें गरीबों के स्व-सहायता समूहों का गठन और उनका क्षमता निर्माण आवर्ती निधि के लिए समूह की ग्रेडिंग और आर्थिक गतिविधियां चलाने के लिए सहायता भी शामिल है। इसमें समूह के गठन से लेकर समूह के आर्थिक गतिविधि चलाने के लिए पात्र बन जाने तक लगभग एक वर्ष का समय लगता है। इसलिए निधियों का उपयोग प्रारंभिक चरणों में कम था जिसके कारण चालू वर्ष के लिए आबंटन को कम कर दिया गया है।

(ग) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आबंटन केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के आधार पर दिया जाता है। कुल मिलाकर राज्य और केंद्रीय योजना में कोई अन्तराल नहीं हैं क्योंकि राज्य उनके सदृश अंश को उपलब्ध कराने में समर्थ हैं। भारत में ग्रामीण गरीबी में पहले से ही कमी आ चुकी है।

कोयला खानों में सुरक्षा उपाय

967. श्री त्रिलोचन कानूनगो:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन कोयला कंपनियों की पहचान की है जो सुरक्षा उपायों का पालन नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी कोयला कंपनियों तथा उनकी सहायक कंपनियों की सूची क्या है; और

(घ) उन कोयला कंपनियों के प्रबंधन के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) समस्त कोयला खानों में सुरक्षा से संबंधित नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। श्रम मंत्रालय के अंतर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय भी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं, इसे सुनिश्चित करने के लिए खानों का निरीक्षण करता है।

[हिन्दी]

संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम

968. श्री पी.आर. खुंटे: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जनजातीय समुदाय के सामाजिक तथा आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार, भारत सरकार ने वन प्रबंधन में स्थानीय लोगों और वन आश्रित समुदायों के लिए 1.1.1990 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब तक 26 राज्य सरकारों ने 36000 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंधन (जे.एफ.एम.) कार्यक्रम कार्यान्वित किया है, जिसमें 10.2 मिलियन हेक्टेयर भूमि शामिल है।

संशोधित दिशा-निर्देशों के साथ संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम का कार्यान्वयन न केवल वनों की वृद्धि में सहायक होगा बल्कि वन क्षेत्रों में और उनके आस-पास स्थित देश के 2 लाख गांवों में सामाजिक-आर्थिक दशा में सुधार भी लाएगा क्योंकि वनों की देखभाल के पश्चात् सृजित आय को संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों में बांटा जाएगा। लोग भी गैर-काष्ठ वन उत्पादों को नि:शुल्क प्राप्त कर रहे हैं।

संयुक्त वन प्रबंधन को गरीबी उपशमन कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के फेडरेशन के सृजन के दौरान वन विकास एजेंसियां स्थापित की जा रही हैं। संयुक्त वन प्रबंधन से पूर्व सम्पूर्ण राजस्व सरकारी कोषागार को जाया करता था। अब लोग सरकार के साथ राजस्व शेयर करते हैं। काफी संख्या में लोग (जो अनुमानित 100 मिलियन हैं) संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम हमें देश के जनजातीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन में सहायता दे रहा है। संयुक्त वन प्रबंधन के उत्साहजनक परिणाम तब देखने में आते हैं, जब पिछले दो वर्षों के दौरान देश का वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का 19.27% से 19.39% तक बढ़ गया है।

[अनुवाद]

विदेशी मिशनरी

969. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में कितनी विदेशी मिशनरी कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या इन मिशनरियों के कार्यकरण के संबंध में सरकार द्वारा कोई मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कौन सी मिशनरियां राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल पाई गई; और

(ङ) इन मिशनरियां के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) 31.12.1999 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत में पंजीकृत मिशनरियों की कुल संख्या 1375 है।

(ख) जी हां।

(ग) 1984 के पश्चात् किसी नई मिशनरी को अनुमति नहीं दी गई। तथापि, उन विदेशियों, जो केवल प्रशासनिक हैसियत में अपने संगठनों के कार्यों की संवीक्षा आदि करने के लिए आ रहे हैं, को अल्पावधि वीसा जारी किए जा रहे हैं।

(घ) अभी तक कोई भी प्रतिकूल बात इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में भवनों के सुरक्षा पहलुओं के लिए निगरानी एजेंसी

970. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूकंप रोधी मानकों का पालन करने के लिए भवनों के सुरक्षा पहलुओं का ध्यान रखने हेतु दिल्ली में कोई निगरानी एजेंसी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) दिल्ली में भवनों के निर्माण का सुरक्षा पक्ष भवन उप नियमों द्वारा अधिशासित है जिसमें निर्मित/निर्माण प्रस्तावित भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। यह भवन उप नियम दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा अधिशासित और कार्यान्वित होते हैं। शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय भी किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा भवन उप नियमों के उल्लंघन को सख्ती से निपटने पर जोर देता रहा है और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ नियमों और अधिनियमों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों पर जोर देता रहा है। तथापि, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में दिल्ली में भवनों के निर्माण में अपेक्षित सुरक्षा उपाय के प्रावधान के लिए दिनांक 1.2.2001 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है जिसमें भवन निर्माण उप नियम, 1983 के भाग-3 (संरचनात्मक सुरक्षा और सेवाएं) के खंड 18 में उपयुक्त उपांतरण/परिवर्द्धन करने का प्रस्ताव है। इसकी एक प्रति संलग्न विवरण में है।

विवरण

संख्या के 12016/5/79-डीडीआईए/V ए/आईबी

भारत सरकार

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली,
दिनांक 1 फरवरी, 2001

सेवा में,

मीडिया आफिसर
डीएवीपी,
पी.टी.आई. बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली।

विषय: सरकारी सार्वजनिक सूचना को प्रकाशित करने हेतु अनुरोध।

महोदय,

कृपया दैनिक समाचार-पत्रों जैसे हिन्दुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स और जनसत्ता में तत्काल प्रकाशित करने के लिए सरकारी सूचना की प्रति इसके साथ संलग्न है।

संलग्न: यथोपरि (3 प्रतियां)

भवदीय
हस्ता/-
(आर.सी. नायक)
अवर सचिव (डीडी Vए)

प्रति:

1. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास भवन, आई.एन.ए. नई दिल्ली।
2. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, टाऊन हॉल, दिल्ली।
3. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (यूडी), दिल्ली सरकार, आ.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।

हस्ता/-
(आर.सी. नायक)
अवर सचिव (डीडी Vए)

शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी, 2001

दिल्ली में बनाए जाने वाले भवनों में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के बारे में अपेक्षित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए भवन उपनियम 1983 में उपयुक्त प्रावधान बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन रहा है। इस बारे में भवन उपनियम, 1983 में केन्द्र सरकार का जिन उपातरणों/परिवर्द्धनों को करने का प्रस्ताव है उन्हें एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा सुझाव को लिखित रूप में, इस नोटिस की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर, अवर सचिव, दिल्ली प्रभाग, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेज सकता है। आपत्ति अथवा सुझाव भेजने वाला व्यक्ति अपना नाम तथा पता भी दें।

उपांतरण:

(i) भवन उपनियम, 1983 के भाग-iii के खण्ड-18 (संरचनात्मक सुरक्षा और सेवाएं) को इस प्रकार उपांतरित किया जाएगा।

"18. नींव, चिनाई, टिम्बर, प्लेन कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, प्री-स्टैस्ड कंक्रीट और संरचनात्मक इस्पात का संरचनात्मक डिजाइन, भवनों को भूकंप सुरक्षा के लिए अनुलग्नक "क" में दिए गए भारतीय मानकों को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के भाग-VI संरचनात्मक डिजाइन, खण्ड 1-भार, खण्ड 2-नींव, खण्ड 3-लकड़ी, खण्ड 4-चिनाई, खण्ड 5-कंक्रीट, खण्ड 6-इस्पात के अनुसार किया जाएगा।

(टिप्पणी: जब कभी मानक अथवा राष्ट्रीय भवन संहिता का उल्लेख किया जाता है तब भारतीय मानक के अद्यतन प्रावधान को माना जाए)

(ii) भवन उपनियम के खण्ड 6.2.9 (भवन निर्माण परमिट के लिए आवेदन के साथ लगाए जाने वाले कागजात) में एक अतिरिक्त उप खण्ड निम्नलिखित अनुसार जोड़ने का प्रस्ताव है।

(i) अनुलग्नक- "ख" में यथानिर्दिष्ट प्रमाण-पत्र पर मकान मालिक (ओनर) और वास्तुकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

(सं. के-12016/5/79/डीडी Iए/Vए/Iबी)

हस्ताक्षरित/-

आर.सी. नायक, अवर सचिव

अनुलग्नक-क

आपदा सुरक्षा के लिए भारतीय मानकों/दिशानिर्देशों की सूची

भूकम्प सुरक्षा के लिए

1. भारतीय मानक: 1893-1984 "संरचनाओं के भूकंपरोधी डिजाइन के लिए मानदंड (चौथा संकरण)" जून, 1986

2. भारती मानक: 13920-1993 "डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्स्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स सब्जेक्टेड टु सीस्मिक फोर्सेस-कोड ऑफ प्रैक्टिस" नवम्बर 1993

3. भारतीय मानक: 4326-1993 "भूकम्प रोधी डिजाइन और भवनों का निर्माण-कोड ऑफ प्रैक्टिस (दूसरा संस्करण)" अक्टूबर 1993

4. भारतीय मानक: 13828-1993 "इम्प्रूविंग अर्थक्वेक रसिस्टेंस ऑफ लो-स्ट्रैंन्थ मैसनरी बिल्डिंग्स-गाइड लाइन्स" अगस्त, 1993

5. भारतीय मानक: 13827-1993 "इम्प्रूविंग अर्थक्वेक रसिस्टेंस ऑफ अर्बन बिल्डिंग्स-गाइडलाइन्स", अक्टूबर, 1993

6. भारतीय मानक: 13935-1993 "रिपेयर एण्ड सीस्मिक स्ट्रैन्थनिंग ऑफ बिल्डिंग्स-गाइड लाइन्स, नवम्बर, 1993

अनुलग्नक-ख

प्रमाण पत्र: योजना प्रस्तुत करते समय भवन नक्शों के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएं:

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत भवन योजनाएं, पैरा 18 में यथा निर्धारित अनुसार, सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करती हैं और दी गई सूचना के तथ्य हमारी जानकारी और ज्ञान के अनुसार सही हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा सहित संरचनात्मक डिजाइन अर्हता प्राप्त संरचना इंजीनियर द्वारा तैयार किया गया है।

भवन मालिक के हस्ताक्षर तारीख सहित (स्पष्ट अक्षरों में)	वास्तुकार के हस्ताक्षर तारीख सहित (स्पष्ट अक्षरों में)
नाम	नाम ....
पता................................	पता................................

तारामण्डल को खोलना

971. श्री ए. के. सांगतम: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नागालैण्ड में विज्ञान के क्षेत्र में खगोल शास्त्र के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कोहिमा, नागालैण्ड में तारामण्डल खोलने पर विचार कर रही है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) जी नहीं, सरकार द्वारा कोहिमा में कोई तारामण्डल स्थापित करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है, परन्तु खगोलशास्त्र के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए डीमापुर, नागालैण्ड में उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र के एक भाग के रूप में एक लघु-तारामण्डल की स्थापना की जा रही है।

लातूर–उस्मानाबाद के भूकम्प

972. श्री किरीट सोमैया: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लातूर–उस्मानाबाद भूकम्प के पश्चात् महाराष्ट्र सरकार ने देवास्कर समिति नामक समिति नियुक्त की थी, जिसने हाल ही में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 13 जिलों की भूकम्प प्रवण क्षेत्र के रूप में पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई विशेष मार्गनिर्देश उपलब्ध कराए गए हैं; और

(घ) भविष्य में इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से परामर्श करके अब तक क्या कदम उठाये गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस), नई दिल्ली से भारत के सीस्मिक जोनिंग मैप को परिशोधित करने का अनुरोध किया गया था। बी आई एस द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहित भारत के परिशोधित सीस्मिक जोनिंग मैप को प्रकाशित करने की प्रक्रिया आरंभ की गई थी।

लातूर भूकम्प के पश्चात्, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) ने, जो राष्ट्रीय भूकम्पनीय संजाल को प्रचालित करने के लिए केन्द्रक अभिकरण है, महाराष्ट्र में भूकम्पनीय प्रेक्षण संजाल का उन्नयन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से नियमित सम्पर्क बनाये रखा है। 30 सितम्बर, 1993 के लातूर भूकम्प के पश्चात आई एम डी द्वारा लातूर में एक स्थायी भूकम्पनीय वेधशाला स्थापित की गई थी। तत्पश्चात, अधुनातन डिजिटल उपस्करों द्वारा इस बेधशाला का उन्नयन किया गया था। विश्व बैंक की एक परियोजना के तहत, राष्ट्रीय संजाल के अंतर्गत पाँच (मुम्बई, पुणे, करड, अकोला और नागपुर) और वेधशालाओं का भी अधुनातन उपस्करों के द्वारा उन्नयन किया गया है। महाराष्ट्र इंजीनियरिंग रिसर्च इन्सटीट्यूट (एम ई आर आई), नेशनल जियोफिज़िकल रिसर्च इन्सटीट्यूट (एन जी आर आई) जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा 50 से अधिक भूकम्पनीय वेधशालायें महाराष्ट्र में वर्तमान में प्रचलित की जा रही हैं। आई एम डी महाराष्ट्र इंजीनियरिंग रिसर्च इन्सटीट्यूट के साथ निकट सम्पर्क में कार्य करता है और महाराष्ट्र राज्य में भूकम्पनीय वेधशालाओं/सर्वेक्षण को आवश्यक तकनीकी/प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध करवाता है। राज्य में चल रही कुछ वेधशालाओं को आई एम डी के राष्ट्रीय संजाल में एकीकृत किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की जनता की जागरूकता के लिए भूकम्प के विभिन्न पहलुओं पर बहु-भाषी पोस्टर भी प्रकाशित और वितरित किए जा रहे थे।

महाराष्ट्र और कर्नाटक में कापार्ट

973. श्री अशोक ना. मोहोल:

श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आज तक महाराष्ट्र और कर्नाटक में काउंसिल लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापार्ट) के सहयोग से चलाई गई परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उसके अन्तर्गत की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं के निरीक्षण हेतु अपनाए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कापार्ट के माध्यम से इन राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन सभी स्वैच्छिक संगठनों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है; और

(च) उन स्वैच्छिक संगठनों के राज्यवार नाम क्या हैं जिनके अनुदान को उक्त अनुदान के उपयोग में कथित अनियमितताओं के कारण रोक दिया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भूटान में उल्फा शिविर

974. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री तरुण गोगोई:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 दिसंबर, 2000 के 'राष्ट्रीय सहारा' में भूटान में उल्फा के गुप्त शिविर से संबंधित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि भूटान में कुछ अन्य आतंकवादी संगठनों ने भी शरण ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि भूटान में कैम्प हैं, जिनका प्रयोग, उल्फा और बोडो द्वारा सुरक्षित आश्रय, शरण-स्थान और प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है। इस मामले को भूटान सरकार के साथ उठाया गया है। भूटान नरेश ने आश्वासन दिया है कि भूटान नकारात्मक तत्वों को भारत के हितों के प्रतिकूल गतिविधियां चलाने के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग नहीं करने देगा।

समुद्रीय जैव प्रौद्योगिकी का विकास

975. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार समुद्रीय जैव-प्रौद्योगिकी का पता लगाने के लिए कोई प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या जैव-प्रौद्योगिकी का समुद्र-क्षेत्र में कोई महत्त्व नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो समुद्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) औषधियों के विकास और पारंपरिक उपचारों में समुद्री वनस्पतिजात तथा प्राणिजात के प्रयोग के लिए "राष्ट्रीय समुद्री औषधि" परियोजना क्रियान्वयनाधीन है, इसके अलावा, जैव सक्रिय यौगिक का पता लगाने के लिए भारतीय घोड़े की नाल क्रैब, समुद्री मत्स्य ऊतक/तेल जिससे आईकोसा पेन्टानॉइस नामक उपयोगी अम्ल निर्मित होता है, का प्रयोग कार्डियोवेरकुलर रोग के उपचार में होता है, इन्डोटाक्सिन्स और एक्सोटाक्सिन्स के निर्माण के लिए अरब सागर के साइनोबैक्टीरिया का न्यूरोपेप्टाइड्स तथा केसर रोधी औषधि तैयार करने में उपयोगी जैव सक्रिय गुणधर्मों वाले समुद्री अपतृण पर भी अध्ययन किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जैव प्रौद्योगिकी और महासागर विकास विभाग तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की नवीं योजना में कई चालू कार्यक्रम हैं। समुद्री जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास के कार्यक्रम दसवीं पंचवर्षीय योजना में सोत्साह जारी रहेंगे, जिसे तैयार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ

976. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति:**
श्री शिवाजी माने:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस शीत ऋतु के दौरान पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर में सशस्त्र उग्रवादियों की घुसपैठ बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस शीत ऋतु के प्रत्येक माह के दौरान घुसपैठ के जरिये प्रवेश पाये आतंकवादियों की संख्या कितनी है; और

(ग) देश में आतंकवादियों के घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार ने और क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी नहीं।

यद्यपि, घुसपैठ के वास्तविक आंकड़ों का मूल्यांकन करना कठिन है लेकिन विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए आंकलनों के अनुसार घुसपैठ के उपलब्ध आंकड़े पिछली वर्ष की सर्दी के मौसम की तुलना में इस सर्दी के मौसम के दौरान घुसपैठ थोड़ी कम या करीब-करीब उतनी ही रही है।

सर्दियां प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद की अवधि की तुलना में सर्दियों में भी घुसपैठ कम होती है, जो पिछले वर्षों में हुई घुसपैठ की स्थिति के समान है। हिमालय के ऊंचाईयों पर बर्फ पड़ने से दर्रे बंद हो जाने के कारण सामान्य रूप से सर्दियों में घुसपैठ कम हो जाती है।

(ग) सरकार, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद पर काबू पाने और घुसपैठ रोकने के लिए एक विस्तृत दृष्टिकोण अपना रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबन्धन को सुदृढ़ करना, भीतरी प्रदेश में उपर्युक्त सुरक्षा कार्रवाई करना, सूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, उन्नत प्रौद्योगिकी, सुरक्षा बलों के लिए हथियार, ऑपरेशन ग्रुपों के फ्रेमवर्क के माध्यम से अधिक एकीकृत कार्य करना और यू एच क्यू और निम्न स्तरों पर सूचना ग्रुप बनाना आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

जवाहर ग्राम योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

977. **श्री रामदास आठवले:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विशेष रूप से आदिवासी, पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी सड़कों का निर्माण किया गया, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पर राज्य-वार कितना व्यय हुआ है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विशेष रूप से आदिवासी तथा अनुसूचित जाति के कितने लोगों को राज्यवार रोजगार उपलब्ध कराया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) जवाहर रोजगार योजना को 1.4.1999 से पुनर्गठित किया गया है और इसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का नाम दिया गया है। मंत्रालय जनजातीय और पिछले क्षेत्रों में बनाई गई ग्रामीण सड़कों की अलग-अलग निगरानी नहीं करता है। जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण सड़कों के निर्माण और व्यय का राज्यवार विवरण विवरण-I में देखा जा सकता है। परन्तु, मंत्रालय को अभी तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वर्ष 1999-2000 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित की गई सड़कों का पूर्ण ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है। इसी अवधि के दौरान जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत सृजित मजदूरी रोजगार का राज्यवार ब्यौरा, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का ब्यौरा भी शामिल है, विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कें

क्र. सं.	राज्य	निर्मित सड़कें (किलोमीटर)			व्यय (लाख रु. में)		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00			0.00		
2.	अरुणाचल प्रदेश	318	410.00	126	28.88	38.2	103.85
3.	असम	1422.9	3337.98		2181.71	4778.24	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	4339			9480.55		
5.	गोवा	0.00	7.00		66.12	16.25	
6.	गुजरात	2643	2115.00	1873	3382.08	2487.04	2218.83
7.	हरियाणा	0.00			0.00		
8.	हिमाचल प्रदेश	450.5	410		234.79	250.93	
9.	जम्मू व कश्मीर	0.00	87.20		0.00	42.88	
10.	कर्नाटक	0.00	2104.00		0.00	3065.36	
11.	केरल	722.31	672.92		1588.46	1778.97	
12.	मध्य प्रदेश	3581.35	3955.61		6683.28	6466.46	
13.	महाराष्ट्र	3201	2063.00	1727	4195.27	4228.67	2204.27
14.	मणिपुर	158	150.00		46.21	61.46	
15.	मेघालय	100	310.00		35.59	79.27	
16.	मिजोरम	47	79.00	40.15	36.76	96.54	83.61
17.	नागालैंड	188.25	196.00		0		
18.	उड़ीसा	12028.12	14057.48	12288.5	4.9	5029.63	5512.09
19.	पंजाब	0			60.65		
20.	राजस्थान	0.00		564.25	0.00	1950.78	1580.59
21.	सिक्किम	0.00	192.00		0.00	236.49	
22.	तमिलनाडु	2248.11	895.74		9337.21		
23.	त्रिपुरा	193.62	579.00		125.1	416.63	141.19
24.	उत्तर प्रदेश	0	16273.00		0		
25.	पश्चिम बंगाल	4662	1673.00		5079.27	1572.53	
26.	अ. व नि. द्वीप समूह	0			0	6.62	
27.	दा. व ना. हवेली	35.5		4	40.83		1.20
28.	दमन व दीव	0			13.95		
29.	लक्षद्वीप	0			0.00		
30.	पांडिचेरी	3.26			3.3	9.03	
	कुल	36341.92	49567.93	16622.90	42624.91	32611.98	11845.63

रिक्त कालम का मतलब राज्य सरकार से आंकड़े नहीं प्राप्त होना है।

विवरण-II

जवाहर रोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत सृजित श्रमदिवस

(लाख श्रम दिवस)

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र राज्य	1997-98			1998-99			1999-2000		
		कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.
1.	आन्ध्र प्रदेश	310.98	95.65	45.09	224.68	66.47	27.15	133.89	40.81	16.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.88	0	2.88	3.96	0.00	3.96	5.92	0.00	5.91
3.	असम	107.69	18.63	31.99	199.57	35.91	66.83	132.86	26.35	43.94
4.	बिहार	533.04	212.91	113.87	584.91	233.49	112.85	424.90	174.01	74.53
5.	गोवा	2.55	0	0	1.70	0.00	0.00	1.26		
6.	गुजरात	82.81	14.91	39.43	59.18	10.41	28.18	44.75	7.67	20.76
7.	हरियाणा	16.01	9.61	0	23.84	14.18	0.00	18.84	11.03	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	10.11	4.25	2.04	15.39	6.92	2.03	14.43	5.60	1.93
9.	जम्मू व कश्मीर	24.05	0	0	20.59	0.00	0.00	9.74		
10.	कर्नाटक	265.91	73.86	28.79	222.16	61.89	27.07	175.49	51.09	20.40
11.	केरल	41.82	13.84	2.22	39.39	11.00	1.30	37.17	11.76	1.28
12.	मध्य प्रदेश	347.15	87.88	134.55	319.34	76.97	127.92	265.27	66.46	100.77
13.	महाराष्ट्र	527.74	142.19	114.48	403.81	109.47	96.65	341.55	88.68	83.94
14.	मणिपुर	2.16	0.15	1.6	5.59	0.19	3.67	1.11	0.05	0.79
15.	मेघालय	4.54	0	4.54	5.91	0.25	5.66	2.76	0.00	2.76
16.	मिजोरम	1.91	0	1.91	4.36	0.00	4.36	2.23	0.00	2.23
17.	नागालैंड	9.21	0	9.21	23.73	0.00	23.73	6.96	0.00	6.69
18.	उड़ीसा	299.82	92.47	111.72	296.84	89.54	107.00	211.51	61.09	72.23
19.	पंजाब	12.83	9.73	0	13.89	10.27	0.00	6.62	4.98	0.00
20.	राजस्थान	196.14	71.61	56.19	148.30	52.69	39.42	105.06	36.54	28.68
21.	सिक्किम	2.65	0.68	1.12	6.13	1.38	2.40	2.89	0.60	1.10
22.	तमिलनाडु	388.81	191.17	8.92	280.97	137.18	6.40	170.27	72.55	5.19
23.	त्रिपुरा	7.31	1.78	3.91	34.72	8.76	17.00	14.49	3.17	7.63
24.	उत्तर प्रदेश	599.49	296.54	5.32	691.39	365.08	6.82	438.89	227.33	3.00
25.	पश्चिम बंगाल	154.62	62.77	20.72	134.45	52.71	16.33	113.86	46.28	13.59
26.	अ. व नि. द्वीप समूह	0.15	0	0.08	0.38	0.00	0.20	0.21		0.11
27.	दा. व ना. हवेली	0.86	0	0.86	0.67	0.00	0.67	0.01	0.00	0.01
28.	दमन व दीव	0.56	0.05	0.35	0.11	0.0	0.40	0.00	0.00	0.00
29.	लक्षद्वीप	1.46	0	1.46	0.42	0.42	0.00	0.11	0.00	0.11
30.	पांडिचेरी	0.63	0.28	0	0.03	0.01	0.00	0.03	0.02	0.00
	कुल	3955.89	1400.95	742.53	3766.41	1345.49	728.00	2683.08	936.07	514.52

टिप्पणी: जम्मू व कश्मीर द्वारा श्रेणीवार ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया। रिक्त कालम का मतलब राज्य सरकार से आंकडे प्राप्त नहीं होना है।

[अनुवाद]

परती भूमि का विकास

978. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में परती भूमि का पता लगाने के लिए राष्टीय सुदूर संवेदी एजेंसी के सहयोग से एक अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कसी तिथि को अध्ययन शुरू किया गया तथा इसके निष्कर्ष क्या रहे;

(घ) क्या परती भूमि के फैलाव को नियंत्रित करने हेतु कोई प्रयास किए गए है; और

(ङ) यदि हां, तो परती भूमि विकास के संबंध में राज्यों की भूमिका के विशेष संदर्भ में इस दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड, जिसे विगत में पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत गठित किया गया था, ने राष्ट्रीय दूर संवदी एजेंसी, हैदराबाद के सहयोग से 1: 50,000 के पैमाने पर दूर संवेदी उपग्रह आंकड़ों का प्रयोग करते हुए देश में जिले-वार बंजरभूमि का पता लगाने के लिए दिसम्बर, 1986 में एक अध्ययन शुरू किया था। आरंभ में चरण-I और II में इस प्रयोजन के लिए 146 जिलों को लिया गया था। शेष जिलों को आवधिक आधार पर चरण- III, IV और V में कवर किया गया था। यह अध्ययन अब पूरा हो चुका है और भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस (वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया) मार्च, 2000 में प्रकाशित किया गया है। इस एटलस के अनुसार देश में बंजरभूमि (जिसमें 13 श्रेणियां शमिल हैं) का कुल क्षेत्रफल 63.85 मिलियन हैक्टयर है। बंजरभूमि का श्रेणी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भूमि संसाधन विभाग बंजरभूमि और अवक्रमित भूमि को विकसित करने का कार्य करता है जिसका उद्देश्य तीन मुख्य कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के जरिए भूमि के अवक्रमण को रोकना, ऐसी भूमि को उत्पादनकारी उपयोग में लाना तथा बायोमास विशेषकर ईधन लकड़ी और चारे की उपलब्धता को बढ़ाना है।

1.4.95 से इन कार्यक्रमों को वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वाटरशेड पद्धति के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। तब से लेकर 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत 18.22 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 192 परियोजनाएं, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत 41.68 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 8335 परियोजनाएं और मरूभूमि कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत 18.47 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 3694 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा वर्ष 2000-2001 के दौरान समेकित बंजरभूमि कार्यक्रम विकास के अंतर्गत 6.1 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 57 परियोजनाओं, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 8.43 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 1685 परियोजनाओं और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 4.43 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 886 परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है।

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत वाटरशेड परियोजनाएं जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के पक्ष में स्वीकृत की जाती है, जिन्हें परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में राज्य सरकारों के विभिन्न समनुरूप विभागों, गैर सरकारी संगठनों आदि के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में इन तीन कार्यक्रमों के अंतर्गत वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन में समन्वय तथा इनकी समीक्षा करने के लिए राज्य स्तर पर राज्य वाटरशेड कार्यक्रम कार्यान्वयन और समीक्षा समितियां गाठित करने की व्यवस्था है।

विवरण

भारत की श्रेणी-वार बंजरभूमि

(क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में)

क्रम सं.	श्रेणी	कुल बंजरभूमि	इनमें शामिल कुल भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशतता
1	2	3	4
1.	खड्डयुक्त और या बीहड़ी भूमि	20553.35	0.65
2.	झाड़ी युक्त/झाड़ी रहित भूमि	194014.29	6.13

1	2	3	4
3.	जलाक्रांत और दलदली भूमि	16568.45	0.62
4.	लवणीयता/क्षारीयता से प्रभावित तटी/अन्तरस्थलीय भूमि	20477.38	0.65
5.	झूम खेती वाला क्षेत्र	35142.20	1.11
6.	अप्रयुक्त/अवक्रमित अधिसूचित वन भूमि	140652.31	4.44
7.	अवक्रमित चरागाह/गोचर भूमि	25978.91	0.82
8.	बगान फसलों के अंतर्गत अवक्रमित भूमि	5828.09	0.18
9.	रेतीला-अन्तरस्थलीय/तटीय क्षेत्र	50021.65	1.58
10.	खनन/औद्योगिक बंजरभूमि	1252.13	0.04
11.	ऊसर चट्टानी/पथरीली बंजर/शीट रॉक क्षेत्र	64584.77	2.04
12.	सीधी ढलानवाला क्षेत्र	7656.29	0.24
13.	बर्फ अच्छादित/हिमनदीय क्षेत्र	55788.49	1.76
	बंजरभूमि का कुल क्षेत्रफल	638518.31	20.17

टिप्पणी: जम्मू और कश्मीर में 1,20,849.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के नक्शे तैयार नहीं किए गए हैं और इस प्रकार प्रतिशतता के परिकलन के लिए इसे गणना में नहीं लिया गया है।

अनुसंधान और विकास परियोजना

979. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों द्वारा शुरू की गई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्षवार, राज्यवार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रौद्योगिकी विकास मिशन

980. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री जी. एस. बसवराज:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रौद्योगिकी विकास मिशन परियोजना का प्रथम आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त आकलन की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस पर की गई टिप्पणियों पर सरकार का क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या प्रौद्योगिकी विकास मिशन फेस-I पाँच भारतीय औद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) तथा इंन्डियन इंस्टीच्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर में 1993-94 से 1966-97 के बीच कार्यान्वित किया गया;

(घ) प्रौद्योगिकी विकास मिशन फेस-II के क्रियान्वयन में कितना समय लगेगा; और

(ङ) उक्त उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की जाएगी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी, हां।

(ख) मिशनों द्वारा किए गए आकलनों पर टिप्पणियां निम्नानुसार थी:

1. टी डी एम, आई आई टी/आई आई एस सी को उद्योग के निकट लाने में काफी सहायक सिद्ध हुए हैं।

2. माडल को आमतौर पर सन्तोषजनक आंका गया है और आगे द्वितीय चरण में इसमें सुधार की गुंजाइश है।

3. वर्तमान में 95% अनुसंधान सरकार द्वारा संचालित है। उद्योगों की भागीदारी प्रभावपूर्ण नहीं है। अतएव इसका प्रभाव मामूली ही है। केवल टी.डी.एम. ही उद्योग और लाभभोगियों आदि की भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

4. भाग लेने वाले उद्योगों ने टी.डी.एम. द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की।

5. टी.डी.एम. द्वारा अध्यापकों, शोधकर्ताओं एवं प्रौद्योगिकीविदों को सशक्त शिक्षण अनुभव प्रदान किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रौद्योगिकी विकास मिशन चरण II को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इसे वित्तीय वर्ष 2001-2002 से आरंभ किये जाने हेतु निर्धारित किया गया है।

(ङ) वर्ष 2001-2002 के लिए प्रौद्योगिकी विकास मिशन चरण-II हेतु 8 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

अवैध निर्माण

981. श्री राधा मोहन सिंह: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी आवासों से अवैध निर्माण हटाने संबंधी कोई निदेश दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से कुछ सरकारी आवासों से अवैध निर्माण नहीं हटाए गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं तथा सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हाँ। सरकारी क्वार्टरों में किए गए अवैध निर्माण को हटाने के संबंध में सरकार द्वारा समाचारपत्रों में एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। अवैध निर्माण का पता लगाने का कार्य लगातार चलता रहता है। जब भी केन्द्रीय लोक निर्माण निभाग किसी अवैध निर्माण की सूचना सम्पदा निदेशालय को देता है तो आवंटिती को नियमों के अनुसार अवैध निर्माण हटाने अथवा आवंटन रद्द करने के संबंध में नोटिस दिया जाता है।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात निर्यातकों के खिलाफ आरोप

982. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय इस्पात निर्यातकों के खिलाफ कुछ अमेरिकी कंपनियों द्वारा लगाए गए आरोपों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कंपनियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (घ) अमरीका की कुछ कंपनियों द्वारा भारतीय लोहा तथा इस्पात उद्योग के खिलाफ यू.एस.ए. को तप्त बेल्लित कतिपय उत्पादों का पाटन करने तथा निर्यात को राजसहायता देने के आरोप लगाए गए हैं। याचिका में दिए गए कंपनियों के नाम हैं- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल), टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि. (टिस्को), एस्सार स्टील लिमिटेड (एस्सार), इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इस्पात), तथा जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड (जे.वी.एस.एल.)। इस मामले में यू.एस. वाणिज्य विभाग द्वारा भेजी गई प्रश्नावली के संबंध में भारत सरकार ने अपना जवाब दे दिया है।

संस्थानों को सम विश्वविद्यालय का दर्जा

983. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ माने हुए संस्थानों को सम विश्वविद्यालय का दर्जा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अनुसार, केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर इस अधिनियम के उद्देश्यार्थ यह घोषणा करती है कि उच्च शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय से इतर कोई भी संस्था सम विश्वविद्यालय होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिशानिर्देशों का एक सेट निर्धारित किया है जिसे सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए संबंधित संस्थान को पूरे करने पड़ते हैं।

(ख) सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करन के इच्छुक संस्थानों से अब तक प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सम विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की सूची

क्र.सं.	संस्थानों के नाम
1	2
आन्ध्र प्रदेश	
1.	मॉंटिसरी महिला कलाशाल, विजयवाड़ा
2.	टाइम्स (गैर-सरकारी संगठन), अनन्तपुर
3.	लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण राष्ट्रीय संस्थान, हैदराबाद
4.	राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद
5.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, वारंगल
6.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
असम	
7.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सिल्चर
1	2
गुजरात	
8.	अम्बानी प्रौद्योगिक संस्थान (ए.आई.टी.) जामनगर
9.	सरदार बलभभाई क्षेत्रीय एवं प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत
हरियाणा	
10.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कुरूक्षेत्र
हिमाचल प्रदेश	
11.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, हमीरपुर
जम्मू एवं कश्मीर	
12.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर
13.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान लेह, लद्दाख
कर्नाटक	
14.	कर्नाटक लिंगायत-शिक्षा सोसायटी, बेलगांव
15.	कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सुरतकाल
16.	कर्नाटक चित्रकला परिषद्, बंगलौर
17.	सेंट जॉन राष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान अकादमी, बंगलौर
केरल	
18.	पी.एम. पणिक्कर मानव विकास केन्द्र
19.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कालीकट
20.	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम
21.	केरल कलामण्डलम
22.	अन्तर्राष्ट्रीय द्रविड़ भाषा विज्ञान स्कूल, तिरूवनन्तपुरम
मध्य प्रदेश	
23.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
24.	भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल
25.	भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर
26.	श्री वैष्णव ऐजुकेशनल एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट, इन्दौर
महाराष्ट्र	
27.	भारतीय आयात एवं निर्यात प्रबंध संस्थान (आई.आई.ई.आई.एम.), मुंबई

1	2
28.	मेडिकल इन्सटीट्यूशन्स ऑफ प्रवर मेडिकल ट्रस्ट, लोनी
29.	पद्मश्री डॉ. डी.वाई., पाटिल विद्यापीठ, मुंबई
30.	विश्वेश्वरैया-क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, नागपुर
31.	श्री साई सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अहमदनगर
उड़ीसा	
32.	उड़ीसा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण ट्रस्ट, भुवनेश्वर
33.	राष्ट्रीय सामाजिक कार्य एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
34.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, राउरकेला
35.	रविन शॉ कालेज, कटक
पंजाब	
36.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, जालंधर
राजस्थान	
37.	मोदी शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, लक्ष्मणगढ़
38.	उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, सरदार शहर
तमिलनाडु	
39.	करूण्या प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, कोयम्बटूर
40.	भारत उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
41.	अमृता शैक्षिक संस्थान, कोयम्बटूर/कोच्ची
42.	के.जे. हास्पिटल-केजे. रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई
43.	वेलोर इंजीनियरी कालेज, वेलोर
44.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, तिरूचिरापल्ली
45.	वल्लीयाम्मई सोसायटी, चेन्नई
46.	एम.जी.आर. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई
47.	श्री वेंकटेश्वर इंजीनियरी कालेज, श्रीपेरम्बुदुर
48.	शन्मुघ इंजीनियरी कालेज, तंजावूर
उत्तरांचल	
49.	गुरूकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर (हरिद्वार)
50.	भरातीय वन्य जीवन संस्थान, देहरादून
उत्तर प्रदेश	
51.	मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, इलाहाबाद
52.	जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (जेआईआईटी), नोयडा
53.	कमला नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान, इलाहाबाद
पश्चिम बंगाल	
54.	भारतीय सामाजिक कल्याण एवं स्नातकोत्तर प्रबंध संस्थान, कलकत्ता
55.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, दुर्गापुर
56.	इंजीनियरी एवं प्रबंध संस्थान, कोलकाता
नई दिल्ली	
57.	इलेक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी संस्थान
58.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
59.	अन्तर्राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान
60.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान
61.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
62.	एपीजे एजुकेशन सोसायटी, जय सिंह रोड, नई दिल्ली
63.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली

फालतू भूमि के लम्बित मामले

984. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार आज तक ऐसी कितनी भूमि पर मुकदमा चल रहा है जिसे भूमि परिसीमन अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत फालतू घोषित किया गया है;

(ख) क्या अदालतों में लम्बित मामलों के निपटान हेतु राज्यों को कोई मार्ग-निदेश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) मार्च, 2000 तक मुकदमेबाजी के अंतर्गत भूमि क्षेत्र 1050442 एकड़ है। राज्य-वार स्थिति दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

विवरण

(क्षेत्र एकड़ में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मुकदमेबाजी के तहत मामलों की संख्या	शामिल क्षेत्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	2658	141363
2.	असम	109	23596
3.	बिहार	1708	159903
4.	गुजरात	1423	71214
5.	हरियाणा	288	4968
6.	हिमाचल प्रदेश	10	7115
7.	जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8.	कर्नाटक	1822	131172
9.	केरल	1487	30345
10.	मध्य प्रदेश	1169	79586
11.	महाराष्ट्र	586	31320
12.	मणिपुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
13.	उड़ीसा	उपलब्ध नहीं	11409
14.	पंजाब	1093	24642
15.	राजस्थान	871	78432
16.	तमिलनाडु	187	9589
17.	त्रिपुरा	8	59
18.	उत्तर प्रदेश	2617	50371
19.	पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं	194477
20.	दादर और नागर हवेली	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
21.	दिल्ली	13	183
22.	पांडिचेरी	44	698
	योग	16093	1050442

महासागर खनन हेतु धनराशि का प्रावधान

985. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में महासागर खनन हेतु धनराशि उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस राशि से क्या-क्या कार्य किए गए हैं;

(ग) क्या ऐसे कार्य लाभप्रद साबित नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी सभी खर्चों की समीक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) जी नहीं। समुद्र खनन के लिए आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। गहरे समुद्र संस्तर से पिण्डिकाओं के खनन की वाणिज्यिक एवं आर्थिक व्यवहार्यता विश्व में अभी तक कहीं भी स्थापित नहीं की जा सकी है। विभाग द्वारा अब तक किए गए प्रयास तकनीकी क्षमताएं स्थापित करने के लिए हैं।

बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम के प्रौद्योगिकी विकास (घटक) की स्थापना के लिए प्रथम चरण के रूप में, महासागर विकास विभाग द्वारा 6000 मीटर की गहराई से पिण्डिकाएं निकालने के लिए खनन प्रणाली का विकास विभिन्न चरणों में करने की योजना है। प्रथम चरण में, विभाग ने उथला संस्तर खनन प्रणाली के विकास के लिए विभाग की स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नै को आर्थिक सहायता प्रदान की। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान एवं सीगेन विश्वविद्यालय, जर्मनी के इन्स्टीट्यूट फॉर कॉन्सट्रक्शन ने संयुक्त रूप से आईकेएस के पास उपलब्ध मौजूदा क्रालर को पुन:परिष्कृत करके इस प्रणाली को विकसित किया। इस प्रणाली का मार्च 2000 के दौरान 410 मीटर की गहराई में समुद्र संस्तर पर परीक्षण किया गया। तत्पश्चात् इस प्रणाली को उथले गहराई में समुद्र संस्तर पर इसकी कार्यसाधकता के लिए प्रदर्शित किया गया। उथला संस्तर खनन प्रणाली हेतु विकसित प्रौद्योगिकी की समीक्षा विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई है।

यूरिया का आयात

986. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों का नाम क्या है जिनसे भारत सरकार उर्वरकों विशेषकर यूरिया का आयात कर रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने यूरिया के आयात हेतु कितने देशों के साथ अल्पावधि और दीर्घावधि समझौता किया है;

(ग) विभिन्न देशों से यूरिया के आयात हेतु कितने प्रस्ताव लंबित हैं अथवा अंतिम चरण पर हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया का कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ङ) क्या समझौता करने वाले देश समझौते को पूरा कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि हां, तो चूककर्ता देशों के नाम क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क), (ख) और (घ) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिसका आयात सरकारी खाते में किया जाता है। यूरिया के आयात निर्दिष्ट केनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा सार्वभौम निविदाओं, दीर्घावधि अनुबन्धों और स्थल खरीद के माध्यम से किए जाते हैं। सरकार केनलाइजिंग एजेंसियों को यूरिया के आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंध करने के लिए प्राधिकृत करती है और उसने यूरिया की आपूर्ति के लिए किसी देश के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। केनेलाइजिंग एजेंसियों ने भी किसी दीर्घावधि करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। गत तीन वर्षों के दौरान केलेनाइजिंग एजेंसियों द्वारा अल्पावधि अनुबन्धों के माध्यम से विभिन्न देशों से आयात की गई यूरिया की मात्रा इस प्रकार है:

(सभी आंकड़े लाख मी. टन में)

देश	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
सीआईएस	9.60	1.92	2.27
लीबिया	0.81	–	–
जर्मनी	0.29	–	–
बांग्लादेश	0.26	–	–
इंडोनेशिया	0.35	–	–
रोमानिया	1.36	–	–
कुवैत	3.94	0.49	0.50
कतर	3.01	1.03	1.10
सऊदी अरब	2.15	0.26	0.77
यूएई	2.12	0.36	0.69
ईरान	–	1.50	–
कुल	23.89	5.56	5.33

(ग) यूरिया के लिए तीन संयुक्त उद्यम नामत: इंडो-ओमान फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट, इंडो-ईरान ज्वाइंट बेंचर प्रोजेक्ट और स्पिक फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि., यूएई लम्बित हैं या अन्तिम रूप दिए जाने की स्थिति में हैं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

बागडिगी कोयला खान में दुर्घटना

987. श्री रामजी मांझी:
श्री रामशकल:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बागडिगी कोयला खान में पांच वर्ष पूर्व अग्नि दुर्घटना हुई थी और इसे बंद कर दिया गया परन्तु दो-तीन वर्षों के बाद इसे बिना किसी समुचित एहतियाती उपाय के पुन: शुरू किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दुर्घटना के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) भविष्य में कोयला खान कर्मियों की सुरक्षा हेतु निर्धारित/प्रस्तावित सुरक्षोपाय का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) सीम XI/XII के एक क्षेत्र को ऊष्मण के कारण बंद किया गया था और उसे अभी तक चालू नहीं किया गया है।

(ख) पिट नं. 10 के नार्थ में सीम 11/12 के स्टोवड्ड गोफ/क्रश्ड जोन में 28.11.1985 को ऊष्मण के लक्षण पाये गए थे।

(ग) कोई व्यक्ति जिम्मेवार नहीं पाया गया था। इसलिए जिम्मेवार पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रस्ताव का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भविष्य में कोयला खानों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:-

(i) जब कभी किसी सीम में आग लगती है उस सीम को आग निरोधी उपायों द्वारा सील कर दिया जाता है।

(ii) किसी खंडित संस्तर (स्ट्राटा) से आग वाले क्षेत्र में, खान के किसी भाग से अथवा सतह से हवा के संचार को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है।

(iii) आग निरोधी की स्थिति और उसके पीछे वातावरणीय स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रथक और आग निरोधों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है।

(iv) सतही क्षेत्र को अदहनीय सामग्री से ब्लैंकटिड किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सेल का डीलरशिप नेटवर्क

988. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सेल" अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने हेतु डीलरशिप नेटवर्क की स्थापना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीलरशिप नेटवर्क की स्थापना के बाद सेल के बिक्री केन्द्रों का स्थापना व्यय घटाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ बिक्री केन्द्रों को बंद कर दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) संपूर्ण देश में फैले अत्यधिक ग्राहक वर्ग तक विशिष्ट उत्पादों की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए सेल ने डीलर्स नियुक्त किए हैं। 31.1.2001 की स्थिति के अनुसार, देश में विभिन्न स्थानों में 65 अधिकृत डीलर्स हैं।

(ग) और (घ) अधिकृत डीलर्स नेटवर्क केवल सेल के बिक्री केन्द्रों के प्रयासों में सहायता करता है तथा वर्तमान में केवल सीमित उत्पादों तथा टन भार का कार्य करता है। अतः, डीलरशिप नेटवर्क स्थापित करने के कारण स्थापना व्यय में किसी प्रकार की कटौती का प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) वर्तमान में, डीलर्स की नियुक्ति की वजह से विद्यमान किसी बिक्री केन्द्र को बन्द करने की सेल की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

व्यावसायिक शिक्षा

989. श्री किरीट सोमैया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यावसायिक शिक्षा के वर्तमान कार्यान्वयन स्तर का आकलन करने तथा इस संबंध में समुचित संशोधन सुझाने के लिए कोई कार्यदल गठित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से उनकी टिप्पणियों हेतु इस कार्य दल की सिफारिशें परिचालित की हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा राज्यों/संघ क्षेत्रों से टिप्पणियों प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में राज्य सरकारों का वृहत दृष्टिकोण क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने कार्य दल की सिफारिशों के मद्देनजर व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में नए मार्ग-निर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (च) व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति का मूल्यांकन करने तथा उपयुक्त संशोधन का सुझाव देने के लिए दिनांक 23.3.1998 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया था। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्य दल की सिफारिशें परिचालित कर दी गई हैं। टिप्पणियां भेजने वाले अधिकतर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र व्यापक रूप से सिफारिशों से सहमत हैं। प्राप्त टिप्पणियों और अन्य रिपोर्टों/अध्ययनों के आधार पर एक कार्यनीति दस्तावेज तैयार किया गया। संशोधित योजना तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास योजनाएं

990. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास के कार्यान्वयन की योजनावार क्या स्थिति है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(घ) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसके प्रस्तावों के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों को कितनी संख्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान मंजूर किए गए/अस्वीकृत किए गए/लंबित प्रस्तावों का क्या ब्यौरा है;

(च) उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश को योजना-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(छ) लंबित प्रस्ताव कब तक मंजूर कर दिए जाएंगे?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (छ) इस मंत्रालय की विभिन्न केन्द्रीय और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इन योजनाओं की सूची अनुबन्ध में दी गई है। प्रस्तावों पर कार्रवाई राज्य सरकारों से इनकी प्राप्ति के आधार पर की जाती है और तदनुसार राज्य सरकार को वित्तीय निर्मुक्तियां की जाती हैं। जनजातीय उप योजना कार्य नीति के तहत 49 समेकित जनजातीय विकास परियोजनाएं, संशोधित क्षेत्र विकास परियोजना (माडा) के अंतर्गत 39 पॉकिटों, जनजातीय आबादी वाले 8 इलाकों को जनजातीय उप योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चुना गया है। इसके लिए राज्य में 7 आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) की पहचान की गई है। इन सभी चुनी हुई परियोजनाओं और समुदायों को विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से शामिल किया गया है। जनजातीय मंत्रालय योजनाओं के मानकों के अनुसार प्राप्त राज्य सरकार के सभी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करता है। मंत्रालय निधियों की निर्मुक्ति जिला-वार नहीं करता है। सामान्यतया, राज्य सरकार को निधियां तब निर्मुक्त की जाती हैं जब पिछले वर्षों के लिए राज्य सरकार को निर्मुक्त धनराशि का उपयोग प्रमाणपत्र मिल जाता है। पिछले तीन वर्षों में मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार को निर्मुक्त निधियां दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	निर्मुक्त धनराशि		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1.	जनजातीय उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	10164.83	9476.17	9797.15
2.	अनुच्छेद 275(1)	1262.50	2125	2250.96
3.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	49.96	49.39	2.62
4.	आदिम जनजातीय समूह	शून्य	100	132
5.	राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम योजना	200	255	शून्य
6.	अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कों का छात्रावास	शून्य	100	शून्य
7.	अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों का छात्रावास	शून्य	100	शून्य
8.	जनजातीय उप योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	शून्य	100.21	-
9.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण	शून्य	109.5	24.06
10.	शैक्षिक परिसर	50.02	39.57	60.65
11.	खाद्यान्न बैंक योजना	56.96	शून्य	शून्य

[अनुवाद]

अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरक्षा कवच

991. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राममोहन गाड्डे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया है कि सुरक्षा प्रदान किए जाने वाली व्यक्तियों के सुरक्षा कवच की तुरंत समीक्षा होनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रिपोर्ट में क्या सुझाव/सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों/सिफारिशों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी, हां श्रीमान। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि बड़ी संख्या में संरक्षित व्यक्तियों को सुरक्षा कवच प्रदान करने की नीति की समीक्षा करना, सुरक्षा कवच के स्तर को तर्कसंगत बनाना और संरक्षित व्यक्तियों की सूची में काट-छांट करना महत्वपूर्ण है।

(ग) और (घ) संरक्षितों की सूची की, खतरे के स्तर में आए परिवर्तनों के संदर्भ में, समय-समय पर, समीक्षा की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

992. श्री रामदास आठवले: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के बारे में लिए गए निर्णय का ब्यौरा मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय को उक्त ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 10.1.2001 के आदेश के तहत मंत्रिमंडल के निर्णय के ब्यौरे फाइल करने और निर्णय के कार्यान्वयन के तरीकों को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे।

(ग) से (ङ) जी, हां। उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण बाबत दिशा-निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालय में फाइल किये गये हैं। मामला इस समय न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

ग्रामीण महिला विकास

993. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यक्रमों को लागू करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को प्रोत्साहित करने और विकास कार्यक्रम का लिंग संबंधी आंकलन करने हेतु प्रशिक्षण देने हेतु कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम से ग्रामीण महिलाओं को कितना लाभ मिला है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता के संबंध में कोई आन्तरिक अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है और इस कार्यक्रम के कमजोर पहलुओं में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) मंत्रालय में इस समय महिलाओं के लिए अलग से कोई विशेष विकास कार्यक्रम नहीं है। तथापि, भारत सरकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में एक महिला घटक है ताकि इस वर्ग को लाभ मिल सकें। महिला घटकों वाली प्रमुख योजनाओं (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित) में निम्नलिखित शामिल हैं:-

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) 1.4.1999 से शुरू की गई जिसमें स्वरोजगार के विभिन्न पहलू जैसा कि गरीबों के स्वसहायता समूहों का गठन, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, आधारभूत ढांचा तथा विपणन शामिल है। यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक ब्लाक में गठित समूह का 50% महिलाओं के लिए अलग से होना चाहिए जो स्वरोजगारी के कम से कम 40% के लिए जिम्मेदार होगा।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) 1.4.99 से शुरू की गई जिसके दो उद्देश्य हैं—मांग आधारित सामुदायिक ग्रामीण आधारभूत ढांचा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पूरक रोजगार (बेरोजगार गरीबों के लिए) का सृजन करना। यह निर्धारित किया गया है कि रोजगार अवसरों का 30% महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए।

इन्दिरा आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में "गरीबी रेखा से नीचे" के लोगों के लिए आवासों के निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत विधवाओं और अविवाहित महिलाओं को भी वरीयता दी गई है। यह निर्धारित किया गया है कि इंदिरा आवास योजना के मकान परिवार की महिला सदस्य अथवा विकल्प के तौर पर पति और पत्नी के संयुक्त नाम में आबंटित किए जाएं।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) जो पिछले पांच वर्षों से लागू है, महिला पर विशेष ध्यान देते हुए "गरीबी रेखा से नीचे" के परिवारों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता लाभ नीति शुरू करने की दिशा में किया गया प्रयास है।

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को पेयजल आपूर्ति के लिए हैण्ड पम्पों के प्रयोग तथा रख-रखाव में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाएं ग्राम स्तरीय समितियों में भी होती है तथा हैण्ड पम्पों और अन्य स्रोतों के लिए कार्य स्थलों का चयन करने में भी सक्रिय रूप से शामिल होती हैं।

पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीनों स्तरों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं ताकि वे ग्राम स्तर पर विकास प्रक्रिया में सक्रियता से भाग ले सकें।

जहां पर और जब आवश्यक हो, वहां यथासंभव महिलाओं को विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए तैयार करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। जहां पर महिलाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित है वहां निगरानी प्रणाली द्वारा जेंडर आडिट में सावधानी बरती जाती है।

(ग) कार्यक्रमों के अंतर्गत महिलाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य कुल मिलाकर प्राप्त कर लिये गये हैं।

(घ) और (ङ) समय-समय पर कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया गया है किन्तु महिला घटकों के लिए अलग से मूल्यांकन नहीं किया गया है।

परामर्शदात्री और तकीनीक सेवाएं

994. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री जी. एस. बसवराज:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन के लोग भारतीय प्रौद्योगिकी और भारत से अंग्रेजी सीखने के इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या एजुकेशनल कंसलटेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा शिक्षा और मानव संसाधन विकास के विभिन्न पहलुओं पर परामर्शदात्री और तकनीकी सेवाएं देने की पेशकश की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या परियोजनाएं तैयार की गई हैं;

(घ) क्या भारत और चीन के मध्य इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) चीन के लोग सूचना प्रौद्योगिकी के पठन-पाठन और साफ्टवेयर विकास पर पाठ्यचर्या विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग के इच्छुक हैं।

(ख) से (घ) दिसम्बर, 2000 में भारत आये चीनी प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार-विमर्श के आधार पर एजुकेशनल कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड ने निम्नलिखित क्षेत्रों में भारत सरकार तथा चीन गणराज्य सरकार को प्रस्ताव सौंपे हैं:

(i) अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम;

(ii) अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के शिक्षकों की भर्ती;

(iii) चीन में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

ये प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन हैं और चीन की ओर से अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नागरिक सुरक्षा संगठन

995. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1960 में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संगठन की सेवाएं प्राकृतिक और अन्य आपदाओं में ली जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इस संगठन के कार्मिकों के प्रशिक्षण और ड्यूटी भत्ते पर कितना व्यय किया गया है;

(ङ) क्या इस संगठन के कार्मिकों को स्थायी नियुक्ति दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर इस संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (छ) नागरिक सुरक्षा संगठन वर्ष 1962 में स्थापित किया गया था और बाद में नागरिक सुरक्षा विधायन संसद द्वारा 1968 में अधिनियमित किया गया था। नागरिक सुरक्षा के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं:

(i) जीवन रक्षा;

(ii) सम्पत्ति के नुकसान को न्यूनतम करना; और

(iii) उत्पादन की निरन्तरता बनाए रखाना।

2. हालांकि, नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 में, विशेष रूप से, प्राकृतिक और अन्य आपदाएं शामिल नहीं हैं, फिर भी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव अभियानों के दौरान नागरिक सुरक्षा स्वंयसेवकों की सेवाएं ली जाती हैं।

3. केन्द्र सरकार ने, प्रशिक्षण, शस्त्रों से सुसज्जित करने और नागरिक सुरक्षा कोर को खड़ा करने के लिए राज्य सरकारों को वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रति वर्ष 5.5 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए नागरिक सुरक्षा कोर के प्रयोग के लिए ड्यूटी भत्ता देने की जिम्मेवारी उस प्राधिकारी की है जिसके कहने पर नागरिक सुरक्षा कोर की सेवाएं ली जाती हैं।

4. नागरिक सुरक्षा, राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त थोड़े से वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ एक स्वंयसेवी संगठन है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को इस संगठन में अस्थायी पदों के कम से कम कुछ भाग को स्थायी पदों में बदलने की सलाह पहले ही दे दी है।

5. नागरिक सुरक्षा संगठन को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) इस संगठन के नागरिक सुरक्षा स्वंयसेवकों/स्थायी कर्मचारियों को राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कालेज, नागपुर में विपदा प्रबन्धक प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ii) राज्यों को नागरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने और उनके प्रशिक्षण संस्थानों को अद्यतन बनाने की सलाह दी गई है।

(iii) एन.सी.सी. कैडेटों को, राहत और बचाव अभियानों से संबंधित नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है।

[हिन्दी]

सेल द्वारा स्क्रैप की बिक्री

996. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) द्वारा स्क्रैप की बिक्री की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी मात्रा में स्क्रैप की बिक्री की गई है;

(ग) क्या नए उत्पादों को स्क्रैप के रूप में बदलने के कारणों की जांच की जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान इस कारण सेल को घाटा हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान सेल के एकीकृत इस्पात संयंत्रों (इस्को सहित: द्वारा बिक्री किए गए स्क्रैप का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	मात्रा (हजार टन)
1997-98	912
1998-99	828
1999-2000	917

(ग) सेल द्वारा नए उत्पादों को स्क्रैप में नहीं बदला जाता।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उर्वरक हेतु भारत-ईरान समझौता

997. श्री रामजी मांझी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1994 के दौरान भारत और ईरान के मध्य उर्वरक के क्षेत्र में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना के अमोनिया और यूरिया संयंत्रों के लिए बोली आमंत्रण नवम्बर 1997 में जारी किया गया था तथा तत्पश्चात् जनवरी 1999 में पुन: जारी किया गया था। तथापि, कोई संतोषजनक प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। वित्त पोषण के लिए वित्तीय संस्थानों तथा ईपीसी बोलीदाताओं से भी प्रत्युत्तर उत्साहजनक नहीं रहा है। परिवर्ती बाजार दृश्य को देखते हुए परियोजना की व्यवहार्यता और इसके पुनर्गठन के बारे में परियोजना प्रवर्त्तकों के बीच विचार-विमर्श किए जाने की प्रस्ताव है।

बालीवुड और अपराध जगत के बीच सांठ-गांठ

998. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बालीवुड और अपराध जगत के बीच सांठ-गांठ का पर्दाफाश हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ष 2000 और 2001 के दौरान इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हैदराबाद विमानपत्तन पर आव्रजन संबंधी रैकेट

999. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राममोहन गाड्डे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद विमानपत्तन पर तैनात कतिपय पुलिसकर्मियों और ट्रेवल एजेंटों के बीच आव्रजन संबंधी रैकेट में लिप्त होने की जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सिलसिले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, सिकंदराबाद शहर के संबंधित पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सभी संबंधित ट्रेवल एजेंटों और दलालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976

1000. **श्री किरीट सोमैया:**
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्त करने हेतु क्या नियम और दिशा-निर्देश हैं;

(ख) क्या सरकार ने गुजरात में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए नियमों और दिशा-निर्देशों में ढील दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गुजरात में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अब तक देश-वार कुल कितना विदेशी अंशदान प्राप्त किया गया; और

(ङ) सरकार इस सहायता पर किस प्रकार निगरानी रखने जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अन्तर्गत, निश्चित सांस्कृति, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या समाजिक कार्यक्रमों वाली एसोशिएशनें, केन्द्र सरकार द्वारा पंजीकरण किए जाने या पूर्व अनुमति प्रदान करने के बाद विदेशी अभिदाय प्राप्त कर सकती हैं।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान। केन्द्र सरकार ने 1 फरवरी, 2001 से और 31 मार्च 2001 तक उपरिलिखित स्वरूप की सभी एसोशिएसनों (राजनैतिक दलों को छोड़कर) को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर केन्द्र सरकार की औपचारिक अनुमति प्राप्त किए बिना विदेशी अभिदाय, नकद या वस्तुओं में, स्वीकार करने के लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 6 (1-क) उपबंधों से छूट दी है:-

(i) प्रत्येक एसोशिएसन इस प्रयोजन के लिए एक नया बैंक खाता खोलेगी,

(ii) इस खाते का नाम "गुजरात भूकम्प राहत खाता" रखा जाएगा।

(iii) एसोशिएसन केवल इस नाम के बैंक खाते में ही विदेशी अभिदाय प्राप्त करेगी।

(iv) एसोशिएसन, इस नम के बैक खाते में प्राप्त विदेशी अभिदाय के अलग लेखे और रिकार्ड रखेगी।

(v) एसोशिएसन, इस नामक का बैंक खाता खोलने के एक सप्ताह के भीतर गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग को प्रपत्र एफ सी-1ए में ब्यौरे प्रस्तुत करेगी और।

(vi) एसोशिएसन प्राप्त विदेशी अभिदाय के बारे में प्रपत्र एफ सी-3 में और वस्तुओं के बारे में प्रपत्र एफ सी-6 में, वर्ष की समाप्ति के चार महीनों के भीतर, चार्टर्ड एकाऊन्टैन्ट द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित सूचना, विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम 1976 में यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग को देगी।

(घ) वर्ष 2000-2001 की विवरणियां अभी देय नहीं हुई है।

(ङ) उपर्युक्त छूट के तहत एसोशिएसनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय के प्रयोग का प्रबोधन, निर्धारित रीति से उनके द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों के माध्यम से किया जाएगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बाल आयोग

1001. **श्री रामदास आठवले:**
डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री सुबोध मोहिते:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बल कल्याण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के समन्वयन हेतु राष्ट्रीय बाल आयोग गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग को कब तक स्थापित करने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) राष्ट्रीय बाल आयोग स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इस समय, यह कहना संभव नहीं है कि उक्त आयोग कब तक स्थापित कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

महिलाओं द्वारा संसाधनों का प्रबंधन

1002. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर संसाधन प्रबंधन करने के मुद्दे की पहचान करने तथा इनके निपटान हेतु महिलाओं और महिला दलों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महिलाओं की अधिकारिता हेतु उनके जीवन-यापन को सुदृढ़ करने के लिए एक कार्यक्रम पहले से क्रियान्वयनाधीन है;

(घ) यदि हां, तो इस उप-कार्यक्रम से सामुदायिक संगठनों को कितना प्रोत्साहन और बल मिला है ताकि वे जीवन यापन संबंधी सभी मुद्दों विशेषकर निरंतर जीवन-यापन पर ध्यान दे सकें;

(ङ) इस कार्यक्रम को किन-किन राज्यों में क्रियान्वित किया गया है;

(च) राज्यों को इन गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि दी गई है; और

(छ) सरकार की इस योजना के विस्तार की भविष्य की योजना क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संसाधन प्रबंधन के मुद्दे की पहचान करने तथा इनके निपटान हेतु महिलाओं और महिला समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है। तथापि, भारत सरकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में एक महिला घटक है ताकि इस वर्ग को लाभ मिल सके। महिला घटकों वाली प्रमुख योजनाओं (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित) में निम्नलिखित शामिल है:-

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) 1.4.99 से शुरू की गई जिसमें स्वरोजगार के विभिन्न पहलू जैसा कि गरीबों के स्वसहायता समूहों का गठन, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, आधारभूत ढांचा तथा विपणन शामिल है। यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक ब्लाक में गठित समूह का 50% महिलाओं के लिए अलग से होना चाहिए जो स्वरोजगारी के कम से कम 40% के लिए जिम्मेदार होगा।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) 1.4.99 से शुरू की गई जिसके दो उद्देश्य हैं- मांग आधारित सामुदायिक ग्रामीण आधारभूत ढांचा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पूरक रोजगार (बेरोजगार गरीबों के लिए) का सृजन करना। यह निर्धारित किया गया है कि रोजगार अवसरों का 30% महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए।

इन्दिरा आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में "गरीबी रेखा से नीचे" के लोगों के लिए आवासों के निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत विधवाओं और अविवाहित महिलाओं को भी वरीयता दी गई है। यह निर्धारित किया गया है कि इंदिरा आवास योजना के मकान परिवार की महिला सदस्य अथवा विकल्प के तौर पर पति और पत्नी के संयुक्त नाम में आबंटित किए जाएं।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) जो पिछले पांच वर्षों से लागू है, महिला पर विशेष ध्यान देते हुए "गरीबी रेखा से नीचे" के परिवारों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता लाभ नीति शुरू करने की दिशा में किया गया प्रयास है।

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को पेयजल आपूर्ति के लिए हैण्ड पम्पों के प्रयोग तथा रख-रखाव में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनान के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाएं ग्राम स्तरीय समितियों में भी होती है तथा हैण्ड पम्पों और अन्य स्रोतों के लिए कार्य स्थलों का चयन करने में भी सक्रिय रूप से शामिल होती हैं।

पंचायती राज संस्थाओं कि सभी तीनों स्तरों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं ताकि वे ग्राम स्तर पर विकास प्रक्रिया में सक्रियता से भाग ले सकें।

(ग) से (छ) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा "महिलाओं की अधिकारिता हेतु उनके जीवन-यापन को सुदृढ़ करने" का कोई कार्यक्रम क्रियान्वयनाधीन नहीं है।

बिहार में पंचायत चुनाव

1003. श्री सईदुज्जमा: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में 28 वर्षों के बाद पंचायत चुनाव कराये जा रहे हैं जैसा कि 6 फरवरी, 2001 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस प्रकार मानवाधिकारों के हनन को समाप्त करने के लिए कोई तंत्र लाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) बिहार के प्राधिकारियों ने हाल में यह सूचना दी है कि राज्य में पंचायत चुनाव अप्रैल 2001 में कराए जाएंगे। पिछले पंचायत चुनाव वर्ष 1978 में हुए थे।

2. न्यायालय के इस स्पष्टीकरण के अनुसरण में कि राज्य में चुनाव कराने के लिए कोई स्थगन आदेश नहीं है और इन पंचायत चुनावों को मौजूदा कानून (लम्बित एस.एल.पी. के अंतिम निपटान के अधीन) के अनुसार कराया जा सकता है, राज्य सरकार ने अप्रैल, 2001 में पंचायत चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

3. संविधान के भाग IX में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक पांच वर्षों में नियमित रूप से पंचायत चुनाव कराना राज्यों के लिए अनिवार्य है। केन्द्र सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयास किए हैं जिनमें संबंधित राज्य सरकारों के साथ बातचीत और जहां पर निर्वाचित पंचायतें नहीं हैं, वहां सुनिश्चित रोजगार योजना निधियों/स्थानीय निकायों के लिए दसवां और ग्यारहवां वित्त आयोग अनुदान को रोकना शामिल है।

सीमा पर बाड़ लगाना

1004. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम और अन्य राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य अभी भी पूर्णता से काफी दूर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पर्यवेक्षकों, अन्वेषण एजेंसियों और राज्य सरकारों से प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार असम में घुसपैठिए जल्दी बहुसंख्यक हो जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विशेषकर असम में घुसपैठ को रोकने हेतु बाड़ लगाने का कार्य पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) भारत-बंगलादेश सीमा सड़क एवं बाड़ निर्माण परियोजना के चरण-1 में निर्माण के लिए स्वीकृत कुल 857.37 किलोमीटर बाड़ में से 854.01 कि.मी. में बाड़ लगाने का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है। इसमें से, असम में स्वीकृत 152.31 कि.मी. बाड़ में से 146.51 कि.मी. में बाड़ निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है।

सीमा क्षेत्रों के शेष हिस्से को कवर करने के लिए सरकार ने हाल में इस परियोजना के चरण-2 को स्वीकृति दी है, जिसमें 847 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2429.5 कि.मी. में बाड़ निर्माण का काम शामिल है। यह कार्य 2007 तक पूरा किया जाना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेंसी

1005. श्री शिवाजी माने: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने के उद्देश्य से पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त की गई नोडल एजेंसी ने अपने कार्य से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) जी, हां। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 12.9.2000 के आदेश के तहत दिल्ली के गैर-मंजूरशुदा/रिहायशी क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों को स्थानान्तरित/बंद करने संबंधी अपने आदेश के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण तथा इसे करवाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय को नोडल एजेंसी नियुक्त किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह अनुरोध किया गया था कि दिल्ली सरकार व स्थानीय एजेंसियों को प्रदान किये गये कार्यान्वयन तंत्र तथा इस मंत्रालय का यह विचार था कि नोडल एजेंसी इसमें कोई कारगर भूमिका नहीं निभा सकती और इसके जारी रहने से जिम्मेदारियों में अनावश्यक विस्तार होगा और सर्वोच्च न्यायालय का 12 सितम्बर, 2000 का अपना आदेश जारी करते समय जो विचार था, उस प्रयोजन को पूरा करने में मुश्किल होगी। तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मंत्रालय को नोडल एजेंसी के कार्यों से मुक्त नहीं किया है। मामला सिविल रिट याचिका संख्या 4677/1985-एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ व अन्य न्यायाधीन है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का पुनरोद्धार

1006. **श्रीमती मिनाती सेन:**
श्री ए. ब्रह्मनैया:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के पुनरोद्धार के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके पुनरोद्धार के संबंध में निर्णय लेने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वित्त मंत्री, इस्पात मंत्री, विनिवेश मंत्री तथा आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक बैठक 19 मई, 2000 को हुई थी जिसमें वी.एस.पी. की पुनरुद्धार योजना पर विचार-विमर्श किया गया था। आर.आई.एन.एल. (वी.एस.वी.) की पुनरुद्धार योजना पर विचार विमर्श करने/निर्णय लेने के लिए एक और बैठक करने का निर्णय लिया गया था। उक्त बैठक को आयोजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की उर्वरक उत्पादक इकाईयां

1007. **श्री रामजीलाल सुमन:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार स्थान-वार सरकारी क्षेत्र की कुल कितनी उर्वरक उत्पादक इकाईयां और उनकी सहायक इकाईयां कार्य कर रही है; और

(ख) पिछले वर्ष के दौरान उनकी कितनी प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग किया गया?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) आज की तारीख में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में 29 उर्वरक उत्पादक एकक हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान इनकी अवस्थिति, स्थापित क्षमताओं, उत्पादन और प्रतिशत क्षमता उपयोग के ब्यौरे संलग्न विवरण दिए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कम्पनी-वार, एकक-वार, अवस्थिति-वार वार्षिक स्थापित क्षमता, पोषकों के रूप में उत्पादन और वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रतिशत क्षमता उपयोग

कम्पनी/एकक का नाम और अवस्थिति	1999-2000					
	वार्षिक स्थापित क्षमता (000 मी. टन)		उत्पादन (000 मी. टन)		प्रतिशत क्षमता उपयोग	
	नाईट्रोजन	फास्फेट	नाईट्रोजन	फॉस्फेट	नाईट्रोजन	फॉस्फेट
1	2	3	4	5	6	7
एनएफएल: नांगल-I पंजाब	80.0	-	38.9	-	48.6	-
एनएफएल:, पंजाब	151.8	-	158.4	-	104.3	-

1	2	3	4	5	6	7
एनएफएल: भटिन्डा, पंजाब	235.3	–	249.9	–	106.2	–
एनएफएल: पानीपत, हरियाणा	235.3	–	245.1	–	104.2	–
एनएफएल: विजयपुर, मध्य प्रदेश	334.0	–	374.1	–	112.0	–
एनएफएल: विजयपुर विस्तार, मध्य प्रदेश	334.0		415.4	–	124.4	–
कुल (एनएफएल):	1370.4	–	1481.8	–	108.1	
फैक्ट: उद्योगमंडल, केरल	77.0	29.7	87.5	38.9	113.6	131.0
फैक्ट: कोचीन-I, केरल	151.8	–	122.0	–	80.4	–
फैक्ट: कोचीन-II, केरल	96.6	102.2	118.0	118.0	122.2	115.5
कुल (फैक्ट)	325.4	131.9	327.5	156.9	100.6	119.0
आरसीएफ: ट्राम्बे, महाराष्ट्र	90.5	45.0	61.6	61.6	68.1	136.9
आरसीएफ: ट्राम्बे-IV, महाराष्ट्र	75.1	75.1	64.8	64.8	86.3	86.3
आरसीएफ: ट्राम्बे-V, महाराष्ट्र	151.8	–	139.1	–	91.6	–
आरसीएफ: थाल, महाराष्ट्र	683.1	–	670.0	–	98.1	–
कुल आरसीएफ	1000.5	120.1	935.5	126.4	93.5	105.2
एफसीआई: सिंदरी, बिहार	151.8	–	140.7	–	92.7	–
एफसीआई: गोरखपुर, यू.पी.*	131.1	–	0.0	–	–	–
एफसीआई: रामगुण्डम, यू.पी.*	151.8	–	0.0	–	–	–
एफसीआई तालचर, उड़ीसा*	151.8	–	0.0	–	–	–
कुल (एफसीआई)	586.5	–	140.7	–	24.0	–
एचएफसी: नामरूप-I, आसाम*	21.0	–	0.0	–	–	–
एचएफसी: नामरूप-II, आसाम*	87.4	–	0.0	–	–	–
एचएफसी: नामरूप-III, आसाम	151.8	–	56.3	–	37.1	–
एचएफसी: दुर्गापुर, वैस्ट बंगाल*	79.6	–	0.0	–	–	–
एचएफसी: बरौनी, बिहार*	84.6	–	0.0	–	–	–
कुल (एचएफसी)	424.4	–	56.3	–	13.3	–
एमएफएल: चेन्नई, तमिलनाडु	254.3	142.8	313.4	139.2	123.2	97.5
एसएआईएल: राउरकेला, उड़ीसा	121.0	–	9.1	–	7.6	–
एनएलसी: नेवेली, तमिलनाडु	70.4	–	7.9	–	11.3	–
पीपीएल: पारादीप, उड़ीसा	129.6	331.2	135.5	346.8	104.6	104.7

1	2	3	4	5	6	7
एचसीएल: खेतरी, राजस्थान*	–	30.1	–	–	–	–
पीपीसीएल: अमझौर, बिहार*	–	42.2	–	0.8	–	1.9
पीपीसीएल: सलादीपुरा, राजस्थान*	–	15.8	–	1.4	–	8.9

*पुरानेपन, अव्यवहार्यता, संसाधन बाधाओं और फीडस्टाक नियंत्रणों सहित विभिन्न कारणों से इन संयंत्रों में उत्पादन को निलम्बित/बन्द कर दिया गया है।

@केवल यूरिया उत्पादन निलम्बित/बन्द किया गया।

[अनुवाद]

अवैध कब्जों को हटाना

1008. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में कुछ स्थानों पर अपने फ्लैटों से अतिक्रमण हटाया है और इस प्रक्रिया में कुछ नजदीकी फ्लैटों में दरार पड़ गई और कुछ मामलों में दीवारें तक गिर गई/टूट गईं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन फ्लैट मालिकों को मुआवजा देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) डीडीए ने सूचित किया है कि उसने कुछ स्थानों में कुछ डीडीए फ्लैटों से अनधिकृत निर्माण हटाए थे। लेकिन आस-पास के फ्लैटों में न तो कोई दरार पड़ी और न ही कोई दीवार गिरी।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जनगणना कार्य के लिए स्कूली अध्यापकों की तैनाती

1009. श्री नरेश पुगलिया: *क्या* **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फरवरी, 2001 में देश में जनगणना कार्य हेतु कितनी स्कूली और कॉलेज अध्यापकों को तैनात किया गया है;

(ख) इस जनगणना कार्य के लिए उनकी तैनाती की क्या शर्तें हैं;

(ग) क्या इस कार्य के लिए तैनाती के कारण स्कूल तथा कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई में बाधा पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) भारत की जनगणना, 2001 से संबंधित कार्य करने के लिए पूरे देश (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर क्योंकि वहाँ जनगणना संबंधी कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है) में फरवरी, 2001 के दौरान जनगणना करने वाले लगभग 20 लाख कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। जनगणना करने वाले इन कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों को अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया गया है और उन्हें जनगणना करने संबंधी कार्य करने के लिए मानदेय के रूप में 1500/- रुपये दिये जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता भी उन्हें दिया जाएगा। जनगणना संबंधी कार्य करने के लिए राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने भी शिक्षकों को कुछ छूट दी है। राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस बात का पूरा ध्यान रखने का प्रयास करते हैं कि जनगणना के कार्यों के चलते शिक्षण कार्यों में कम से कम बाधा पहुँचे।

मुर्गी पालकों के लिए आधुनिक रोग नैदानिक किट

1010. डा. वी. सरोजा: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नामाक्कल, तमिलनाडु में हैदराबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा कुक्कट पालन केन्द्र होने के कारण वहां के कुक्कुट पालकों को आधुनिक रोग नैदानिक किट वितरित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) "पशु रोगों पर नियंत्रण के लिए राज्यों का सहायता" नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत मुर्गीपालन से संबद्ध रोगों के लिए नैदानिक प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तमिलनाडु के नामाक्कल क्षेत्र के मुर्गीपालकों को उन्नत रोग नैदानिक किटों के वितरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि शीघ्र निदान में किसानों की सहायता करने के लिए नामाक्कल के पास अंदागैलोर गेट और इरोड में दो मुर्गीपालन रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं हैं। ये कुक्कुट बीट तथा बैक्टीरियाई संक्रमणों एवं परजीवी उत्पीड़नों के साथ विभिन्न परीक्षण भी आयोजित करते हैं। संतुलित राशन एवं अशुद्धताओं तथा विषों का पता लगाने के लिए कुक्कुट खाद्य का अनुमानित विश्लेषण इकाइयों की कुछ अन्य विशेषताएँ हैं।

यूरिया की कमी

1011. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यदि यूरिया का उत्पादन नहीं बढ़ाया गया तो देश में 2003 तक यूरिया की भारी कमी हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या यूरिया का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदमों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करना भी शामिल है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) सरकार एकमात्र नियंत्रित उर्वरक "यूरिया" की सम्पूर्ण देश में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। पिछले वर्षों में घरेलू क्षमता के क्रमिक निर्माण के माध्यम से यूरिया के उत्पादन में देश में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। यूरिया की मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच किसी सम्भावित अन्तर की पूर्ति आयातों के माध्यम से की जाती है।

(घ) और (ङ) दिनांक 24 जुलाई 1991 के औद्योगिक नीति विषयक संकल्प के अनुसार उर्वरक संयंत्रों की स्थापना/विस्तार करने के लिए किसी लाइसेंस की सामान्यत: आवश्यकता नहीं है। उद्यमी मंजूरी की शर्त पर देश में कहीं भी उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए स्वतंत्रत हैं। तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों को उनको प्रदत्त शक्तियों से परे ऐसा पूंजी व्यय करने से पूर्व सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होता है। यूरिया का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा देश में अनुमोदित की गई प्रमुख यूरिया संयंत्र पुनरुद्धार विस्तार परियोजनाएं और जो वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन हैं या वर्ष के दौरान पूरी हो गई हैं, विवरण-I में दी गई है। भारत में सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र में प्रस्तावित उन यूरिया परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं जो निर्धारित पद्धति के तहत सरकार के निवेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई हैं। सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा निवेश मूल्यांकन की शर्त पर सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को अप्रैल 1999 में सिद्धांतत: अनुमोदित किया गया था। पीआईबी द्वारा इन परियोजनाओं का निवेश मूल्यांकन जुलाई 1999 में किया गया था। इन परियोजनाओं पर अन्तिम निवेश निर्णय लेने हेतु एक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा जून 2000 में विचार किया गया था और इसे आस्थागित कर दिया गया था। यह प्रस्ताव परियोजनाओं की व्यवहार्यता, सब्सिडी की आवर्ती में कमी करने के लिए फीडस्टाक के रूप में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के उपयोग को बढ़ावा देने की वांछनीयता तथा सीमित मांग आपूर्ति अन्तर भविष्यवाणियों के कारण प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्यान्वयन को धीमा रखने की आवश्यकता के बारे में पीआईबी की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था।

विवरण-I

देश में वर्ष के दौरान कार्यान्वयनाधीन/पूरी की गई प्रमुख यूरिया परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजना का नाम, आवस्थिति और कम्पनी/सरकारी समिति	अनुमानित पूंजी लागत (रु. करोड़ में)	परिकल्पित उत्पाद	उत्पादन क्षमता (लाख एमटीपीए में	शून्य तारीख	प्रारम्भण की निर्धारित तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी) नामरूप, आसाम के नामरूप संयंत्रों का पुनरुद्धार	350.00	यूरिया	3.80	2.11.98	1.5.2001

1	2	3	4	5	6	7
2.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन. एफ. एल) (यूरिया संयंत्र विस्तार परियोजना), नांगल, पंजाब	135.13	यूरिया	1.48	11.5.99	1.2.2001 को प्रारम्भ

विवरण-II

सार्वजनिक/सहकारी एककों द्वारा निवेश अनुमोदन हेतु सरकार को प्रस्तुत की गई परियोजनाएं

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/सहकारी समिति का नाम	प्रस्तावित अवस्थिति	अनुमानित पूंजी लागत (रु. करोड़ में)	परिकल्पित उत्पादन		पूरा करने की अवधि
				उत्पाद	क्षमता लाख (एमटीपीए)	
1.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको) (तृतीय स्ट्रीम अमोनिया यूरिया विस्तार परियोजना)	हजिरा, गुजरात	1318	यूरिया	7.68	शून्य तारीख से 36 माह*
2.	कृभको (एफसीआई के मौजूदा स्थल पर नई अमोनिया यूरिया संयंत्र)	गोरखपुर, यू.पी.	1536	यूरिया	7.68	शून्य तारीख से 36 माह*
3.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) (ग्रास रूट)	नैल्लौर	1736	यूरिया	7.68	शून्य तारीख से 39 माह*
4.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) (अमोनिया/यूरिया विस्तार परियोजना)	थाल, महाराष्ट्र	1332	यूरिया	7.68	शून्य तारीख से 36 माह*

*शून्य तारीख सरकार द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित करने की तारीख है।

बैगा जनजाति

[हिन्दी]

1012. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैगा जनजाति समाप्त होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी जनजातियां कौन सी हैं जिन्हें दुर्लभ और विलुप्त जनजाति की कोटि में रखा गया है; और

(ग) बैगा जनजाति के कल्याण हेतु क्या योजनाएं लागू की जा रही है और इस उद्देश्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं।

(ख) जिन आदिम जनजातियों का ब्यौरा, जो संख्या में कम हैं और जिनकी जनसंख्या 1981-1991 के दशक के दौरान कम हुई है, निम्नलिखित हैं:

राज्य	समुदाय	जनसंख्या	
		1991	1981
कर्नाटक	जनुकूरूबा	29371	34747
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	सोम्पेन्स ग्रेट	131	223
	अडमानी	32	42

(ग) बैगा जनजाति के विकास के लिए समेकित विकास दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत शिक्षा, भोजन, सुरक्षा, पेय जल, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन तथा अवसंरचनात्मक विकास के क्षेत्रों के अंतर्गत लघु स्तरीय परिवार, समुदाय तथा क्षेत्र विकास योजनाएं राज्य योजना तथा विशेष केन्द्रीय सहायता की निधियों में से कार्यान्वित की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत 1998-99 में आरम्भ आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को 1998-99 के दौरान 1.00 करोड़ रुपए तथा 1999-2000 के दौरान 1.32 करोड़ रुपए बैगा जनजाति सहित आदिम जनजाति समूहों के विकास के लिए प्रदान किए गए हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास के लिए धनराशि का उपयोग

1013. **श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री जार्ज ईडन:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए दी जाने वाली धनराशि का उपयोग करने में राज्य सरकारों की विफलता पर चर्चा करने के लिए राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों और विभिन्न संगठनों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक को कब तक आयोजित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए दी गई राशि का प्रयोग दूसरे कार्यों के लिए किया है;

(घ) यदि हां, जो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) व्यतिक्रमी राज्यों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार लोगों को कार्यक्रमों के प्रति जागरूक बना कर यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखती है कि धनराशि का प्रयोग उचित प्रकार से हो;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राज्यों के पंचायती राज्य और ग्रामीण विकास के प्रभारी मंत्रियों की एक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है। परन्तु, बैठक की तारीख निश्चित नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) कुछ राज्यों में निधियों का अन्यत्र उपयोग करने की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। जैसे ही ऐसे मामले प्राप्त होते हैं उन पर यथोचित कार्रवाई शुरू करने के पहले उन्हें संबंधित राज्यों को उनकी टिप्पणी हेतु भेज दिया जाता है।

(च) और (छ) ग्रामीण विकास मंत्रालय इलेक्ट्रानिक मीडिया (टी वी एवं रेडियो) फिल्म, समाचार-पत्रों में विज्ञापन, पोस्टरों, इश्तहारों, बाहरी प्रचार प्रदर्शनियों आदि जैसे विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए गांवों में लक्षित समूहों के बीच ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने और सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रयास करता है?

(ज) राज्यों द्वारा निधियों का समुचित इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने आवधिक प्रगति रिपोर्टों, राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण, "क्षेत्र अधिकारी" योजना, निष्पादन समीक्षा समिति आदि जैसी विभिन्न प्रणालियों के जरिए निगरानी करने का एक व्यापक तंत्र विकसित किया है। निधियों का जारी किया जाना, उपयोग प्रमाण-पत्र और लेखा परीक्षा रिपोर्टों के प्राप्त हो जाने पर निर्भर करता है। निधियों का समुचित इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों पर जोर दिया जाता रहा है।

सामाजिक विज्ञान संबंधी राष्ट्रीय नीति

1014. **श्री जी. एस. बसवराज:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अन्य देशों के सामाजिक वैज्ञानिक सामाजिक विज्ञान संबंधी राष्ट्रीय नीति बनाने में सहायता करने और इसे तैयार करने हेतु जनवरी, 2001 में मिले थे;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में भारत और अन्य देशों के कुल कितने सामाजिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया;

(ग) इस संबंध में किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई तथा क्या-क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त निर्णय को क्रियान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) भारतीय सामाजिक विकास अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार "सामाजिक विज्ञानों में विजन 2020" नामक विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला 8 से 9 जनवरी, 2001 के दौरान आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में भारत से लगभग 100 सामाजिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। विदेश से केवल एक सामाजिक वैज्ञानिक ने इस कार्यशाला में भाग लिया था।

(ग) और (घ) इस कार्यशाला में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई थी:-

(i) सामाजिक विज्ञानों में विजन 2020;

(ii) विजन 2020: सामाजिक विज्ञानों में स्त्री-पुरुष संबंधी मुद्दे;

(iii) सामाजिक विज्ञानों और प्राकृतिक विज्ञानों के बीच समाभिरूपता, संचार और एकरूपता;

(iv) सामाजिक विज्ञान और समकालीन प्रतिकूलता;

(v) सामाजिक विज्ञानों में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग।

इस कार्यशाला में हुए विचार-विमर्श के निष्कर्ष अभी प्राप्त होने हैं।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): मैं वर्ष 1999-2000 के लिए लोक उद्यम सर्वेक्षण (खंड I से III) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पलट पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 3270/2001]

[हिन्दी]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): सभापति जी, मैं कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2000, जो 27 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 940 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(2) आंध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2000, जो 27 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 941 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(3) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2000, जो 27 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 942 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल टी 3271/2001]

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:-

1. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(अ) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रत्येक पत्र की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे एवं उस पर नियंत्रण-महालेखा परीक्षण की टिप्पणियां।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 3272/2001]

अपराह्न 12.01$^{3}/_{4}$ बजे

लोक लेखा समिति

की गई कार्यवाही संबंधी विवरण

[हिन्दी]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल): अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति (आठवीं लोक सभा) का "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क-सौन्दर्य प्रसाधन और उत्पादन का छिपाया जाना" से संबंधित 39वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण का हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति अठानवेवां

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा): अध्यक्ष महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 13 दिसम्बर, 2000 को हुई पांचवी बैठक का कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.02$^{1}/_{2}$ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

तीसरा, छठा, सातवां और आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. (श्रीमती) अनिता आर्य (करोल बाग): मैं रेल संबंधी स्थायी समिति (2001) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत करती हूँ:-

(एक) रेल संबंधी स्थायी समिति (1997-98) (ग्यारहवीं लोक सभा) के 'भारतीय रेल में कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण और क्षमता उपयोग' के बारे में तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(दो) रेल संबंधी स्थायी समिति (1997-98) ग्यारहवीं लोकसभा) के 'रेलवे इंजीनियर्स प्रादेशिक सेना' के बारे में चौदहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(तीन) रेल संबंधी स्थायी समिति (1998-99) (बारहवीं लोक सभा) के (1999-2000) की अनुदानों की मांगों' संबंधी तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(चार) रेल संबंधी स्थायी समिति (1999-2000) (तेरहवीं लोक सभा) के '(2000-2001) की अनुदानों की मांगों' संबंधी पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02$^{3}/_{4}$ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति अठानवेवां और निन्यानवेवां प्रतिवेदन

श्री रमाकांत आंग्ले (मारमागाओ): महोदय, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के नेशनल इंस्टीच्यूट आफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेस (एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस.) के बारे में 54वें प्रतिवेदन और ड्रेडेड डिजीजेज के बारे में 73वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 98वें और 99वें प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.03 बजे

कार्य मंत्रणा समिति की अठारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 26 फरवरी, 2001 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 18वें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 26 फरवरी, 2001 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्राणा समिति के 18वें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं नेताओं से अनुरोध कर रहा हूँ कि क्या मुझे 'शून्य काल' में सूची के अनुसार चलना होगा या अन्य कोई प्रणाली अपनानी होगी। कृपया मुझे बताइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अनेक माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है। क्या मुझे सूची के अनुसार चलना होगा या अन्य कोई प्रणाली अपनानी होगी?

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): हम जानना चाहेंगे कि किस नियम के अंतर्गत बाल्को पर चर्चा की जाएगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बाद में बोलने की अनुमति दूंगा इसका कारण यह है कि श्री भानसिंह भौरा का नाम सूची में पहले आता है।

..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे बताइए कि सूची का अनुसरण किया जाए या नहीं

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया: यह उल्लेख किया गया है कि बाल्को पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की जाएगी। परन्तु इसका फैसला नहीं किया गया था...*(व्यवधान)* केवल यही फैसला किया गया था कि बाल्को पर चर्चा की जाएगी और इस पर किस उचित नियम के अंतर्गत चर्चा की जाएगी इसका फैसला बाद में किया जाएगा। छपे हुए परिपत्र में, जिसे परिचालित किया गया है, यह कहा गया है कि बाल्को पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की जाएगी। इस पर सहमति नहीं हुई थी। मैं समझता हूँ कि कोई निर्णय लेने से पहले विभिन्न अन्य लोगों को साथ चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

कार्यवाही सारांश के बारे में गलत जानकारी दी गई है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: मुझे यह बात पूरी तरह के स्पष्ट करने दीजिए कि मेरा मंत्रालय कार्यवाही सारांश को कार्यवाही सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह काम सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। मैं इस संबंध में कोई काम नहीं करता। इसलिए मैं इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा।

श्री माधवराव सिंधिया: मैं इस बात से सहमत हूं कि मंत्री महोदय ने इस संबंध में अपनी सीमाएं व्यक्त की थी परन्तु इस पर बाद में फैसला किया जाना था। अत: इसे संशोधित किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)* इस पर आपका क्या विनिर्णय है?

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर आज ही निर्णय लेंगे।

:..(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने अभी-अभी कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार किए जाने के लिए प्रस्तुत किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह मुद्दा पहले ही उठाया जा चुका है।

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा): महोदय, हमारा पूरा देश 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस के रूप में मनाता है जिन्होंने इस दिन हमारे देश को, हमारी प्यारी मातृभूमि को अपना बलिदान देकर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के पंजों से आज़ाद करवाया था। यह आजाद भारत के हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि न केवल इस दिन भारत के महान सपूतों को याद रखा जाए बल्कि एक मजबूत भारत को जो सभी विदेशी प्रभावों, राजनैतिक और अन्य प्रभावों, से मुक्त हो का गठन करने की अपनी शपथ को दोहराए तथा जिसमें सभी नागरिकों को जात-पात साम्प्रदायिकता तथा व्यक्ति का व्यक्ति द्वारा हर प्रकार के शोषण से मुक्त होने का अवसर दिया जाए। अत: मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि समुचित उपाय किए जाए ताकि इस दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा सके इसे राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हम आपकी बात से सहमत हैं।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार): महोदय, हम भी इससे सहमत हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, 1977 में जब श्री राजनारायण भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे तो एक हजार की आबादी पर एक जन स्वास्थ्य रक्षक रखा गया था जिसका प्रति माह का वेतन 50 रुपए था। 24 साल बीत जाने के बाद भी उसका तनख्वाह केवल 50 रुपए है।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

अपराह्न 12.06 बजे

15 साल से राजस्थान और हरियाणा की सरकारों ने उनको 50 रुपए तनख्वाह भी नहीं दी। 3 लाख 20 हजार जन स्वास्थ्य रक्षक हैं, सी.एच.डब्ल्यू. हैं। ये लोग बराबर अपनी समस्याओं के लिए स्वास्थ्य मंत्री से मिलते रहे। 15 दिसम्बर से इन लोगों ने प्रदर्शन किया। ये लोग आन्दोलन कर रहे हैं। जब श्री इन्द्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इनकी समस्याओं के सम्बन्ध में मद्रास उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायधीश श्री पी.के. उमाशंकर की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई थी। उस विशेष समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी है। मैं व्यक्तिगत तौर पर खुद स्वास्थ्य मंत्री से मिला। हमने प्रार्थना करके उनसे कहा कि 50 रुपए प्रति माह वेतन का कोई अर्थ नहीं है। इनका वेतन नए सिरे से सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद भी सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 21 तारीख से पाँच लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। आज लगभग 400 लोग आमरण अनशन करेंगे। निरन्तर सम्पर्क करने के बावजूद सरकार ने इस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं की है। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे और राज्य सभा के सदस्य थे तो 14 नवम्बर 1984 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन लोगों की वकालत की थी। इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं हो सकता। 22-23 साल व्यतीत होने के बाद भी उनका वेतन 50 रुपए प्रति माह है। इस कारण वे लोग बराबर आन्दोलन और आमरण अनशन कर रहे हैं। हमने लोक सभा के पिछले सत्र में भी यह सवाल उठाया था लेकिन अफसोस की बात है कि जिन समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर सरकार को लेना चाहिए, उन्होंने उसे नहीं लिया।...*(व्यवधान)* यह बहुत गम्भीर मामला है। सरकार इस बारे में क्या करने वाली है?...*(व्यवधान)* वे 400 लोग मर जाएंगे। सरकार को अविलम्ब इस दिशा में कुछ करना

चाहिए।.....*(व्यवधान)* हम यहां जो सवाल उठाते हैं, सरकार उन्हें गम्भीरता से नहीं ले लेती हैं। वे केवल औपचारिकता मात्र बन कर रह जाते हैं।...*(व्यवधान)* सरकार क्यों नहीं कर रही है? उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। सरकार कुछ करती नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी को यहां बुलाइये।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस मसले पर ज्यादा समय नहीं लेना है लेकिन बेइन्साफी की एक सीमा होती है। पिछले 23-24 साल से उन्हें 50 रुपये मिल रहे हैं। राजस्थान और हरियाणा सरकारों ने पिछले 15 सालों से उन लोगों को एक रुपया भी नहीं दिया है। इस बीच में वेतन आयोग लागू हो चुका है। जो लोग गांवों में सेवा भाव से काम करना चाहते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं देना, यह अपने आप में एक गंभीर बात है। वे दवाइयां देने का काम करते हैं। ऐसे बहुत से लोगों ने सीख लिया है। यदि उनको पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? आज वे आमरण अनशन पर बैठे हुये हैं। हम चाहते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं, संसाधन विकास मंत्री डा. जोशी बैठे हुए हैं। उनको गरीब लोगों से कोई मतलब नहीं है...

उपाध्यक्ष महोदय : वे चिन्तन कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे सदन को आश्वासन दें या ऐसा बयान दिया जाये जिससे समस्या का समाधान निकल सकता हो। आखिरकर मानवता का सवाल है।

श्री बसुदेव आचार्य: उपाध्यक्ष जी, 23 साल हो गये जब 50 रुपये तय किया गया था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, इन्होंने यह मामला शून्य काल के दौरान उठाया है। यहां मामले पर चर्चा नहीं का जा सकती है। मैंने श्री के.पी. सिंह देव को बुलाया है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, मैं सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, वे आमरण अनशन कर रहे हैं। आप संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश कीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, आपको पता होना चाहिए यह शून्य काल है। आप मंत्री को उत्तर के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

श्री के. पी. सिंह देव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्ब लोक महत्त्व का मामला उठा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: उपाध्यक्ष जी, मंत्रीजी बैठे हुए हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सरकार को जवाब के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): उपाध्यक्ष जी, जीरो ऑवर में इसके बारे में कोई निर्णय देना ठीक नहीं लगता। जो मुद्दा यहां उठाया गया है, वह स्वास्थ्य मंत्री जी की नजर में लाया जायेगा।

अपराह्न 1214 बजे

(तत्पश्चात् श्री मुलायम सिंह यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री के.पी. सिंह देव बोलेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के.पी. सिंह देव: महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्त्व का मामला उठा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, मैं अपेक्षा करुंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस बारे में न केवल जानकारी देंगे बल्कि इस बारे में सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाते हुए वह यह जानकारी देंगे।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय मैं सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाते हुए इस बारे में जानकारी दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, इस पर पीएमओ की स्वीकृति अथवा जीओएम की स्वीकृति होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: बिना किसी स्वीकृति के उन्होंने उन्हें पहले ही आश्वासन दे दिया है कि इसे सम्बद्ध मंत्री को बता दिया जाएगा।

श्री के. पी. सिंह देव: उपाध्यक्ष महोदय में अविलम्बनीय लोक महत्त्व का मामला उठा रहा हूं। यह सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का लघु रत्न अर्थात् नालको के बारे में है।

नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी लि. खान मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उद्यम है जो 600 करोड़ प्रतिवर्ष का लाभ कमा रही है। इस वर्ष यह 615 करोड़ रु. होगा। इसका कुल कारोबार 2000 करोड़ रुपए का है और यह अपने काम करने के पहले दिन से ही पर्याप्त विदेशी मुद्रा कमा रही है। इस कम्पनी के अधिकारी 1997 से लम्बित संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन में असाधारण विलम्ब के कारण 26 और 27 फरवरी, 2001 को सामूहिक अवकाश पर जाने को मजबूर हो गए हैं जबकि लगभग सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने संशोधित वेतनमानों को पहले ही कार्यान्वित कर दिया है। हड़ताल कर रहे अधिकारियों के बेजोड़ प्रयासों के बावजूद कि संयंत्र को चालू रखा जाए, विद्यमान परिस्थिति के अधीन इसे लम्बे समय तक बनाए रखना सम्भव नहीं हो पाया।

अत: इस वृहत सार्वजनिक क्षेत्र को आने वाले खतरे से बचाने के लिए इस मामले में आपका हस्तक्षेप अत्यन्त आवश्यक है। मुझे आशंका है कि विनिवेश करने का और इसे बाल्को की तरह बेचने का यह एक आसुरी प्रयास है जोकि दुख की बात होगी।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): यह समझा जाता है कि भारत सरकार ने निर्णय ले लिया है कि इंडियन आयल कारपोरेशन, आई पी सी एल की महत्त्वपूर्ण वर्धा इकाई का अधिग्रहण करेगी। लेकिन आई पी सी एल की दो अन्य इकाईयों नामत: गंधार और नागथाने का भविष्य क्या होगा? इसका निर्णय अभी तक नहीं किया गया है। कुछ दिन पहले, मैंने विनिवेश मंत्री को पत्र लिखा था। उन्होंने उत्तर दिया कि लाभ कमा रही दो महत्त्वपूर्ण इकाईयों को उपयुक्त भागीदारों को विनिवेश किया जाएगा। अब जो हो रहा है वह यह है कि सरकार लाभ कमाने वाली इकाईयों का निजीकरण कर रही हैं और हानि उठा रही इकाईयों का राष्ट्रीयकरण कर रही है क्योंकि आई पी सी एल की वर्धा इकाई घाटा उठा रही है जबकि गंधार और नागथाने इकाईयां लाभ कमाने वाली इकाईयां हैं। वे काफी लाभ अर्जित कर रही है इसीलिए सरकार ने इन इकाईयों का निजीकरण करने का निर्णय किया है।

यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। मैं प्रधान मंत्री और विनिवेश मंत्री को बताना चाहूंगा कि वे आई पी सी एल की गांधार और नागथाने इकाईयों के शेयरों का विनिवेश न करें। यह एक प्रकार का घोटाला होगा। यह और कुछ नहीं केवल लाभ कमाने वाली इकाइयों का निजीकरण है। मैं सरकार में आग्रह करूंगा कि इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करे।

अपराह्न 12.16 बजे

खोपरा की खरीद करने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता के बारे में

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं सभा और केन्द्र सरकार के ध्यान में केरल से सम्बन्धित अत्यन्त गम्भीर मामला लाना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: केवल केरल!

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह मामला केवल केरल से ही नहीं बल्कि लक्षद्वीप और नारियल उगाने वाले सभी अन्य राज्यों से सम्बन्धित है। यह निर्णय लिया गया था कि सरकार नारियल कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिसम्बर माह तक अवश्य घोषित कर देगी। लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार ने नारियल कोपरा हेतु अधिकतम समर्थन मूल्य भी घोषित नहीं किया है। अब केरल में कोई खरीद नहीं की जा रही है। दक्षिण भारत के नारियल उगाने वाले किसान भुखमरी का सामना कर रहे हैं। नारियल का मूल्य कुछ बाजारों में घटकर 1.50 रु. प्रति नग हो गया है। खरीद एजेन्सियां खरीद नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके पास धन नहीं है। केन्द्र सरकार ने खरीद के लिए कोई निर्देश नहीं दिये हैं। सभी ने खरीदने का कार्य बंद कर दिया है।

उन्होंने मुझे कुछ समय पहले माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई बैठक के कार्यकारी सारांश दिये हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपका नाम वहां है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। मैं आपको भी मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: केरल, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सांसद और महोदय आपने जो लक्षदीप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष से भेट की थी और सरकार से पक्का आश्वासन मिला था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के सम्बन्ध में वे घोषणा करेंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको इससे सम्बद्ध होने की अनुमति दूंगा लेकिन अभी नहीं। इन्होंने सूचना दी है और इन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह उस बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन करें...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन के कथन के अलावा कुछ भी कार्यवाही सारांश में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप सभी एक साथ नहीं बोल सकते और अपने निवेदन अभिलिखित नहीं करा सकते।

*...(व्यवधान)**

श्री वरकला राधाकृष्णन: आप भी उस निर्णय के साक्षी थे।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप केन्द्र सरकार को इस समय हालांकि इसमें काफी विलम्ब हुआ है न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने को कहें।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, मैं इस मुद्दे पर श्री वरकला राधाकृष्णन के विचारों के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं।

महोदय पिछली अन्त:सत्रावधि में एक बैठक हुई थी जिसमें दक्षिण राज्यों से लगभग सभी सांसदों, माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष और काफी अन्य सदस्यों ने भाग लिया था। इस बैठक में, माननीय कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इस वर्ष के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 31 दिसम्बर 2001 से पहले घोषित किया जाएगा। लेकिन आज तक, उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है और आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की गई है। इतना ही नहीं नारियल के कोपरा की खरीद नेफेड द्वारा अन्ततः रोक दी गई है। इससे दक्षिण भारत के सभी नारियल उगाने वाले क्षेत्रों में अत्यन्त गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।...*(व्यवधान)* मैं संघ सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस वर्ष के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को घोषित करे और नारियल की जटा की खरीद हेतु कदम उठाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री थॉमस, श्री ई. अहमद और नारियल उगाने वाले राज्यों से सभी सदस्यों को श्री वरकला राधाकृष्णन के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): महोदय, सरकार को इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु केरल कनार्टक और लक्षद्वीप के नारियल उत्पादक क्षेत्रों के सदस्यों को संबद्ध किये जाने की अनुमति दी जाएगी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन मुझे कुछ कहने दीजिए। मंत्री महोदय यहाँ उपस्थित हैं और वे इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। श्री सुरेश मुझे बोलने दीजिए। इस मामले पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या अब आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...(व्यवधान)

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय यह बहुत गम्भीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं यह व्यक्तिगत रूप से जानता हूं।

श्री पी. सी. थामस: मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया था।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री थामस कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मुझे यह बताने दीजिए कि मैं इसे नैफेड अधिकारियों से प्रत्यक्ष रूप से जानता हूं कि उन्हें केन्द्रीय सरकार से 160 करोड़ रु. की आवश्यकता है। मैंने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री से बात की है। वे अदा करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री इन सभी की भावनाओं को गम्भीरतापूर्वक समझें क्योंकि कुछ राज्य भुखभरी की कगार पर हैं। उदाहरणार्थ मेरे अपने राज्य की भी यही स्थिति है। अत: कृपया इस समस्या पर ध्यान दें।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय मैं इस मामले को कृषि मंत्री के साथ उसी गम्भीरता से उठाऊंगा जैसा कि आपने व्यक्त की है।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला): महोदय, मैं बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं जो जम्मू और कश्मीर राज्य को तीन भागों में विभक्त करने के संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नेताओं द्वारा दिये गये दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्यों से उत्पन्न हुआ है।

यह बहुत ही काले दिन की बात है कि 1846 में अमृतसर में एक बैनामे के मार्फत जम्मू और कश्मीर राज्य को महाराज गुलाब सिंह के हाथों में बेचकर उसे उनके कब्जे में दे दिया था। यद्यपि सामन्तवादी शासकों से हमारे गहरे मतभेद थे, फिर भी हम इस ऐतिहासिक तथ्य को भुला नहीं पायेंगे कि एक शताब्दी से उन्होंने जम्मू और कश्मीर राज्य की तीन सांस्कृतिक इकाइयों का अपनी पुत्रियों की भांति लालन पालन किया था और एक शरीर, एक जीवन और एक आत्मा का बोध करते हुए एक परिवार का रूप दिया था। जम्मू और कश्मीर राज्य पिछले 150 वर्षों से एक इकाई बन गया है।

परन्तु अब देश में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर पैदा हुई है कि प्रभावशाली नेताओं और कुछ महत्त्वपूर्ण संगठनों के प्रमुख वक्तव्य जारी करते हैं कि राज्य को तीन भागों में विभक्त करने पर चर्चा की जानी चाहिए। मैं इस सभा को इन दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्यों के परिणामों के बारे में चेतावनी देना चाहता हूँ और इस प्रकार की भावनाओं और विचारों के परिणामों के बारे में भी चेतावनी देना चाहता हूं हम लोग जम्मू और कश्मीर में विभक्त हो जाएंगे। नेशनल कांफ्रेंस को भारी दवाब का सामना करना पड़ेगा। नेशनल कांफ्रेंस वहाँ पर अघोषित युद्ध लड़ रहा है। अत: मैं महत्त्वपूर्ण संगठनों के प्रमुखों को सचेत करना चाहता हूं जो ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर को तीन भागों में विभक्त करना उचित है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जिसके अन्तर्गत साम्प्रदायिक आधार पर राज्य को तीन भागों में विभक्त करने के लिए अलगाववादी शक्तियां जम्मू और कश्मीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस प्रकार के वक्तव्य देश की एकता के लिये खतरनाक रूझान पैदा करेंगे। अत: हमें ऐसी कार्रवाईयों की भर्त्सना करनी चाहिए और सभा और सरकार को ऐसी कार्रवाईयों पर ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। इस प्रकार के विचारों को बढ़ावा देना जम्मू और कश्मीर राज्य और देश के भविष्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होंगे।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। हम सब जानते हैं कि जैसे जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है वैसे ही जम्मू का इलाका, कश्मीर का इलाका और लद्दाख, जम्मू-कश्मीर राज्य के अभिन्न हिस्से हैं। इसलिए जम्मू-कश्मीर राज्य को तीन टुकड़ों में बांटने का किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव, दूर-दूर तक, भारत सरकार की सोच में नहीं है। इसलिए इस प्रकार की बात से मैं पूरी तरह से इंकार करता हूं और आपकी भावनाओं से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। जाति या पंथ के आधार पर जम्मू-कश्मीर राज्य के हिस्से किए जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जम्मू-कश्मीर प्रान्त के रूप में अखंड रहेगा और भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में भी अखंड रहेगा।

[अनुवाद]

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

यह अविलम्बनीय लोक महत्त्व का विषय है जिस पर मैं केन्द्रीय सरकार का तत्काल ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

कर्नाटक में उगाये जाने वाले तम्बाकू की देशी और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत अधिक मांग है। तम्बाकू का कुल उत्पादन 25 मिलियन कि.ग्रा. प्रति वर्ष है। सरकार ने उत्पादकों को अपने उत्पाद में 40 मिलियन कि.ग्रा. तक वृद्धि करने की अनुमति दी है। कर्नाटक के तम्बाकू की मांग दिनों दिन बढ़ रही है। हमारी लगातार माँग के बावजूद तम्बाकू के कुल उत्पादन की सीमा आज तक निर्धारित नहीं की जा सकी है। कर्नाटक के किसान लगातार यह मांग कर रहे हैं कि तम्बाकू के उत्पाद की अधिकतम सीमा 50 मिलियन कि.ग्रा. तक निर्धारित कर देना चाहिए। इस संबंध में और अधिक विलम्ब के बिना अन्तिम और किसानों के पक्ष में निर्णय लिया जाना चाहिए।

तम्बाकू बोर्ड ने कर्नाटक के तम्बाकू उत्पादकों की उपेक्षा की है। कर्नाटक में 40,000 से भी अधिक तम्बाकू उत्पादक है। राज्य में तम्बाकू के उत्पादक में 3 लाख से भी अधिक श्रमिक लगे हुए हैं। इन उत्पादकों और श्रमिकों की स्थिति दयनीय है क्योंकि तम्बाकू के मूल्य में भारी गिरावट देखी गई है। इसके अलावा विक्रय परमिट धारक लोग लाइसैंस परमिट की मांग कर रहे हैं। हमारा दृढ़ अनुरोध यह है कि इन सभी विक्रय परमिट धारकों को लाइसैंस परमिट तत्काल जारी करने चाहिए। ये कर्नाटक के तम्बाकू उत्पादकों की अत्यन्त गम्भीर और उचित मांगें हैं। कर्नाटक के तम्बाकू उत्पादकों का अस्तित्व इन दो मांगों पर निर्भर करता है।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूँ कि तम्बाकू उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करने और सभी विक्रय परमिट धारकों को लाइसैंस परमिट जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। उन्हें लाइसैंस परमिट की आवश्यकता है।

अत: मैं अन्त में केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूँ कि कर्नाटक के तम्बाकू उत्पादकों की रक्षा करें और कर्नाटक के तम्बाकू उद्योग में नई जान फूकें।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): उपाध्यक्ष महोदय मैं अनेक क्षेत्रों में भारत में चीन के माल को भेजने के संबंध में तत्काल लोक महत्त्व के मामले को उठाता हूं। हाल ही में यह हमारा अनुभव है कि अनेक प्रकार की वस्तुओं जिसमें बैटरी, सैल से लेकर इलैक्ट्रोनिक वस्तुएं, चावल जैसे खाद्य पदार्थ चीन से भारत भेजे जा रहे हैं। यह नहीं पता चल रहा है कि ये वस्तुए किस मार्ग से होकर देश में आ रही हैं। यह नहीं पता है कि यह तस्करी के मार्ग से आ रहे हैं या अधिकृत मार्ग से आ रहे हैं। इससे स्वदेशी उत्पादन को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है विशेषकर सीलिंग पंखों जैसी वस्तुओं के क्षेत्र में, वे प्रति नग 250 रु. में वस्तुएं बेच रहे हैं। जबकि देश में निर्मित वस्तु का मूल्य 600 रु. या 650 रु. है।

यदि इस प्रकार माल का आना जारी रहा तो ऐसे अधिकांश एकक बन्द हो जाएंगे। विशेषकर, हाल ही में चावल तक चाहें नमूने में ही क्यों न हो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में आल रहे हैं। आंध्र-प्रदेश में पहले ही विशेषकर चावल का भारी भण्डारण है जो बिक नहीं रहा है। धान और चावल का भारी भण्डारण है और चीन के चावल से एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है।

हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी केन्द्रीय खाद्य मंत्री से फोन पर अनुरोध किया है कि इस विशेष मामले की जांच करें। क्या सरकार चीन से भारत आने वाली वस्तुओं को रोकने में असमर्थ है। यदि यह जारी रहा और कड़ी कार्यवाही नहीं हुई तो स्वदेशी उत्पादन विशेषकर भारत के किसान उनमें भी आंध्र प्रदेश के किसानों को भारी नुकसान होगा। सरकार को सभा में चीन में बनी वस्तुओं की डंपिंग और भारतीय उत्पादकों और किसानों को इससे होने वाली हानि के बारे में एक व्यक्तव्य देने दीजिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार और पूरे सदन का ध्यान एक महत्त्वपूर्ण घटना की ओर ले जाना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं सभी माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि वे हमारी बात को थोड़ा शांतिपूर्वक सुन लें। 29 जनवरी 2001 को राष्ट्रीय सहारा अखबार जो लखनऊ से निकलता है, उसमें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई या नहीं हुई, उसके बारे में इम्पीरियल जापानी सेना के कैप्टन डा. तानेयूसी योशमी ने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की विमान दुर्घटना में घायल होने तथा उनका इलाज करने के दौरान नेताजी की मृत्यु के बारे में जानकारी दी है।...*(व्यवधान)* मैं इस खबर की ओर भारत सरकार और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसमें भारत सरकार को क्या करना है, आप यह पूछिये।

...*(व्यवधान)*

श्री धर्म राज सिंह पटेल: द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के बाद हांगकांग में ब्रिटेन के खुफिया विभाग...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसमें भारत सरकार को क्या करना है, आप यह पूछिए। सारी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री धर्म राज सिंह पटेल: मैं इस तरफ सदन का ध्यान खींच रहा हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इस सिलसिले में भारत सरकार को क्या करना है, वह आप पूछिये।

...*(व्यवधान)*

श्री धर्म राज सिंह पटेल: डा. योशमी ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जो विमान दुर्घटना में घायल हो गये थे...*(व्यवधान)* आप हमारी बात सुनिये। मैं अपनी बात पूरी नहीं कह पा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको बात नहीं करनी है। शून्य काल में भाषण नहीं देना है। आपको केवल सब्जैक्ट बताना और उस सिलसिले में सरकार को क्या करना है, वह बताना है। आपने तो भाषण देना शुरू कर दिया है।

...(व्यवधान)

श्री धर्म राज सिंह पटेल: मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। *...(व्यवधान)* आप हमारी बात सुन लें।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप यह बताइये कि इसमें सरकार को क्या करना है।

...(व्यवधान)

श्री धर्म राज सिंह पटेल: हम यह मांग करते हैं कि जो खबर उन्होंने अखबार में दी है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विमान दुर्घटना में घायल हुए तो हमने उनका इलाज किया। इलाज करने के बाद 18 अगस्त, 1945 की रात 11 बजे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनको लाश को टोक्यो ले जाने के लिए कहा गया लेकिन वहां के अधिकारियों ने उस मामले को दबा दिया। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपके उनकी ऐशेज को लाने के लिए नोटिस दिया है लेकिन आप तो यहां पर उनकी सारी कहानी पढ़ रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री धर्म राज सिंह पटेल: मैं चाहता हूं कि इस घटना की न्यायिक जांच कराई जाये।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इस तरह से तो शून्य काल में केवल दो-तीन आदमियों को ही बोलने का मौका मिलता है

...(व्यवधान)

श्री धर्म राज सिंह पटेल: आप हमारी बात सुन लें। *...(व्यवधान)* हम यह सुनाना चाहते हैं कि डाक्टर योशमी ने जो बयान दिया है, उस बयान के तहत क्योंकि वे अभी जीवित हैं और जापान में रहते हैं।*...(व्यवधान)* सरकार पूरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और उनकी अस्थिकलश आदि के बारे में पूरी जानकारी ले। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात प्राकृतिक आपदा से तबाह है और दिल्ली सरकारी आपदा से तबाह है यानी गुजरात भूकम्प से तबाह है लेकिन दिल्ली के गरीब डा. जगमोहन के हड़कम्प से तबाह हैं।*...(व्यवधान)* लाखों गरीबों के घरों को उजाड़ा गया। उनकी झुग्गी-झोंपड़ियों को उजाड़ा गया। फैक्टरियों के बंद होने से लाखों गरीब बेरोजगार होकर पलायन कर रहे हैं।

बीस-बीस हजार लोग रोज घर जा रहे हैं। हिन्दुस्तान के पूर्वी हिस्से में ट्रेन भरी हुई है। इसके खिलाफ श्री वी. पी. सिंह और लाखों लोगों ने आज एक रैली का आह्वान किया है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रासा सिंह रावत अब व्यवधान न डालें

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: हिन्दुस्तानी के सर्वोच्च सदन के सामने जंतर-मंतर पर लाखों लोगों ने श्री वी.पी. सिंह के नेतृत्व में आज प्रदर्शन किया। फैक्ट्री बंद होने से गरीब लोग बेरोजगार हुए हैं। झुग्गी-झोपड़ियों को उजाड़ा गया, वैकल्पिक प्रबंध नहीं किया। यहां सरकारी आपदा है और उधर प्राकृतिक आपदा है। गरीब लोगों को इससे बचाने के लिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मंत्री जी बैठे हैं। लाखों गरीब लोगों का क्या होगा?*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह शून्यकाल है। उनके सबजैक्ट में मैं आपको परमीशन दूंगा तभी आप बोल सकते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): हमारे जिले के, हमारे गांव के आस-पास जिन्होंने जेवर, जानवर, मकान बेचे *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: केवल श्री रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा कही गई बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपको क्या कहना है, वह बताइए।

श्री मुलायम सिंह यादव: आप सुन नहीं रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कैसे सुनेंगे। श्री रामजीलाल के शून्यकाल के समय आप खड़े हो गए थे, मैंने आपको शांत किया। आप हर सबजैक्ट में खड़े हो जाएंगे तो दूसरे सदस्यों को चांस नहीं मिलेगा। आप सीनियर लीडर हैं, आपको भी समझना होगा। श्री रामजीलाल के सबजैक्ट में आपको चांस मिला।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कल भी शून्यकाल में किसी को चांस नहीं मिला और आज भी नहीं मिलने वाला है।

...(व्यवधान)

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): जो बात कही जा रही है, कभी झुग्गी-झोपड़ियों की बात हो रही है, कभी आप इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। दोनों चीजें डिफरैंट हैं। जो इल्लीगल पौल्यूटिंग इंडस्ट्रीज रैजीडैन्शियल एरियाज़ में लगी हैं, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को 1996 से आदेश दिया है कि वे सब चीजें बंद की जाएं। दिल्ली गवर्नमैंट ने कोर्ट में ऐफीडैविट दिए हुए हैं कि हम यहां से शिफ्ट करवाएंगे। *...(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या गरीब लोगों को उजाड़ देंगे?

श्री जगमोहन: आप पूरी बात तो सुन लीजिए। क्योंकि दिल्ली गवर्नमैंट के कुछ अधिकारियों ने पूरी तरह बात नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट ने...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब मिनिस्टर बोलते हैं तो आप सुनते भी नहीं हैं। आप उनकी पूरी बात सुन लीजिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जगमोहन: सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कनटैम्प्ट का नोटिस दिया है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स क्यों नहीं माने। वह कनटैम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही है। उनके साथ-साथ कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डैवलपमैंट को सुपरवाइज़ करने के लिए नोडल एजैंसी बनाया है। दिल्ली गवर्नमैंट आदेश कर रही है और वे ही सब कर रहे हैं, मेरा तो सिर्फ सुपरवाइज़री काम है। उच्चतम न्यायालय के आदेश को क्रियान्वित करना। मैं केवल इस मामले में बिचौलिये का कार्य कर रहा हूं। यह चीज पूरी क्लीयर हो जानी चाहिए। दिल्ली गवर्नमैंट कहती है कि बंद कर रहे हैं और उसने खुद ही 33 लिस्ट निकाली है। उनके अपने अफसर लगे हुए हैं, उनका काम कर रहे हैं, वे ऐफीडैविट दे रहे हैं। इसे पोलिटीसाइज़ न किया जाए।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: फैक्ट्रीज बंद होने से गरीब आदमी मरेगा।...*(व्यवधान)* सरकारी आपदा क्या है?

श्री जगमोहन: आप बात सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: ये गरीबों के दुश्मन हैं। हम नहीं सुनेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री जगमोहन: ये झुग्गी-झोंपड़ियों के बारे में कह रहे हैं। जो बोल रहे हैं, पहले तो ये खुद ही सबको वैसे ही उजाड़ कर फेंक देते थे। पहले इनकी हुकूमत रही है। पिछले दस-पन्द्रह साल से हमने एक स्कीम बनाई है। हर जगह लोग गलत जगह में बैठे हैं। दिल्ली के लाखों, करोड़ों लोगों के रिप्रैजैनटेशन्स हैं। उनको भी बड़े गलत तरीके से रखा हुआ है। कोई नाले के ऊपर बैठा है, कोई सड़क के साथ बैठा है। हम सबके लिए स्कीम बनाकर, आज से नहीं पिछले डेढ़ साल से, जो लोग 1998 से पहले आए हैं, उनको रीसैटल कर रहे हैं।

हम एलाटमेंट कर रहे हैं, आप नरेला में जाकर देखें। हमने सब का एलाटमेंट किया है। ये जो आज बोल रहे हैं, जब इनकी गवर्नमेंट थी, तब किसी को आल्टरनेटिव प्लाट नहीं दिये गये थे। अब हम सारे लोगों को प्लाट दे रहे हैं और सारे शहर को प्लाण्ड वे में डवलप कर रहे हैं, एनवायर्नमेंट ठीक कर रहे हैं। जो लोग इससे मर रहे थे, वे ठीक हो रहे हैं। मालूम नहीं, किस बात का ये गुस्सा कर रहे हैं...*(व्यवधान)* इसके लिए आपने क्या किया?...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष जी, मुझे एक बात बतानी है। सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर ये सब काम कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम करेगा और सुप्रीम कोर्ट भी जनभावना के विपरीत नहीं जा सकता है।...*(व्यवधान)*

श्री पुन्नू लाल मोहले: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रवेश परीक्षा आयोजित कर प्रवेश देने वाले शिक्षण संस्थानों में सभी श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों को शामिल करने बाबत विषय मैं उठाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं मैं अनुमति नहीं दूंगा। अब श्री पुन्नु लाल मोहले बोलेंगे।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: जो श्री मोहले बोलेंगे, उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव मैंने श्री मोहले को बुलाया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: बाकी किसी को चांस नहीं देंगे क्या?

श्री पुन्नू लाल मोहले : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के महत्त्वपूर्ण संस्थानों के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने हेतु छात्रों को प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है,*...(व्यवधान)* परन्तु अंक प्रतिशत निर्धारित मापदंड मेरिट होने की वजह से बहुत सारे कम प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र प्रवेश परीक्षा में भी शामिल नहीं हो पाते*...(व्यवधान)* जिससे बहुत से प्रतिभाशाली छात्र भी अपना भविष्य उज्ज्वल नहीं बना पाते हैं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, ऐसे 25 सदस्य हैं जो शून्यकाल के दौरान मामला उठाना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसे अन्य सदस्य भी हैं जो शून्य काल के दौरान मामला उठाना चाहते हैं। यह बहुत अनुचित है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने पहले ही उत्तर दे दिया है। अब मैं इसे प्रश्न काल नहीं बना सकता हूँ।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी जगह पर जाइये।

...(व्यवधान)

श्री पुन्नू लाल मोहले: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश भर में आयोजित बी.एड. और पी.एम.टी. परीक्षाओं में प्रवेश देने के लिए छात्रों को, सभी श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दी जाये। *...(व्यवधान)* मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि देश के महत्त्वपूर्ण संस्थाओं में छात्रों को प्रवेश देने के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल कर प्रवेश दिया जाता है। *...(व्यवधान)* मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि देश के सभी श्रेणी के छात्रों को उपरोक्त परीक्षाओं में शामिल होकर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाये। मैं सरकार से यह मांग करना चाहूंगा।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास अठावले, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अभी 10 और सदस्य बाकी हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: यह अनफोर्चुनेट है। आइन्दा आपका चांस मुझे लास्ट में रखना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): महोदय, आखिर ये चाहते क्या हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: ये चाहते हैं कि काम नहीं करना है।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: आगे से शून्यकाल में न आपका कुछ होगा और न आपको मौका मिलेगा। आपने तीसरी बार चांस लिया है। इनका नाम है, उनको नहीं बोलने दे रहे, रूडी जी का नाम है, उनको नहीं बोलने दे रहे। अगर ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो क्या करेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप इतनी बड़ी पार्टी के लीडर हैं। आपसे मैं इतनी दरख्वास्त कर सकता हूं। आप इनको अपनी जगह पर जाने के लिए कहें।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: ये सरकार गरीबों की दुश्मन है। अपनी राजनीति से गरीबों को तबाह कर रही है...*(व्यवधान)* यह सरकार गरीब विरोधी कार्य कर रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्री जायसवाल को बोलने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: हमने आपका आदेश मान लिया है, अब हमारी भी सुनें।

उपाध्यक्ष महोदय: कहां मान लिया?

श्री मुलायम सिंह यादव: ये सुप्रीम कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते। कोई न कोई रास्ता तो निकालें। दस लाख लोग भूखें मर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, शून्य काल में क्या यह डिस्कशन कर रहे हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव: तो क्या हम यहां सिर्फ भत्ता लेने के लिए आए हैं, हम गरीबों की आवाज उठाने आए हैं और आप हम पर नाराज हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: नाराजगी की बात नहीं है। हर चीज के लिए परमीशन की जरूरत होती है। यह नहीं कि खड़े हो गए और बोलने लग गए। हाउस चलाने के लिए नियम हैं। अगर एक विषय इतना गम्भीर है तो आपको नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की मांग करनी चाहिए। शून्य काल में हर सदस्य का मैटर सरकार के ध्यान में लाने के लिए होता है। आपको मैका मिलने के बाद आप भी हल्ला करें तो बाकी का क्या होगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप मुझे नहीं टोकेंगे। जायसवाल जी को बोलना है, रूडी जी को बोलना है और अन्य सदस्यों को भी बोलना है। इन सबने नोटिस दिया है और सुबह नौ बजे आकर दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव: हमारा यह कहना है कि हम जन समस्याओं को उठाएं, यही केवल जिम्मेदारी नहीं है। उसके लिए संघर्ष करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार जो झुग्गी-झोपड़ियों को उजाड़ रही है, हम उसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 1249 बजे

(तत्पश्चात् श्री मुलायम सिंह यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रत्येक बात पर चर्चा करने का तरीका होता है।

[हिन्दी]

नियम के खिलाफ कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, क्या यही पार्लियामेंट है?

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): यह सरकार गरीब विरोधी है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपके साथ गम्भीरता से कड़ाई बरतूंगा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने श्री जायसवाल को बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: यह सरकार गरीबों पर बुलडोजर चला रही है। इसके विरोध में हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 1249 1/2 बजे

(तत्पश्चात् श्री रामदास आठवले सभा भवन से बाहर चले गये)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, कल 26 फरवरी को कानपुर शहर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत कानपुर शहर में नाले खुदाई और सीवर खुदाई का काम चल रहा था। अचानक एक स्लैब के ढह जाने से छः मजदूर मर गए और लगभग एक दर्जन घायल हुए हैं। मेरा इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि जिस तरह से गंगा एक्शन प्लान का कार्य उत्तर प्रदेश में चल रहा है और खास तौर से कानपुर में चल रहा है, उपाध्यक्ष जी, जिस तरीके से कुछ ठेकेदारों को ठेके दिये जा रहे हैं, इसमें कई दुर्घटनाएं हुई हैं और भविष्य में भी बहुत सारी दुर्घटनाएं होने की आशंका है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सम्पूर्ण मामले की जांच कराई जाये कि वास्तव में कितने लोगों को ये ठेके दिये गये हैं और क्या वे ठेकेदार मानक के अनुरूप काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? दूसरे, आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि उन मजदूरों को प्रति मजदूर केवल 25000/- रु. ही अनुदान देने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि वह कम से कम एक-एक लाख रुपया मुआवजे के तौर पर हरेक मजदूर को दे और प्रत्येक घायल मजदूर को 25000 रुपया कम से कम दिया जाए।

[अनुवाद]

डा. (श्रीमती) सुगुणा कुमारी (पेद्दापल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अक्सर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

महोदय, मैं आपका और इस सभा का ध्यान एक अत्यन्त गम्भीर और महत्त्वपूर्ण मामले अर्थात् पुराने मिराज लड़ाकू विमान सौदे, की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं, जिसमें 1998 लड़ाकू विमान जो कि उड़ान की हालत में नहीं हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने हैं।

कल अर्थात् 28 फरवरी, 2001 को पेरिस में कोर्ट ऑफ कामर्स में भारतीय एजेंटों द्वारा डिसाल्ट एवियेशन और इसके सलाहकार फ्रांसीसी विमान निर्माता के विरुद्ध उनके बकाया कमीशन के भुगतान नहीं करने के बारे में डाले गए मामले की सुनवाई करने जा रही है।

माननीय रक्षा मंत्री, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने 29 नवम्बर 2000 को एक लिखित वक्तव्य में कहा था कि "मैं सभा में एक वक्तव्य दे रहा हूं कि हम 10 नए मिराज प्राप्त करने वाले हैं। ये मिराज 2000 हैं।"

एक फर्म केयसर इंक. जो कि पनामा में पंजीकृत है ने दावा किया है कि इसके इन आरोपों को कि यह नए वायुयान है न कि पुराने वायुयान, नकारने के लिए अथक प्रयास किए हैं। किन्तु वास्तव में इन वायुयानों/विमानों को दो वर्ष पूर्व जोर्डन को बेचा गया था।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): अतः इस तरह की बातें रही हैं।

डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी: फ्रांस विश्व बैंक के दबाव में आ गया और इस सौदे को रद्द कर दिया।

इनको ठीक-ठाक करके मिराज 2000 के रूप में भारत को बेच दिया गया। देश को विदेशी मुद्रा का भारी नुकसान हुआ और हमारी सैन्य क्षमता से भी समझौता हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह मांग करती हूं कि माननीय रक्षा मंत्री भारत के लोगों को तथा इस सभा को वास्तविकता से अवगत करवायें ताकि सशस्त्र सेना का मनोबल कमजोर न हो।

श्री ई. अहमद: महोदय, यह गंभीर मामला है...*(व्यवधान)* यह मामला हमारी सुरक्षा से जुड़ा है। यह अत्यन्त गंभीर मामला है। माननीय मंत्री जी को इस पर जवाब देना होगा क्योंकि यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मामला है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान बहुत महत्त्वपूर्ण विषय की तरफ दिलाना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राजीव प्रताप रूडी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय मैं समझता हूं कि यह गंभीर मामला है। सी आई टी यू के सदस्यों के एक समूह ने स्टेट्समैन के कार्यालय पर हमला बोला। मैं एक राष्ट्रीय महत्त्व के मामले को उठा रहा हूं। लोकतन्त्र खतरे में है। प्रेस पर हमला हो रहा है। महोदय, सिलीगुड़ी में स्टेट्समैन के कार्यालय पर हमला हो रहा है...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: इस सभा में अब क्या हो रहा है। सभी वरिष्ठ नेता, जब कभी चाहे, बातों में मशगुल हो जाते हैं। इस सभा में उन्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कोई सूचना, अनुमति और अन्य किसी बात की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): वे हर एक उठाए गए मामले पर सरकार की टिप्पणी चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद: हम विस्तृत ब्यौरे के बारे में जानना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप कारण अथवा अन्य कोई बात जानना चाहते हैं तो वह भी नियमों के अनुसार होनी चाहिए। आपने कोई सूचना नहीं दी है। आपने कुछ नहीं दिया है। आप मात्र खड़े हैं। मैं किसी अन्य को बोलने की अनुमति नहीं दूँगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह 'शून्य काल' है। आपको कनिष्ठ सदस्यों के समक्ष एक उदाहरण रखना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैं अगली बार पुन: यही करूंगा यदि आपने मेरे सामने इस प्रकार की बाधा डाली।

महोदय, समय समाप्त हो रहा है। महोदय, सीआईटीयू सदस्यों के एक दल ने कल सिलिगुड़ी में 'द स्टेट्समेन' के कार्यालय पर ईंट तथा पत्थरों से हमला किया। सीआईटीयू के सदस्यों द्वारा आठ घंटे से अधिक समय तक घेराव जारी रखा। कार्यालय के भीतर पच्चीस कर्मचारी थे।...*(व्यवधान)*

वहाँ सुरक्षा पर तैयार पुलिसकर्मी एवं उप निरीक्षक ने प्रबंधन को सुझाव दिया कि कोई कार्यवाही करने से पहले वे सीआईटीयू श्रमिकों के साथ बातचीत करें। पुलिस बुलाये जाने के पश्चात् भी कुछ समय लगा क्योंकि पुलिस के पास वैगन नहीं था और पुलिस स्टेशन से एक वैगन भेजा गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

श्री राजीव प्रताप रूडी: 'द स्टेट्समेन' के संपादक ने भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से मिलना चाहा। उन्हें मिलने नहीं दिया गया और स्थिति अत्यधिक खराब है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

श्री राजीव प्रताप रूडी: पश्चिमी बंगाल की स्थिति अत्यधिक खराब है और यह शर्मनाक और अन्यायपूर्ण बात है कि वहां प्रेस पर हमला हो रहा है। मैं पश्चिम बंगाल में हुई इस घटना की सभा द्वारा निंदा किए जाने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेष मामले पर संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। शरणार्थी पुनर्वास औद्योगिक निगम की स्थापना देश के विभाजन के तुरन्त बाद की गई थी जब बंगाल में शरणार्थी आने लगे थे। इस औद्योगिक इकाई की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू और डा. बी.सी. राय द्वारा की गई थी जिन्होंने आरआईसी से शरणार्थियों की रक्षा करने का अनुरोध किया था। इस इकाई का कार्य चलता रहा और लोग इससे लाभान्वित होते रहे। इसे बंद किए जाने की घोषणा सरकार की एक अधिसूचना के द्वारा की गई और इसके पश्चात् सायकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया को भी बंद किए जाने की घोषणा की गई। अब दुर्गापुर माइनिंग एंड मशीनरी एलाइड कारपोरेशन, जहां 30,000 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, को बंद किए जाने का खतरा है। महोदय, हालांकि एमआईएमसी पर अभी भी यह खतरा व्याप्त है, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर लगभग बंद हो चुका है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बंगाल जहां 1967 से 1971 तक व्याप्त नक्सलवादी आंदोलन व्याप्त था से अत्यधिक कठिनाई के साथ उबरा है।

मुझे आपको सूचित करते हुए खेद है कि यदि इसी प्रकार वहां एक के बाद एक इकाई बंद होती रही तो बंगाल में आने वाले दिनों में हिंसा हो सकती है। श्रमिक सड़क पर आ जायेंगे। मैं इस स्थिति की जानकारी लेने हेतु गत माह दुर्गापुर गया था और मैंने वहां भयावह की स्थिति देखी। यह स्थिति भयावह है। इसका प्रभाव इन इकाइयों के लगभग 1,00,000 से अधिक लोगों पर पड़ेगा। क्योंकि वे अपने परिवार का भी जीवन-निर्वाह करते हैं। इससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे प्रधानमंत्री जी और संबंधित मंत्री महोदय को इससे अवगत कराये और एक कृतिक बल गठित करें जो इस इकाई पर ध्यान दे सके और इसके पुनरुद्धार हेतु योजना बना सके। सरकार विनिवेश के माध्यम से धन एकत्र कर रही है। वह इस धन का निवेश इस इकाई में क्यों नहीं कर रही है? अन्यथा इस परिस्थिति जिसका मैंने आपसे उल्लेख किया है। एमआईएमसी के 20 युवक आरआईसी के 35 परिवार और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर के दो कर्मचारियों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया और अन्य व्यक्तियों और परिवार के सदस्यों द्वारा उन्हें बचाया जा सका।

अत्यन्त अराजकता की स्थिति है और मैंने आपको इसकी जानकारी दे दी है। मैंने कुमारी ममता बनर्जी को भी कहा है कि यदि दुर्गापुर में यह स्थिति रहती है तो आसनसोल से कोलकाता के बीच रेल लाइन दो महीने के अंदर शायद ही चल पाये।

एक माननीय सदस्य: शायद हल्दिया तक!

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जी हां, हल्दिया तक। यह गंभीर बात है। अत: मैं इसे और अधिक व्यापक रूप से नहीं कह सकूंगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से जोरदार ढंग से अनुरोध करता हूं कि मंत्रिमण्डल इस स्थिति को सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में सही ढंग से समझे और ये सभी इकाइयां कठिनाई का सामना कर रही है। अभी भी समय है। मैं केवल चेतावनी दे रहा हूं। यदि सरकार इस पर तुरन्त ध्यान नहीं देती है तो स्थिति नियंत्रण से बाहर ही जायेगी। मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री कार्यवाही करें। इससे न केवल बंगाल के लोग बल्कि पूरे भारत वर्ष के लोग प्रभावित होंगे?

उपाध्यक्ष महोदय: मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पर कार्यवाही करें। मैंने श्री सुनील खान और श्री हरीभाऊ शंकर महाले को उनके साथ जाने की अनुमति दी थी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी श्री सुनील खान, श्री प्रियरंजन दासमुंशी की बातों का जवाब दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय को बोलने दीजिए। वे कुछ कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आपका मामला भी आयेगा। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.00 बजे

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने एक मुद्दा उठाया है और वे इससे प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इससे निश्चित रूप से अवगत करूंगा। वे विनिवेश से प्राप्त धन का निवेश चाहते हैं। वे मुझे विनिवेश करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। अत: निवेश कहां होगा...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय मैं कहना चाहूंगा कि...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत से कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): उपाध्यक्ष महोदय, देवलाली, तहसील नासिक, महाराष्ट्र में कैंटोनमेंट बोर्ड है। उनकी जमीन पर एयरफोर्स ने कब्जा कर लिया है। एयरफोर्स को कैंटोनमेंट बोर्ड को पैसा देना चाहिए, लेकिन यहां के अधिकारियों ने पैसा देने के लिए मना कर दिया है और वे मनमाना कारोबार कर रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उन्हें जल्दी वे पैसे दें और कैंटोनमेंट बोर्ड की मांग को पूरा करें।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड की दुर्गापुर इकाई के कुशल अभियंताओं को भारी संख्या में नामरूप इकाई में स्थानांतरित किया जा रहा है। यदि कुशल अभियंताओं को नामरूप इकाई में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी जाती है तब पुनरुद्धार पैकेज को कैसे लाभान्वित किया जायेगा।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, जहां तक मैं जानता हूं, एचएफसीएल की दुर्गापुर इकाई के लिए पीडीआईएल एफईडीओ, एचएफसीएल, व्यवसाय संघों और आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा, सचिव, रसायन और उर्वरक विभाग की सलाह पर 450 करोड़ रुपए की एक व्यापक पुनरुद्धार प्रस्ताव तैयार किया गया तथा इस पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किया गया। वर्तमान में यह प्रस्ताव भारत सरकार के जांच और विचारधीन है।

अत: इस स्थिति में दुर्गापुर इकाई से नामरूप इकाई में व्यापक स्थानांतरण क्यों किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस आदेश को वापिस लें ताकि व्यापक पुनरुद्धार प्रस्ताव पर उचित रूप से विचार किया जा सका।

महोदय यह इकाई दुर्गापुर में है जो मेरा संसदीय क्षेत्र है। मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी की इस बात से सहमत हूं कि एमएएमसी, बीओजीएल आरआईसी, सायकिल कारपोरेशन आफ इंडिया और एलॉय स्टील का पुनरुद्धार किया जाए।

महोदय, कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर): महोदय, मैं आपका ध्यान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय अर्थात् केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित लोक कला अकादमी का गठन किये जाने की ओर दिलाता हूं।

महोदय, हमारे देश में केन्द्र साहित्य अकादमी, ललितकला अकादमी और संगीत व नाटक अकादमी जैसी अकादमियां हैं। लेकिन किसी को लोक साहित्य अकादमी गठित करने का विचार नहीं आया जोकि इस समय की आवश्यकता है। वैश्वीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की कलाएं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, धीरे-धीरे लुप्त हो रही है क्योंकि इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए हमारी ओर से कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया गया है। लोक कलाओं में जनजातीय कलाएं भी सम्मिलित हैं इस कला के प्रकार को सुरक्षित रखने के लिए केन्द्र सरकार को लोक कला अकादमी गठित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

महोदय, लोक कला ज्ञान की शाखा है। जिसमें कुछ कम लोगों का ध्यान गया। जब हमने अपने सांस्कृतिक विरासत की जड़ों की जांच की तो हम लोक कला तक पहुंचे। केरल में, राज्य सरकार ने पांच साल पहले लोक कला अकादमी का गठन किया। मुझे नहीं पता केरल जैसे अन्य राज्यों की वास्तविक संख्या क्या है जहां लोक कला अकादमियां हैं। केरल सरकार की अपनी लोक कला सांस्कृतिक नीति है।

इसके बाद मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोक कला अध्ययन और संरक्षण हेतु लोक कला अकादमी का गठन किया जाए। इस अकादमी के क्रियाकलापों का विस्तार किया जाए। सभी सुविधाएं लोक कला अध्ययन और अनुसंधान हेतु राज्य के विश्वविद्यालयों में सृजित की जानी चाहिए।

श्री पी.सी. थॉमस (मुवत्तुपुजा) महोदय, जब कुछ दिनों के लिए माननीय प्रधानमंत्री केरल में कुमाराकोम में थे तो उन्होंने केरल से सम्बन्धित कुछ बड़े मामलों के सम्बन्ध में पैकेज दिया था। उनमें से एक कृषि फसलों के बारे में थी। रबड़ के सम्बन्ध में, वे सफल हुए थे कि रबड़ को विद्यमान मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीदा जाएगा। अब रबड़ की मौजूदा कीमत में भारी गिरावट आई है। पहले का मूल्य जो 60 रु. प्रति किलो था घटकर 22 रु. प्रति किलो हो गया है। अब किसान बिल्कुल भी नहीं सम्भाल सकते। प्रधानमंत्री के आश्वासन को आरंभ किया जाना चाहिए और शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए। क्योंकि भारत सरकार द्वारा घोषित मूल्य 34.05 रु. प्रति किलो है इसलिए कम से कम वह मूल्य तो दिया जाना चाहिए। निर्यात के लिए भी किसी प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए।

अन्य कृषि फसलों के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि नारियल को भी उच्चतर मूल्य में खरीदा जाएगा लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है। कम से कम केबिनेट को प्रधानमंत्री द्वारा दिये गए आश्वासन ने मुद्दे को अलग में लेना चाहिए और उन्हें तुरन्त इस पर कार्यवाही करनी चाहिए।

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर भारत में सभी जगहों पर बारिश नहीं हुई है लेकिन जम्मू-कश्मीर का जो बाहरी इलाका है उसमें पिछले 6 महीने से बारिश न होने की वजह से सारे नदी-नाले, चश्में व दरिया सूखे पड़े हैं। इसलिए बकरवाल, गुर्जरों और जमींदारों को 5-6 मील की दूरी तय करने के बाद ही पानी मुहैया हो पाता है। सरफेट वाटर मैंनेजमेंट और जमीन के नीचे जो पानी का प्रबंधन है वह बहुत मुश्किल है। इसलिए पानी की समुचित व्यवस्था के लिए सरकार को अभी से तैयार रहने की जरूरत है क्योंकि वहां इस बार बर्फबारी भी नहीं हुई है। इसलिए वहां पानी की इस बार बहुत किल्लत पड़ेगी।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और चिन्ताजनक मामला उठा रहा हूं। जनगणना आयुक्त ने पहले ही ब्यौरे एकत्र करने आरम्भ कर दिये हैं। इस देश में जनसंख्या का 60% से अधिक अन्य पिछड़ा वर्गों का है। पिछली बार, दो बार मैंने यह मुद्दा इस सम्मानीय सभा में उठाया था। लेकिन अब जब जनगणना की जा रही है तो उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई अलग कॉलम नहीं है। हम अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आरक्षण आदि के बारे में बात कर रहे है लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के किसी आंकड़े के अभाव में भविष्य में अपने लिए आरक्षण करना अत्यन्त कठिन है। पहले ही रोजगार में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया गया है लेकिन शिक्षा में उन्हें कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त गृहमंत्री के नियंत्रण में हैं। अत: मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग के आकड़ें एकत्र करने के लिए गृह मंत्री को तुरन्त सूचित करें।

महिला सम्बन्धी संसदीय स्थायी समिति है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए संसदीय स्थायी समिति है लेकिन हमने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया है इसको किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है हमें नहीं पता। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग निगम है और सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए 200 करोड़ प्रदान कर रही है। लेकिन यहां कोई संसदीय स्थायी समिति यह देखने के लिए नहीं है कि उनके लिए स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातीय के आरक्षण को पुर: स्थापित कर देने के पश्चात् संसदीय स्थायी समिति की तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी स्थायी समिति होनी चाहिए। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि शैक्षिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण होना चाहिए और जनगणना में उनके विवरण भी एकत्र किये जाने चाहिए।

ये सभी बातें मैं सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसे नोट कर लिया है।

श्री के. येरननायडू: अत: महोदय, मेरे द्वारा उठाए गए इन तीन मुद्दों में सरकार को भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त को तुरन्त निर्देश देने चाहिए कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्र करे। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र सैदपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह क्षेत्र न केवल आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है बल्कि आवागमन के मामले में भी बहुत उपेक्षित रहा है। मेरे चुनाव क्षेत्र से तीन-चार नदियां गुजरती हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग पर तो इन नदियों पर पुल बने हुए हैं पर बाकी क्षेत्र के अंदरुनी हिस्सों में बनी सड़कों पर पुल न होने की वजह से जनता को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इसी तरह की एक सड़क सादात से जखनिया होकर दुल्लहपुर में गाजीपुर-आजमगढ़ मार्ग में जुड़ती है। पर इस मार्ग को बेसो नदी दो हिस्सों में बांट देती है। परिणामस्वरूप बरसात के दिनों में लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि किसी को वराणसी जाना होता है तो उसे 40 कि.मी. घूम कर जाना पड़ता है। यदि इस मार्ग पर वृंदावन गांव सभा के पास बेसो नदी पर एक पुल बना दिया जाता तो लोगों को आवागमन में काफी सुविधा हो जाती।

मैं उपाध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय भूतल परिवहन मंत्री जी से मांग करता हूं कि जनहित में बेसो नदी पर वृंदावन गांव सभा के पास पुल निर्माण कराया जाए।

अपराह्न 1.10 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) झारखंड के रांची जिले में हाथियों के आतंक को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. दुखा भगत (लोहरदगा): उपाध्यक्ष महोदय, रांची जिले के बीडो प्रखंड में हाथियों ने पिछले छ: माह में नौ व्यक्तियों और पलामू जिले के मणिका बरवाड़ी क्षेत्र में दो व्यक्तियों को मार डाला। वहां खड़ी फसल को तहत-नहस कर दिया जिससे किसानों की फसल को बहुत नुकसान हुआ। अब बीडो प्रखंड में लोग अपने खेतों में जाने से डरते हैं। हाथी गरीब और आदिवासी लोगों के कच्चे मकान को गिरा रहे हैं। इससे जान-माल की हानि हो रही है। साथ ही रिजर्व फोरेस्ट के 5 किलोमीटर एरिया में हाथी के मारने पर एक लाख का मुआवजा दिया जाता है और पांच किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर हाथी के मारे जाने पर 20 हजार का मुआवजा दिया जाता है तो तर्कसंगत नहीं है। इसे दूर किया जाए।

मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय स्तर पर इन दोनों जिलों के वन अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि हाथियों पर नियंत्रण हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाए जिससे लोगों को राहत मिल सके। हाथियों द्वारा हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए और गरीब तथा आदिवासी लोगों की जान-माल की हिफाजत की जाए।

(दो) गोंडा और बहराइच जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री बृज भूषण शरण सिंह (गोण्डा): उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद से आज तक गोंडा व बहराइच जनपदों का समुचित विकास नहीं हुआ है। विकास न होने के कारण वहां के लोगों के मन में उठे गुस्से को शान्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंडा जनपद में ही बलरामपुर को अलग करके एक नया जिला बना दिया और बहराइच जनपद में से श्रावस्ती को अलग करके एक नया जिला बना दिया। चार जनपद गोंडा, बलरामपुर, बहराइच व श्रावस्ती को एक अलग कमीश्नरी देवीपाटन मंडल मुख्यालय गोंडा देकर वहां के लोगों का आन्दोलन शान्त किया गया किन्तु विकास न होने के कारण समस्या आज ज्यों की त्यों है। वहां की जनता हक तथा हिसाब मांगने के लिए आन्दोलित हो उठी है क्योंकि वहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। मेरी सरकार से मांग है कि वह उपरोक्त जिलों के समुचित विकास हेतु राज्य सरकार को आवश्यक धनराशि प्रदान करें।

(तीन) उत्तर प्रदेश में रामपुर रेलवे स्टेशन पर और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

बेगम नूर बानो (रामपुर): महोदय, रामपुर रेलवे स्टेशन पर निम्नलिखित सुविधाओं का अभाव है:-

- रामपुर जंक्शन की छत पर टीन की चादर नहीं है।
- काठगोदाम एक्सप्रेस को केमरी स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था की जाए इसे दिल्ली के बजाय पंजाब तक बढ़ाया जाए क्योंकि यहां काफी पंजाबी रहते हैं। वे लोग तराई क्षेत्र पर खेती बाड़ी करते है।
- जनसेवक एक्सप्रेस 5209 और 5210 को रामपुर जंक्शन पर रोकने की व्यवस्था की जाए।
- यद्यपि आरक्षण कम्प्यूटरीकृत है लेकिन फिर भी रामपुर स्टेशन में जनरेटर उपलब्ध नहीं पाए हैं जिसके परिणामस्वरूप जब भी बिजली जाती है तब आरक्षण करना काफी कठिन हो जाता है। यहां पर मुद्रक मशीन भी नहीं है। वे मुरादाबाद से मुद्रक मशीन प्राप्त कर रहे हैं। जब समय पर मुद्रण प्रेस नहीं पहुंचती तो उन्हें आरक्षण हाथ से करना पड़ता है।
- रामपुर में केवल एक रेलवे स्टेशन उपरि पुल है। वहां कम से कम दो रेलवे उपरि पुलों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करती हूं कि इस मामले की छानबीन करें।

(चार) केरल में सभी उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड़): महोदय, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने हाल ही में गरीबी रेखा में ऊपर रहने वाले लोगों के लिए उल्लेखनीय वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिलने वाली चीनी का वितरण समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय तब आया है जब आयकर निर्धारिती और उनके परिवार के सदस्यों को जुलाई 2000 से लागू राशन की चीनी की परिधि से पहले ही काट दिया गया है। इस विधि से केरल राज्य में मूल्य वितरण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि केरल राज्य में चीनी का उत्पादन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के निर्णय से खुले बाजार में चीनी के मूल्य में वृद्धि होगी। इस मामले को पहले ही केन्द्र सरकार के ध्यान में लाया जा चुका है। लेकिन केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

इन परिस्थितियों में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल कदम उठाएं ताकि राज्य के सभी उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी प्राप्त कर सके।

(पाँच) आन्ध्र प्रदेश में पेद्दापल्ली रेलवे स्टेशन के निकट प्रथम श्रेणी गेट 41टी पर रेलवे उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी (पेद्दापल्ली): मैंने पेद्दापल्ली रेलवे स्टेशन से मथानी टाउन, जोकि पेद्दापल्ली रेलवे स्टेशन के अत्यन्त निकट है से सड़क पर दक्षिण मध्य रेलवे के पेद्दापल्ली और राघवपुर स्टेशनों के बीच 41/टी नं. के फर्स्ट क्लास गेट स्थित सड़क ऊपरि पुल की स्वीकृति हेतु लिखा था। मैंने इस संबंध में निरन्तर रूप से एक के बाद एक हर एक रेल मंत्री को लिखा चिकित्सा संबंधी आपातकाल हेतु सड़क पर यात्रा करते समय बंद गेट पर प्रतीक्षा करते समय बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं। यह सड़क 10 मंडलों में फैले दूर दराज के विकासशील क्षेत्रों को जोड़ती है। लोग बहुत ही गरीब हैं तथा एक सड़क उपरि पुल से बहुत से लोगों का जीवन बच जाएगा इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्राथमिकता के आधार पर इस सड़क उपरि पुल के निर्माण पर विचार करे तथा सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशित करे कि वह इसकी जांचकर लोगों के जीवन की रक्षा कर स्वीकृति प्रदान करें।

Scanned by CamScanner

राज्य सरकार ने आवश्यक अंशदान देने हेतु अपनी सहमति दे दी है। जब भी रेलवे इस परियोजना को शुरू करेगी वह आवश्यक अंशदान जारी कर देगी। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से अनुरोध करती हूं कि मामले की जांच कराकर अनुमति देकर, बजटीय प्रस्तावों में इसको शामिल कर धनराशि जारी करें।

(छह) आलू उत्पादकों विशेषकर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान मार्च-अप्रैल में आने वाले आलू की फसल की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इस वक्त आलू की खुदाई का काम शुरू हो गया है। परन्तु इस समय भी पिछले वर्ष के आलू जो कोल्ड स्टोर में रखे गये थे, जिनको किसान इन कोल्ड स्टोर का किराया न देने के कारण आलू को कोल्ड स्टोर से नहीं निकाल पाया है। इस कारण से आलू के भाव बाजार में लागत भाव से भी कम मिलने के कारण पूरे देश भर के किसान विशेषकर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। आज भी बाजार में आलू लागत मूल्य से कम में बिक रहा है।

ऐसी स्थिति में सरकार से मांग करता हूं कि आलू के दाम लागत मूल्य से अधिक बनाये रखने के समुचित उपाय करें और सरकार आलू को भी निर्यात करने की अव्यवस्था करें जिससे किसानों को आलू को कोल्ड स्टोर में न रखना पड़े। यदि किसानों द्वारा आलू कोल्ड स्टोर में रखें भी तो सरकार उसके कम से कम दामों में भी रखने की व्यवस्था करे।

(सात) दिल्ली-मुरादाबाद-हरिद्वार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चन्द्र विजय सिंह (मुरादाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, नए उत्तरांचल राज्य में राजस्व में वृद्धि करने हेतु यह अति आवश्यक है कि वहां पर पर्यटन से आय में वृद्धि की जाए। ऐसा करने के लिए नैनीताल, विनासर, कार्बेट पार्क तथा सैन्य दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रानीखेत और पिथौरागढ़ के लिए दिल्ली से आवाजाही का सुगम संपर्क स्थापित किया जाये। एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 मुरादाबाद जिले को पकबाड़ा के निकट से शुरू करके, जो कि मुरादाबाद-हरिद्वार राज्य सड़क को जोड़ेगा और इसके पश्चात् आगे जाकर गंगा और रामगंगा नदियों पर पुल बांधकर मुरादाबाद-काशीपुर राज्य राजमार्ग को जोड़ेगा जोकि दिल्ली और उत्तरांचल बीच की यात्रा के समय को काफी हद तक कम करेगा। तथा इससे पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होगी तथा इससे सैनिकों का आना जाना सुलभ हो जायेगा। दिल्ली से पिथौरागढ़, रानीखेत आदि छावनियों तक इस नए राष्ट्रीय राजमार्ग से उत्तरांचल और उ. प्र. के बहुत सारे जिलों के विकास में बहुत मदद मिलेगी।

(आठ) केरल के कालीकट हवाई अड्डे पर लिये जा रहे "प्रयोक्ता शुल्क" को समाप्त किए जाने की आवश्यकता

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, भारतीय विमानन प्राधिकरण का मालाबार इंटरनेशनल एयरपोर्ट डवलपमेंट सोसाईटी के साथ हडको से 60 करोड़ ऋण लेकर कालीकट एयरपोर्ट 'रनवे' को 6000 फीट से 9000 फीट वृद्धि करने हेतु एक करार हुआ है तथा इस उद्देश्य के लिए इस धनराशि को ए. ए. आई. के खाते में जमा कर दिया है। एक शर्त यह भी थी कि कालीकट हवाई अड्डे से खाड़ी देशों को जाने वाला प्रत्येक यात्री 'उपयोगकर्ता शुल्क' के रूप में रनवे के पूरा हो जाने तक 500/- रु. देगा। वर्ष 1995 से आज तक एम. आई. ए. डी. एस. द्वारा 40 करोड़ रु. की वसूली की जा चुकी है और ली गई 60 करोड़ की धनराशि पर ब्याज अदा किया है। रनवे के पूरा होने के पश्चात् भी उपयोगकर्ता शुल्क को लिये जाने का काफी विरोध व्याप्त है। सरकार ने मालाबार इंटरनेशनल एयरपोर्ट डवलपमेंट सोसाईटी एयरपोर्ट डवलपमेंट कमेटी और दुबई के केरल मुस्लिम सांस्कृतिक केन्द्र, जोकि खाड़ी देशों में भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के पश्चात् 2 जनवरी, 2001 से 'यूजर्स फी' को खत्म करने हेतु तैयार हो गई थी 'यूजर्स फी' को समाप्त करने की बजाय यह अभी भी वसूल करना जारी है।

अब सरकार 500/- रु. 'यूजर्स फी' को कम करके 225 रु. करने पर सहमत हो गई है। लोग चाहते हैं कि 'यूजर्स फी' पूरी तरह से समाप्त हो, क्योंकि यह औचित्यपूर्ण नहीं है और अनावश्यक है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि 'यूजर्स फी' को तत्काल समाप्त किया जाए क्योंकि सरकार इसे 1 जनवरी, 2001 से वापस लेने हेतु सहमत हो गई थी।

Scanned by CamScanner

(नौ) बैंकों में कार्यान्वित की जा रही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): महोदय, बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी. आर. एस.) बिना व्यापक आयोजना और सोचे समझे शुरू की गई है। स्वत: ही इस तरह की योजना को बैंकों में फालतू कर्मचारी यदि कोई हैं के बारे में व्यापक सर्वेक्षण कराने के पश्चात् ही शुरू कर दिया जाना चाहिए था। दुर्भाग्यवश इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया गया। तदनुसार, बहुत बड़ी संख्या में अनुभवी अधिकारियों ने सम्मोहनवश, एवं व्यक्तिगत कारणों से इस स्कीम को चुना है जो कि अपेक्षित लाभ के बजाय हानिकारक सिद्ध हुई। स्वाभाविक तौर, पर अनुभवी अधिकारियों का पलायन बैंकों के कुशल और दक्ष कार्यान्वयन को अपभ्रंश करेगा तथा इसके परिणामस्वरूप आम जनता को प्राप्त होने वाली सेवाओं पर प्रभाव पड़ेगा जोकि बैंकों के निजीकरण हेतु दी जाने वाली दलीलों को ही सुदृढ़ करेगा। प्रत्येक बैंक से सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान हेतु 400 करोड़ रु. के लगभग एक बहुत बड़ी धनराशि के निकल जाने से बैंकों की वित्तीय स्थिति जोकि पहले से ही खराब है पर हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन की उपयुक्त रूप से समीक्षा करे।

(दस) उच्च बाल मृत्यु दर को रोकने के लिए कदम उठाए जाए की आवश्यकता

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट): महोदय, विश्व बाल 2001 रिपोर्ट के अनुसार, भारत का बच्चों की विकास सूची की स्थिति के सन्दर्भ में कार्य निष्पादन पुन: बहुत निम्न स्तर का रहा है। भारत में, पाँच वर्ष से कम की आयु में बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1000 पैदा हुए बच्चों में अनुमानित रूप से 98 है। यद्यपि, पिछले वर्षों के निष्पादन में मामूली सुधार है, पिछले कुछ वर्षों में समग्र बाल मृत्यु दर 1000 पैदा हुए बच्चों में से यह 72 के लगभग है, जो कि चिन्ता का विषय है, क्योंकि भारत में विश्व के कुल बच्चों में हर तीसरा बच्चा भारत में रहता है। तीन वर्ष से कम आयु के 47% बच्चों का अभी भी सामान्य से कम वजन है, उनमें से केवल 55 प्रतिशत ही मां का दूध पीते हैं तथा 6 से 9 माह के आयु वर्ग के बीच 33.5 प्रतिशत बच्चे मां के दूध के अतिरिक्त पूरक खाना लेते हैं।

मातृत्व मृत्यु दर की स्थिति और भी बुरी है यह 1,00,000 जीवित बच्चों पर 407 की उच्च दर पर है का बच्चों के विकास जो कि जीवन के पहले माह में उच्च मृत्यु दर में शामिल है और जो इसके बाद शिशु मृत्यु दर को बढ़ाता है का सीधे तौर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यह बहुत ही बुरी स्थिति है रिपोर्ट में सरकार से अनुरोध किया गया है। वह बच्चों के जीवन-जन्म से तीन वर्ष की आयु तक, अत्याधिक समयोचित ध्यान दे क्योंकि इस समय पर दिए गए ध्यान से देश की समग्र विकासात्मक प्रक्रिया प्रभावित है। यह सरकार के तुरन्त ध्यान और कार्यवाही हेतु है।

अपराह्न 1.25 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.06 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.07 बजे पुन: समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा पुनरीक्षित कार्य सूची की मद संख्या 15 पर विचार करेगी।

नियम 193 के अधीन चर्चा

गुजरात में आए भीषण भूकम्प से उत्पन्न स्थिति

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, यह उचित है कि इस सभा को इस बड़ी मानव विपदा जो राष्ट्र में पड़ी है, पर चर्चा करनी चाहिए। हम गुजरात के अपने भाई और बहिनों को हुई भीषण क्षति के लिए अपना दुख प्रकट करते है। वहाँ भारी मात्रा में मानव जीवन की क्षति हुई है और वहां सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों के नष्ट होने से भारी मात्रा में क्षति हुई है। हम अपनी संवेदनाएं उन सभी तक पहुंचाते है जिन्होंने भारी क्षति उठाई है और जिनके निकट परिजनों की मौतें हुई हैं। शब्द ऐसे मामलों में अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। हमारा हृदय हमारे सभी साथियों के लिए सांत्वना पहुंचाता है जो गुजरात से निर्वाचित होकर आये हैं। हम उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह त्रासदी न केवल गुजरात की है बल्कि यह पूरे देश की त्रासदी हैं। हम उस नजरिये में इस त्रासदी को देखना चाहते हैं। पूरा राष्ट्र इस संकट की घड़ी में एक होकर जैसा कि इसे होना चाहिए, खड़ा है।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

अब राहत कार्य के पश्चात् तुरन्त सहायता प्रदान करने के पश्चात् पुनर्वास और पुनर्निर्माण का महत्त्वपूर्ण कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए। उसे समन्वय के साथ दक्षतापूर्वक पारदर्शिता से किया जाना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं किया जाना चाहिए अथवा बोला जाना चाहिए जिससे राजनीतिक लाभ प्राप्त किया जाता हो। मुझे इससे कोई सन्देह नहीं है प्रभावित क्षेत्र में लोगों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण और व्यापार को बहाल करने के लिए राष्ट्र एकजुट होकर लग जाएगा।

महोदय, मैंने माननीय कृषि मन्त्री जी ने वक्तव्य को ध्यान से पढ़ा है। लेकिन मैं अपनी अप्रसन्नता अवश्य व्यक्त करूँगा कि इसमें पूरी बात नहीं बताई गई है बल्कि इसमें तथ्य छिपाए गए हैं। किसी तरह ऐसा प्रतीत होता है कि जहां तक इस भारी त्रासदी का सम्बन्ध है इनका वक्तव्य एक तरह से नौकरशाही की औपचारिकता दिखाई देती है।

महोदय, मैं समझता हूँ कि न केवल समय आ गया है बल्कि समय निकल भी गया है कि इस राष्ट्र को प्राकृतिक आपदाओं की ऐसी स्थिति से निपटने के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें तदर्थ प्रतियुत्तर देखने को मिल रहा है। यद्यपि राष्ट्र द्वारा देश के अनेक भाग में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया गया है फिर भी ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कोई स्थायी तंत्र नहीं है अथवा न ही ऐसा तंत्र खोजा गया है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। इसके लिए कोई उपकरण अथवा निधि भी नहीं है। इसके लिए दिल्ली से निकटता रखने के हिसाब से सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है।

हमेशा, हमे एक राज्य अथवा अन्य राज्य जहाँ समस्या होती है के लिए प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करना पड़ता है कि "कृपया केन्द्रीय दल भेजिए।" क्योंकि बिना केन्द्रीय समिति के राहत कार्य आरम्भ नहीं किया जाता क्योंकि वह केन्द्र सरकार है जिसे सब शक्ति प्राप्त है।

अत: महोदय, मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि इस सभा और इस देश की सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति से किस प्रकार निपटा जाए। किसी व्यवस्था के विद्यमान न होने अथवा किसी तंत्र के अभाव में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है वह देखी जा सकती है। महोदय, मैं यहां किसी की आलोचना करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ वहाँ के बारे में विस्तृत समाचार आए हैं, और जिन लोगों ने वहां का दौरा किया है उन्होंने भी देखा है कि लगभग एक सप्ताह तक वहां कोई प्रशासन नहीं था जो बचाव और राहत कार्य की देखभाल कर सके और वहां की गतिविधियों में समन्वय कर सके।

मैं उन रिपोर्टों के बारे में बता कर सभा का समय नहीं लेना चाहता जो सभी पत्रिकाओं समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुकी है। इलैक्ट्रोनिक प्रचार माध्यम में भी दिखाया गया है कि वहां का प्रशासन किस प्रकार पूरी तरह चरमरा गया था जिससे राहत और बचाव कार्यों के संचालन में पूर्णत: शून्यता आ गई थी कि लोग स्वयं आगे आए और कई अनुभवी गैर सरकारी संगठन सामने आए और उन्होंने सहायता कार्य किया।

इसलिए यह और भी आश्चर्यजनक है कि माननीय मंत्री जी ने आरम्भ में राज्य सरकार की भूमिका की प्रशंसा की। मैं इसका यहां उल्लेख क्यों करूं। यह राज्य सरकार की आलोचना करना मात्र नहीं है क्योंकि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा चलायी जा रही है। जिसका मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरी वहाँ रहने वाले लोगों के लिए सहानुभूति और समर्थन है।

महोदय, स्थिति से निपटने में अपनाए गए रवैये के बारे में गम्भीर शिकायतें है। राहत सामग्रियां वहां पहुंच रही थी लेकिन कुछ पत्तनों अथवा कुछ स्थानों पर पड़ी है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

अन्तत: नश्वर खाद्य पदार्थों को फेंका गया है। बहुमूल्य और अति आवश्यक पैकेट अनुपयुक्त पड़े रहे। दवाईयों तक का उपयोग नहीं किया गया। किसी को पता तक नहीं था क्या चीज लाई जाए। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को अपील करने के परिणामस्वरूप न केवल सरकारों अपितु अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास सोसायटी सामग्रियों के प्रचुर स्टाक लेकर आई उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था वे हवाई अड्डे पर पाँच छह दिनों तक इन्तजार करते रहे। उन्हें नहीं पता था कि कहां जाए किस स्थान पर सामान की आवश्यकता है। यह तो पूर्ति आधारित राहत कार्य था। जब भी आपूर्ति आती तो कुछ किया जाता था लेकिन उनमें कोई समन्वय नहीं था।

यह गम्भीर चिन्ता का मामला है—यह बात कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई कि अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास सोसायटी के निदेशक श्री होल्वर जो गुजरात में राहत कार्य के लिए आए हुए थे ने कहा:

"हम अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास द्वारा शुरू किये गए सबसे बड़े बचाव और राहत कार्य को आरम्भ कर रहे है लेकिन मैं नहीं जानता कि कहां से शुरू करूं। वहां कोई नहीं है जिससे हम बात करें और वह हमें बताए कहां से हम शुरू करें। हम राहत और बचाव सामग्रियों दवाइयों, 1.5 लाख कम्बल, दो चलते फिरते हस्पताल जोकि कोई भी सर्जरी कर सकती है और हजारों मिलियन डालर अन्य सामग्रियों से लदे हवाई जहाज लाने को तैयार हैं लेकिन यदि ये लोग हमें नहीं बताएंगे तो मैं इस कार्य को रद्द करने के लिए मजबूर हो जाऊँगा।" अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास सोसायटी के श्री हाल्वर जो कार्य सहायता करने आए थे ने आगे कहा:-"आपका देश हमें कह रहा है कि हमारी आवश्यकता नहीं है।"

श्री ब्रेलर फ्रेंच दल का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें और उनके दल को बछाऊ तक पहुंचने में 36 घंटे लगे हैं क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं था कि वे कहां जाए। उन्होंने कहा कि बछाऊ तक पहुंचने मे फ्रेंच दल को होने वाले विलम्ब का मुख्य कारण उसी दिन कच्छ में प्रधानमंत्री का दौरा करना था। राहत कार्यों का समन्वय करने वाले मुख्य कार्मिक प्रधानमंत्री और संघीय गृहमंत्री, नागर विमानन मंत्री और रक्षा मंत्री के दौरे में व्यस्त थे। उस समय कुछ भी नहीं किया जा सकता था और इससे बचाव कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। इसमें हमेशा बाधा पड़ती है। जब भी कोई अति विशिष्ट व्यक्ति वहां जाता था। और सब कुछ रूक जाता था। राहत और बचाव कार्य को प्राथमिकता न देकर उन दौरो को प्राथमिकता दी जाती है। उस समय, वे कहते है, वहां पत्रकारों और छायाकारों की भीड़ है जो वहां गए है। स्वाभाविक रूप से वे भी इच्छुक होंगे।

समाचार पत्रों और दूरदर्शन के लोग वहां मौजूद थे। वहां राहत कार्य के लिए गए लोगो के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि वे हिल तक सके। लगभग 51 देशों ने राहत सामग्रियां भेजी है। श्री हरिन पाठक मुझसे भी अच्छी तरह जानते हैं। वह वहां मौजूद थे। इसलिए इन दौरों के साथ वहां कोई भी निर्देश देने वाला नहीं था। यह बताने वाला नहीं था कि कहां जाना है और इससे उनके राहत कार्य में बाधा पहुंची। यह इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर प्रशासन तक ठप्प था। लोगों को धक्का लगा है और उन्हें झकझोर दिया है परन्तु वहां की अक्षमता का वर्णन नहीं किया गया है। सबसे बड़ी चिन्ता यह थी कि राहत कार्य प्रभावित हुआ था। मुझे यहां गलत समझा जा सकता है लेकिन यह बात केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं कई अन्य माननीय सदस्य भी यही बात कह रहे हैं–अव्यवस्थित प्रशासन के साथ-साथ धर्म और जाति के कारण के आधार पर भेदभाव भी था।

भेदभाव की अनेक रिपोर्ट है। यह भारी चिन्ता का मामला है। मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र श्री हरिन पाठक जैसे सार्थक व्यक्ति इसे अच्छी तरह समझ सकते है। मुझे आशा है कि उनके द्वारा समझी गई भ्रान्ति शीघ्र दूर होगी।

कुछ ऐसे मामले और रिपोर्टें हैं जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि इस प्रकार की घटनाएं कैसी घटित हुई। मेरे पास ''दि हिन्दू'' की एक रिपोर्ट है जो कि प्रकाशित हुई थी। कुछ एक राहत सामग्री पर जबरदस्ती कब्जा किया गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि इसे श्री हरिन पाठक के मित्र, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अथवा विहिप अथवा बजरंग दल के हैं के द्वारा बांटा गया है। मुझे नही मालूम के वे कहाँ के रहने वाले हैं। राहत सामग्रियां, जो कि अन्य स्थानों से आई थी परन्तु उन पर राष्ट्रीय स्वयं संघ का निशान छपा था।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट): जब आपको पता नही हैं तो आप क्यों असत्य बोल रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): श्री सोमनाथ चटर्जी को अत्यन्त सम्मान देते हुये मेरा निवेदन यह है, कि मैं यह समस्त रिपोर्टें जो कि प्रकाशित हुई है आधारहीन हैं और इनमें कोई तथ्य नही हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): इनके कहने से आर.एस.एस. खराब नही हो जाता। आर.एस.एस. को हम और बढ़ाएंगे। इनके कहने से कुछ नही होता है। आर.एस.एस. तो बढ़ रहा है। ...*(व्यवधान)*

डा. वल्लभभाई कथीरिया: जिन लोगो ने हाईजैक किया था, यह हम नही बोल रहे है। इसे हम बोल सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे अपनी बात समाप्त नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): इसमें कोई सच्चाई नहीं है

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा कर सकते हैं, जब आप बोले तो आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मि. स्वैन आप बैठ जाइये प्लीज।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे अपनी बात समाप्त नहीं कर रहे हैं कृपया बैठ जाइए

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) महोदय, आपको विनिर्णय देना चाहिए कि क्या आर. एस. एस. शब्द असंसदीय है। जब हम यह शब्द बोलते हैं तो वे चिल्लाते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया माननीय सदस्य को परेशान न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: महोदय, यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नाम को उदधृत करने का प्रश्न नहीं है, परन्तु उसे एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य द्वारा, जिन्हें हम बहुत ज्यादा स्नेह करते है, कहा गया है कि राहत सामग्री को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों द्वारा छीन कर ले जाया गया है। क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की यह विश्वश्नीयता है? उनके कथन पर कौन विश्वास करेगा?...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मुझे यह कहने में बहुत खेद है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वैन, कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं अपने साथियों से अपील कर रहा हूँ ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। देश में कई गैर-सरकारी संगठन, कई एन.जी.ओ. अच्छा काम कर रहे है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यदि कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी सराहना करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने वह समाप्त नहीं किया है। कृपया बैठ जाइये।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं कहता हूँ कि गैर-सरकारी सगंठनों, अन्य और श्री हरिन पाठक जैसे मित्रों के द्वारा काफी अच्छा कार्य किया गया है। जिन्होंने वहां पर अनेक दिन बिताये थे। इसलिए आप इतने असहिष्णु और अधीर क्यों है? आपको असहिष्णु नहीं होना चाहिए?...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे: इसलिए यदि कोई भी गैर-जिम्मेदाराना ब्यान देता है तो हम भावुक और अधीर होंगे ही...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: आप श्री कानूनगो से पूछ सकते हैं वह आपको बताएगे कि उन्होंने क्या देखा है वह आर.एस.एस. के नहीं हैं आपने उनको कल सुना होगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उस तरह से नहीं कर सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, तब तो हमको सदन में वाद-विवाद चर्चा की किसी भी पद्धति को बन्द कर देना चाहिए...*(व्यवधान)* हमें यह जानना चाहिए हम यहां पर यह जानना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* हम उन बातों को कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)* यह सब दि हिन्दू सहित अन्य समाचार पत्रों में आया है और अभी तक इस पर कोई विवाद नहीं हुआ है, मैं केवल इन्हें बता रहा हूं आप निरन्तर रूप से बोलते जा रहे है और दूसरो को व्यवधान उत्पन्न कर रहे है। यहाँ हमारी मदद कैसे होगी?

रिपोर्ट बताती है कि किस प्रकार से स्पेन और जापान से आई राहत सामग्रियां उन स्थानों पर नहीं पहुँची और उन्हें गायब कर दिया गया। यह सब समाचार पत्रों में छपा और प्रकाशित हुआ है। परन्तु उस पक्ष से इसका खण्डन नहीं हुआ है और आप उनकी बात सुनने के लिए अधीर हैं क्या आप उन तथ्य को रिकार्ड में नहीं जाने देगे? आपके दल में, आपकी सरकार में, बहुत ही सक्षम वक्तागण है उनमें कहो कि इस पर प्रतिवाद करे। आपके पास बहुत ही योग्य मंत्री है और मुझे नहीं लगता कि प्रधान मंत्री भी इस पर कुछ कहेंगे आपके पास बहुत ही योग्य मंत्री है जो इस स्थिति को संभाल सकते है।

कुछ धीरज रहिए, क्योंकि यह बहुत ही गंभीर-आरोप और प्रत्यारोप है। मुझे ज्ञात नहीं कि माननीय मंत्री महोदय ने इन आरोप अथवा शिकायतों पर कोई जांच बिठाई है। मुझे यह भी मालूम नहीं कि क्या वह आश्वस्त हैं कि ऐसी घटनाएं घटित हुई है अथवा नहीं। उनको बताने दीजिए। परन्तु हमने देखा है कि किसी ने भी इसका खण्डन नहीं किया है। यहां तक की राहत सामग्री 20 करोड़ रु. तक की जिसे पोप ने देने को कहा का भी विरोध हुआ, कुछ लोगों ने पाकिस्तान से आ रही राहत सामग्री का भी विरोध किया क्या यह सही है या गलत? मंत्री महोदय हमें बतायेंगे जब आप भाग ले तो आप हमें बताए, यह खुले तौर पर कहा गया है।

यह टेलीविजन पर दिखाया गया था, यह मीडिया में था दोनों प्रिन्ट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में थे। यदि मैं इसे सभा में बताता हूँ जोकि देश का सबसे बड़ा मंच है तो आप विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण खतरनाक है। मैं इससे अप्रसन्न हूं जब देश या देश का वह भाग गंभीर परेशानी में है, जब यह भाग इस तरह की त्रासदी का सामना कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप भारी हानि हुई जो ब्यान नहीं की जा सकती और जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान और लोगों को बयान न की जाने वाली पीड़ा हुई तो क्या इस तरह का व्यवहार करना चाहिए? ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए ऐसा मैं इसीलिए कहना चाहता हूं यदि यह रिपोर्ट गलत है इसे अस्वीकार कीजिए।

कम से कम गुजरात भाग्यशाली तो है कि कोई यह नहीं कह रहा है कि भूकंप मानवीय कारणों से आया है जैसा कि पं. बंगाल में विनाशकारी बाढ़ के मामले में कहा गया था वहां किसी ने अनुच्छेद 356 लगाने की मांग भी नहीं की है। यद्यपि, भूकंप मानवीय कारणों से नहीं था परन्तु यह कहा गया और ठीक ही कहा गया मेरा भी विश्वास है कि जो क्षति हुई वह काफी हद तक मानवीय कारणों से थी। सभी बड़े भवन बहुमंजिली इमारतें और नये भवन जोकि ध्वस्त हो गए वे मुख्यत: निर्माण की गड़बड़ी के कारण हुए। ये गंभीर मामले हैं। राज्य में लोगों को जा अत्यधिक कष्ट उठाने पड़े जैसा कि अब कहा जा रहा है वह भवन निर्माता राजनीतिज्ञों की सांठ-गांठ के कारण ही हुआ।

'आउटलूक' पत्रिका जो हमारा समर्थन नहीं करती है, जो हमारा खुलकर विरोध करती है ने भी भवनों, ठेकेदारों और राजनीतिज्ञों आदि का नाम दिया है। यह इसमें छपा भी है। मैं आश्वश्त हूँ कि श्री पाठक का नाम उसमें नहीं है...*(व्यवधान)* यह ठीक है कई मित्र और नेता यहां उपस्थित है...*(व्यवधान)* वे आपकी पार्टी के नेता है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? कौन जानता है की ये भवन किस तरह से बने? अत्याधिक क्षति हुई है। मुझे नहीं मालूम कि क्या किसी के द्वारा 'आउटलूक' के विरुद्ध दोषी व्यक्तियों के नाम छापने के लिए कोई कार्यवाही की गई है। ये काम राजनीतिज्ञों और मंत्रियों के है उन्हें 'शार्क' बताया और कहा गया है। सभी नाम उसमें है किसी ने इसका प्रतिवाद नहीं किया है। आउटलूक ने खुलकर कहा है और इसे दोहराया भी है।

इसलिए इन लोगों में अपने लालच के कारण राज्य को क्षति पहुंचाई है। पुराने भवन बच गए लेकिन नए गिर गए अधिकांश नई ऊंची इमारतें गिर गईं। मैं इसकी गहराई में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हमें 'आपदा प्रबंधन' के बारे में सोचने से पहले इन विषयों को ध्यान में रखना होगा।

इसके काम करने की प्रणाली क्या होगी? एक बात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री एक बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताए यह कहा गया है कि ऋण की राशि लगभग 21,262 करोड़ रु. है।

लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहीं भी उस धनराशि का उल्लेख नहीं किया है जो कि गुजरात सरकार को अभी तक प्राप्त हुई है। राहत कार्य हेतु गुजरात राज्य को उपलब्ध कराई गई धनराशि कितनी है? सरकार ने अपनी तिजौरी खोल दी है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के लिए अपील की गई है जो उड़ीसा के मामले में नहीं की गई थी। तत्काल प्रधानमंत्री ने कहा कि धन की कोई समस्या नहीं थी अत: इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार सामग्री के रूप में और विशेष रूप में गुजरात के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में दी गई धनराशि सहित धन के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है।

महोदय, राज्य सभा के माननीय सभापति ने संसद सदस्यों को कुछ सुझाव दिया था। जहां तक हमारे दल का सम्बन्ध है? हममें से अधिकतर सदस्यों ने 10 लाख रुपये और एक महीने का वेतन दिया है। मैंने पश्चिम बंगाल के लिए भी इसी प्रकार की अपील की थी जिस पर मैं बाद में आऊंगा। इस पर बिल्कुल भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हमने उड़ीसा बाढ़ के दौरान भी अंशदान किया था। यहां मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): केवल 79 संसद सदस्य उड़ीसा की सहायता के लिए आगे आए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं वह जानता हूं लेकिन हममें से अधिकतर ने अंशदान दिया है। 33 संसद सदस्यों में से लगभग 25 सदस्य राज्य की सहायता के लिए आगे आए हैं अधिकांश वामपंथी संसद सदस्य सहायता के लिए आगे आए हैं। आप माननीय अध्यक्ष महोदय के कार्यालय से सूची देख सकते हैं। हमने हमेशा ऐसी स्थिति में आगे बढ़कर सहायता दी है यद्यपि पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों के नाम कई सप्ताहों और महीनों के लिए हटा दिए गए थे। यह अत्यन्त हैरानी की बात है। हम इसकी परवाह नहीं करते लेकिन यह उनके रवैये को दर्शाता है जिसके मैं खिलाफ हूं। मैं इस मामले को उठा रहा हूं क्योंकि यह एक ऐसा देश है जो समय-समय पर प्राकृतिक आपदाओं और प्रकृति विपत्तियों का सामना करता रहा है।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

भारत सरकार, कृषि विभाग, कृषि नियंत्रण कक्ष ने कुछ सूचनाएं जारी की है जो बहुत उपयोगी है। सरकार को गैर-सरकारी संगठनों के वित्तीय सहायता के रूप में 23.90 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री गुजरात राहत कोष में दान में 40.86 करोड़ रुपये अन्य राज्यों और 51 देशों से प्राप्त बाह्य सहायता के रूप में 16.57 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। कुल अनुदान है: मुख्यमंत्री राहत कोष में 13 करोड़, और गुजरात सरकार के बजट से 153 करोड़ रुपये दिए जाने वाली अग्रिम राशि में कोई अन्तर नहीं है। मैं इसकी प्रसंशा करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

अब मैं ओवरड्राफ्ट विनिमय सम्बन्धी योजना में छूट दिये जाने के बारे में प्रधानमंत्री के निर्णय पर आता हूं हम इन सभी उपायों का जोरदार समर्थन करते हैं। कृपया मुझे गलत मत समझिए। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष में लगभग 85 करोड़ रुपये जारी किये गये जिसके लिए हमने धरना दिया था। महोदय, 500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता केन्द्रीय कर हिस्से में तदर्थ रूप में प्राप्त हुई है और प्रधानमंत्री राहत कोष से 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए है। यह बिल्कुल सत्य है। यहां तक कि 'बाल्को' कर्मकारों ने 17 लाख रु. तक अपने एक दिन का वेतन दिया है और आपको भली भांति मालूम ही है उनके साथ हो क्या रहा है।

महोदय, यहीं अन्त नहीं है। मैं कृषि मंत्रालय के दस्तावेज में पढ़ रहा हूं इसमें कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने उदारतापूर्वक और तत्परता के साथ सहायता दी है। 44 देशों और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने अपने बचाव दल और चिकित्सा सामग्री भेजी है। विश्व बैंक ने 300 मिलियन डालर की सहायता घोषणा की है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। केवल बात यह है कि हमें ब्याज सहित इसे लौटाना होगा। एशियन बैंक ने 350 मिलियन डालर सहायता की घोषणा की है। जापान ने पहले दी गई 07 मिलियन यू.एस. डालर के अतिरिक्त 2.3 मिलियन डालर प्रदान किये हैं। इसके अतिरिक्त कोरिया ने भी धन दिया है। इसके अतिरिक्त सी आई आई, एफ आई सी सी आई और 'एसोचेम' ने राहत के लिए गांवों के बड़े क्षेत्रों को अपनाने का निर्णय किया है। भारत सरकार के बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने राहत और पुनर्निमाण के लिए गांवों के समूह अपनाने का निर्णय किया है। रिलाइन्स ग्रुप ने अंजार शहर को अपनाया है मैं इसका वर्णन क्यों कर रहा हूं?

हम जानना चाहते हैं कि उपलब्ध कराए गए इन संसाधनों और धन का समन्वय और उपयोग आप किस प्रकार कर रहे हैं किसका उपयोग किया जा रहा है और किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है? धन, जो हर ओर से प्राप्त हो रहा है, का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है? मुझे विश्वास है कि न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि सभी अन्य राज्यों में लोग धन इकट्ठा करने के लिए जी-तोड़ प्रयास कर रहे है। यहां तक कि बच्चे भी अपनी जेब खर्ची से धन बचा रहे हैं। मेरे राज्य में ऐसा किया गया है। वे घूम-घूम धन एकत्र कर रहे है। कलाकार, संगीतकार, शिक्षा क्षेत्र के लोग, खेल जगत के लोग और राजनीतिज्ञ सभी गुजरात में हमारे भाई बहिनों की सहायता के लिए धन एकत्र कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में अत्यधिक धन और सामग्री इकट्ठी की जा चुकी है।

मंत्री जी के विस्तृत विवरण दिया है जिसमें कितना धन प्राप्त किया गया है का उल्लेख नहीं है। आप इसका उपयोग किस प्रकार करने जा रहे हैं? हम यहां जानना चाहते हैं कि क्या मानदण्ड है जिस पर खर्च करने का निर्णय किया गया है। महोदय, मैं यहां बार-बार स्पष्ट कर रहा हूं-ताकि इसे गलत न समझा जाए-मैं सभी कोषों का समर्थन कर रहा हूं जो उन्हें प्रदान की गई और यदि आवश्यक है तो जो उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हम निश्चित रूप से ऐसा चाहते हैं लेकिन यहां मैं सहायता नहीं कर सकता क्योंकि यह बार-बार होता जा रहा है। अत: मैं ऐसा तन्त्र चाहता हूं जो इस देश में हर भारतीय की सहायता करे जो कठिनाई (मुसीबत) में हो। यह उस राज्य की सरकार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह उस दल पर जिसे लोग वहां समर्थन देते हैं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। केवल चार महीने पहले मेरे राज्य में 2.18 करोड़ लोग भयंकर बाढ़ की चपेट में आए थे। यह आरोप लगाया गया था कि यह मानव जनित बाढ़ थी। महोदय हम इससे इन्कार करते है। यह झूठा आरोप है लेकिन मान लो सरकार ने कुप्रबन्धन के कारण यह मानवजनित था लेकिन लोग तो भुगत रहे थे। कृषि मंत्री ने स्वयं कहा था कि यह क्षति अत्यन्त भारी थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह क्षति बहुत बड़ी थी।

महोदय 103 करोड़ रुपये के लिए श्री ज्योति बसु और अन्य लोगों को यहां आना पड़ा और धरना देना पड़ा। हम कुछ सहायता को प्राप्त करने के लिए कम से कम दस बार प्रधानमंत्री से मिले। 5650 करोड़ रुपये की क्षति हुई और दो करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए। लोगों को पेड़ों पर रहना पड़ा और 1300 लोग मारे गए। लेकिन उस दिन जब हम प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे थे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के मंत्री वहां दौरा करने गए थे। उन्होंने हमारे राजनीतिक विपक्षी लोगों को समर्थन देने का प्रयास किया ताकि पश्चिम बंगाल राज्य को कोई धन न देना पड़े।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोंटाई): हमने कभी वैसा नहीं किया। माननीय सदस्य को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी: निसन्देह आपने वह क्या था। इसीलिए मैं इस मौके पर सरकार से कहने का प्रयास कर रहा हूं कि वह उचित सक्षम मानव तंत्र की स्थापना करे जोकि देश भर में समान मानदण्डों के साथ कार्य करे।

उड़ीसा के लोगों को क्या हुआ था? मुझे विश्वास है कि अपने 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में श्री प्रकाश पात्र द्वारा लिखित लेख अवश्य पढ़ा होगा। इसमें उस राज्य के व्यक्ति की व्यथा दर्शायी गई है इसमें कहा है:-

''आडवानी लोकसभा में गांधी नगर का प्रतिनिधित्व करते है। केवल इस कारण से वह गुजरात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। समाचार पत्रों ने पिछले कई सरकारों में गृहमंत्री के बारे में नियमित रिपोर्ट दी है कि वह लगाए गए तम्बुओं से राहत कार्यों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। केन्द्रीय रक्षामंत्री श्री जार्ज फर्नांडीस को केन्द्र द्वारा तैनात किया गया था कि वह उड़ीसा चक्रवात के दस दिन पश्चात गठित कार्य दल का नेतृत्व करें। उनका कार्य क्या था? उनका कार्य था राज्य प्राधिकारियों के साथ चर्चा करना क्या यह महाचक्रवात एक राष्ट्रीय आपदा थी अथवा नहीं थी। गोमंग छत पर चढ़ जोर से चिल्ला रहे थे कि उन्हें केन्द्र से धन की आवश्यकता है। लेकिन केन्द्र टालमटोल कर रहा था। फिर एक अन्य चर्चा आरम्भ हो गई क्या केन्द्रीय सहायता को केवल अग्रिम के रूप में माना जाना चाहिए अथवा अनुदान के रूप में माना जाना चाहिए।'' उड़ीसा में 1,10,000 लोग मारे गए। मेरे राज्य में 1,300 लोग मारे गए। करोड़ों रुपये की सम्पत्ति और परिसम्पत्ति नष्ट हो गई। इसलिए इस देश के लिए समय आ गया है कि वह इन मुद्दों को तदर्थ उपाय के रूप में न लेकर इसे राष्ट्रीय वचनबद्धता के रूप में ले।

हमारे संविधान का पूरा ढांचा इस प्रकार का है कि सभी प्रकार के धन (कोष) केन्द्र के पास हैं। एन सी सी एफ के गठन न करने की दलील पर एक पैसा भी नहीं दिया गया था। अन्ततः 103 करोड़ रुपये दिये गये। यह मानदण्ड तब कहां था जब हमने धन के लिए कहा था? आप विभिन्न राज्यों के साथ एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं करते हैं? आखिर, यह मानवीय कष्ट और मानवीय समस्या थी। अतः मंत्री महोदय इस स्तर पर मेरी सरकार से मांग है कि विभिन्न राज्यों से आप यह अवश्य स्पष्ट करें कि स्थान और किस पार्टी की सरकार है इस के आधार पर विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों किया जाता है।

जब अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने उड़ीसा की मदद करने की कोशिश की तो यह कहा गया कि यह हमारी राष्ट्रीय गरिमा के खिलाफ होगा कि हम विदेशी सहायता ले। हमने खुले दिल से उनका स्वागत किया। मैं जानता हूँ कि यह गंभीर समस्या है और हमने काफी हृदय विदारक दृश्य देखें हैं। अतः मैं फिर कह रहा हूँ कि यही करना ठीक था। हम भी सभी देशों का धन्यवाद करते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो हमारी सहायता के लिए आगे आया। मैं ऐसी भावना पैदा नहीं करना चाहता कि हम यहां केवल तुलना करने के लिए ही आए हैं। हम भारत की एकता और अखंडता में विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि कुछ बातें राजनीति से ऊपर होनी चाहिए और उन्हें संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। माननीय रेल मंत्री ने गुजरात के लिए 50 करोड़ रुपया जारी किया था। यही सही और उचित था; यह और अधिक भी हो सकता था; हम इसकी परवाह नहीं करते। परन्तु जब उड़ीसा और पं. बंगाल में यह समस्या हुआ तब क्या हुआ था?

अग्रिम राशि किन आधारों पर दी जाती है जहां तक करों का संबंध है काफी मात्रा में समुचित राहत प्रदान की गई है। राहत सामग्रियों के सम्बन्ध में कोई उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क नहीं होगा। कई अन्य राहतें दी गई। परन्तु प. बंगाल को कुछ भी नहीं दिया गया। कितने मंत्री पश्चिम बंगाल या उड़ीसा में वहां की स्थिति देखने गए। उनमें से कितने दिल्ली गए या कितनों ने वहां जाकर कैंप लगाया? अगर आप हम पर विश्वास नहीं करते तो आप स्वयं वहां जाकर क्यों नहीं देखते कि वहां क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री ने वहां जाकर हवाई सर्वेक्षण तक नहीं किया।

अतः यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है अर्थात् हमारे देश के लोगों की सुरक्षा करना। इस सम्बन्ध में काफी भेदभाव है। एक बहुत ही विद्वान पत्रकार ने द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख में बहुत अच्छी बात कही है। इसका कारण है कि सौभाग्य से गुजरात एक ऐसा स्थान है जहां के लोग सफल हैं जीवन स्तर काफी ऊंचा है और उनकी आय बहुत अधिक है? क्या यह इस प्रकार की प्रतिक्रिया का कारण है? और क्या इसका कारण यह है कि उड़ीसा में अधिक संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनकी देख-रेख करने की आवश्यकता नहीं है? दूसरी तरफ उनकी अधिक देखरेख की जानी चाहिए क्योंकि राज्य सरकार संभवतः यह नहीं कर सकती। इस प्रकार के भेदभाव भारत की संस्कृति और एकता के लिए हानिकारक हैं और यह केवल इस देश के लोगों के साथ धोखा देना ही है। अतः मेरी मांग है कि इस राष्ट्रीय आपदा समिति या यह जो भी कहलाती है, जिसे हमारे सुझाव के बाद प्रधानमंत्री ने गठित किया था, को अपनी उन योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहिए जो बनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अधिक मंत्रियों के शामिल होने से राहत उपायों का कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा है। इस स्थिति में मैं नहीं जानता कि समिति क्या कर सकती है।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

इसके अलावा पी.एम.ओ. एक अधिकार प्राप्त समूह के अलावा मंत्रियों का समूह भी है। मैं नहीं जानता कि क्या श्री हरिन पाठक जो फिलहाल किसी पद पर नहीं है। फिर से अपने स्थान पर लाए जाएंगे ताकि वे कुछ महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकें। वे भूकंप त्रासदी से पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था। इसी की आशंका में उनके साथ ऐसा किया गया था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: और उन्हें कोई राहत नहीं दी गई थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

मेरा मांग है कि एक सही तरीका पद्धति और संस्थागत प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में न केवल लोग प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हों बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अकुशल प्रशासन और भेदभावपूर्ण व्यवहार से भी मुक्त हो सके। इनका समाधान व्यावहारिक विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए। अमीर और गरीब, एक राज्य से दूसरे राज्य, गांव और शहर के बीच कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। सौभाग्य से गुजरात के अधिकांश बड़े उद्योग बच गए हैं। कम से कम आपकी बहुमूल्य संपत्ति बच गई है। परन्तु सबसे बड़ा नुकसान लघु उद्योगों को हुआ है। अत: लघु उद्योगों के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। समुचित बैंक अग्रिम दिए जाने चाहिए और केवल दया ही नहीं दिखानी चाहिए। मैंने दूरदर्शन में सुना है कि जिन लोगों का सब कुछ खो गया है उन्हें 10,000 से 12,000 रुपए तक दिए जा रहे हैं। वे बहुत मेहनती लोग हैं। मैं गुजरात के लोगों की प्रशंसा करता हूं। एक तरह से वे साहसी भी हैं। वे आत्मनिर्भर होने में सक्षम हैं। वे अपने उद्योगों का निश्चित रूप से कुछ सहायता के साथ उद्धार कर सकते हैं जिसकी उन्हें अत्यन्त आवश्यकता है।

फैक्टरियां नष्ट हो गई है। घर बर्बाद हो गए हैं। अधिकांश परिवारों को इस समय अत्यन्त मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु मंत्री महोदय आपको उन्हें समुचित सहायता देनी होगी। मैं जानना चाहता हूं कि आप समाज के कमजोर शिकार वर्ग के लोगों के लिए क्या उपाय और प्रक्रिया अपना रहे हैं। परन्तु इस बारे में वक्तव्य में कोई बात नहीं कही गई है। एक महीने से अधिक समय बीत गया है। इस पर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं जब एक महीना बीत चुका है। कम से कम अब तो केन्द्र सरकार की सभी प्रकार की सहायता और सामग्री के साथ जिससे आपको पुनर्गठन और पुनर्वास की सही योजना के साथ काम शुरू कर देना चाहिए था। इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। आप केवल यही कहते हैं कि राज्य सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मेरा अनुरोध है कि हमें यह नहीं बताया गया है, सभा को यह नहीं बताया गया है, देश को यह नहीं बताया गया है कि वास्तव में क्या कदम उठाए गए हैं। विभेदकारी और तोड़नेवाली ताकतों के आगे आपको झुकना नहीं चाहिए। इसे पार्टी का मामला नहीं समझना चाहिए। इसे दलगत मुद्दा नहीं समझना चाहिए। कृपया इसे मानवीय मुद्दा समझें। कम से कम भविष्य में इससे अच्छी बात सामने आनी चाहिए। परन्तु सरकार भी ऐसा ही सोच रही है। विशेषज्ञ सरकार की सलाह पर काम करते हैं। कुछ खास किस्म की विशेषज्ञता देखी गई है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उन लोगों की मदद लीजिए जो इस संबंध में जानते हों।

मैंने एक बात देखी है। केवल इसलिए कि स्विस लोग कुत्ते लेकर आए। इसलिए आप भी कुत्तों का दस्ता बनाने वाले हैं। ...*(व्यवधान)* क्योंकि वे लोग कुत्तों का दस्ता लाए इसलिए आप भी लाने वाले हैं। यह महसूस किया गया कि कुत्ते ही मलबे के नीचे दबे शवों का पता लगा सकते हैं। अब मैंने देखा कि अब आप कुत्तों के दस्ते लाने की शुरूआत कर रहे हैं। मुझे आशा है कि कुत्तों को लेने का निर्णय उनके स्थान, माने गए धर्म और प्रवृत्ति के आधार पर नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय मुझे खेद है कि मैं माननीय मंत्री को उनके प्रति अपने स्नेह के बावजूद बधाई नहीं दे सकता। संभवत: वह मुक्त एजेंट नहीं है। मुझे विश्वास है कि वे इस मामले के मास्टर नहीं है। मुझे उनसे सहानुभूति है। वे सदा विस्तारकारी और अधिकाधिक शक्तिशाली पीएमओ के अधीन हैं। यही वास्तविक संगठन है जो काम कर रहा है। प्रधानमंत्री के मैदान में होली खेलने के बजाए अधिक महत्त्वपूर्ण काम करने वाले हैं।

श्री नीतिश कुमार जी संभवत: आपको इस मामले का सांकेतिक प्रचार दिया गया है। या तो आप स्वयं अपने आपको इसके लायक साबित करें या हमें बताएं कि इस मामले में वास्तव में मास्टर कौन है। हमारे पास समय पर खरी हुई पद्धति होनी चाहिए जो यहां पर उपयोग की जा सके। हमें यह बताइए कि आप पुनर्वास कार्यक्रम कब लाएंगे और आप इस कार्य के लिए स्थाई मशीनरी की स्थापना कब करने वाले हैं।

महोदय इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजू राणा (भावनगर): अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 26 जनवरी को जब भूकम्प आया और भूकम्प का जो तीव्रता थी, उस तीव्रता को देखते हुए गुजरात के 21 जिलों में, 184 तालुकों में इस त्रासदी का असर हुआ। चूंकि भूकम्प की केन्द्र बिन्दु भुज से कुछ ही दूरी पर था। वैसे कच्छ पांच नम्बर की जोन में आता है, वहां तो प्रलय जैसी स्थिति उपस्थित हो गई थी।

सुबह जब भूकंप आया तो सब लोग 26 जनवरी समारोह में ध्वजारोहण के लिए, अपने-अपने गांवों के कार्यक्रमों में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे।

अपराह्न 2.56 बजे

(**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन* हुए)

उसी समय इतना व्यापक भूकंप आया कि कई इमारतों को कुछ ही क्षणों में ध्वस्त कर गया। इसमें कई लोगों की जानें गई। पहले-पहल जब समाचार मिले तो पता चला कि भूंकप का केन्द्र कच्छ में भुज से कुछ किलोमीटर दूर है और कच्छ में काफी बड़ी मात्रा में तबाही हुई है। अहमदाबाद में भी, जो गांधीनगर से सटा हुआ शहर है, इतनी व्यापक तीव्रता के झटके आए कि वहां भी बहुमंजिला इमारतों के ढह जाने के कारण कई लोगों की जानें गई। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, तब पता लगा कि कच्छ से सटे हुए जिले बनासकांठा और पाटन वगैरह में भी भूकंप ने अपना प्रकोप पूरी तरह से दिखाया। कच्छ में दो रास्तों से प्रवेश हो सकता है-एक सौराष्ट्र में मोरबी की ओर से दूसरा राधनपुर की ओर से। सौराष्ट्र में सूरजबाड़ी का पुल है। भूकंप के प्रकोप से सूरजबाड़ी के पुल को नुकसान हुआ। वहां से रास्ता बंद हो गया। मोरबी से राजकोट जिले की शुरूआत होती है। राजकोट में भी भूकंप ने अपना प्रकोप दिखाया। कच्छ में एक छोटा रण है और एक बड़ा रण है। छोटा रण सुरेन्द्रनगर जिले से सटा हुआ है। वहां भी भूकंप ने इतना प्रकोप दिखाया कि दोपहर के 11-12 बजे तक सबको मालूम हुआ कि पूरे गुजरात में भूकंप ने तबाही मचाई है। सुबह जब ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, तब से लेकर भूकंप के समाचार जैसे ही मिले तो सरकारी तंत्र ने अपना कार्य उसी समय से शुरू कर दिया। खुद मुख्य मंत्री अहमदाबाद में कंटोल रूम में बैठे। भुज में संचार व्यवस्था कटी हुई थी, रास्ता भी सुरजबाड़ी से बंद था। भुज में टेलीफोन एक्सचेन्ज का ऑफिस भी मशीनों के साथ ध्वस्त हो गया था। जिस रास्ते से भी संभव हुआ, पुलिस के वायरलैस के जरिये संपर्क स्थापित किया गया और जैसे-जैसे जिस जिले से, गांव से, शहर से इस त्रासदी के समाचार आते थे, तुरंत ही उसके बचाव के लिए पूरे प्रयत्न उसी दिन उसी क्षण से शुरू किए गए। जब शाम तक पूरा चित्र आया कि गुजरात में कहां और कैसे भूकंप से तबाही हुई है, उसके बाद जो रेस्क्यू वर्क शुरू हुआ, उसमें भी काफी तेजी आई दिखती थी।

अपराह्न 3.00 बजे

सभापति महोदय, मैं सौराष्ट्र के भावनगर शहर का प्रतिनिधित्व करता हूं। भावनगर क्षेत्र के लोग जनवरी, 2000 से ही भूकम्प के झटके महसूस कर रहे हैं। भावनगर से 26 जनवरी, 2001 को जो लोग मेहमान बनकर अहमदाबाद गए उनको भूकम्प के झटके कैसे होते हैं, यह बात मालूम थी। अहमदाबाद के लोगों को तो मालूम भी नहीं था कि भूकम्प क्या होता है और उसके झटके कैसे होते हैं और भूकम्प में कैसी स्थिति होती है। लेकिन भावनगर से जो लोग गए, वे जानते थे कि भूकम्प क्या होता है और उसके झटके कैसे होते हैं। जब 26 जनवरी 2001 को भूकम्प आया, तो भावनगर से जो लोग अहमदाबाद मेहमान बनकर गए थे, उन्होंने बताया कि यह तो भूकम्प है। हमें तुरन्त मकान से बाहर जाकर ग्राउंड में शरण लेनी चाहिए।

सभापति महोदय, जब भूकम्प का प्रकोप हुआ, उसी दिन से सरकार और सरकारी अधिकारियों ने मुस्तैदी से अपने-अपने काम किए। जैसा मैंने पहले बताया 21 जिले, 184 ताल्लुक और 7900 गांव बहुत अधिक प्रभावित हुए। यदि कच्चे-पक्के और झोंपड़-पट्टी के मकानों की संख्या देखें, तो इस प्रकार से कुल 10,48,000 घरों की संख्या सर्वेक्षण के अनुसार पता चली है। इतने बड़े पैमाने पर गुजरात में नुकसान हुआ है।

सभापति महोदय, अभी-अभी पता चला है कि कोआर्डीनेशन में कहीं-कहीं कमी दिखाई दी है। मैं मानता हूं कि जहां इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ हो, इतना बड़ा प्रकोप हुआ हो, वहां डिफीकल्ट मैनेजमेंट की परिभाषा में कहा जाए, तो जीरो डिफीकल्ट मैंनेजमेंट जिसको बोलते हैं, वह इस त्रासदी के सामने अपवाद स्वरूप हुआ और कुछ कमियां रही होंगी, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन इसको नियम बनाकर जनरलाइज मानकर नहीं चलना चाहिए। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि कोआर्डीनेशन में जो कमियां रहीं, उनको अपवाद स्वरूप मानकर चलें।

[श्री राजू राणा]

सभापति महोदय, जिस दिन भूकम्प आया, उसी दिन अहमदाबाद और भुज में कंटोल रूम स्थापित किए गए और उसी रात से आई.ए.एस. अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम ने बैठकर विदेशों से आने वाली राहत सामग्री को अहमदाबाद और भुज में भेजने का कार्य शुरू किया गया और जहां-जहां से जैसे-जैसे खबर आती थी, वहां राहत सामग्री भेजने का प्रयास किया गया। बहुत ज्यादा प्रभावित पूरा भुज, रापड़ अंजार, कच्छ और गांधी धाम हुए थे। भुज में तो टेलीफोन एक्सचेंज ही ढह गया। उसके जो इंचार्ज हैं वे मेरे मित्र हैं। उनकी शादी हमारे भावनगर में हुई है। जैसे ही भावनगर से समाचार मिला कि वे अपनी फेमिली को लेकर भावनगर पहुंचें, तो उन्होंने अपनी कर्तव्यनिष्ठता को ध्यान में रखते हुए तत्काल अपनी ससुराल वालों को कह दिया कि यदि फेमिली को ले जाना है, तो ले जाओ, मैं यहां से नहीं हिल सकता क्योंकि इसी समय मेरी यहां आवश्यकता है। पूरा सूचना तंत्र समाप्त हो गया है। उसे ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है और ऐसे संकट के समय मैं भावनगर नहीं आ सकता। वे वहां डटकर रहे और चौथे दिन उन्होंने टेलीफोन व्यवस्था को पूर्णरूप से कच्छ और भुज में चालू करने का प्रयास किया। बाकी धीरे-धीरे सब जगह कार्रवाई शुरू हुई। तीसरे दिन पूरे कच्छ में बिजली की व्यवस्था सामान्य कर दी गई।

चौथे दिन वहां पानी की सप्लाई भी बहाल हो गई थी। जो मशीनरी पूरे गुजरात से मलबा उठाने के लिए जानी थी, हैवी मशीनरी और अर्थमूवर्स की, कच्छ में, भुज में और जैसे-जैसे ध्यान में आता था वैसे-वैसे अहमदाबाद में, सुरेन्द्रनगर में, राजकोट में, जामनगर आदि सभी जगह इन मशीनरियों की आवश्यकता पड़ी। सौराष्ट्र तक जो मार्ग है, वहां सूरजबाड़ी का पुल तीन दिन तक शुरू नहीं हुआ। तीसरे दिन वह चालू हुआ। तब तक पूरा ट्रैफिक, बुलडोजर, हैवी क्रेन्स आदि सबको ट्रक में लोड करके राधनपुर होकर कच्छ में एंट्री कर पाया हम लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कि एक ट्रक में बुलडोजर वगैरह लेकर अगर रोड से जाना है तो वह ट्रक प्रति घंटा 90 या 100 किलोमीटर गति से कभी भी नहीं जा सकता। इसका भी एक वास्तविक चित्र हम अपने सामने रखें, इतनी ही मेरी विनती है। वैसे यह कल्पना नहीं थी कि भुज में इतना बड़ा भूकम्प आयेगा इसलिए सब मशीनरीज वहां नहीं थी, डिजास्टर मैनेजमैंट के हिसाब से जो होनी चाहिए, यह मैं मानता हूं लेकिन कहां, कब, क्या होगा, उसका अनुमान न हो सकने के कारण कहीं भी कुछ हो सकता है। जब सूरजबाड़ी का पुल तीसरे दिन शुरू हुआ तो सारा ट्रैफिक रिलीफ मैटीरियल लेकर कई एन.जी.ओज, कई स्वयंसेवी संस्थायें इस मार्ग से आने लगीं। थोड़े दिन तक सूरजबाड़ी के पुल को भी बंद करना पड़ा। उसको पूर्णतया रिपेयर किया गया, तब तक राधनपुर से पूरी सामग्री जा रही थी। इंटीरियर में वैसे तो हर जिला केन्द्र में उसी दिन ध्यान में आ गया था कि कितने गांव प्रभावित हुए हैं। सुरेन्द्र नगर में हलवत नाम का एक गांव है जो छोटे रण से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां भी काफी मात्रा में तबाही हुई। मालिया, मोरबी ने तो इस त्रासदी को पहले भी झेला है। जब मच्छु डैम टूटा था, तब भी उन्होंने एक त्रासदी देखी थी और इस बार भूकम्प से जो त्रासदी हुई, उसको भी उन्हें झेलना पड़ा है। लेकिन वास्तविक तौर से जो भी मशीनरी तंत्र को लगानी थी, वह उसी दिन 26 तारीख को लग गयी। पूरा तंत्र सरकार की ओर से, स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से सक्रिय हो गया। कई रिलीफ मैटीरियल सभी असरग्रस्त विस्तार से गये। गढ़शीशा नाम से भुज के पास एक गांव है। पूरा गढ़शीशा गांव ध्वस्त हुआ था लेकिन इन लोगों ने जब देखा कि भुज में भोजन की आवश्यकता है तो 26 तारीख की रात को गढ़शीशा गांव के लोगों ने रोटी पकाकर भुज के लोगों को खिलाने का प्रयास किया। आजू-बाजू के सभी जिलों में भी यही बात हुई। 26 तारीख से पूरा रिलीफ मैटीरियल सब संस्थाओं ने, एन.जी.ओज वगैरह ने, लेकर सभी जरूरतमंदों के पास पहुंचाने का प्रयास किया। सरकार की जो राशन शॉप्स थी, वे भी तीसरे दिन से शुरू हो गई थी। वैसे तो फूड पैकेट दो-तीन दिन तक चल सकता है लेकिन बाद में गेहूं, चावल आदि सब चीजें उन तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। मोबाइल राशन शॉप्स चलाई गई। हमारे यहां गुजरात में ''अभियान'' नाम से एक मैगजीन निकलती है। दीपल बेन त्रिवेदी नाम से एक कालम उस ''अभियान'' में निकलता है। सभी एन.जी.ओज ने, स्वामी नारायण सम्प्रदाय ने, स्वाध्याय लोगों ने, आर्ट ऑफ लिविंग के लोगों ने, रामकृष्ण मिशन तथा स्वामी विवेकानंद केन्द्र के लोगों ने वहां काम किया। कई स्वयंसेवी संस्थायें अपने आप इस त्रासदी में सभी की मदद के लिए आगे आई थी। दीपल बेन त्रिवेदी ने 17 फरवरी के ''अभियान'' में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है।

मैं बिल्कुल पिन प्वाइंटेड उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में काफी कुछ कहा गया है। उन्होंने आर्टिकल में भी कहा है कि वैसे तो मेरा संघ विचार के साथ झगड़ा है, मतान्तर है, उनका खुद का भी घर गिर गया, उन्होंने अपना तजुर्बा लिखा है कि कुछ भी मतभेद है लेकिन जो काम संघ के स्वयंसेवकों ने किया और जिस ढंग से लोगों को वहां मदद पहुंचाई, उससे वे काफी सन्तुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि हमें पूछने के लिए सबसे पहले संघ के स्वयंसेवक आए।

'हिन्दू' अखबार का उल्लेख हुआ। 7 फरवरी, 2001 के हिन्दू दिल्ली ऐडीशन में श्री मानस दासगुप्ता ने जो आर्टिकल लिखा, उसमें ये सब बातें लिखी थी कि रिलीफ मैटीरियल को लूटा गया

है। गुजरात के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक श्री अमृत भाई कड़ीवाला ने हिन्दू अखबार को नोटिस दिया है कि आपके पेपर में जो समाचार आया है, उसका तथ्यात्मक आधार क्या है। पेपर में रिपोर्ट आई थी। हम वहां जाकर खुद किसी से भी पूछ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि अपवादस्वरूप कहीं-कहीं हुआ है, उसका करैक्शन हो सकता है, होना चाहिए, यह मैं भी मानता हूं लेकिन यदि नियमस्वरूप बात बताने जाएंगे तो गुजरात की जनता के प्रति बहुत बड़ी ज्यादती होगी, ऐसा मैं मानता हूं । रैस्क्यू वर्क , रिलीफ वर्क, पैरा-मिलिटी फोर्सेस, मिलिटी फोर्सेस के साथ जहां प्राइवेट डाक्टर थे, उन्होंने भी अपने हॉस्पिल खोल दिए थे। राजनपुर, पाटन सभी जगह सरकारी हॉस्पिलों में टीटमैंट हो रहा था, पेशैंट्स भी बढ़ रहे थे। प्राइवेट डाक्टरों ने भी किसी भी बात की अपेक्षा के बिना अपने हॉस्पिटल में सेवा कार्य किए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री राजू राणा: मैं कनक्लूड कर रहा हूं। गवर्नमैंट ऑफ गुजरात द्वारा पैकेज के हिसाब से रीहैबिलिटेशन के बारे में योजना डिक्लेयर की गई है। जो गांव 77 प्रतिशत ध्वस्त हुए हैं, पहला पैकेज उसके लिए डिक्लेयर किया गया है और उस पर सर्वे चल रहा है। उसके बाद तुरंत काम शुरू हो जाएगा क्योंकि जिनके घर ढह गए हैं, मकान रहने लायक नहीं रहें, मानसून से पहले उसका रीहैबिलीटेशन करके आगे बढ़ना है। मेरी एक ही विनती है कि जो त्रासदी हुई है, मेरे मित्र श्री पाठक ने ठीक कहा कि समीकरण बदल दिऐ हैं। इतिहास भी समाप्त हुआ है। कहीं-कहीं डेढ़-दो सौ साल पुरानी इमारतें भी गिरी हैं। उनके लोगों को खड़ा करना है और उसके लिए पार्टी पोलीटिक्स से ऊपर उठ कर हम जो कुछ भी कर सकते हैं, उसे करने की विनती करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

कुमारी मायावती (अकबरपुर): सभापति महोदय, महीने 26 जनवरी को गुजरात में जो विनाशकारी भूकम्प आया, उसके कारण काफी तादाद में गुजरात के कुछ क्षेत्रों में जान-माल का नुकसान हुआ।

उससे पूरा देश ही दुखी नहीं था, बल्कि पूरे देश के साथ-साथ अन्य देश भी काफी दुखी थे। ऐसे हालात में पूरे देश के लोगों ने जितना उनसे बना, जो भूकम्प पीड़ित लोग थे, उनकी मदद भी की और दूसरे देशों की ओर से भी काफी मदद की गई। गुजरात में खास तौर से भूकम्प पीड़ित लोगों की जो मदद करने में जो सराहनीय योगदान रहा है, वह गैर-सरकारी संगठनों का रहा है। हम उनकी बार-बार सराहना करते है। हालांकि गुजरात सरकार की ओर से जो स्टैप्स वहां उठाये गये, उसके बारे में हम सब लोगों को पूरी जानकारी है। केन्द्र की ओर भी वहां कदम उठाये गये। माननीय प्रधान मंत्री जी ने ऑल पार्टीज लीडर्स की मीटिंग बुलाकर भूकम्प पीड़ित लोगों की मदद के लिए उनकी राय भी जानी। इतना ही नहीं, उसके बाद एक राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध समिति का भी गठन किया गया और कई कमेटियां बनाई गई। भूकम्प पीड़ितों को जो राहत सामग्री वहां पहुंचायी जा रही थी, उसके सही डिस्टीब्यूशन के लिए भी काफी कमेटियों का गठन किया गया, जो अलग-अलग कार्य देखेंगी। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार की ओर से यह स्टैप तो उठाये गये, लेकिन उनको कोआर्डीनेट कौन करेगा, इसकी कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं की गई।

कल इस त्रासदी को लेकर सरकार की ओर से सदन को आंकड़ों सहित यह अवगत कराया गया कि वहां पर कितनी जानें गई हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने मकान गिरे हैं, कितना माली नुकसान हुआ है, कितना सरकारी नुक्सान हुआ है। कल सरकार की ओर से आंकड़ों सहित काफी कुछ जानकारी सदन में दी गई है। सरकार की ओर से कल यह कहा गया कि भूकम्प में 19,000 से ज्यादा लोग मारे गये हैं। यह भी क्हा गया कि 1,67 लाख के करीब लोग जख्मी हुए, 1,75 लाख पक्के मकान और 1,63 लाख कच्चे मकान गिरे।

16,000 के करीब झुग्गी-झोंपड़ियों गिरी। 4,60,000 पक्के, 3,15,000 कच्चे मकानों और 32,000 झुग्गी-झोंपड़ियों को नुकसान पहुंचा। यह जानकारी कल सरकार की ओर से दी गई। मेरा सरकार को यह कहना है कि जो ये आंकड़े दिऐ हैं, इनकी आप पुन: ठीक तरीके से जांच कराएं, क्योंकि जो मीडिया है, प्रैस है, वह कुछ और तथ्य छापता रहा है और इलेक्टॉनिक मीडिया कुछ और तथ्य दिखाता रहा है तथा आप कुछ और तथ्य दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आपकी ही सरकार के रक्षा मंत्री जी का भी बयान आया था। वहां भी कुछ अलग ही नजर आता है। आपने कल कहा कि 19,000 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन माननीय रक्षा मंत्री जब गुजरात गए तो उन्होंने बयान दिया था कि भूकम्प में लगभग एक लाख के करीब लोग मारे गए हैं।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़): मायावती जी, वह उनका अनुमान था और उन्होंने यह कहा भी था।

सभापति महोदय: चीखलीया जी आप बैठिए, मायावती जी को बोलने दें।

कुमारी मायावती: जो मंत्री जी ने बयान दिया कि एक लाख के करीब लोग मारे गए हैं, कल सरकार की ओर से 19,000 लोगों के मारे जाने की बात कही गई है, इससे स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं होती। इसलिए मेरी केन्द्रीय सरकार से यह दरख्वास्त है कि आप इस बारे में गम्भीरता से सोच-विचार करें और इसकी पुन: जांच कराकर सही आंकड़े सदन में प्रस्तुत करें। यदि सही आंकड़े आप सदन में प्रस्तुत नहीं करते या देशवासियों के सामने उजागर नहीं करते तो भूकम्प पीड़ितों को सही राहत नहीं मिल पाएगी। जो वहां पीड़ित लोग हैं, उनको राहत सामग्री की और अन्य प्रकार की सहायता की जरूरत है, वह इससे वंचित रह जाएंगे।

गुजरात में जो भूकम्प आया, उससे पहले देश के कुछ प्रदेशों में प्राकृतिक आपदाएं आई थी। जिनमें सरकार के अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए था। जैसे उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा में लोगों का यह कहना है कि जितनी मदद उनको मिली चाहिए, उतनी नहीं मिली। गुजरात में भी बहुत किस्म की बातें हमारे समाने आई हैं। जब इस किस्म की घटनाएं घटती हैं चाहे उड़ीसा में प्राकृतिक आपदा आई हो या गुजरात में हो या देश के किसी भी कोने में हो, उस समय सारे देश से लोग मदद के लिए जुटते हैं। जिस राज्य में कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, उस राज्य की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है उस आपदा से निपटने के लिए और लोगों को रिलीफ देने के लिए। हर राज्य में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अलग से फंड होता है, उसका ऐसे मौके पर इस्तेमाल किया जाता है।

कुछ दिन पहले हमने अखबारों में पढ़ा कि राज्य में जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जो स्पेशल फण्ड होता है, उस फण्ड का इस्तेमाल राज्य सरकार दूसरी मदों में कर लेती हैं। ऐसे मौके पर जब रिलीफ की जरूरत होती है, तो उनको बराबर रिलीफ नहीं मिलता है। गैर-सरकारी संगठन भी ऐसे मौके पर मदद करते हैं और सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए तथा स्पेशल फण्ड ऐसे मौके पर खर्च करना चाहिए। जब किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास दूसरे मदों में खर्च करने की वजह से यह फण्ड नहीं रहता है तो बड़ा दु:ख होता है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को इसके बारे में स्पेशल इन्स्ट्रक्शन देने चाहिए कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हर राज्य में जो स्पेशल फण्ड होता है, उसका इस्तेमाल दूसरे मदों में न किया जाए। इसके ऊपर भी केन्द्रीय सरकार को जरूर नजर रखनी चाहिए और स्पेशल इन्स्ट्रक्शन जारी करने चाहिए।

महोदय, मैं किसी राजनीति में नहीं पड़ना चाहती हूं। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जैसा कि हमने अखबारों में पढ़ा है, अपनी बात कहना चाहती हूं। इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भी हमें जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, गुजरात में हमारी पार्टी की भी यूनिट है, उनके द्वारा भी हमें जानकारी मिली है। गुजरात में भूकम्प आने के बाद जो वहां पीड़ित लोग हैं, खास तौर से अहमदाबाद, भुज और कच्छ के अलावा जो इन्टीरियर इलाके हैं, वहां के लोगों के पास रिलीफ देर से पहुंची। यदि उनको रिलीफ समय से मिल जाता, तो वे मौत के मुंह में नहीं जाते और काफी लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। इन्टीरियर क्षेत्रों में सरकार की ओर से ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली गई है। गुजरात सरकार और केन्द्र की सरकार का भी ध्यान उधर नहीं गया है, जिसके कारण देहाती क्षेत्रों में लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। देहाती इलाकों में राहत सामग्री न मिलने के कारण या फण्ड्स समय पर न मिलने के कारण या बराबर चिकित्सा न मिलने के कारण, काफी लोगों को जाने गंवानी पड़ी हैं। इतना ही नहीं, हमें यह भी जानकारी मिली है कि राहत सामग्री देने में जाति, धर्म और राजनीति बीच में आई है। यह बड़े दु:ख की बात है। ऐसी स्थिति में, जब प्राकृतिक आपदा आती है, तो ऐसे मौके पर मानवता और इनसानीयत के नाते न तो जाति को बीच में लाना चाहिए, न धर्म को बीच में लाना चाहिए और न ही राजनीति को, न अमीरी को, न गरीबी को, न शहरी को और न ग्रामीण को, बल्कि हमें मानवता और इन्सानीयत के नाते विपदाओं में जो फंसे लोग हैं, उनके लिए बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के कार्य को करना चाहिए। मेरे विचार से खास तौर से केन्द्रीय सरकार को इसके बारे में अपने स्तर पर जांच करानी चाहिए। यदि ऐसा हुआ और जो लोग इसमें इन्वाल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। हो सकता है, इसमें सैन्टर का हाथ न हो और न ही गुजरात सरकार का हो, लेकिन बीच में जो ऐसे ऐलीमेंट्स आ गए हैं, जिन्होंने ऐसे काम को किया है, उसकी जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए।

अगर भविष्य में ऐसी ही कोई परम्परा बन गई तो मैं समझता हूं कि यह मानवता और इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। फिर मानवता और इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए।

महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुई केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि गुजरात के भूकम्प को लेकर कल से जो नियम 193 के तहत चर्चा हो रही है, खास कर सरकार ने इस विषय पर अपनी स्थिति क्लियर की है। हमने अपनी पार्टी की ओर से जो कुछ सुझाव दिए हैं, सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन पर गौर करे। गुजरात में उन्हें जो भी राहत सामग्री दी जा रही है या उन्हें दोबारा से एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी कदम उठाए जाएं, मैं

समझती हूं कि उन पर सरकार को ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। जहां तक हमारी पार्टी की मदद की जरूरत है, हमारी पार्टी अच्छे कार्य में दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर सरकार के साथ है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, मैं उन लोगों में से हूं जिसने यह देखा है कि जब भूकम्प जैसा प्राकृतिक विनाश होता है तो लोगों को क्या कष्ट होता है। मैं त्रासदी को समय सकता हूं और उस दु:ख को समझ सकता हूं जो उन लोगों में फैला है जो उस क्षेत्र में रहते हैं जहां भूकंप आया था। मैं उन परिवार के सदस्यों को अपनी सहानुभूति और संवेदना देना चाहता हूं जिन्हें गुजरात में भूकम्प के कारण हानि हुई।

हम इस मुद्दे पर सभा में क्यों चर्चा कर रहे हैं। सरकार ने हमारे समक्ष एक वक्तव्य के माध्यम से हमें यह बताया कि इस मामले का किस तरह निपटान किया गया था; लोगों की सहायता करने के लिए कितने रक्षाकर्मी शामिल थे; विश्व बैंक और एशियाई बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कितना धन मिल रहा है; कितने गाँव और घर प्रभावित हुए हैं। इस संबंध में कुछ जानकारी मिली है कि किस तरह से सरकार इस मामले का समाधान करने की कोशिश कर रही है। निश्चय ही यह जानकारी हमें इस विनाश के संबंध में सही मत बनाने में मदद करेगी।

विपक्ष में बैठे हुए सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि वे गुजरात के लोगों के और उन सभी लोगों के साथ हैं जो उनकी सहायता कर रहे हैं। गैर-सरकारी संगठन, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार और उनके द्वारा अपनाया गया रवैया दलगत रवैया नहीं होगा। इसके साथ-साथ उन्होंने कुछ आलोचना भी की। उन्होंने बताया कि वहां के लोगों को राहत देने में कहां-कहां गलती हुई है।

लातूर के क्षेत्र में लोगों को दी गई सहायता, गुजरात के लोगों को दी गई सहायता, उड़ीसा के लोगों को दी गई सहायता और पश्चिम बंगाल के लोगों को दी गई सहायता में अंतर के बारे में जोर देकर और विश्वासपूर्वक बताया गया है।

इस सम्माननीय सभा में खड़े होकर मैं लातूर क्षेत्र के लोगों को व्यक्तियों, संगठनों, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता के लिए बिना यह पूछे धन्यवाद करता हूं कि यह सभी सहायता उन्हें किस प्रकार दी गई थी और उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा सका। संभवत: उसी तरीके से हम गुजरात के लोगों की सहायता कर रहे हैं और हमें करनी चाहिए। इस पर किसी को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। हमें आवश्यकता से अधिक यथा संभव सहायता करनी चाहिए। परन्तु तथ्य यह है कि उड़ीसा के लोग संतुष्ट नहीं हैं। हमें यह स्पष्ट किया गया है कि पश्चिम बंगाल में लोगों के साथ क्या हुआ। अब, इन दो मुद्दों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। लोगों को सहायता देने में कुछ गलतियां हो गई हैं और कुछ संकीर्णता भी देखी गई है। कभी-कभी अधिकांश लोग सही तरीके से व्यवहार करते हैं परन्तु मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और ऐसा लातूर क्षेत्र में भी हुआ है कि कुछ लोग यह नहीं समझते कि उन्हें किस तरीके से सहायता करनी चाहिए और वे गलतियां कर देते हैं। जहां लातूर में कई अच्छे काम हुए हैं वहीं कई गलतियां भी हुई हैं। ये गलतियां लोगों द्वारा, की गई हैं न कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा न ही सरकारों द्वारा न ही जिम्मेदार संगठनों द्वारा परन्तु ये गलतियां व्यक्तियों द्वारा की गई थी। सुधारात्मक उपाय करना आवश्यक था। अगर इसी प्रकार की गलतियां गुजरात में भी होती रही तो हमारे लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि संगठनों के प्रतिनिधियों के रूप में, राज्य सरकार में बैठे लोगों के रूप में और केन्द्र सरकार में बैठे लोगों के रूप में यह देखने के लिए उपाय करने होंगे कि उन गलतियों को सुधारा जाए। हमें वहां जाने वाले सभी लोगों के व्यवहार की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। उनमें से अधिकांश, वहां जाने वाले लोगों में से 99.9 प्रतिशत वहां के लोगों की मदद करने जा रहे हैं परन्तु ऐसी संभावना भी है कि कुछ लोग इस संकट का लाभ उठाने की कोशिश करें, इसमें से रुपया कमाने की कोशिश करें, दुर्व्यवहार करने की कोशिश करें, अपने व्यक्तित्व को बखान करने की कोशिश करें, अपने संगठन की अच्छी छवि बनाने की कोशिश करें जिससे वे संबंधित हैं, अपने दल की या अपनी सरकार की छवि बेहतर बनाने की कोशिश करें। क्या हमें सुधारात्मक उपाय वहीं करना चाहिए? और अगर जिम्मेदार नेताओं ने यह भावना व्यक्त की है, तो मैं समझता हूं कि यह काम सही तरीके से और सही दिशा में किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता वहां गए थे। मुझे याद है कि जब श्री वाजपेयी विपक्ष के नेता थे और लातूर में भूकंप आया था तो वे लातूर गए थे। उन्होंने सहानुभूति प्रकट की थी और उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार कांग्रेस दल की नेता भी वहां गई थी। अगर उनके ध्यान में कोई बात आती है और अगर एक जिम्मेदार तरीके से किसी संगठन किसी राज्य या किसी नेता पर कोई आरोप लगाए बिना, उन्होंने सम्माननीय सदन में यह बात उठाई है तो उन लोगों का जो सरकार की बागडोर संभाले हुए हैं और जो लोगों की सहायता के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे यह देखें कि यह गलतियां कैसे सुधारी जा सकती हैं। अगर इस संबंध में सुधारात्मक रवैया नहीं अपनाया जाता तो इस सभा में चर्चा करने का उद्देश्य कुछ हद तक व्यर्थ हो जाएगा। हमने उन स्थानों

[श्री शिवराज वि. पाटील]

का नाम बताया है जहां यह हो चुका है। इसकी जांच की जानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलती की है तो हम यह नहीं कह रहे कि उसे सजा दी जानी चाहिए। परन्तु हम यह जरूर कहेंगे कि उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि उन्हें उचित तरीके से व्यवहार करना चाहिए न कि गलत तरीके से।

कल श्री हरिन पाठक ने बहुत ठीक कहा था कि इस प्रकार की आपदाओं का प्रबंधन करने के लिए कुछ उपाय हैं जो हमें करने चाहिए।

उन्होंने बचाव, राहत, पुनर्वास और पुनर्गठन के बारे में बोला। बचाव, राहत, पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए क्या जरूरी है? मैं विस्तार में बात नहीं कर रहा हूं। परन्तु विस्तार में कहा जाए तो मुझे कुछ बातें कहने की अनुमति दी जाए। इन कामों के लिए नेतृत्व दूरदर्शिता, दूसरे समन्वय तथा तीसरे नियोजन की आवश्यकता होती है। अगर दूरदर्शिता और नेतृत्व की कमी हो तो संभवत: जाने वाली सहायता पर्याप्त नहीं होगी। आपको बहुत सारी सामग्री प्राप्त हो सकती है। सामग्री की कमी नहीं हो सकती। परन्तु फिर भी अगर समन्वय नहीं होगा तो जिन लोगों को ये वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए वे उन्हें नहीं पहुंचेगी। अगर योजना नहीं होगी तो पुनर्वास और पुनर्गठन का काम कठिन हो जाएगा।

बचाव और राहत देने के लिए नेतृत्व और समन्वय की आवश्यकता है। योजना की भी आवश्यकता होगी। परन्तु नेतृत्व और समन्वय से अधिक पुनर्वास और पुनर्गठन करने के लिए योजना की आवश्यकता होगी। अगर यह है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें यह करने के लिए प्रयास करने चाहिए कि दूरदर्शिता अपनाई जाए और समन्वय की स्थिति तैयार की जाए। इस कार्य के लिए अच्छी योजना होनी चाहिए तभी हमारी समस्याओं का काफी हद तक समाधान होगा।

मैं समझता हूं कि राहत कार्य देने की अवधि समाप्त हो रही है। फिर भी कुछ और दिनों तक बचाव कार्य चलना चाहिए। मैं यह बात अपने अनुभव से कह रहा हूं। शवों को ढूढ़ने के प्रयास जारी रहने चाहिए। शायद चमत्कार हो और मलबे के नीचे कुछ लोग जिंदा बच निकल जाएं। अत: हमें कुछ और समय तक राहत कार्यों को जारी रखने के प्रयास करने होंगे।

राहत के प्रश्न के सम्बन्ध में हम दूसरे चरण में हैं। राहत देना अत्यंत महत्त्वपूर्ण काम है। राहत सामग्री विभिन्न देशों, विभिन्न राज्यों, गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों से प्राप्त हो रही है। परन्तु यह कार्य करना बहुत कठिन है। जब तक व्यापक योजना और समन्वय नहीं किया जाता मैं समझता हूं कि इतनी सारी सामग्री लोगों तक नहीं पहुंचेगी। सामग्री उपलब्ध तो होगी परन्तु लोगों तक नहीं पहुंचेगी। बल्कि ऐसे में इसके नष्ट और बर्बाद तक होने की संभावना अधिक है।

इस प्रकार हम दूसरे चरण में हैं। राहत दिए जाने का कार्य और राहत दिए जाने के प्रयास काफी लंबे समय तक चलते रहेंगे। अगर हम वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाते, अगर हम सावधानी नहीं बरतते और अगर हम इसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं करते तो मैं समझता हूं कि हमें समस्या होगी।

पुनर्वास एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम हैं। पुनर्गठन और पुनर्वास के काम एक साथ होते हैं। लोगों का पुनर्वास करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? पहली बात यह है कि लोगों को अस्थाई छत की जरूरत होगी। आप इसे राहत या पुनर्वास कह सकते हैं। परन्तु अस्थाई छत दी जानी होगी। अगर आपके पास टेंट उपलब्ध हैं तो आप उन्हें टेंट दे दीजिए। अगर आपके पास टेंट उपलब्ध नहीं हैं तो आप जिंक शीट्स और बैलिंज लेकर उनके लिए अस्थाई रोड बना सकते हैं जिसमें वे रह सकें। घरों का निर्माण होने तक उन्हें इन अस्थाई छतों के नीचे रहना होगा। अगर हम उन्हें अस्थाई शेड देने में सफल नहीं होते तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। सौभाग्य से यह बरसात का मौसम नहीं है। इसलिए उन्हें बारिश या गर्मी से बचाने के लिए शेड देने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। परन्तु अस्थाई शेड दिए जाने होंगे।

जहाँ घर थे वहाँ सरकार के लिए अस्थाई शेड प्रदान करना संभव नहीं है। उन्हें भूमि का अधिग्रहण करना आवश्यक होगा। भूमि अधिग्रहण के लिए एक निश्चित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। सरकार को और अधिक समय गंवाए बिना भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरम्भ करनी होगी। यदि वह कुछ और समय तक प्रतीक्षा करती है तो यह अत्यंत कठिन होगा। अस्थाई आश्रय के लिए और नए घर बनाने के लिए नए भूखण्डों की आवश्यकता है।

जब आप नए घर बना रहे हैं तो यह निर्णय भी करना चाहिए कि उनका निर्माण कार्य कौन करने जा रहा है—वह व्यक्ति जिनके घरों को छति हुई है आपका संगठन जो उनके निर्माण कार्य में मदद कर रहे हैं अथवा ये घर राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। मैं समझता हूं कि व्यक्तियों को उनके घर बनाने देने की अनुमति देने से कठिनाईयां आएंगी। उन्हें आसानी से आवश्यक सामग्री नहीं मिल पाएगी। उन संगठनों को अनुमति प्रदान करना अत्यन्त लाभदायक होगा जो उनकी मदद करना चाहते हैं। उन्हें निर्माण कार्य करने दीजिए। सरकार को निर्माण कार्य करने दीजिए। सरकार को निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात्, उन घरों को पीड़ितों को सौंपने दीजिए।

घरों के निर्माण के दौरान एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात जिसकी ओर ध्यान देना होगा वह यह कि समुचित प्रौद्योगिकी का उपयोग हो और वह प्रौद्योगिकी भूकंपरोधी हो। विदेशों में भूकंपरोधी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और भारत में उनका उपयोग किया जाना चाहिए और आवासों का निर्माण किया जाना चाहिए।

गरीबों के पास आवास होंगे, उनके पास अपनी झोंपड़ियाँ होगीं और वे आवास और झोंपड़ियां नष्ट हो चुकी होंगी। हमें उन लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए जिनके पास आवास थे और जो लोग झोपड़ियों में रह रहे थे। वे लोग जो कि झोपड़ियों में रह रहे थे को भी निर्मित पक्के घर दीजिए और वह जो कुछ भी हम कर पाते उससे अधिक लाभदायक होगा।

लोग कृषि पर निर्भर हैं। उनके पशु नष्ट हो गए होंगे, उनके साधन भी नष्ट हो गए होंगे और सौभाग्य से कृषि मंत्री जी राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं। उनमें दूरदर्शिता है। उन्हें सुधारों में आने वाली कठिनाइयां समझ आ जाएंगी। कृषकों को बीज, उर्वरक, साख सुविधाएं, उपकरण और पशु भी प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें और अपनी कृषि गतिविधियां जारी रख सकें।

गांवों में कुछ दुकानें हैं। छोटे दुकानदारों को भी सहायता की जरूरत है। उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे संख्या में कम हैं। मैं समझता हूं कि कच्छ क्षेत्र में कुछ उद्योग हैं। वहां बहुत बड़े उद्योग और कुछ छोटे उद्योग भी हैं। बड़े उद्योग तो अपनी मदद स्वयं कर लेंगे किन्तु यदि उनका नुकसान हुआ है तो उनकी मदद भी करनी चाहिए किन्तु मध्यम दर्जे के उद्योग और छोटे उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें उनकी ओर भी अधिक ध्यान देना चाहिए अन्यथा उनका पुनर्वास सम्भव नहीं होगा और उनके जीवन की पुनर्संरचना नहीं हो पायेगी।

तीसरा काम जो करना होगा वह है बच्चों की सहायता। लातूर में बच्चों के अनेकों सम्बन्धी, जिनके माता-पिता मर गये थे, आगे आये और कहा कि उनके सम्बन्धी मर गये हैं और वे नहीं चाहते कि वे बच्चे अनाथालय में जायें और उनका लालन-पालन वहां हो, और वे उनका लालन-पालन करेंगे और उन्होंने ऐसा किया। गुजरात में भी ऐसा होने वाला है और यदि ऐसा होता है तो यह अच्छा शकुन है। उन्हें ऐसा करने दीजिए किन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका ध्यान उनके किसी भी सम्बन्धी द्वारा नहीं रखा जायेगा और उन्हें निश्चित रूप से मदद और सहायता की आवश्यकता होगी। कुछ वृद्धों और बच्चों को सहायता की आवश्यकता होगी। इसके लिए किसी नियमित तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए ताकि बच्चों की भली-भाँति शिक्षा सम्भव हो सके और वृद्ध लोगों की देखभाल हो सके।

इस बारे में अन्तिम बिन्दु है मनोविज्ञान। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोग अत्यन्त बहादुर हैं। वे जानते हैं कि त्रासदी क्या है और क्या कठिनाईयां हैं। वे जीवन-पर्यन्त कठिनाईयों का सामना करते हैं और उनमें कठिनाईयों और दु:खों का मुकाबला करने का सामर्थ्य है और गुजरात के लोग निश्चित रूप से बहादुरी से इनका सामना कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 99% लोग इस बारे में अपनी सहायता करने में सक्षम हैं लेकिन कुछ लोग, कुछ बालिकायें, कुछ वृद्ध और कुछ बच्चों को जिन्हें भावुक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सहायता की जरूरत है और उन्हें यदि यह नहीं दी जाती है तो उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। उन्हें लातूर में परेशानी हुई। मुझे इस बारे में व्यक्तिगत जानकारी है। उनमें से कुछ लोग पागल हो गए। कुछ लोगों को यह तक नहीं मालूम पड़ा कि उन्हें जो पैसे दिए गए थे, उनका वे क्या करें। उनमें से कुछ लोगों ने सोचा कि संसार का अंत हो रहा है और उन्हें किसी अन्य बात का ध्यान नहीं करना चाहिए और उन्होंने अत्यंत गैर-जिम्मेदाराना तरीके से बर्ताव किया।

ऐसा इसलिए नहीं कि वे मन से खराब लोग थे किन्तु ऐसा उन पर हालात के प्रभाव के कारण हुआ। इस प्रकार के लोगों को मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सहायता की जरूरत है। किसी तंत्र को ढूंढ़ निकालना होगा। मैं नहीं समझता कि सरकारी संगठन इस मामले में सहायता प्रदान कर सकेंगे किन्तु कुछ संगठन जैसे सर्वोदय और अन्य संगठन इस मामले में सहायता कर सकेंगे। अत: यह एक ऐसा पहलू है जिसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

मुझे विश्वास है कि भारत के लिए इस प्रकार की कठिनाई पर काबू पाना मुश्किल नहीं होगा। हम उन लोगों को जीवित नहीं कर सकते जो अपने जीवन से हाथ धो बैठे हैं हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते किन्तु हम उन्हें उनके बल की वापसी और जिस स्थिति में वह रह रहे थे उन परिस्थितियों को पैदा करने के लिए जो कुछ उन्हें चाहिए देने में काफी सशक्त हैं। इसके विपरीत मैं यह कहना चाहूंगा कि इस त्रासदी को एक अवसर में बदल देना चाहिए और हमें गुजरात के उस प्रभावित क्षेत्र में कच्छ और सौराष्ट्र का निर्माण करना चाहिए जो कि देश के अन्य क्षेत्र के अनुकरण के लिए मॉडल मन जायेगा। क्या किया जाना चाहिए? समुचित योजना, अच्छी सड़कें, अच्छे घर सभी के लिए घर ना कि केवल उनके लिए जिनके पक्के घर गिर गये हैं किन्तु उनके लिए भी घर जो कि झोपड़ियों में रह रहे थे—बाजार, स्कूल, अस्पताल, मनोरंजन की सुविधाएं, सहकारी संगठनों के लिए सहकारी भवन, ग्राम पंचायतें ओर सभी चीजें होनी चाहिए। वे सभी काम किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा किया जा सका गुजरात में इसे अच्छे तरीके से करना चाहिए। इस बारे में मुझे कोई संदेह

[श्री शिवराज वि. पाटील]

नहीं है हम अपने अनुभवों से सुधार कर सकते हैं। मैं केन्द्र सरकार द्वारा की गई सहायता से शत प्रतिशत सन्तुष्ट हूं और राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्य से सन्तुष्ट हूं और सरकार द्वारा उस सरकार के आने के पश्चात किए गए कार्य से सन्तुष्ट हूं। वह मेरी पार्टी नहीं है उन्होंने वहां काम किया किन्तु मैं इस तथ्य के बारे में सजग हूं कि जो कुछ किया गया है उसमें सुधार किया जा सकता है। हमारा नजरिया यह होना चाहिए कि हमने लातूर में जो कुछ किया उससे कुछ अच्छा यहां करें।

मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा और अपना स्थान ग्रहण करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने 1990 के घोषणा-पत्र ने कहा था:

"कांग्रेस पार्टी देश के विभिन्न असुरक्षित क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना आरम्भ करने की पहल करेगी। यह राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर एक व्यापक परिचालित कार्ययोजना होगी और लगातार इसको अद्यतन किया जाएगा। कांग्रेस भी राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन कानून भी बनाएगी जिससे विभिन्न निकायों को आपदा प्रबन्धन की जिम्मेदारी के लिए शक्तियां तथा कर्तव्य सौंपे जाएंगे। कानून में सामान्य और आपदा की स्थिति के दौरान लागू की जाने वाली अनिवार्य प्रक्रिया का उल्लेख होगा। एक स्वतंत्र बहुविभागीय राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन निकाय, जिसको पर्याप्त शक्तियां और संसाधन होंगे, स्थापित की जाएगी।

500 करोड़ रुपये से एक राष्ट्रीय प्रशासन कोष की स्थापना की जाएगी जिससे कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर आपदा के प्रशमन के लिए दीर्घकालिक उपाय लागू किए जाएंगे। इस कोष का प्रबन्धन एक विधिक निगमित निकाय द्वारा किया जाएगा।

भारत एक विशाल देश है। प्रति वर्ष भारत सरकार तथा कुछ राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदाओं और प्रकोपों का सामना करना पड़ता है। कुछ भागों में बाढ़ और कुछ भागों में सूखे की स्थिति होती है। कभी-कभार हमें चक्रवात का भी सामना करना पड़ता है। दुर्भाग्य से, हमें अवसर नहीं वरन कभी-कभी भूकंप का भी सामना करना पड़ता है। मुझे इस बिन्दु पर स्पष्ट रूप से बोलने दीजिए। हम सूखा और बाढ़ की स्थिति का मुकाबला करने के लिए जितना आवश्यकता था उतना नहीं कर पाए। हम चक्रवात को स्थिति का मुकाबला करने के लिए थोड़ा बेहतर कर पाए हैं और क्योंकि भूकंप अपवाद हैं, हम लोगों की मदद के लिए अपवाद के रूप में सचेत हैं।

यह कोई अपवाद की स्थिति नहीं है कि प्रदान की जाने वाली राहत की मात्रा के बारे में निर्णय लेना चाहिए। राहत की मात्रा का निर्णय पीड़ित लोगों की संख्या और उनके द्वारा झेली जा रही त्रासदी को देखते हुए किया जाना चाहिए। यदि प्रति वर्ष सूखे की स्थिति होगी तो क्या हमें भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए इतना सजग नहीं होना चाहिए? यदि बाढ़ नीतिश कुमार के बिहार अथवा पश्चिम बंगाल और असम में आ सकती है तो क्या हमें गुजरात और लातूर में लोगों की सहायता के लिए सजग नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जहां तक इसका संबंध है हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें पीड़ितों की मदद के लिए तत्पर होना चाहिए।

महोदय, मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि वर्तमान सरकार ने सूखा अथवा बाढ़ अथवा चक्रवात अथवा भूकंप अथवा अन्य किसी प्रकार की महामारी से निबटने के लिए एक स्थायी तंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है। मुझे इस बात से प्रसन्नता है। इसके लिए जिन बातों की आवश्यकता है उनको बड़े स्पष्ट रूप में इस पुस्तक में दिए गए प्रावधानों में रखा गया है। किन्तु यह सब कुछ नहीं है। यदि कुछ और किया जा सकता है, यदि कुछ अच्छा किया जा सकता है तो हमें करना चाहिए। संक्षेप में यह बताया गया है कि आरंभ में क्या किया जाना चाहिए। हो सकता है बाद में हमें इसे अद्यतन करना पड़े और हमें इसमें सुधार करना पड़े। यह योजनाएं सदैव पर्याप्त नहीं हो सकतीं।

लास ऐंजेलिस शहर में भूकंप आया था। उनके पास आपदा का मुकाबला करने के लिए तंत्र था। केवल 5 या 6 लोग मारे गए। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि मकान भूकंपरोधी थे। वे सभी पक्के घर थे। केवल एक पुल ढहा था और छह लोग मारे गए। किन्तु वहां भी गैस पाईप फट गई और आग लग गई और इसके कारण लोग पीड़ित हुए। उन्होंने इस प्रकार के खतरे का पूर्वानुमान नहीं था। भारत में भी इस प्रकार की किसी व्यवस्था की आवश्यकता होगी। कोई स्थायी प्राधिकरण होना चाहिए जो विधि मान्य हो। जिसको प्रशासनिक तंत्र का समर्थन हो और जो कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला स्तर के कार्यालयों और यदि संभव हो तो स्थानीय निकाय सरकार के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित कर सके।

हमारे पास एक इस प्रकार का निकाय होना चाहिए। कानून में ही इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए कि व्यापक प्राकृतिक आपदा के दौरान, धन कुछ क्षेत्रों से आए तथा इसे उपलब्ध करवाया जाए और इस कानून के कुछ अन्य कानूनों पर पूर्ववर्तिता होनी चाहिए। यदि भूमि अधिग्रहण कानून है तो हम इस कानून में यह प्रावधान कर सकते हैं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम में किए गए प्रावधानों को छोड़कर, इन उद्देश्यों के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण एक निश्चित तरीके से दिया जाएगा ताकि इस सम्बन्ध में कोई बिलंब न हो। मैं समझता हूं कि ऐसा किया जा सकता है और ऐसा करना चाहिए।

महोदय, कल हमारे नेता ने कहा था कि हमारा त्रासदी का मुकाबला करने के लिए हर प्रकार की आवश्यक सहायता व सहयोग प्रदान करेंगे और गुजरात में हमारे बहन-भाईयों की मदद करेंगे। यह दल ही नहीं वरन सभी अन्य दलों के नेताओं का भी यह ही दृष्टिकोण है। किन्तु कृपया इस पर ठीक दृष्टिकोण रखें। जो पीड़ितों की मदद करने वाले किसी एक संगठन की प्रशंसा करके अन्य संगठनों की उपेक्षा ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह राजनीति है। यदि गलत आलोचना की जाती है तो यह राजनीति होगी और इसी प्रकार यदि गलत प्रशंसा की जाती है तो भी यह राजनीति होती है। हमें इस समय जिस बात की आवश्यकता है, वह यह है कि हम राजनीति के स्तर से ऊपर उठे और उन लोगों की मदद करें। निश्चित रूप से इस देश में, संसद में, इस सरकार में और लोगों में उन लोगों की सहायता का सामर्थ्य और शक्ति है और वे ऐसा करेंगे।

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि): सभापति महोदय, मुझे इस घटना में शामिल होने देने के अवसर के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह एक दुखद त्रासदी थी। 26 जनवरी, 2001 को गुजरात राज्य में भीषण भूकंप आया।

अपराह्न 4.00 बजे

जब सारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था तो गुजरात भूकंप के गहरे सदमें में था। लगभग 20,000 लोग मारे गए। लाखों लोग बेघर हो गए। पेयजल का अभाव हो गया है और बिजली, संचार और सड़क पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए। कई सप्ताह तक प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य चलते रहे। कुछ गांवों में कचरे के ढेरों को अब भी हटाया जाना शेष है।

मैं, केन्द्र व राज्य सरकार को किए गए उपायों के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं, विशेषकर श्री नीतिश कुमार केन्द्रीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि वे प्रभावित क्षेत्रों में गए और सरकारी तंत्र को यह निर्देश दिया कि पीड़ितों को तुरन्त राहत पहुंचाई जाए। अनेक लोग, संस्थाएं, गैर-सरकारी संस्थाएं, स्वैच्छिक संगठन, राज्य सरकारें और विदेशी देशी ने गुजरात के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई और सहायता की। मेरी पार्टी डी.एम.के. की ओर से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, डा. कलाईंगर ने 10 लाख रुपये की सहायता दी। तमिलनाडु राज्य की ओर से डा. कलाईगन ने पीड़ितों की सहायता के लिए 5 करोड़ रुपया स्वीकृत किए। अनेक मिडिया संगठनों, व्यक्तिगत निकायों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों ने अब तक 40 करोड़ रुपया की धनराशि प्रदान की। त्रासदी की भयावहता। व्यापकता को ध्यान में रखते हुए किसी भी धनराशि की सहायता पर्याप्त नहीं है।

एक निजी टी.वी. चैनल जिसका नाम सब टी.वी. है, गुजरात के पीड़ितों को भेजने के लिए 4 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र करने का प्रयास कर रहा है। अतीत ने राष्ट्रीय आपदाओं के सयम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलाईगनर देश में किसी भी अन्य मुख्यमंत्री से सर्वाधिक राशि दी। हमने कारगिल युद्ध के दौरान भी काफी बड़ी धनराशि की सहायता दी। बंग्लादेश युद्ध के दौरान भी हमारा सहयोग काफी था। इस बार भी मुख्य मंत्री की योजना है कि भूकंप कोष में पर्याप्त धनराशि का सहयोग दिया जाए।

हम सभी बिना किसी भेदभाव के भारतीय हैं। उत्तर और दक्षिण दोनों ओर के सदस्य यहां उपस्थित हैं। साझा सरकार और विपक्ष के सदस्य भी यहां मौजूद हैं। यह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम सभी को मिलजुल कर गुजरात के लोगों के लिए कुछ करना होगा। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों ने पीड़ितों के पुर्नवास और पुनर्संरचना के लिए ठोस कदम उठाए। सर्वप्रथम आवास की आधारभूत आवश्यकता को ध्यान में रखना होगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास भूकंप के दौरान नष्ट हो गए।

महोदय, हमें उनके बारे में सोचना होगा। आवास उनकी तात्कालिक आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि वहां भूकंपरोधी, आवास बनाए जाएं ताकि इस प्रकार की त्रासदी को रोका जा सके।

इसी प्रकार आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताएं यथा पेयजल आपूर्ति और सड़कें, वहाँ पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन सभी जरूरतों को यथाशीघ्र प्रदान किया जाए।

महोदय, मेरी पार्टी का यह विचार है कि एक स्थाई त्रासदी प्रबन्धन प्राधिकरण होना चाहिए जो कि त्रासदी पूर्व तथा पश्चात के प्रबन्धन कार्य की निगरानी करे।

अंततः, मेरा यह अनुरोध है कि हमें दलगत भावना से ऊपर उठकर मिलकर गुजरात के लोगों की सहायता करनी चाहिए। गुजरात के पीड़ितों के साथ देश के सभी वर्गों को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और व्यापक सहायता करके उनमें आत्मविश्वास जागृत करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति जी, 26 जनवरी को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था। गुजरात में महा-विनाशकारी भूकम्प आया जिसमें कई शहरों व गांवों का नामो निशान तक साफ हो गया। बड़ी तादाद में आदमियों, बच्चों, बूढ़ों और साथ ही जानवरों की जानें गईं। ऐसा विनाशकारी भूकम्प आया जिसने सारी दुनिया के इंसानों के दिलों दो छू लिया। हमारे देश ने ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी तादाद में विश्व के कई देशों ने इस संकट में गुजरात की जनता को सहायता दी। हम उनके आभारी हैं। गुजरात की दुखी जनता के प्रति हमारी पूरी संवेदनाएं गुजरात की जनता के साथ हैं। जिन लोगों की जानें गई हैं, उनके परिवार के लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है, सरकार की आलोचना नहीं है, यह सच्चाई है। सत्तापक्ष के हमारे मित्र नाराज हो जाते हैं। वे समझते हैं कि हम उनकी आलोचना कर रहे हैं। अगर आलोचना स्वीकार करेंगे, अगर राजनीति करेंगे तो आपकी सरकार की छवि सुधरेगी। अफसोस है कि भूकम्प आने के छः घंटे बाद तक गुजरात सरकार निर्णय नहीं ले सकी थी कि इस विनाशकारी भूकम्प से लोगों को बचाने के लिए क्या तैयारी की जाए। हम इसके बारे में कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन यह अच्छा नहीं था कि छः घंटे तक वह निर्णय ही न कर सके कि किस प्रकार की राहत दी जाए, क्या योजना बनाई जाए। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, यह दैवी आपदा थी लेकिन यह अफसोस है कि दूरदर्शन ने इस समाचार को देश को पता नहीं लगने दिया, उसकी भूमिका सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण रही जबकि अन्य चैनलों ने देश को इसकी सूचना दी तथा उनकी भूमिका बेहतर रही। गुजरात का दूरदर्शन खराब हो गया था, दिल्ली का दूरदर्शन खराब था, इस तरह की सफाई भी सरकार की तरफ से आई है। सब लोग तत्काल मदद देने के लिए तैयार थे। आप देख रहे हैं, जानते हैं, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि सबसे पहले हमारे दल के श्री अमर सिंह ने 27 जनवरी के अपने जन्म दिवस को दूसरे रूप में बदल दिया और ग्यारह लाख रुपये का चैक समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया।

संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रमोद महाजन जी थे, उनको दिया। उसका रूप ही बदल दिया। हम सराहना करते हैं कि सभी वर्गों के लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, जो खुद पैसे के लिए मेहनत करते हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान अमर सिंह के अनुरोध पर दिया और अमर सिंह जी के जन्म दिवस पर, अमिताभ बच्चन की अपील पर और अमर सिंह जी के प्रयासों से लगभग चार करोड़ रुपये इकट्ठे हुए हैं आपकी सरकार ने आपके ही मंत्री प्रमोद महाजन जी को दे दिये गये। इसमें राजनीति नहीं है, सच्चाई है कि गुजरात सरकार का निकम्मापन था। मैं सब अधिकारियों की तो नहीं कह सकता, ठीक है कि कुछ अधिकारियों के परिवार के लोग, रिश्तेदार, दोस्त भी इसी मुसीबत में फंस गये हैं तो दोतरफा उनको काम भी करना था, मदद भी करनी थी, वे दुखी भी थे, लेकिन ऐसे भी अधिकारी हैं, जिनके बारे में समाचार मिल रहे हैं। बिलाल नाम का एक व्यक्ति पांच दिन से दबा हुआ था। उसके चचेरे भाई ने उसकी आवाज सुनकर उसने गुजरात का कोई आफिसर नहीं छोड़ा, जिसके पास वह नहीं गया। लेकिन किसी आफिसर ने उसकी बात को नहीं सुना और अन्त में वह ब्रिटिश टीम के पास पहुंचा। ब्रिटिश टीम ने पांच दिन बाद बिलाल को जिन्दा निकाला। इसे हम क्या कहेंगे? क्या कोई गुजरात का अधिकारी मौके पर गया था, जिसका चचेरा भाई गुजरात के अधिकारियों से रो-रोकर कहता है कि मेरे भाई की आवाज आ रही है, उसे बचाइए। इससे अधिक अमानवीय काम और क्या हो सकता है।

भवन निर्माण के बारे में उन्होंने स्पष्ट बता दिया, हम उसे ज्यादा नहीं दोहराना चाहते, लेकिन यह सच्चाई है कि पक्षपात किया जा रहा है, बिल्डर्स को बचाया जा रहा है। उनको कठोर सजा देने में देरी क्यों हो रही है, जिन्होंने मकान इतने गलत बनाये थे, पूरा सामान उनमें नहीं लगाया था। उनमें नहीं लगाया था। उनमें पूरा मैटीरियल नहीं लगा था, यह साबित हो गया कि मकान इसलिए गिरे हैं। वे लोग किसी से भी सम्बन्धित हों, मंत्री से सम्बन्धित हों, नेता से सम्बन्धित हों, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है तथा यह पक्षपात नहीं हो रहा है, और उन्हें क्यों बचाया जा रहा है। वे पूरे देश में समाचार-पत्रों के माध्यम से नामों का पता चल गया है कि कौन दोषी है और दोषी बिल्डर्स को बचाया जा रहा है।

हमारे समय में उत्तरांचल में भूचाल आया था, हालांकि इतना ज्यादा नहीं था। हम तब उत्तरांचल गये थे और जो मदद वहां सम्भव हो सकती थी, तत्काल की थी। आज भी हम मदद करेंगे। हम लोग और आप सब लोग इसके लिए तैयार हैं। हम अपनी विकास निधि से भी पैसा देंगे। यह सच्चाई है कि हम लोगों ने 11 लाख रुपये दिये। समाजवादी पार्टी के पास 12 लाख रुपया था, एक लाख रुपया हमने छोड़ दिया था और 11 लाख रुपया हमने दे दिया। वैसे तो पत्रकारों ने लिख ही दिया था कि ये खोखली घोषणाएं हैं। मैं ऐसे पत्रकार मित्रों से भी कहूंगा कि ऐसे मौके पर क्या उनको यही दिखाई दिया कि खोखली घोषणाएं हैं। माननीय प्रमोद महाजन जी को जब स्वयं अमर सिंह ने गम्भीर बीमारी की हालत में लगभग 4 करोड़ का चैक दे दिया तो अब क्या लिखोगे। अब प्रमोद महाजन जी बोलें, माननीय नीतीश कुमार जी बोलें तो पूछ लेना कि कितना रुपया दिया है।

हमारी समाजवादी पार्टी के महामंत्री और प्रवक्ता गम्भीर रूप से बीमार हैं। उनकी बीमारी गम्भीर है, वे अभी तक उठ नहीं सकते। हम सारे लोग संवेदनशील हैं। अगर हम लोग भी सच्चाई की बात नहीं रखेंगे तो वे इसका खंडन कर देंगे, सफाई दे देंगे, उसे सुधारेंगे। हम जानते हैं कि लोकतंत्र के अन्दर, पहले भी कहा गया कि निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी बिछाय, अगर हम लोग नहीं हों तो सत्ता में बैठे लोग मनमानी करेंगे। अगर विपक्ष सरकार की कमियां ही नहीं बताएगा या कमजोरियां ही नहीं बताएंगे तो हम लोग क्या यहां सरकार की आरती उतारने के लिए आये हैं। हम लोग क्या यहां आपकी तारीफ करने के लिए आये हैं। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, यह अपकी, सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है, आपका फर्ज है कि अच्छा काम करें। अच्छा काम करना कोई एहसान नहीं है। अच्छा काम करोगे, तो यह अपकी जिम्मेदारी है और आपको करना चाहिए।

ऐसा नही है—जनता के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता के लिए सभी उत्तरदायी हैं भले ही उसमें बधाई हो, तारीफ हो या आलोचना हो। प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी सबकी यह जिम्मेदारी है। प्रधान मंत्री जी को जाना चाहिए, वे वहां गए भी थे। गृह मंत्री का कार्य क्षेत्र है। वे वहां से लोक सभा के सांसद हैं इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी है, उनको वहां जाना चाहिए और वे गए। लेकिन हम लोग भी कोई पीछे नहीं हैं, चाहे कांग्रेस दल हो या अन्य विपक्षी दल हों। आपकी पार्टी के पास खजाना है। बुरा न मानें, क्या यह सच नहीं है कि जो बक्से रखे थे उन पर त्रिशूल और कमल का चिन्ह नहीं लगा था? चाहे आर.एस.एस. हो या बजरंग दल हो, दान दीजिए, लेकिन उसको सीमित मत कीजिए, चिन्हित मत कीजिए। हमें ऐसा लगता है कि कहीं सरकार ने यह जिम्मेदारी बजरंग दल या आर.एस.एस. को तो नहीं दे दी। पहले हमारी राय आर.एस.एस. के बारे में कु छ मामलों में अच्छी थी। कुछ मामलों में इनकी बात सही थी जैसे राष्ट्रभाषा का मामला और देश भक्ति का मामला। हम इन मामलों में इनके बारे में जानते थे। लेकिन अब हमने देख लिया कि सदन में भाजपा की सरकार द्वारा भाषा के मामले में, कितना अपमान यहां भारतीय भाषाओं का हो रहा है। इतना पहले कभी नहीं हुआ। पहले हम इस मामले में आपसे सहमत थे। अब राष्ट्रभाषा का मामला कहां गया। यहां तक कि मेरे प्रिय मित्र श्री नीतीश कुमार भी अब अंग्रेजी में बोलने लग गए हैं। बजरंग दल से हम उम्मीद करें कि वह पक्षपात नहीं करेगा, यह नहीं हो सकता।

यहां कुछ समितियों का जिक्र किया गया है। कौन-कौन सी समितियां हैं, उनकी क्या रिपोर्ट है और उन रिपोर्ट्स पर पालन किया गया या नहीं, यह आपको बताना चाहिए। पिछले दिनों नेताओं की बैठक में चर्चा हुई थी कि 50 लाख से ज्यादा जिन्होंने मदद की है, वह बतानी चाहिए कि कहां-कहां मदद की, जिससे लोगों को पता लगे। मेरा दूसरा सुझाव है कि आपने कमेटी बनाई, लेकिन एक कमेटी लोक सभा के सांसदों की भी बनाई जाए, जिसमें सभी दलों के लोग हों। वह मौके पर जाकर देखे और हालात का जायजा ले। हम अपने किराए से वहां जाएंगे या फिर आपके द्वारा सुविधा होगी तो उससे जाएंगे। आप कहेंगे कि स्पेशल जहाज की व्यवस्था नहीं है तो हमें 32 टिकट फ्री मिलते हैं साल में, उसके द्वारा जा सकते हैं।

सभापति महोदय: मुलायम जी, आप कितना समय और लेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव: बहुत कम समय लूंगा। एक खबर है कि श्रीलंका से पांच हजार किलो चाय आई है। मंत्री जी, जब उत्तर दें तो बताएं कि अगर वह चाय आई थी तो वह कहां है कहां बांटी गई है। यह भी खबर है कि अभी तक उसका कोई पता नहीं है। हो सकता है गुजरात के सांसदों को, वाघेला जी को इसका पता हो। यह बात अखबारों में छपी है कि श्रीलंका ने पांच हजार किलो चाय भेजी है, लेकिन वह कहां बांटी गई, इसका पता नहीं है यह भी खबर है कि बढ़िया से बढ़िया विदेशी टैंट आए हैं, वे कहां हैं, कुछ पता नहीं है। अगर हमारी बात गलत है तो आप खंडन करें और सच है तो पता लगाकर उन लोगों को कड़ी सजा देने का काम करें जिन्होंने टेन्ट छिपाए हैं। इससे आपकी सराहना होगी। जनता कभी भी गलती नहीं करती, नेता लोग कर सकते है, लेकिन भारत की जनता ने कभी गलती नहीं की है।

ऐसे मौके कई बार आए हैं। आपको भी महसूस होगा, मल्होत्रा जी भी करेंगे और नीतिश कुमार जी भी करेंगे। ऐसे भी मौके आए हैं, जब 19 महीने के लिए 1975 में आपात्काल में हम लोगों को जेल में डाल दिया और देश की जनता ने ऐसा काम किया, जिन प्रधान मंत्री की तूती बोलती थी, तूती बोलने वाले प्रधान मंत्री को भी हरा दिया। रायबरेली की गरीब व अनपढ़ जनता ने उनको हरा दिया। जनता इस बात को भुला नहीं सकती है। इसलिए हम सरकार और सरकार में बैठे मंत्रियों को सावधान कर रहे हैं।

दूसरी बात, यह सही है कि वहां दबा हुआ व्यक्ति जिन्दा नहीं है लेकिन वहां के लोगो को महामारी से बचाना है। भूकम्प लातूर में भी आया, उड़ीसा में भी आया और उत्तराखण्ड में भी आया। गुजरात में यह भूकम्प कोई नया नहीं है। गुजरात में भी कई बार शंकायें हुई हैं और आया है। भुज व कच्छ में आज भी झटके लग रहे हैं। जबलपुर में भी आया है। जब भोपाल में गैस रिसाव की घटना घटी थी और 25 हजार लोग सड़कों पर मारे गए। जब उत्तरकाशी या लातूर में भूकम्प में भारी विनाश का

[श्री मुलायम सिंह यादव]

ताण्डव हुआ तो उस समय भी सवाल उठा कि प्राकृतिक आपदा आने पर बचाव के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं थी। प्राकृतिक आपदा के नाम पर केवल बाढ़ व सूखा मानते हैं क्योंकि उसमें राहत के बहाने करोड़ों रुपए खाए जाते हैं। सरकार का एक आपदा प्रबन्धन विभाग है उसकी तैयारी कितनी थी उसने क्या-क्या काम किया है यह बताना चाहिए। भूकम्प के तुरन्त बाद रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सहित एक दर्जन देशों ने तत्काल सहायता भेजी। यहां तब पाकिस्तान ने भी सहायता भेजी। इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार की दैवी आपदाओं के लिए उनके वहां कितनी तैयारी रहती है। बचाव हेतु बुलडोजर नहीं पहुंचे। बुलडोजर और क्रेन्स, चाहे वह प्राइवेट लोगों के ही होते या सरकारी होते, या पीडब्लुडी के होते, यदि तत्काल मंगा लिए जाते, तो हजारों लोगों की जानें बच सकती थी। आप जानते हैं, कितनी मौतें हुई है। सरकारी आंकड़े आते रहे हैं, लेकिन गैर-सरकारी संगठनों की राय है कि संख्या एक लाख से कम नहीं है। रक्षा मंत्री जी का व्यक्तिगत अनुमान हो सकता है, उनके अन्दाज के अनुसार उनकी बात है, लेकिन हम आज कह रहे हैं कि नहीं, गलत साबित हो। अभी तक शहरों में या नगरों में काम शुरू हुआ है, लेकिन गांवों में काम शुरू नहीं हुआ है। ऐसे बहुत से गांव हैं, जहां अभी तक चाहे गिरे हुए मकान हों, लकड़ी हो, ईंट हो, मिट्टी हो, उनको निकाला नहीं गया है। अगर यह लापरवाही नहीं है, तो इससे बड़ी लापरवाही क्या हो रही है कि आवास और नगर अध्यक्ष इस भूकम्प के आने के बाद विदेश की यात्रा कर रहे हैं। क्या आप इसको भी छिपा लेंगे? यह तो अखबारों में आ गया है कि नगर और आवास विभाग के अध्यक्ष इस भूकम्प के आने के बाद विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यह अमानवीय काम नहीं करना चाहिए था। दैवी आपदाओं से हम लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं हठ सकते हैं, हमें राहत के सारे काम करने चाहिए।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात को जल्दी समाप्त करने जा रहा हूँ। गुजरात की सरकार का इस्तीफा विपक्ष के किसी एक दल ने भी नहीं मांगा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुजरात की सरकार का इस्तीफा मांगा है और राष्ट्रपति शासन की मांग की है। *...(व्यवधान)* यह सब अखबारों में छपा है। आप इसकी भी जांच कर लें। अगर नहीं कहा है, तो इसकी भी जांच कर लें। *...(व्यवधान)* इन्हीं लोगों ने मांग की है। सरकार की लापरवाही है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। सरकार मदद नहीं कर सकी है।*...(व्यवधान)* हमने नहीं मांगा है। हमारे किसी विपक्ष ने नहीं मांगा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मांगा है। आपकी पार्टी के लोगों ने मांगा है और कहा है कि यह नाकाबिल सरकार है, निकम्मी सरकार साबित हुई है। इस तरह से शब्द इस्तेमाल हुए हैं *...(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़): किसने मांगा है, नाम बताइए। *...(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): भारतीय जनता पार्टी में ही केशुभाई के अपोजीशन ग्रुप के लोगों ने इस्तीफा मांगा है। *...(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: कृपया आप इसे राजनीति का मुद्दा मत बनाइए।*...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: आप बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा हूं।*...(व्यवधान)* मैंने केशुभाई जी से इस्तीफा नहीं मांगा, आपने मांगा है।*...(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: किसी ने नहीं मांगा।*...(व्यवधान)* उनसे किसी ने इस्तीफा मांगा है, आप नाम बता दीजिए।*...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: यह क्या तरीका है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है।*...(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: आप नाम दीजिए, किसने केशुभाई जी से इस्तीफा मांगा है?*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुलायम सिंह जी, आप अपनी बात समाप्त करिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: हम एक-एक कूपन काट कर पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। आप बताइए, हमने जो रुपए दिए, वे कहां गए।*...(व्यवधान)* आपको बताना पड़ेगा कि वह पैसा कहां खर्च किया जाएगा? हम राजनीति बिलकुल नहीं करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले लगभग चार करोड़ की मदद समाजवादी पार्टी के श्री अमर सिंह जी और अभिताभ बच्चन जी के माध्यम से 27 जनवरी को ही अमर सिंह के जन्म दिवस पर दे दी है। तब जब आप और आपके अधिकारी रंग-रैलियां खेल रहे थे।*...(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: आप इस्तीफे की बात मत करिए, किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा।*...(व्यवधान)* हम उसके आभारी हैं, हम आपको पहले ही कह चुके हैं*...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: ऐसा है कि आप दुखी थे। आपके सामने बहुत से घर, परिवार बर्बाद हुए।*...(व्यवधान)* मैं आपका भाषण सुन रहा था। हो सकता है आप अखबार न पढ़ पाए हों। *...(व्यवधान)* अगर आपने अखबार पढ़ा होता तो आपको पता होता। अब हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो पक्षपात की गंभीर

शिकायतें हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। सदन को विश्वास में लेना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आपकी कोई शिकायत नहीं रहेगी और न सरकार की रहेगी, अगर सांसदों की सर्वदलीय समिति को वहां भेजा जाए। दूसरी बात यह है कि स्थाई मकान बनाने का काम जून तक ले गए तो फिर आपके सामने दिक्कत हो जाएगी, पीड़ित जनता को कोई काम नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी स्थाई निवासों का इंतजाम करना चाहिए, दवाईयों और कपड़ों का इंतजाम करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि किसानों पर जितना कर्जा है, वह पूरा माफ कर दो। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। उनका जितना कर्जा है—चाहे सरकारी बैंक का है या किसी अन्य संस्था का, आप उसे माफ कर दीजिए और जो पक्षपात की बात साबित हो गई है कि प्रदेशों में जो पक्षपात कर रहे हो, वह नहीं करना चाहिए तथा उसकी समीक्षा कर सदन को बताना चाहिए। सरकार ने जिनको मदद की है हम उससे सहमत हैं और मदद करनी चाहिए। जब कभी किसानों पर मुसीबत आई है तो कुछ प्रदेशों के किसानों को केन्द्रीय सरकार ने मदद की है, लेकिन उत्तर प्रदेश या अन्य सूबों के किसानों को मदद नहीं की है। जिनको मदद की है, उनकी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इस तरह पक्षपात करने से आपसी अलगाव पैदा होता है। देश की एकता प्रभावित होती है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि प्रदेशों के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। जैसे माननीय चटर्जी और माननीय पाटील जी ने कहा और हम भी कह रहे हैं कि अभी कुछ जगह किसानों को धान की खरीद के लिए सब्सिडी दी गई है, लेकिन कुछ प्रदेशों को नहीं दी गई। जहां नहीं दी गई है, वहां देनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के किसानों को कम से कम 12,000 करोड़ रुपए की मदद मिलनी चाहिए, वह नहीं दी गई। यह जो केन्द्र सरकार द्वारा पक्षपात हो रहा है, यह नहीं होनी चाहिए। जहां से जीत कर आ जाएंगे, जहां सरकार का समर्थन होगा, उन्हें ही सहायता दे देंगे तो यह राजनीति आप खेल रहे है, हम नहीं खेल रहे हैं। इसलिए हमारा सुझाव है कि ऐसा न करें। जो अनाथ बच्चे हैं उनकी पूरी शिक्षा, पूरा पालन-पोषण और रोजगार का इंतजाम करना चाहिए, ये हमारे सुझाव हैं। इन्हीं सुझावों के साथ संक्षेप में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं!

अपराह्न 4.28 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, 26 जनवरी का दिन पूरे भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और देश के सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गांवों तक लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नामों का नारा लगाते हुए तिरंगे झंडे को सलामी देते हुए गाजे-बाजे के साथ खुशियां मनाते हैं। ईश्वर की कृपा कैसी बनी कि ठीक उसी दिन बापू की ही नगरी में महाकाल ने भूकम्प का रूप पकड़ कर गुजरात की काफी आबादी को प्रभावित किया और मृत्यु ने उसे अपनी गोद में ले लिया।

इस देश में प्राकृतिक विपदाएं समय-समय पर आती रहती हैं और जो भी सरकार उस समय होती है वह उसका मुकाबला करती रहती है। लेकिन गुजरात के भूकम्प से देश काफी आहत हुआ है। उस दिन हम दिल्ली में थे और जहां एक ओर राष्ट्रीय ध्वज फहराये जा रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, थोड़े समय बाद जानकारियां मिलनी आरम्भ हो गयीं कि गुजरात में भूकम्प आने के कारण काफी जान-माल का नुकसान हुआ है। गांव से भी फोन पर लोग पूछने लगे कि कितना नुकसान हुआ है और इस देश के सभी समुदाय के लोग इस घटना से काफी मर्माहत हुए। इस घटना से गुजरात के बाद बिहार प्रभावित हुआ क्योंकि बिहार के काफी तादाद में लोग गुजरात में नौकरियां करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग भी काफी आहत हुए क्योंकि वहां के लोग भी गुजरात में नौकरियां करते हैं। बिहार के गांवों के लोग टेलीफोन पर पूछते थे कि हमारे परिवारजनों के साथ क्या हुआ। वे उनका फोन नम्बर हमें देते थे तथा उनके बारे में जानकारी पूछते रहते थे कि वे सही-सलामत हैं या नहीं। गुजरात से उस दिन संपर्क मार्ग टूटा हुआ था और कोई भी संपर्क गुजरात के लोगों से नहीं हो पा रहा था। लेकिन सेना के लोगों ने कुछ ही घंटों में संचार माध्यम को शुरू कर दिया और वहां की स्थिति से लोग अवगत होते रहे। माननीय हरिन पाठक जी चर्चा कर रहे थे जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। हम लोगों ने तो अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से वहां की दर्दनाक घटना को जाना। चर्चा हो रही थी कि बहुत से मकान ढह गये, मवेशी, मर गये और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। अध्यक्ष जी, भवनों का पुनर्निर्माण वहां हो सकता है लेकिन वहां जो मानव समाप्त हो गये उनका पुनर्निर्माण संभव नहीं है। वहां परिवार के परिवार समाप्त हो गये। औरत-मर्द, बूढ़े-बच्चे सब समाप्त हो गये।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब इस पर सदन में चर्चा हो रही है तो किसी भी व्यक्ति ने राजनीति का भाव किसी भी पक्ष के लोगों ने नहीं रखा। लेकिन जो मीडिया और अखबारों में कुछ आया है उसके कारण मैं सरकार की नीयत पर शक नहीं करता क्योंकि सरकार ने वहां के लोगों का जीवन ईमानदारी पूर्वक बचाने का प्रयास किया है। लेकिन जैसा माननीय मुलायम सिंह जी कह रहे थे तो उससे इंकार भी नहीं किया जा सकता। विदेश से विशेषज्ञों की टीम आती है, प्रशिक्षित कुत्ते आते हैं और जब हम प्राकृतिक विपदाओं से जूझते रहते हैं तो इसके लिए कुछ ठोस करने की आवश्यकता है। इससे पहले भी भूकम्प आये हैं।

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

हमने देश में अपने लोगों के बचाव के लिए कोई तैयारी नहीं की। इससे बड़ी अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती। इसमें कई लोगो की जानें गईं। हम सब कुछ वापस कर सकते हैं लेकिन जिस बच्चे की मां मर गई, उस बच्चे को अपनी मां का आंचल कभी नहीं मिल सकता। जो औरत विधवा हो गई, उसका सुहाग हम वापस नहीं कर सकते। वहां मानवता कराह रही थी। जो लोग जख्मी हुए और अस्पतालों में पड़े हैं, उनमें से कई लोग अपंग भी हो चुके हैं।

हमने अखबारों में पढ़ा कि विदेशी दस्ते ने एक बयान दिया कि राज्य सरकार की तरफ से उचित देखभाल या समन्वय स्थापित नहीं हुआ। खोजी कुत्ते एक मोहल्ले के बाद पुन: उसी मोहल्ले में पहुंच जाते थे। उन्हें दूसरी जगह ले जाने के लिए पदाधिकारी और अधिकारी नहीं थे। राज्य सरकार की तरफ से समन्वय स्थापित नहीं किया गया और पदाधिकारियों को उचित निर्देश नहीं दिए गए। इस कारण वहां ज्यादा से ज्यादा लोग मर गए। अगर समन्वय स्थापित होता तो मरने वालों की संख्या कम होती। जिस ढंग से समाचार आ रहे है मैं मानता हूं कि आंकड़े सही नहीं है। पिछले दिनों अखबारों में आया कि 60 हजार तक लाशें निकाल ली गई हैं। रक्षा मंत्री का बयान आया था कि वहां एक लाख लोगों की मृत्यु हो गई । उन्होंने इतनी संख्या में मरने वालों के बारे में सम्भावना व्यक्त की थी। 20 हजार की जो संख्या बताई गई है, उससे ऐसा लगता है कि इसकी ठीक ढंग से समीक्षा नहीं की गई। मरने वालों की सूची बनाई होगी। हरेक परिवार के सदस्यों का सर्वेक्षण हुआ होगा। देश के लोग यह जानना चाहते हैं कि वहां कितने लोग मरे और उनकी कितनी संख्या थी?

अखबारों के माध्यम से समाचार मिला कि लोगों के ऊपर बड़े-बड़े मलबे गिर गए। बुलडोजर से मलबे तोड़े और काटे गए लेकिन क्रेन्स की कैपेसिटी कम थी। ऊपर से मलबा उठाने के बाद पुन: मलबा गिर गया और नीचे बैठे लोगों ने वहीं दम तोड़ दिया। हमारी अपनी व्यवस्था होती और हम इस विपदा से निपटने के लिए तत्पर रहते तो विश्वास है कि जितनी संख्या में वहां लोग आहत हुए, उतनी संख्या में लोग नहीं मरते।

उद्योग जगत से रिपोर्ट आई है कि वहां 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसकी भरपाई के लिए सरकार की तरफ से कर लगाए गए। इससे लगभग 26 करोड़ रुपए की आय की सम्भावना व्यक्त की गई है। जितना नुकसान हुआ है, उसकी टैक्स लगा कर भरपाई होना कठिन है। एक तरफ कहा जाता है कि हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ चार फरवरी को ''राष्ट्रीय सहारा'' में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता श्री आस्कर फर्नान्डीज का बयान आया। उन्होंने कहा कि गुजरात में भूकम्प राहत के नाम पर लगाए किसी टैक्स का कांग्रेस सांसद विरोध करेंगे। क्या यह राजनीति नहीं है?

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): ऐसा कोई बयान नहीं आया।

श्री प्रभुनाथ सिंह: माधवराव जी, मैं तारीख बता रहा हूं और उसके साथ अखबार का नाम बता रहा हूं आप यहीं लाइब्रेरी में जाकर उसे देखें।

श्री माधवराव सिंधिया: उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उन्होंने जो बयान दिया है, वह आ लेने दें।

श्री माधवराव सिंधिया: मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं उनसे अनुमति ले रहा हूं। बात यह है कि 2 परसेंट का जो टैक्स लगाया है, वह एक स्पेशल फंड में जाये ताकि हमें पूरा विश्वास हो कि वह पैसा वहां खर्च किया जा रहा है। इसे इसके साथ मिलाना नहीं चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: टैक्स के नाम पर क्या घाटा पूरा करेंगे?

श्री प्रभुनाथ सिंह: सिन्धिया जी, यह अखबार का लैंग्वेज था।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, रेल के नाम पर टैक्स लगायेंगे, गुजरात के नाम पर टैक्स लगायेंगे और बजट घाटा पूरा करेंगे? अगर ऐसी बात है तो हम देने के लिये तैयार हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: यहां पर गुजरात के पीड़ितों की बात हो रही है, घाटे और मुनाफे की कोई बात नहीं की जी रही है।

श्री मुलायम सिंह यादव: क्यों नहीं चल रही है? आप अपने बजट के घाटे को पूरा करने के नाम पर, कभी कारगिल के नाम पर और कभी किसी नाम पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। गुजरात के नाम पर बढ़ाइये, हम लोग देने के लिये तैयार हैं। हम इसका विरोध नहीं करेंगे। गुजरात के पीड़ितों को इसमें मदद मिलेगी और उनके लिये खर्च करें।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, लगता है कि जब हम बोलते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है? यदि नहीं बोलते हैं तो कहते हैं कि चुप बैठे हैं। हम यह बताना चाहते हैं कि कल श्रीमती सोनिया जी बोल रही थी। उन्होंने निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखी। 18 फरवरी के 'हिन्दुस्तान' में यह बयान आया कि गुजरात में भूकम्प पीड़ितों को जो सहायता मिल रही है, पश्चिम बंगाल में विपदा आई, उस समय केन्द्रीय सरकार इतनी उदार नहीं हुई, उड़ीसा में जिस समय विपदा आई, केन्द्रीय सरकार इतनी उदार नहीं हुई लेकिन गुजरात के मामले में केन्द्रीय सरकार बिना सोचे-समझे पैसा दे रही है।

श्री माधवराव सिंधिया: आप फैक्ट्स डिस्टार्ट मत करिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो नोट मेरे पास है, मैं उसे पढ़ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, टाइम ज्यादा हो गया है। आपको 10 मिनट बोलते हुये हो गये है। आपने 1630 बजे शुरू किया था। अब समाप्त करिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, एक तरफ जहां गुजरात में मानवता कराह रही है, वहां इस विपदा के चलते सारा देश मर्माहत है। गुजरात में जो पैसा जा रहा है, क्या उसके लिये टीका-टिप्पणी करना ठीक है? हम यह जानना चाहते हैं कि जो वक्तव्य देने वाले लोग हैं, क्या वे ज्यादा से ज्यादा मदद देने के लिये तैयार नहीं हैं? वे राजनीति कर रहे हैं?

श्री माधवराव सिंधिया: राजनीतिकरण कौन कर रहा है?

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुये हैं। गुजरात के लोगों के लिये जितना किया है, वह कम है और उसके लिये ज्यादा कीजियेगा। हम चाहते हैं गुजरात के लिये ज्यादा व्यवस्था कीजिये।

श्री मुलायम सिंह यादव: लोग तैयार है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से सभी सांसदों को एक पत्र गया है और सभी सांसदों ने गुजरात के भूकम्प पीड़ितों के लिये अपने फंड मे से 10-10 लाख रुपया दिया है। हम कहते हैं कि यदि आवश्यकता हुई और फिर आपने महसूस किया तो उस फंड में से और पैसा देने के लिये तैयार रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि समय कम है, इसलिये एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि टी.वी. पर गुजरात के कैंपों में मरने वाले लोगों को देखा तो महसूस किया है कि वे लोग भूकम्प के कारण भयाक्रांत हैं। वे रात में सो नहीं पाते और भाग-दौड़कर रहे हैं। उनके दिमाग पर असर पड़ा है। हम आपके माध्यम से सरकार और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि जिनके पैर कट गये हैं, उनका तो इलाज हो रहा है लेकिन जो मानसिक रूप से भूकम्प से आक्रांत हैं, अगर उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं किया गया तो उनमें से ज्यादातर लोग पागल बन जायेंगे। इसलिये सबसे जरूरी है कि उन लोगों पर निगरानी करके उनका मानसिक संतुलन ठीक किया जाये। उन लोगों के मन में भूकम्प की दहशत है। उन लोगों ने अपने सामने लोगों को मरते देखा हैं। उन लोगों के मन से यह बात नहीं निकल रही है। उन्हें मानसिक शन्ति कैसे मिले, सरकार इसकी व्यवस्था करे ताकि वहां के लोगों का जन-जीवन सुरक्षित हो सके।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुये अंत में यह कहूंगा कि सरकार ने सही समय पर यह कदम उठाया है, उसके लिये बधाई और गुजरात के लोगों के लिये अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराया जाये, यही निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): अध्यक्ष महोदय, जब माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राज्य में आये तीव्र भूकंप के तुरन्त बाद सबसे पहले गुजरात गईं, जिसमें लाखों लोगों के घर-बार तहस-नहस हो गये और 15 दिन बाद मुझे भी यह विनाशलीला देखने का अवसर प्राप्त हुआ, यह कल्पना से परे था। अहमदाबाद के अनेक मागों के दृश्य लगभग संपूर्ण कच्छ जिला और भूकंप के बाद राज्य के अन्य अनेक भाग के दृश्य दिलों दिमाग को हिला देने वाले थे। एक के बाद एक अनेक गांवों में चारों तरफ मलबे के ढेर और निराशा ही निराशा व्याप्त थी। इस वीभत्स दुर्घटना की व्यापकता का वर्णन करना कठिन था। वहाँ पर अहमदाबाद और भुज में कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हमने देखा विलाप करते हुए लोग जो यह मांग कर रहे थे कि फंसे हुए उनके निकट संबंधियों को निकाला जाये। हमने एक अस्पताल का कमरा देखा जिसमें बिना पहचान वाली लाशों का ढेर लगा था। हमने यह भी देखा कि बिना सुसज्जित टेण्टों में ऑपरेशन किये जा रहे थे और सैकड़ों लोग घायलावस्था में खुले में धूल में पड़े थे जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। हमने यह भी देखा कि डरे हुए लोग ठंड में पुराने सीट के कामचलाऊ टेण्टों में या आग जलाकर उसके इर्द-गिर्द रात बिता रहे थे जो भाग्यशाली लोग बच गये थे वे अपनी कारों में गये थे।

यदि संशोधित सरकारों, आंकड़ों को देखा जाए तो 19000 लोगों की जानें गयीं 1,67,000 लोग घायल हुए, 3 लाख से अधिक रिहायशी इकाइयां नष्ट हो गईं और 6 लाख 78 हजार से अधिक रिहायशी इकाईयां क्षतीग्रस्त हुई, 1.59 करोड़ लोग प्रभावित हुए और इसके परिणामस्वरूप कुल अनुमानित नुकसान, अथवा हानि 20,875 करोड़ रुपये का था, यह अप्रत्याशित भूकम्प था जो देश में गणतंत्र दिवस पर आया था। यह अप्रत्याशित इसलिए भी था क्योंकि यह ऐसा पहली बार हुआ था जब देश के सभी पाँच भूकम्पीय जोनों में महसूस किया गया था जिसमें सबसे कम (प्रणव) दक्षिणी जोन में भी विभिन्न माप के अनुसार महसूस किया गया था।

[श्री पवन कुमार बंसल]

तबाही वाले देश में 15 दिन के अन्तराल के बाद 3 दिन के लिए देश के विभिन्न भागों में यह महसूस किया गया था कि क्या इस त्रासदी के प्रति हमारा प्रत्युत्तर पर्याप्त था कि नहीं। दस से 20 फीट की ऊँचाई का मलबे का ढेर पड़ा हुआ था जिसे साफ करना था। यह भी प्रतीत होता है कि अनेक गाँवों, छोटे-छोटे कस्बों और रिहायशी इकाईयां देश के ग्रामीण क्षेत्र में फैले पड़े थे। जिसे अब तक किसी ने छुआ तक नहीं था, किसी को यह नहीं पता कि इसके नीचे कौन और क्या चीज दबी हुई है। एक दिन जब यह मलबा हटाया जाएगा तो मरे हुए लोगों की सरकारी संख्या सच्चाई से हटकर कहीं अधिक होगी।

महोदय, रक्षा मंत्री, श्री जार्ज फर्नांडीज़ तक ने यह संख्या एक लाख के लगभग बताई है हो सकता है कि हमे वास्तविक संख्या का पता न चले परन्तु हमने यह देखा कि गुजरात विशेषकर कच्छ के लोगों को अपने निकट संबंधियों का दाह संस्कार करने के लिए लकड़ी के अभाव का भी सामना करना पड़ा।

हमने देखा कि भूकम्प की तीव्रता को स्थिति सरकार के पास 15 मिनट के भीतर प्राप्त हो गई थी ...*(व्यवधान)* फिर भी सरकार द्वारा बहुमूल्य समय नष्ट किया गया मैं इस बात पर जोर देता हूं कि बहुमूल्य समय नष्ट किया गया और राहतकार्य समय से शुरू नहीं किये गये। महोदय, गुजरात में हम जहाँ कहीं भी गये हमें एक ही बात देखने को मिली कि सरकार द्वारा राहत कार्य नहीं किये गये थे ऐसे मौके पर स्थिति के अनुसार कार्य करने में विफलता और स्थिति से निबटने की अकुशलता को यदि रिक्टर पैमाने पर मापा जाए तो यह 6.9 से कम नहीं होगी।

स्थानीय समारी विभिन्न गैर-सरकारी संगठन और विभिन्न निगमित घरानें घटना स्थल तक पहुंचे यद्यपि वे असुसज्जित थे। परन्तु प्रशासन की ओर से कोई नहीं था। गुजरात सरकार को आरम्भिक सदमे से उबरने में 3 दिन लग गये...*(व्यवधान)* मैंने गुजरात के गृहमंत्री को दूरदर्शन पर वक्तव्य देते हुए देखा सरकार ने अपनी जिम्मेदारी रक्षा कार्मिकों को सौंप दी जिन्होंने हमेशा की तरह इस कठिन कार्य को आरम्भ किया और राष्ट्र की प्रशंसा और कृतज्ञता अर्जित की।

देश के समस्त भागों से और दुनिया भर से स्वत: ही सहायता प्राप्त हुई परन्तु राहत कार्य असन्तोषप्रद था और एक राहत शिविर में जैसा कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया हमने एक सरकारी कर्मचारी को एक व्यक्ति जो सौभाग्यवश अपनी गिरती हुई झुग्गी से बचकर निकला को राहत सामग्री देने से पहले राशन कार्ड दिखाने को कह रहा था। कल हमने समाचार-पत्र में यह समाचार पढ़ा कि एक व्यक्ति से उसके परिवार के 5 सदस्यों की मृत्यु का प्रमाण देने को कहा गया था। भूकम्प की तीव्रता ने यद्यपि कंक्रीट के भारी ढांचों को नष्ट कर दिया परन्तु कुछ लोगों की मनोवृत्ति को नहीं बदल पाया जिन्होंने सरकार द्वारा दी गई राहत सहायता को सहायता न मानकर अपना अधिकार समझा और उसे हड़प लिया। यदि इसे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा चुनौती दी गयी है तो मेरे पास गुजरात के मुख्यमंत्री को उद्धृत करने के लिए एक बात है समय की कमी के कारण मैं ऐसा नहीं कहूंगा।

कई स्थानों पर राहत सामग्री के लिए पंक्ति में बड़े लोगों से उनके धर्म के अलावा अन्य धर्मों के पक्ष में नारे लगाने को कहा गया था। तथापि एक उम्मीद की किरण तब दिखाई दी जब हमने एक स्थान पर हिन्दुओं को देखा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर): आप एक मिनट मुझे बोलने दें तो मैं आपको बताऊं मैंने 15 दिन वहां रहकर काम किया है। कोई दो दिन के लिए आकर किसी का इंटरव्यू ले गया और वह भी गलत बोला तो यह ठीक नहीं है। यह बयान बिल्कुल गलत है। 15 दिन हम वहां रहे हैं और आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: मेरा एक मित्र भारतीय जनता पार्टी में चला गया था मैं समझता हूं कि उन्हें उनकी रक्षा करनी थी...*(व्यवधान)* मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यह वास्तव में कष्ट होता है कि प्रभावित हिन्दू जो त्रासदी से बचकर निकले थे उन लोगों से राहत सहायता लेने से इनकार कर दिया जिन्होंने अन्य लोगों को ऐसे जयकारों का जयघोष करने के लिए मजबूर किया था।...*(व्यवधान)*

सत्ता पक्ष के हमारे मित्रों द्वारा अनेक इरादों से की गई आलोचना को भी स्वीकार नहीं करते हैं कि वास्तव में क्या हुआ। आज मेरा इरादा इस वाद-विवाद में राजनीति लाने का नहीं था परन्तु मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से मेरा कर्तव्य है कि मैं वहां जो कुछ भी हुआ उसका निष्पक्ष वर्णन करूं जब हम किसी महत्त्वपूर्ण मामले पर संसद में चर्चा करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह हम सब का भारी कर्तव्य है कि और मैं शासक दल के सदस्यों से आशा करता हूं कि वे इस बात को समझें कि समय की मांग क्या है।

हरिजनों के साथ भेदभाव किया गया और यदि वे यह जानना चाहते हैं कि ऐसा कहाँ हुआ तो यह चिन्परानी नाम के गाँव में हुआ। हमें इससे खीज हुई। यह वह स्थान था, यह वह गाँव था जो पूर्णत: टूट कर बिखर गया था। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): बंसल जी, कृपया सही शब्द का प्रयोग करें और दलित शब्द का प्रयोग करें। दलितों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। हमने खुद वहां काम किया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: हमें 1934 की याद आती है जब महात्मा गांधी ने निटार में राहत और बचाव कार्य का संचालन किया था, और जब 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी कच्छ के रण में इसी प्रकार के भूकम्प में दुर्भाग्यशाली पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए पहुंचे थे उस समय लोगों ने धर्म और जाति के भेदभाव के बिना कार्य किया था और उत्साह और दृढ़ निश्चय से प्रेरित होकर उन्होंने समुदाय की सहायता की थी।

महोदय, श्री मुलायम सिंह यादव ने राहत सामग्री को अन्यत्र भेजने की बात कही है जब हम भुज पहुंचे तो एक अधिकारी ने हमें बताया कि जापान ने 500 टेंट भेजे हैं जिसमें प्रत्येक का मूल्य 1 लाख रुपये हैं और इन सबका मूल्य 5 करोड़ रुपये है मैंने इन टैन्टों को देखने की इच्छा जाहिर की हमने ऐसे टैन्टों को देखने के लिए चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन हमें कोई नजर नहीं आया वे टैन्ट कहां चले गये मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच करें।

जबकि कुछ लोगों ने बचे हुए व्यक्तियों और मृतकों को निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली वहां ऐसे भी कुछ मामले थे जिनमें सशस्त्र गिरोहों द्वारा बचे हुए लोगों पर हमला करने और उनके जेवरों को लूटने और मलबे में पड़ी क्षतिग्रस्त आलमारियों को खोलने का काम किया यह सब तालुक कस्बे के भचाऊ नामक स्थान में हुआ जहाँ पर 40,000 की आबादी में से 30,000 लोग फंसे हुए थे यह जिक्र मैंने क्यों किया इसका कारण यह था कि वहाँ पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चरमरा गई थी और वहाँ नाम के लिए भी पुलिस नाम की चीज नहीं थी हर तरह से भूकम्प के बाद और नैतिक रूप से थी सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी।

महोदय, कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 1988 से रिक्टर पैमाने पर 6 से अधिक मानक के 13 भूकम्प के झटके भारत में आये और पिछली शताब्दी के दौरान भूकम्प की बारम्बारता में लगातार वृद्धि देखी गई इससे हमें कुछ सीखना चाहिए हमें इस त्रासदी से भविष्य के लिए अपने को तैयार कर लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री पवन कुमार बंसल, आप अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे दो या तीन मिनट और दें।

उस क्षेत्रों में तैनात सरकारी अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों को इस प्रकार की त्रासदी के प्रति और अधिक जागरूक बनाया जाए और उन्हें आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाये। और आपातकाल वाहनों, उपकरणों की तत्काल तैनाती के लिए वाहनों, उपकरणों और उनकी तैनाती के स्थान सम्बन्धी मांग सूची तैयार की जाये और त्वरित प्रत्युत्तर तंत्र को लगाया जाए। आराम के साथ किया गया कार्य जैसा कि गुजरात सरकार द्वारा प्रदर्शित लापरवाही से प्रभावित व्यक्तियों की पीड़ा और बढ़ेगी।...*(व्यवधान)*

महोदय, गुजरात में भूकम्प से भारी मात्रा में जान-माल की हानि के अलावा विभीषिका से बचे हुए लोगों के मानसिक छति हुई है विशेषकर उन बच्चों के लिए जोकि अनाथ हो गये हैं, आज वह पूर्णत: अनिश्चय की स्थिति में हैं हमें उन्हें संभालने के लिए उनकी सहायता करनी है भौतिक सहायता के अलावा बाल मनोवैज्ञानिकों को उन्हें समझाने-बुझाने और उनको सदमे और पीड़ा से उबारने के लिए तैनात किये जाने की आवश्यकता है। नगर पालिका पंचायतों और समुदाय सहित स्थानीय निकायों विशेषकर महिला गुटों को सक्रिय रूप से राहत कार्य में लगाया जाए जिसमें वामपार्टियों के चयन और कार्य की निगरानी की जाये ताकि वे साम्प्रदायिक राजनीति का शिकार न बन जायें। वे लाखों लोग जिनका जीवन प्रकृति के विनाश के कारण अंधकारमय हो गया है को फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

महोदय, मुझसे जो करने की अपेक्षा करते हैं उसके अनुसार यहां मैं केवल यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि सरकार ने आयकर पर 2 प्रतिशत अधिभार लगाने के लिए कानून में संशोधन किया है। दूसरे पक्ष के मेरे मित्र अपुष्ट समाचार पर अत्यधिक विश्वास कर रहे हैं परन्तु मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा जैसा कि हमारे उपनेता ने कहा कि हम इसका समर्थन करें परन्तु निश्चित ही हम सरकार से अपेक्षा करेंगे की वे सही मायनों में कार्य करें और घटनाचक्रों से घबरायें नहीं। जो अधिभार अब लगाया गया है जैसा कि उस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में वर्णित है यह धनराशि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में जायेगी मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इसे किसी भी राष्ट्रीय आपदा के समय न्याय-संगतता और पारदर्शिता के साथ उपयोग करना चाहिए।

[श्री पवन कुमार बंसल]

महोदय, इस सरकार का हर मोर्चे पर किए गए प्रयास विफल होने से देश के लिए विनाशकारी साबित हुआ है अब भूकम्प के नाप की स्थिति से निबटने से बिना समझदारी और परिपक्वता से काम करने से लोगों की तकलीफें और बढ़ गई हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

हम पृथ्वी की रहस्यमयी गतिविधियों को न तो समझ सकते हैं और न ही इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं परन्तु सरकार को देशवासियों को आज भी यह आवश्वस्त करना चाहिए की लगातार, इस सम्बन्ध में संयमबद्ध तरीके से और पारदर्शिता के साथ पुनर्निर्माण सम्बन्धी और कार्य योजना बनायी जाएगी। यह एक चुनौती है परन्तु यदि इस मौके पर कोई कार्य नहीं किया गया तो सरकार लोगों के विश्वास के साथ धोखा करने की दोषी होगी।

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर): अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत सारे मैम्बर्स ने जिक्र किया कि भूकम्प में लाखों मकान गिर गये तथा वहां 20-30 फुट तक मलबे का ढेर हो गया। यह प्रकोप किसी का बनाया हुआ नहीं था बल्कि यह प्राकृतिक प्रकोप था। इससे मेरा जामनगर क्षेत्र भी नहीं बचा। 60 विलेज तहस-नहस हो गये। यहां पोलिटिकली एलीगेशन भी लगाये गये कि वहां एक भी प्लेन लैंड नहीं हो सका। सब वापिस लौट गये। मैं कहना चाहूंगा कि एक-एक दिन में 80-80 फ्लाइटों ने जामनगर में लैंड किया। भुज में तो 100 प्लाइटों ने लैंड किया। वहां युद्ध छावनी जैसा माहौल बन गया था। लोग सोच रहे थे कि क्या लड़ाई हो गयी है? मेरा कहना है कि चाहे छोटे लोग हों या बड़े लोग हैं, हरेक को रोटी की जरूरत पड़ती है। अगर पेट में आग लगती है तो सबसे पहले खाना दिया जाता है। हमारी गवर्नमैंट ने, एन.जी.ओज तथा अन्य संस्थाओं ने फूड के पैकेट्स बनाकर 26 तारीख की दोपहर तक वहां पहुंचा दिये थे। गवर्नमैंट ने वहां अनाज की किट दी, चावल, गेहूं, आलू, प्याज, खाने का ऑयल तथा मसाला तक वहां दिया गया। प्रथम राहत यही होती है। दूसरी जो राहत है, उसमें वहां से मलबा हटाना, जख्मी लोगों को सहायता पहुंचाना तथा जो मरे हुए लोग हैं उनका अंतिम संस्कार करना है। ये सारा काम गवर्नमैंट ने किया। हजारों इक्विपमैंट ट्रक से लेकर हवाई जहाज तक में वहां भिजवाये गये। वहां रास्ता टूट गया था लेकिन फिर भी वे किसी तरह वहां पहुंचाये और उससे लोगों की मदद की। कोई सरकारी कर्मचारी मर गया, उसका रिश्तेदार मर गया या जख्मी हो गया तब भी वे कर्मचारी सारी बातें भूलकर वहां काम पर लगे रहे कि अगर मेरी पत्नी मर गई तो ईश्वर को जो अच्छा लगा, वह हुआ लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। वहां के चाहे अफसर हों या कर्मचारी, कार्यकर्ता हों या पोलिटिकल पार्टीज, सबकी राय एक थी कि हमें मदद करनी है और उन्होंने यह सरहानीय कार्य किया। अगर नहीं किया होता, यहां पर एक भी मैम्बर ने ऐसा क्यों नहीं बोला कि अगर तेजी से काम नहीं किया गया होता तो जो 20,000 लोग मरे हैं, वे 25,000 या 30,000 के करीब मरते। वहां पर इमीजिएट मदद मिली है। वहां से मलबा हटाया गया है। जो 1,60,000 के करीब लोग जख्मी हुए हैं, उनको ट्रीटमैंट दी गई है। जख्मी लोगों का आपरेशन करने के लिए उन्हें पूना, मुम्बई, अहमदाबाद और जामनगर में भेजा गया है। हमारी कई सामाजिक संस्थायें ऐसी हैं जो हास्पिटल में तब्दील कर दी गई थीं। उन्होंने सारा काम वहां किया और मैं इसका साक्षी हूं क्योंकि मैं वहां 26 जनवरी से लेकर 18 फरवरी की शाम तक उस इलाके में रहा हूं। ये सारी बातें दिखाने के लिए नहीं है। अब क्या करना चाहिए? जिनके घर का जो सामान टूट गया है, उनके पैसा दिया गया है। जिसका बैल मर गया है, उनको पैसा दिया गया है। 18 साल से कम उम्र के जिस बच्चे की मृत्यु हुई है, उसके परिवार वालों को 60 हजार रुपये दिये गये हैं तथा 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति की जहां मृत्यु हुई है, उसके परिवार वालों को एक लाख रुपये दिये गये हैं। यह सारा काम भुज में थोड़ा बाकी रहा होगा लेकिन यह कहना कि हमने दिया, वह दिया, ठीक नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि नागपुर की वेश्याओं ने भी 25 हजार रुपये कलैक्टर को दिये।

यह गुजरात के भूकम्प पीड़ित लोगों के लिए पहुंचाना है। मैं उनकी सराहना करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। यह हमारी जिम्मेदारी है, हमने किसी के ऊपर उपकार नहीं किया। किसी का हाथ कट गया है, किसी का पैर कट गया है, यह देख कर हमें बहुत सदमा पहुंचा है। उन लोगों को अच्छी किस्म का कैलीपर दिलवाना चाहिए ताकि वे दुबारा अपना जीवन बसर कर सकें। तन टूटा है लेकिन मन भी टूट गया है। बच्चा कहता है कि मां, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। आज बच्चे मां का पल्लू पकड़ कर रो रहे हैं, उसे कहीं जाने नहीं देते। उन बच्चों को स्कूल भेजना है। श्री शिवराज पाटिल ने अच्छा सुझाव दिया कि उनका मन नहीं टूटना चाहिए। यदि उनका मन टूटा है तो उसका ट्रीटमैंट करना चाहिए। मन की शान्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, कोई कार्यक्रम कीजिए, गार्डन में ले जाइए, उनके लिए खिलौनो ले जाइए। आज हजारों लोग टैंट में जीवन बसर कर रहे हैं।

यहां बताया गया कि हजारों मकान गिर गए। उनको छः महीने के अंदर पक्के मकान मिल जाएं, वे मकानों में रहने लगें, अपनी खेती करने लगें, जिन व्यापारियों की दुकान गिर गई, उनका नुकसान हुआ है, उनको दुकान दिलवानी चाहिए। इस सब कार्य की हमारी जिम्मेदारी है। यह प्रकृति का कोप था लेकिन वहां दो दिन के अंदर बिजली, पानी पहुंचाया गया और सब लोगों को राहत पहुंचा दी। सरकार ने सबसे सराहनीय कार्य यह किया कि महामारी नहीं फैलने दी। मीडिया के लोग कह रहे थे कि अगर बीमारी फैल गई तो महामारी फैल जाएगी और हजारों-लाखों मर जाएंगे। अगर महामारी फैल जाती तो लाखों लोग मर सकते थे। आज एक महीना हो गया है लेकिन वहां कोई महामारी नहीं फैली, लोग बीमार भी नहीं पड़े। यह हमारी सफलता है। भूख से एक आदमी को भी नहीं मरने दिया।

वहां गृहमंत्री जी गए थे, उन्होंने टैंट में रात गुजारी। प्रधानमंत्री जी ने भी दौरा किया। चीफ मिनिस्टर ने भी डेरा डाला। केन्द्र के मंत्री श्री काशी राम भी थे। मैं कच्छ की बात कर रहा हूं कि एक-एक तालुका में दो-दो स्टेट्स के मिनिस्टर तम्बू लगा कर बैठे हैं। वे गांव के एक-एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि आपकी क्या जरूरत है। एक बात से बहुत दुख होता है कि आप जय श्रीराम बोलेंगे तो आपको पीयूष मिलेगा। थोड़ा ऊपर वाले का डर रखना चाहिए। मैं मुसलमानों, दलितों की बस्ती में गया और कहा कि आपका चूल्हा जलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, टैंट और कपड़े मिलने चाहिए। इस समय मैं कहूंगा कि मुझे खुशी होती है तो यह अच्छी नहीं लगेगा। मेरे घर आज भी सामान पड़ा है। मैं कह कर आया हूं कि जिसको जो चाहिए, आप भिजवा देना।

हमारे विजय गोयल जी आये थे, उन्होंने मुझे ऑफर किया, टेंट भिजवाये, कपड़े भिजवाये, घर का सामान भिजवाया और एक गांव को दत्तक लिया। उन्होंने 300 गैलवेनाइज्ड शीट के सेमी परमानेंट ब्लाक्स बनाने का मुझे प्रोमिस किया है, वह काम एक-दो दिन में हो जायेगा।

समय कम है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन जो दुख-दर्द मैंने देखा है, सुना है, उसमें मैंने दुखी लोगों को बीच में काम किया है। ऐसा आज तक नहीं हुआ, गुजरात में तो वैसे ही साइक्लोन आता है, सूखा पड़ता है और यह भूकम्प आया, चार साल में 3-3 आपदाओं का हमने सामना किया है, लेकिन कभी किसी ने एलीगेशन नहीं लगाया। मैं आज एक अपील करना चाहूंगा कि एक-दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बजाय कंधे से कंधा मिलाकर हमें इस आपदा को पार करना है, जो दु:खी लोग हैं, उनकी मदद करनी है, जो लोग मरे हैं, उनकी आत्मा को सही तौर पर अगर हम शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना करना चाहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर एलीगेशन लगाने के बजाय कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि हमने हमारा सही फर्ज अदा किया।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब प्रधानमंत्री चर्चा में भाग लेंगे।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, मैंने चर्चा में भाषण सुने हैं। जिन भाषणों के समय मैं उपस्थित नहीं था, वे भाषण भी मैंने कार्यवाही से देखे हैं। बहस का उत्तर कृषि मंत्री श्री नीतिश कुमार जी देंगे। मैं दो-चार बातें कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

गुजरात में जो कुछ हुआ, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ वर्षों से प्राकृतिक प्रकोप बढ़े हैं, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, उड़ीसा में सुपर साइक्लोन, उत्तरांचल में भूस्खलन, जो भूकम्प का परिणाम था। मैं अलग-अलग राज्यों के नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे डर है कि कहीं यह भी विवाद का विषय न बन जाये। यह समय विवाद का नहीं है। जब गुजरात की परिस्थिति पर विचार करने के लिए सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसमें जिस सद्भावना और सहयोग के वातावरण में सभी दलों ने अपने विचार व्यक्त किये, अपने सहयोग का हाथ बढ़ाया, उससे मुझे ऐसा लगा था कि प्राकृतिक आपदा में, एक राष्ट्रीय संकट में एक साथ खड़े होने की हमारी जो परम्परा है, उसका गुजरात के सम्बन्ध में भी पालन होगा। उस दिन बैठक की चर्चा को समाप्त करते हुए मैंने कहा था कि जो वातावरण बैठक में दिखाई दे रहा है, मैं आशा करता हूं कि सदन में भी वही भावना प्रतिबिम्बित होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। गनीमत है कि किसी ने यह नहीं कहा कि सरकार के कारण भूकम्प आया था। मैं इस विवाद को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, चुनाव निकट हैं। थोड़ी सी राजनीति मैं समझ सकता हूं। हम सब प्रतिपक्ष में थे तो हम भी थोड़ी सी राजनीति करते थे, लेकिन संकट के समय नहीं। यह प्राकृतिक आपदा है, सब इसका मिलकर सामना करें। मैं देखता हूं कि देश में तो एक होकर गुजरात की मदद करने की भावना थी और है। सभी राज्य सरकारों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कल किसी मित्र ने कहा कि पांच करोड़ रुपये उस राज्य में दिए थे, उस राज्य का नाम नहीं लिया गया। मेरे पास सब नाम हैं। पांच करोड़ रुपये देने वाले अनेक राज्य हैं। मैं चाहूंगा कि मैं सभा पटल पर उन राज्यों की सूची रख दूं*। उन सबको पता होना चाहिए कि कोई राज्य पीछे नहीं रहा। कम या ज्यादा और राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं, लेकिन गुजरात की त्रासदी में सब इकट्ठा हो गए, यह भावना थी। दुर्भाग्य से यह भावना केन्द्र में प्रतिलक्षित नहीं हुई...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: राहत और पुर्नवास के लिए किये गये प्रयासों का सबने समर्थन किया है...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री की ओर से इस तरह की बात कहने से बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम सब एक हैं सबने यह कहा है यहां पर उन सब लोगों ने जिन्होंने यह सुना है मुझसे सहमत होंगे। मुझे नहीं पता कि आपको क्या रिपोर्ट मिली है हमने जो कुछ भी कहा वह यह है कि गुजरात के लिए और अधिक करना चाहिए यह गुजरात के लिए मिलजुल के कार्य करना चाहिए। आज देश एक है हमने कहा है कि आपदा प्रबंधन ऐसा होना चाहिए जैसा कि हमने पहले अन्य अवसरों पर देखा है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने केवल यही कहा है अत: प्रधानमंत्री जो यह कर रहे हैं कि हम लोग विभाजित हैं यह सही नहीं है हम गुजरात की स्थिति पर विभाजित नहीं हैं...*(व्यवधान)*

---

* गुजरात में हाल के भूकंप के प्रभावित व्यक्तियों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और विदेशों से प्राप्त सहायता के ब्यौरे की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी। [ग्रन्थालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल टी 3272क/2001]

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: हम तो आपकी मदद कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, ये क्या है? माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: पूरा देश सुनेगा कि हमने कुछ नहीं किया...*(व्यवधान)* जहाँ भी अच्छा काम हुआ है हम लोगों ने आपको सपोर्ट किया है...*(व्यवधान)*

श्री माधव राव सिंधिया: जो अच्छा काम हुआ है वह अच्छी बात है लेकिन आपको जहां कमी है उसको स्वीकार करना चाहिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: प्रधानमंत्री ने इस सभा में दो बार कहा है...*(व्यवधान)* कृपया ऐसा मत करिये हम सबने समर्थन किया है हमने कहा है कि और अधिक करना चाहिए सब लोग यहाँ मौजूद हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सोमनाथ चटर्जी, कृपया...

...(व्यवधान)

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): हम सब गुजरात के लिए हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, हम आरोपों की झड़ी सुनते रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: पक्षपात न हो यह सुझाव दिया है मानिये तो मानिये नहीं मानिये तो मत मानिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: कोई पक्षपात नहीं हुआ है। ये आरोप निराधार हैं। जब से भूकंप आया है, पहले दिन से यह बात कही जा रही है कि भेदभाव किया गया है। सर्वदलीय समिति की बैठक में भी यह मामला उठा था। उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। हमने उन्हें बुलाया था क्योंकि अगर किसी को स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो उनका रहना जरूरी है उन्होंने यह भी कहा था कि इस तरह के आरोप गलत हैं। लेकिन अगर कोई सच्चाई इसमें है, तो आप मुझे लिखकर भेजिए, मुझे सूचित करिए कि भेदभाव कहां हुआ है, किसके साथ हुआ है। क्या ऐसी परिस्थिति में भी कोई भेदभाव कर सकता है? ऐसा कहना, सारे गुजरात का अपमान करना है।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, यहां पर सारे नेताओं ने, सारे लोगों ने यह कहा है कि सरकार जो कह रही है या दूसरी संस्थायें जो कर रही हैं, उसको हम पूरी तरह से मदद करने वाले हैं और करना जरूरी है। वह हमारा दायित्व है। उसके बाद अगर किसी नेता के सामने लोगों ने शिकायत की और वह शिकायत सरकार के सामने रखी गई, तो क्या सरकार का कर्तव्य नहीं होता है कि वह देखे कि शिकायत सही है या गलत है। समझकर, अगर सही है, तो उसके ऊपर सुधारने का कदम उठाए और अगर गलत है, तो वह ऐसा मालूम करे। इसके सिवाय यहां और कुछ नहीं कहा गया है।...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी, क्षमा करके एक मिनट का समय दीजिए। बार-बार यह कहा गया है कि ऐसी आपदा में जैसे आपने लातूर में आकर सहानुभूति जलाई थी, उसी प्रकार हमारी नेता ने गुजरात में जाकर लातूर की तरह हर जगह सहानुभूति जताई है। इसके सिवाय और कुछ नहीं कहा गया है।...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, प्रधानमंत्री जी ने सही उल्लेख किया है, जिस समय यह विषय सर्वदलीय बैठक में उठा था, तुरन्त केशुभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री, गुजरात ने कहा कि अगर किसी ने इस प्रकार भेदभाव किया है, तो उसने पाप किया है। मैं आश्वासन देता हूं, अगर कोई मुझे स्पैसिफिक केस देगा, तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ऐसा उन्होंने सर्वदलीय बैठक में कहा है। इसके बाद भी सारे जनरल आरोप हैं। कल मैंने सुना, शिवराज जी जैसा आपने कहा है, इन-इन स्थानों पर शिकायत मिलीं, भेदभाव हुआ और गांवों के नाम आपने लिए हैं। लेकिन आपने फिर कहा कि यह शिकायत सरकार के बारे में नहीं थी। ऐसा आपने कहा।

श्री शिवराज वि. पाटील: जी, हां।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: फिर आपसे यह अपेक्षा थी कि यह बताया जाता, अगर शिकायत सरकार के बारे में नहीं थी, तो किसके बारे में थी। यह आपने नहीं कहा। मैं आपको बताऊं, आप आज के अखबार उठाकर देख लीजिए। आज के अखबारों में यह आभास मिलेगा कि सरकार ने भेदभाव किया है, जबकि स्वयं आपने कल कहा कि सरकार के खिलाफ हमारा आरोप नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जो बातें कल कही गई हैं, वे सारी का सारी गुजरात सरकार के बारे में कही गई हैं, जो सरासर निराधार हैं और मिथ्या हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): मैं यह कह रहा हूं, पहले भी हमने कहा है, मैं फिर कह रहा हूं, ये शिकायतें सरकार के खिलाफ नहीं कही गई हैं। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं। मगर जो लोग वहां पर सामान देने के लिए गए थे, रिलीफ देने के लिए थे, वे सरकार के प्रतिनिधि नहीं है। वे किसी की तरफ से वहां जा रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं। हमारी दृष्टि से वह आया है। हमारे जो नेता वहां गए थे, उनकी दृष्टि में आया है। क्या उन बातों को आपके सामने रखना हमारा काम नहीं है? हम सरकार के खिलाफ शिकायत नहीं कर रहे हैं। मैं अभी आपको यह कागज देता हूं, आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह सदस्यों के साथ चर्चा नहीं है यह सामान्य चर्चा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: प्रधानमंत्री भड़काने वाला वक्तव्य दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय हम भारत सरकार की ओर से बोल रहे हैं। भारत सरकार और गुजरात सरकार इस मामले में भूकम्प के पहले दिन 26 तारीख से लेकर लगातार मिलकर काम कर रही है, इसलिए विपक्ष के नेता ने जो बात कही थी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया था कि ये आरोप किनके बारे में है। मैंने जब शिवराज जी की बात को सुना तो मेरे मन में संतोष हुआ उनका कहना था कि हमारी शिकायत सरकार से नहीं है और आज आपने फिर से दोहराया। लेकिन कुल मिलाकर जितने भाषण हुए हैं उनसे जो आभास मिला है। उनमें से अकेले आपने स्पष्ट कहा की मेरी शिकायत सरकार से नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: आपके मुख्यमंत्री ने कहा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें यह सदस्यों के बीच नहीं होनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: श्रीमती सोनिया गांधी ने नहीं कहा था बल्कि श्री केशुभाई पटेल ने कहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रिय रंजन दासमुंशी जी, वे आपकी बात से सहमत नहीं हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह श्री केशुभाई पटेल का वक्तव्य है। आप विपक्ष का बिना किसी बात के अपमान नहीं कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

सोमनाथ चटर्जी: वे राजनीति चला रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: गुजरात के लोगों की शिकायत है कि भेदभाव हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि अगर आप वहां जाएंगे...*(व्यवधान)* मैं वहां कई बार गया हूं।...*(व्यवधान)*

महोदय, बहुत से अधिकारी और कर्मचारी, जिनके परिवार के लोग मर गए वे दिन भर मेरे साथ काम करते रहे। मैं उनसे शाम को पूछता कि आपका और आपके परिवार का क्या हुआ तो वे कहते हैं कि हमारा तो सब कुछ समाप्त हो गया। वे छः दिन से वही पेंट और शर्ट पहन कर मेरे साथ घूमते रहे और यहां इस प्रकार की बातें की जाती हैं, यह सरासर अन्याय है।...*(व्यवधान)* यह सरकार के साथ अन्याय है।...*(व्यवधान)* मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर): श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, आप माननीय प्रधानमंत्री जी को गलत सूचना दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमारे नेता ने कहा है कि हमें गुजरात के लोगों के साथ हीरो की तरह व्यवहार करना चाहिए तथा माननीय प्रधान मंत्री ने कहा...*(व्यवधान)* यह क्या है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी, कृपया बैठ जाइए। यह सब क्या है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको कितनी बार बोलना पड़ेगा कि आप बैठ जाइए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि पाटील साहब ने जो स्पष्टीकरण दिया है उससे उनके दल के सभी लोग सहमत हैं और इसी के अनुसार वे अभिव्यक्ति करेंगे, आचरण करेंगे।...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं स्वयं गुजरात गया था और मैंने वहां की स्थिति को देखा कि वहां कैसी स्थिति है। मेरे बारे में कहा गया कि मैं तो हवाई जहाज पर घूम कर आ गया, उतरा भी नहीं, ऐसे ही वापस आ गया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अभी नहीं, बाद में बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। यह सही तरीका नहीं है। श्री संतोष मोहन देव की कृपया बैठ जाइए। श्री मोहाले जी कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहाले जी, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहले जी, आपका स्थान कहां है? कृपया पहले अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बंसल, यह सब क्या है?

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, उन्हें गलत सूचना दी गई है। उन्हें गुमराह किया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले जी, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी को अपनी बातों को संयम के साथ कहना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया साथ-साथ मत बोलिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: मुख्यमंत्री जी को हटाओ।

श्री मुलायम सिंह यादव: प्रधानमंत्री जी को आज क्या हो गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैंने ऐसा कहा था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बंसल, यह क्या है? कृपया बैठ जाइए। आप हर बात पर स्पष्टीकरण चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बंसल, कृपया बैठ जाइए। आप हर बात पर स्पष्टीकरण कैसे मांग सकते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बंसल, बहुत हो गया। आपको कुछ धैर्य करना चाहिए। यह क्या है? आप सभा के नेता को भी बोलने नहीं दे रहे हैं। आप बीस मिनट से अधिक समय बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अभी चर्चा समाप्त हो रही थी तो किसी एक सदस्य ने कहा कि विदेशों से 441 टेंट आये थे वे कहां गये...*(व्यवधान)* क्या मतलब है इसका, यह आरोप लगाया गया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप साथ-साथ मत बोलिए। यह सब क्या है?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो टेंट आये थे वे टेंट कच्छ डिस्ट्रिक्ट के कलैक्टर के चार्ज में दिए गये और उन टैंटों को स्कूल में रखा गया है जिससे स्कूल चल सकें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, सवाल यह है कि देश में और सदन में हम किस तरह का वातावरण बनाना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा कि सभी दलों की सरकारों ने बड़े पैमाने पर सहायता दी। राज्य सरकारों ने होड़ लगी थी कि कौन पहले सहायता देगा तथा जनता के सभी वर्गों के लोगों ने 'प्रधान मंत्री रिलीफ फंड' में सहायता दी है। अभी तक 200 करोड़ रुपये से ज्यादा इकट्ठे हो चुके हैं जो पहले कभी नहीं हुए क्योंकि लोग गुजरात की त्रासदी से सचमुच में पीड़ित हैं, गुजरात के लोगों के दु:ख को बांटना चाहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु, विनाश, घरों का ढहना, इस चर्चा में बहुत से ऐसे उदाहरण दिए गये, ऐसे-ऐसे प्रसंग प्रस्तुत किये गये जिन्हें सुनकर सचमुच हृदय रोने लगता था। अगर एक ओर प्रकृति का प्रकोप दिखाई देता है तो दूसरी ओर मानव की उदारता भी दिखाई दी। जिस दिन भूकम्प आया, उसी दिन से गुजरात की सरकार सक्रिय हो गयी, गुजरात की सरकार ने कदम उठाए। केशु भाई ने गुजरात की जनता को सम्बोधित किया। टेलीविजन काम नहीं कर रहा था इसलिए रेडियो से किया। वह पुलिस कंट्रोल रूप में जाकर बैठ गए। एक सदस्य ने कहा कि दिल्ली में तीन बजे बैठक क्यों हुई जबकि भूकम्प पाँच बजे या छ: बजे या आठ बजे आया था—आपको बैठक करने में इतने घंटे क्यों लगे? अध्यक्ष महोदय, क्राइसिस मैनेजमैंट कमेटी है। उसमें जिम्मेदार लोग हैं। जब भूकम्प की खबर आई तो सबको सूचना देनी थी। भूकम्प की कितनी विकरालता है, आपदा का क्या स्वरूप है, यह जानने में भी समय लगा, इसलिए तीन बजे बैठक का आयोजन किया गया। 12 बजे तक सब लोग गणतंत्र दिवस के प्रदर्शन में शामिल थे। अब हमें सदन में कटघरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि तीन बजे बैठक क्यों हुई, इससे पहले क्यों नहीं हुई? मैं क्या जवाब दूं? कैबिनेट की मीटिंग उसी शाम हुई। गुजरात की सरकार सक्रिय हो गई थी। गुजरात के चीफ सैक्रेटरी उसी दिन भुज गए। आडवाणी जी तत्काल गणतंत्र दिवस की परेड के बाद गुजरात चले गए। वह वहां जाने वाले पहले सदस्यों में से एक थे। फिर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। यह दुख पहुंचाने वाली बात है। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। विदेशों से जो सहायता मिली है, मैं उसका विवरण आपके सामने रखूं तो आपको आनन्द होगा कि सामने संसार ने इस त्रासदी के समय पीड़ितों की रक्षा के लिए आगे-आगे हाथ बढ़ाया। इन देशों के मेरे पास नाम हैं।

जैसा किसी माननीय सदस्य ने कहा कि वहां जहाज खड़े करने की जगह नहीं थी। जहाज कहां उतारे जाएं, इसके लिए स्थान नहीं था। सहायता से भरे जहाज आ रहे थे। उन देशों की सूची भी मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं, जिन्होंने इस आपदा के समय हमारी सहायता की। मानवता पीड़ित हो गई, मानवता चिंतित हो गई। सारे देश में भावना हुई कि गुजरात को बचाना है, गुजरात की त्रासदी में उसे राहत पहुंचानी है लेकिन कुछ लोगों ने राजनीति नहीं छोड़ी। अगर कोई भेदभाव हो रहा था तो एक बार उसका उल्लेख किया जा सकता था। लगातार उसकी रट लगाना और हर भाषण में यह कहना, आपको मालूम है कि इसका क्या परिणाम हुआ है। आपके विदेशों में यह भाषण छपे हैं कि मुसलमानों और हरिजनों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। विदेशी अखबारों ने हैडलाइन देकर छापे हैं। थोड़े से राजनीतिक लाभ के लिए देश की बदनामी हुई है। यह बार-बार दोहराने की क्या जरूरत है? गुजरात के मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में कह दिया कि ऐसी घटनाएं होने पर वे मेरे सामने लाई जाएं। ये गांव के जो नाम लिख कर लाए हैं, वे पाटील साहब अभी लाए हैं। हम इनका भी पता लगाएंगे। हम सच्चाई को सामने लाएंगे और आपको कठघरे में खड़ा करेंगे। आपने गुजरात पर लांछन लगाया है। आपने इस राष्ट्रीय संकट का राजनीतिक दृष्टि से लाभ उठाने की कोशिश की है। यह खेद की बात है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है। कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम चाहते हैं कि कि आप प्रधानमंत्री के रूप में बोले, न कि दल के नेता के रूप में...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं इसमें विस्तार से जाना नहीं चाहता। उड़ीसा के समय भी राजनीति की गई थी।

श्री शिवराज वि. पाटील: क्या इस प्रकार बोल कर सबकी सहानुभूति और सहयोग लेने की कोशिश कर रहे हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मेरा बोलना आपको अच्छा नहीं लग रहा है?

अध्यक्ष महोदय, मैं पाटिल साहब से एक सवाल पूछ रहा हूं। अगर पाटिल साहब...

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, वे प्रधानमंत्री के रूप में बोल रहे हैं न कि भाजपा के नेता के रूप में ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: माननीय प्रधानमंत्री जी यहां नहीं थे, ऐसा किसी ने नहीं बोला है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: पाटिल साहब, अगर आप चर्चा में भाग नहीं लेते और यह स्पष्टीकरण नहीं देते...*(व्यवधान)* यह प्रचार योजनाबद्ध तरीके से किया गया कि गुजरात में हरिजनों और मुसलमानों के साथ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: नहीं, ऐसा नहीं है। उनका भाषण रिकार्ड पर है, टेप पर है और राइटिंग में है। आप टी.वी. पर देखिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। हम लोग यहां बैठे हुए हैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, उन्हें गलत सूचना दी गई है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? क्या यह प्रश्न पूछने का तरीका है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपसे उम्मीद करते थे कि आप साफ बात करेंगे...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री चतुर्वेदी, यह क्या है?

...(व्यवधान)

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): यह पहले मीडिया में उछाला गया था।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहता लेकिन मेरे मन की जो भावनायें थीं, उन्हें मैंने व्यक्त किया है। निर्णय जनता करेगी। अंतिम निर्णय तो जनता को करना है। अभी कुछ विधानसभाओं के उप-चुनाव हुये थे और उनका परिणाम आया है। जनता बोल रही है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, एक सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें कुछ अच्छे सुझाव आये थे। श्रीमती सोनिया

गांधी ने एक सुझाव रखा था कि एक स्थायी समिति होनी चाहिए और प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कोई स्थायी तंत्र होना चाहिए। एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। केवल उड़ीसा के समय नहीं, इस बार भी यह बात हमारे ध्यान में आयी है कि जब देश पर भारी प्राकृतिक विपदा आती है तो जिस मात्रा में तैयारी होनी चाहिए, वह नहीं होती है। सचमुच में हमने प्रश्न को इस दृष्टि से नहीं देखा। यद्यपि लातूर ने हमें चेतावनी दी थी जब ऐन वक्त पर अचानक भूकम्प आ गया था। क्या करें? सैंकड़ों लोग मलबे के नीचे दब गये। उस मलबे को कैसे हटाया जाये, कहां मशीनें हैं, किस तरह से पत्थर और सीमेंट को काटा जाये? लोग दबें हैं और चिल्ला रहे हैं। उन्हें इस त्रासदी से निकाला नहीं जा सकता। निकालने वाले अपने आठ-आठ आंसू रो रहे हैं। इस कार्य के लिए ट्रेड लोग चाहिए। प्लेन हाइजैकिंग के समय भी यही हुआ था। ऐसे ही विपदा आती हैं, चाहे सुलतानी हों या आसमानी हों। इसलिए यह तय किया गया है। वैसे तो उड़ीसा के तूफान के बाद इस सुझाव पर विचार करना शुरू कर दिया था कि कोई परमानेंट अथॉरिटी होनी चाहिए और हम इस तरह की परमानेंट अथॉरिटी का गठन करेंगे। इसके लिए अलग-अलग ग्रुप बनाये गये हैं। वे इस संबंध में अपनी सिफारिशें देंगे।

केन्द्र से भेदभाव नहीं होता। उड़ीसा में हमने कम दिया था, अब गुजरात में ज्यादा दे रहे हैं।...*(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: उस समय, हम आपके पास काफी आशा के साथ आथे थे परन्तु आपने कहा: ''धन है कहां?''

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आपको 130 करोड़ रुपया दिया था।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: तब आपके पास फंड नहीं था, उसके बाद में फंड हुआ होगा। अभी तो रास्ता खोल दिया गया था, रिजर्व बैंक को ऑर्डर दे दिया था...*(व्यवधान)* वह भी तो भारत की जनता है।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट आ गई है।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: आपने गुजरात के बारे में जो कुछ किया है, वह सही किया है, हमने उसे सपोर्ट किया है।

[अनुवाद]

हमने कहा, ''भविष्य में अन्य राज्यों का सोचे और कृपया वही मानक अपनाएं।''

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अच्छा किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: हम यही बोल रहे हैं और आप यहां गुस्सा करके आये हैं...*(व्यवधान)* हम यही बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: आज गुस्सा कहां से आ गया। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि पैसा कहां है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, हमने हुडको को इस बात की अनुमति दी है कि गुजरात के पुनर्निर्माण के लिए वह 1500 करोड़ रुपये के टैक्स फ्री बाण्ड जारी कर सकता है। गुजरात का पुनर्निर्माण करना है। विध्वंस में रचना करनी है। इसके लिए धन की कमी नहीं होगी। अब अगर यह कहा जाए कि धन की कमी नहीं होगी तो मुझसे पूछा जायेगा कि आपने यह बात वैस्ट बंगाल के लिए क्यों नहीं कही थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी: जरूर पूछेंगे, कौन नहीं पूछेगा ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: प्रधानमंत्री जी, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम सबकी रक्षा आपको करनी है।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, केन्द्र में कोई भेदभाव नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: रुपया मांगने के लिए आपके पास गये थे, अब वहां जाकर आपके मिनिस्टर ने उसके खिलाफ भाषण दे दिया।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आप वैस्ट बंगाल की राजनीति यहां मत लाइये।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: आज आप राजनीति कर रहे हैं...*(व्यवधान)* आज आप अटल बिहारी वाजपेयी और बी.जे.पी. की माफिक बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हम आपका आदर करते थे।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष जी, केन्द्र के मन में कोई भेदभाव नहीं है...*(व्यवधान)* पिछले दो-ढाई साल से सरकार चली है। इस दौरान केन्द्र के राज्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। आप अपने-अपने राज्यों के मुख्य मंत्रियों से पूछ लीजिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अलग तरह से देखते हैं परन्तु आप आज गिर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से आपका सम्मान करते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, भुज में मैंने देखा कि एक अस्पताल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हमने यह प्रस्ताव रखा है कि केन्द्र सरकार उस अस्पताल को पूरी तरह से नये सिरे से बनाने के लिए तैयार है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: आप बनाइये, हम सपोर्ट करते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो धन आया है उसका हम इस तरह से सदुपयोग करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी: उसे हम पूरा सपोर्ट करते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: नहीं, हम और भी ऐसा बातें कहने वाले हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: वहां से कुछ बचेगा तो थोड़ा सा इधर भी भेजियेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, हमारे जीवन में जब इस तरह की आपत्तियां आती हैं तो वे हमारा इम्तिहान लोती हैं, एक परीक्षा लेती हैं। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने हमारा इम्तिहान लेने का फैसला कर लिया है। प्रकृति को तो हम पछाड़ देंगे, मगर मन में जो विकृति है उससे लड़ना बहुत जरूरी है। राजनीति अपनी गति से चलेगी, चुनाव होंगे, सरकारें बदलेंगी। लेकिन जब सारी दुनिया हमारी मदद के लिए दौड़ रही है तो हम समझ सकते हैं कि दुनिया में इस त्रासदी का कितना परिणाम हुआ है।

सारा देश एक होकर चुनौती का सामना करे, इस बात की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इस चर्चा के बाद ऐसा वातावरण बनेगा कि आरोप-प्रत्यारोप का पर्व समाप्त हो जाएगा, और उद्योग पर्व आरंभ होगा और हम गुजरात का पुनर्निर्माण करेंगे। अलग-अलग पैकेज दिये गये हैं। कच्छ के लए अलग पैकेज है, उद्योगों के लिए गुजरात की सरकार ने अलग घोषणा की है। इसके साथ जो और जिले हैं जो कच्छ का भाग नहीं हैं, उनमें भी भूकंप आया था, उनकी भी चिन्ता हम कर रहे हैं। गुजरात सरकार जैसी सहायता चाहती है, वह हम दे रहे हैं और मैं सब माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अब रचनात्मक दृष्टि से विचार करना शुरू करें।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्त्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। गुजरात में जो भूकंप आया, इस तरह की त्रासदी, इस तरह की प्राकृतिक आपदा पहले कब हुई होगी, यह कहना मुश्किल है। इस तरह की आपदा जब आती है तो वह कब और कहां किस रूप में आएगी, वह कहना भी कठिन है। कभी बाढ़ के रूप में आ सकती है, कभी भूस्खलन के रूप में आ सकती है, कभी सूखे के रूप में आ सकती है और कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसा गुजरात के कुछ क्षेत्रों में हुआ कि भूकंप के रूप में बरबादी करते हुए प्राकृतिक आपदा आ जाए।

प्राकृतिक आपदा आने के बाद जिस परिस्थिति का सामना हमें करना पड़ता है, उसके लिए जिस तैयारी की आवश्यकता है, उस तैयारी में हम लोग कहां तक चूके, इस विषय पर चिन्ता करने की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदाओं को कोई टाल नहीं सकता है लेकिन प्राकृतिक आपदाएं आने के पहले अहतियात के तौर पर जो कार्यक्रम होने चाहिए, जो तैयारियां होनी चाहिए, जिस तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के प्रकोप से, भूकंप के प्रकोप से, भूस्खलन के प्रकोप से, चाहे सूखे के प्रकोप से जिस तरह की तबाही हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में होती है, उसका सामना अगर करना है तो हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर इन समस्याओं का समाधान करने के उपाय ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह के उपाय राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर किये जाएं ताकि इस तरह के प्राकृतिक प्रकोप जब हमारे ऊपर आएं तो हम तत्काल तैयार रहें। उस समय जो हानि होती है, जिन लोगों का नुकसान होता है, जिन लोगों की जानें जाती हैं, उनसे निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। गुजरात में भूकंप के मलबे में जो लोग दबे हुए थे, अगर हमारी तैयारी पहले से होती इस तरह की आपदा का सामना करने के लिए तो हम बहुत से लोगों की जान बचा सकते थे और इसलिए इस दिशा में हमें चिन्ता करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, गुजरात में विशेषकर जिन परिवारों के लोग इस भूकंप की त्रासदी में मारे गए, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। वहां सरकारी नौकरशाही तथा गैर-सरकारी संस्थाओं ने तथा स्वयंसेवी संगठनों ने जिस तरह से युद्ध स्तर पर राहत कार्य किया, उसके लिए हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, वहां के जो छात्र-छात्राएं हैं, ग्राम पंचायत स्तर, ताल्लुक स्तर और जिला स्तर के जो सदस्य हैं, दुर्भाग्यवश उनका जिक्र मीडिया ने नहीं किया। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में पंचायत के माध्यम से, तृण मूल स्तर से पंचायत समिति एवं जिला स्तर के माध्यम से कोई भी विकास का काम हम लोग करना चाहते हैं उसी तरह से गुजरात में जो व्यवस्था की है उसे और भी शक्तिशाली एवं प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह की आपदाएं कभी भी, कहीं भी हों देशवासियों का सहयोग सदैव मिलता रहा है। गुजरात के भूकंप के समय देश के सभी प्रदेशों के लोग, चाहे वे गरीब तबके के हों या धनी तबके के, हर स्तर के लोग, समाज के हर वर्ग के लोग, हर सम्प्रदाय के लोग जिस तरह से गुजरात की विभीषिका में सहायता करने के लिए आगे बढ़कर आए और आर्थिक सहायता प्रदान करने का काम किया, उन सबकी मैं प्रशंसा करता हूं। यह काफी सराहनीय कदम है। विदेशों से भी जो राहत सामग्री आई, उससे भी बहुत राहत मिली, वह भी प्रशंसनीय कदम है।

अध्यक्ष महोदय, वहां के पुनर्निर्माण का काम अब हमारे कंधों पर हैं। वहां जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं उनका भी पुनर्वास करने, उनकी चिकित्सा करने की आवश्यकता है। जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनकी देख-रेख करने की व्यथा करने का दायित्व भी हमारे ऊपर है। भूकम्प के बाद जो भी लोग बचे हैं, चाहे किसी भी वर्ग, जात एवं धर्म व उम्र के हों हमें सभी का पुनर्वास और देख-रेख करने की आवश्यकता है। उनमें चाहे स्कूल जाने वाले हों या कालेज जाने वाले या जो मानसिक रूप से असंतुलित हैं उनके लिए विशेष रूप से सोचने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के हर माननीय सदस्य एवं देश की जनता से निवेदन करूंगा कि वे इस संकट की घड़ी में गुजरात की जनता को ऐसा संदेश दें कि हम सब उनके साथ हैं। पूरा देश उनके साथ है और उनके दुख से दुखी है। मेरी यह भी अपील है कि हम सब उनकी मिलकर सहायता करें और इस काम में हम उनका हाथ बटाएं। जिनके घर गिर गए हैं, उन्हें मकान मिलने चाहिए। चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों सब पीड़ितों को आवास की सुविधा मिलनी चाहिए। हर भूकम्प पीड़ित को, हर व्यक्ति, हर बच्चे की भूख को शान्त करने का इन्तजाम हमें करना है। गुजरात के भूकम्प की हमारे सामने जो स्थिति है, उसे हम चुनौती के रूप में स्वीकार करें और तत्काल उन्हें सहायता पहुंचाने का काम करें, तभी हम इस चुनौती का मुकाबला करने में सफल होंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बखला, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री जोवाकिम बखला: अध्यक्ष महोदय, जो सामग्री मिली है, उसे सही तरीके से बांटने का काम जो हमारे ऊपर है, गुजरात की सरकार के ऊपर है उसे हमें निभाना चाहिए। सामग्री बांटने में जो खामियां या कमियां बताई गई हैं, मैं समझता हूं कि गुजरात सरकार को उनमें सुधार करने का काम करना चाहिए। जो हमारे विपक्ष के साथियों ने कही हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री हरिभाई चौधरी।

[हिन्दी]

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): अध्यक्ष महोदय, जहां यह महाप्रलयकारी भूकम्प आया, उसके पड़ोस में मेरा संसदीय क्षेत्र बनासकांठा कच्छ के बाजू का जिला है।

सायं 6.00 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

26 जनवरी के दिन सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर भूकम्प आया, इसके बारे में सभी संसद सदस्यों ने बताया है। इस भूकम्प से 21 जिले, 182 तालुकें जिनमें 7,900 से अधिक गांव हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं। 26 जनवरी के दिन हम ध्वजवंदना के लिए पालनपुर के मुख्यालय में थे, सभी जिलों के मुख्यालय में पालक मंत्री भी रहते हैं, उसी समय मुख्यमंत्री के कंट्रोल से जानकारी मिली कि बड़ा भारी भूकम्प आया है। वहां पर जो भी अधिकारी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री हरिभाई चौधरी]

मौजूद थे, उन सबको इसकी सूचना दे दी गयी। तुरंत रापड़ के बाजू में दो तालुकें राधनपुर और सांतलपुर जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र में है, वहां सुबह साढ़े 12 बजे एक कैम्प डालकर रापड़ और भचाऊ से जो भी जख्मी आते थे, उनके उपचार के लिए काम चालू कर दिया। सबसे ज्यादा काम गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट ने किया। उन्होंने फ्री सर्विस में लोगों को आने-जाने की व्यवस्था की। सूरजबाड़ी के पुल का जो नुकसान हुआ, उसके बाद सभी यातायात मेरी कांस्टीट्ऐंसी सातंलपुर और राधनपुर से होता था। वहां कम से कम आठ हजार से ऊपर जख्मी लोगों का हमने उपचार किया। न केवल राधनपुर में बल्कि राधनपुर के बाद डीसा में सिविल हास्पिटल, असाली हास्पिटल, सिविल हास्पिटल पालनपुर में, महाजन हास्पिटल, आई हास्पिटल आदि में सभी प्राइवेट डाक्टर ड्यूटी पर लगातार तीन दिन तक आठ हजार से ज्यादा जख्मी लोगों का उपचार करते रहे। यह सब काम हमारी कांस्टीट्ऐंसी में हुआ। हमने लोगों की बात भी सुनी तथा जो पीड़ित लोग थे, उनकी तीन दिन तक सेवा की। उस समय उन्होंने हमें बताया कि ऐसी सेवा कभी भी नहीं हुई। आज कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सरकार ने सहायता नहीं की जबकि मेरा कहना यह है कि 8 बजकर 45 मिनट पर यह भूकम्प आया तो वहां साढ़े नौ बजे से राहत का काम चालू कर दिया। जब हमें संदेशा मिला तो हमने साढ़े बारह बजे राधनपुर में राहत का काम चालू कर दिया। मेरा कहना यह है कि सभी की नजर कच्छ जिले के ऊपर है क्योंकि वहां कस्बे में काफी नुकसान हुआ है। भूकम्प का व्याप्त असर 800 किलोमीटर एरिया में है। मैं खुद भी भचाऊ, आदिपुर, गांधीनगर आदि सभी जगह गया। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि सभी का ध्यान कच्छ जिले के ऊपर है जबकि मेरे संसदीय क्षेत्र के सांतलपुर और राधनपुर की आठ तालुकों में 452 गांव में इस भूकम्प का असर है। वहां कम से कम 66 लोगों की मृत्यु हुई है और सांतलपुर में 40 गांव पूरे के पूरे ध्वस्त हो गये हैं। मेरे जिले के कांकरेज नियोदर भामर में भी 30 गांव पूरे के पूरे ध्वस्त हो गये हैं। वहां 7000 मकान गिर गये हैं। 800 प्राथमिक शालाओं के कमरे भी गिर गये हैं। उन शालाओं के बच्चे आज भी बाहर बैठे हुए हैं। मैं यह सब इसलिए कहना चाहता हूं कि सभी का ध्यान गुजरात पर है जबकि मेरे जिला बनासकांठा कच्छ जिले के बाजू में है जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, की तरफ नहीं हैं। मेरे बनासकांठा संसदीय क्षेत्र के 11 तालुकों के 452 गांवों में जो असर हुआ है, उसके ऊपर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार ने उनके पुनर्निर्माण के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए उनको पैसा दिया है। वहां किसी प्रकार की राहत की असुविधा नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो भी मांगा, वह उन्होंने दिया है लेकिन फिर भी रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन के लिए हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इस वाद-विवाद में पांच और वक्ता भाग ले रहे हैं। फिर माननीय मंत्री जी को उत्तर देना है। अत: क्या यह सभा की राय है कि सभा का समय एक घंटा, अर्थात् 7 बजे तक बढ़ा दिया जाए?

कुछ माननीय सदस्य: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, सभा का समय, एक घंटा और बढ़ा दिया जाता है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी। वैसे तो अटल जी ने गुजरात के भूकम्प के रिलीफ के बारे में बताया है। विपक्ष के लोगों ने हमको जो परेशान करने की कोशिश की थी, उसका जवाब भी अटल जी ने दे दिया है। इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन एक गुजराती होने के नाते, जूनागढ़ मेरी कौन्सटीटूऐंसी है, मैं वहां से चौथी बार चुन कर आई हूं, मैं इस सभा में दस साल से उन लोगों के कारण आई हूं। मैं एक बात कहना चाहती हूं कि मेरी कौन्सटीटूऐंसी में आठ लोगों की मृत्यु हो गई। सरकार की ओर से जो भी मिलना था, वह तुरन्त ही पूरा मिल गया। 556 गांव अफैक्टेड हैं जिनमें बहुत सारी छोटी झुग्गी-झोंपड़ियां गिर गई हैं। उनका सर्वे हो चुका है। मैं भी मालिया, भचाव, भुज, गांधी धाम, रापर, अंजार आदि सब जगहों का दौरा करके 29 तारीख को आई थी। जब अहमदाबाद गई, तीसरे ही दिन आंध्र प्रदेश से श्री जितेन्द्र रेड्डी अपनी पूरी टीम लेकर वहां आए थे। उन्होंने भी मदद की। डाक्टरों की पूरी टीम आई थी। मुझे यह बात कहने में बहुत खुशी होती है कि मेरे पति डा. देवराज चिखलिया सर्जन हैं। वे पूरी टीम को लेकर दो दिन बाद तुरंत वहां पहुंचे और जो भी मदद करनी थी, वह की है। गुजराती होने के नाते मैं यह कहने में गौरव महसूस करती हूं कि हमारे आदि कवि नरमद ने कहा था—'जय-जय गरवी गुजरात। उन्होंने कहा था कि यह इतिहास है, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राष्ट्र पुरुष गुजरात ने दिए थे। ऐसे ही हम आदि कवि श्री नरसिंह मेहता को याद करते हैं, दयानन्द सरस्वती को भी याद करते हैं। गुजरात ने इस देश और दुनिया को हमेशा दिशा दी है। मैं हर उस व्यक्ति की आभारी हूं जिसने गुजरात की मदद की है। मैं कहना चाहता हूं—एक अकेला थक जाएगा, मिल कर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना।

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया): उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के भूकम्प ने हम सभी का दिल दहला दिया है। उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है, उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है; उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अत: देश के सभी राज्य, भारत सरकार, सरकारी उपक्रम और भारत के अलावा 51 अन्य देश भी, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय तक गुजरात की सहायता के लिए आगे आए हैं।

गुजरात भारत में दूसरा सबसे विकसित राज्य है। यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत और हमारे औद्योगिक विकास का 11 प्रतिशत योगदान करता है। अत: गुजरात को हुई हानि से न केवल गुजरात प्रभावित हुआ है बल्कि पूरा देश भी प्रभावित हुआ है।

इस सभा के कई नेताओं और माननीय सदस्यों ने गुजरात का पुनर्निर्माण करने के बारे में विभिन्न तरह से बोला है। हमें ऐसी गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने का बहुत कम अनुभव है। हमें बाढ़, चक्रवात और सूखे का मुकाबला करने का अनुभव है परन्तु ऐसी गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने का हमें बहुत कम अनुभव है। अत: जब भूकम्प आया तो गुजरात सरकार को बहुत हानि हुई इसलिए विभिन्न स्थानों पर राहत सामग्री पहुंचाने के सम्बन्ध में समन्वय की कमी हुई।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि भेदभाव किया गया था। परन्तु गरीब-अमीर, गाँव और शहर के आधार पर जान-माल की हानि के संबंध में कोई भेदभाव नहीं हुआ। परन्तु यह सूचना मिली है कि गांवों के सुदूर कोनों में और उन गांवों में जो राष्ट्रीय राजमार्ग से दूर स्थित हैं, राहत सामग्री काफी देर से पहुंची और ऐसी सामग्री केवल शहरी क्षेत्रों इत्यादि में पहुंची। मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसा भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

मुझे खुशी है कि आज माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि अतिशीघ्र एक स्थायी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की घोषणा की जाएगी। इससे हमें भविष्य में होने वाली ऐसी आपदाओं में मदद मिलेगी। प्रत्येक वर्ष हम देश के कुछ भागों में सूखा का सामना कर रहे हैं और कुछ अन्य भागों में बाढ़ का सामना कर रहे हैं और स्थायी विपत्ति प्रबंधन प्राधिकरण जैसी स्वतंत्र संस्था की स्थापना की जानी चाहिए। संसद में इस कार्य के लिए कुछ अधिनियम बनाए जाने चाहिए ताकि जब कभी ऐसी प्राकृतिक आपदा हो, तुरन्त उन मसलों पर कुछ राहत सामग्री भेजी जा सके। जिला स्तर पर प्राकृतिक आपदा कोष बनाया जाना चाहिए ताकि जिला स्तर पर ही कुछ राहत सामग्री भेजी जा सके।

[हिन्दी]

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, 26 जनवरी के ऐतिहासिक अवसर पर गुजरात के 21 जिलों में, 182 तालुका में और 8000 गांवों में भूकम्प का भयानक प्रकोप आया, क्षति हुई। सरकार ने वक्तव्य में ठीक कहा कि 19000 लोग मारे गये, 1.67 लाख जख्मी हुए, 1.65 लाख पक्के मकान और 1.63 लाख कच्चे मकान पूर्णतया ध्वस्त हो गये। 4.60 लाख के लगभग पक्के और 3.15 लाख के लगभग कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए। कुल मिलाकर 21 हजार करोड़ रुपए की क्षति हुई है। इस अप्रत्याशित त्रासदी के अवसर पर सम्पूर्ण देश ने और विदेशों ने मिलकर सहायता दी। निश्चित तौर पर सभी ने सराहनीय काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा कि लगा कि जान-माल की भले क्षति हुई हो, इन्सान भले मरा हो, लेकिन इन्सानियत मरी नहीं है, मानवता मरी नहीं है और जब तक मानवता जिन्दा रहेगी, भले हम प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सके, लेकिन प्राकृतिक आपदा से जो क्षति होती है, उसकी हम भरपाई कर सकते हैं, उस नुकसान को भरा जा सकता है। सारा सूचना तंत्र, संचार तंत्र, यातायात की व्यवस्था वहां ध्वस्त हो गई थी, बावजूद इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकारों ने जो त्वरित गति से कार्य किया, वह प्रशंसनीय है।

लेकिन अब आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चला है। मुझे करीब 30 वर्षों से ज्यादा संसदीय जीवन का अनुभव रहा है और लम्बे समय तक सरकार और प्रतिपक्ष में भी रहने का मौका मिला है। मैंने अपने तजुर्बे के आधार पर देखा है और पाया है कि जब इस तरह की कोई घटना घटती है तो आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। गत वर्ष उड़ीसा में घटना घटी, साइक्लोन आया, उसमें व्यापक रूप से जान-माल की क्षति हुई। वहां के सत्ता पक्ष ने कहा कि बहुत अच्छा काम किया है और प्रतिपक्ष ने कहा कि अपेक्षित काम नहीं हुआ है। ऐसे समय एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप-प्रत्यारोप करती है, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष पर और प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष पर और यदि कहीं केन्द्र और राज्य में अलग-अलग पार्टी की सरकारें होती हैं तो केन्द्र सरकार, जिस राज्य में घटना घटती है तो केन्द्र सरकार यदि दूसरी पार्टी की है तो वह राज्य सरकार पर आरोप लगाती है और राज्य सरकार कह देती है कि केन्द्र सरकार हमें अपेक्षित मदद नहीं दे पाती है, जिससे एक बड़ा रोंग मैसेज जाता है, गलत संदेश जाता है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यहां कई-कई तरह के सुझाव आए और कहे गए, पाटिल साहब ने, हरिन पाठक जी ने, सोमैया जी ने और दूसरे सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए, लेकिन मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैंने सरकार की रिपोर्ट देखी है और गुजरात सरकार के सूचना निदेशालय से जो बुकलैट

[श्री रामजीवन सिंह]

बंटी है, उसको भी देखा है। उसमें कृषि में क्या क्षति हुई, इसका उल्लेख नहीं है। पाटिल साहब ने भी इसका जिक्र किया है कि कृषि क्षेत्र में भी क्षति हुई होगी, सिंचाई की व्यवस्था भी डिस्टर्ब हुई होगी, ट्यूबवैल भी खत्म हुए होंगे और किसान भी प्रभावित हुए होंगे। इसलिए उनको भी राहत देने का समुचित काम करना चाहिए। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि किसानों को अविलम्ब कम ब्याज पर ऋण देकर उनकी मदद की जाए।

यहां आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ है, मुझे लगा कि शायद कहीं न कहीं मशीनरी में दोष है, क्योंकि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप शुरू हों तो अनुभव बताता है कि कहीं न कहीं मशीनरी में दोष है। कोई भी जनवादी सरकार आपदा में राजनीति नहीं करना चाहेगी। जो जनप्रतिनिधि होगा, निश्चित तौर पर चाहेगा कि उस वक्त हम ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएं और लोगों को रिलीफ देने का काम करें, जिससे जनहित में वह उपयोगी हो। लेकिन जब रिलीफ समुचित रूप से उन तक पहुंच नहीं पाती तो फिर आरोप-प्रत्यारोप की अंगुली उठती है। इसलिए लगता है कि कहीं न कहीं मशीनरी में दोष है। 50 वर्षों में राज बदलता रहा। यह संयोग है कि कोई भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल ऐसा नहीं है जो कभी न कभी सत्ता पक्ष या विपक्ष में न रहा हो। चाहे एक पार्टी का राज हो या संयुक्त दलों की सरकार हो। लेकिन 50 वर्षों में राज तो बदलता रहा, मशीनरी को बदलने का काम नहीं किया गया। इसी मशीनरी के आधार पर जब हम कोई काम चलाते हैं तो उसमें त्रुटियां आती हैं और सरकार को दोष दिया जाता है। राज बदलने से मिजाज बदलता नहीं है तो उसमें त्रुटियां आती हैं और सरकार को दोष दिया जाता है। राज बदलने से मिजाज बदलता नहीं है और जब तक मिजाज नहीं बदलेगा तब तक हम जो काम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए मशीनरी बदलने का काम हो।

मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जब अप्रत्याशित घटना होती है, जैसे साइक्लोन हो या बाढ़, तो बाढ़ की हम अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन भूकम्प के बारे में नहीं सोच सकते। सभी पक्ष के लोगों की तरफ से यह सही कहा गया कि न तो वैज्ञानिक और न ही ज्योतिषी या भविष्यवक्ता इसके बारे में बता सकता है। कभी-कभार कुछ सच निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन इसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। यहां पर हरिन पाठक जी ने और पाटिल साहब ने कहा कि जिला स्तर पर इस तरह का यंत्र होना चाहिए जैसे बुलडोजर हो, कटर मशीन हो ठीक है लेकिन व्यवस्था के लिए जो कहा जाता है कि स्थाई मशीनरी या तंत्र बनाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने भी इस तरफ इशारा किया है। केन्द्र में भले अपना लें, राज्यों में नहीं। पाटिल साहब ने कहा कि अलग से आटोनॉमस बाडी बनानी चाहिए चुनाव आयोग की तरह, जो अलग से इस काम को करे लेकिन इस तरह से तो प्रशासनिक खर्चा बढ़ता चला जाएगा। मेरा राज्यों के बारे में विचार है कि सभी राज्यों में राज्यपाल हैं। ऐसे वक्त पर जब कोई घटना घटित हो तो कुछ ही घंटों में राज्यपाल महोदय के नेतृत्व में सर्वदलीय समिति बनाई जाए और मशीनरी उस तरह से काम करे जैसे चुनाव के समय चुनाव आयोग के अधीन करता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जब 26 जनवरी को गुजरात में भूकम्प आया तो मैं उस समय दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक पहाड़ी क्षेत्र में था। महाराष्ट्र सरकार ने प्राकृतिक आपदा के लिए एक योजना संत गाडगिल महाराज जी के नाम से लागू की है। इसको ग्राम सुधार योजना कहा जाता है। इसमें गांवों द्वारा योगदान दिया जाता है। मुझे खुशी है कि मेरी तहसील की दो ग्राम पंचायतों को राशि देने में पहला और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे यहां प्रमुख पावणे स्वरूप सिंह नाईक थे, जो आदिवासी विकास योजना के कर्णधार थे। गुजरात में आए भूकम्प के बारे में मुझे उस रोज बिल्कुल भी मालूम नहीं हुआ।

बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि क्या हुआ। दूसरे दिन जब अखबार देखा, तो मालूम हुआ और मैं स्नान करना भूल गया। कलैक्टर को फोन किया, इधर-उधर फोन किया, फिर परमेश्वर को नमन किया। व्यापारी लोगों ने, सब लोगों ने, तहसील के डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर ने अच्छी तरह से काम किया। बुलडोजर आदि ज्यादा से ज्यादा राहत दी गई।

महोदय, यह बात अलग है, गुजरात अब अलग राज्य है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात एक थे। भाई-भाई की तरह थे, उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। बाहर के लोगों ने जो मदद की है, उनको हम कृतज्ञतापूर्वक आभार प्रकट करते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं, लातूर में जब घटना घटी थी, तो पाटिल साहब और शरद राव जी ने बहुत अच्छा काम किया था। भारत सरकार ने शरदराव पवार जी को आपदा कमेटी का मुखिया बनाया था। ऐसी स्थिति में हमारे देश के लोगों को मदद करनी चाहिए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में बहुत बड़ा संकट आया है और वहां के लिए सहायता हम सब लोगों को मिलकर करनी चाहिए। इस प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करने के लिए सरकार के पास जो मशीनरी होती है, उस मशीनरी का जल्दी से जल्दी उपयोग करके लोगों को बचाना चाहिए। यदि गुजरात की सरकार ने, केशुभाई की सरकार ने थोड़ा जल्दी काम किया होता, तो और भी लोगों की जिन्दगी बचाई जा सकती थी। लेकिन गुजरात की सरकार ने थोड़ा ठीक काम नहीं किया है। राज्य के लोगों को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है।

26 जनवरी का दिन था, तिरंगा झंडा लहरा रहा था, मगर
सारा कच्छ गिर रहा था।
सारी धरती हिल रही थी और सारी इमारतें मिट्टी में मिल रही
थीं।
बच्चों की आवाज गूंज रही थी कि झन्डा ऊंचा रहे हमारा,
भारत देश हमें है प्यारा।
भारत देश हमें है प्यारा, बह रही थी खून की धारा।
बह रही थी खून की धारा, जाग गया भारत सारा।

महोदय, गुजरात में जो प्राकृतिक आपदा आई है, उसके लिए सारा देश जाग गया है। मैं एक सुझाव राष्ट्रीय स्तर पर बनी आपदा कमेटी के बारे में देना चाहता हूं।

इस कमेटी को थोड़ा सीरियस होने की आवश्यकता है। ऐसी आपदा आने के बाद कमेटी बनती है। हम चर्चा करते हैं और चर्चा करके छोड़ देते हैं। बाद में जब फिर आपदा आती है तो हम लोग जागते हैं। इस तरह से जागना ठीक नहीं है। मैं वहां दो बार होकर आया हूं। मैं गुजरात में एक-दो तारीख को था, उसके बाद 24 और 25 तारीख को था। हमने आरपीआई की ओर से 50 लाख रुपये एनाउंस भी कर दिए, वह हम दे रहे हैं। मैं वहां कई गांवों में घूमा हूं। वहां दलित, समाज के लोगों की शिकायत है कि हमारे यहां सरकार की तरफ से जो भी सामान आता है वह हमें ठीक ढंग से नहीं मिलता है। इसमें कोई राजनीति लाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसी आपदा होने के बाद वहां के दलित मुसलमान, हिन्दू, आरएसएस वाले हों, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले हों या किसी भी पार्टी के हों, सभी पार्टी के लोग और हमारे देश की सारी जनता इसका सामना करने के लिए एक हो जाती है। ऐसी आपदा होने के बाद एक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम अलग-अलग हो जाते हैं, यह हमारे देश में हमेशा होता रहा है।

महोदय, मेरा निवेदन है कि ऐसे वक्त अगर हम सब लोग एक होते हैं तो हमेशा एक रहने की जिम्मेदारी और सब लोगों को एक रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। यह अटल जी की जिम्मेदारी है और अटल जी, अगर इसे निभाने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर आप जगह छोड़ दें।...*(व्यवधान)* आप इस जगह को छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अटल जी का जो भाषण है, उसके बारे में हमारी अच्छी भावना है, वह चाहे बीजेपी की पार्टी के क्यों न हो, लेकिन आज उन्होंने जो भाषण गुस्सा करते हुए दिया, अटल जी को इतने गुस्से में आकर भाषण करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो शिकायत आती है वह तो हम आपको बताएंगे, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर इस तरह का भेदभाव हो गया है तो इसकी जांच करने की आवश्यकता है, इस काम को आपको करना चाहिए। हमारा जो भी काम है उसे हमें करना चाहिए। बहुत से गांव बर्बाद हो चुके हैं। साढ़े छः लाख से भी ज्यादा मकानों का नुकसान हुआ है और 17549 मृतकों के जो आंकड़े हैं, इस बारे में हमारा इतना ही कहना है कि इसकी इंकवायरी होने की आवश्यकता है। जो लोग डेड बॉडीज निकाल रहे थे और उन्हें जलाने का काम वहां हो रहा था, ये आंकड़े ज्यादा हैं। कम से कम 40-50 हजार तक लोगों की संख्या होने की संभावना है। इसलिए इन लोगों के बारे में और अधिक जानकारी लेने का प्रयत्न करना चाहिए। केशुभाई जी को हटाने से हमारी सरकार आने वाली नहीं है, सरकार तो आपकी ही रहेगी।...*(व्यवधान)* केशुभाई जी के वहां ज्यादा दिन तक रहने से हमें फायदा ही है, उन्हें वहां रखो। उनके वहां ज्यादा दिन तक रहने के बाद में वहां आपकी सरकार जाने वाली है और इनकी सरकार आने वाली है। उन्हें हटाने का मतलब नहीं है। वहां जो कुछ हुआ है, उसके लिए हम पार्टी की ओर से सभी मृतकों को संवेदना प्रकट करते हैं और नीतिश कुमार जी से मदद की अपेक्षा करते हैं।

उपाध्यक्ष जी, सरकार ने जो 500 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की है और उससे भी ज्यादा की घोषणा उसे करनी चाहिए। वहां का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसमें भी रिलैक्सेशन करने की आवश्यकता है और वहां जो जमीन है उसे गरीबों को देने की आवश्यकता है। इस मांग के बारे में भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

डा. डी.वी.जी. शंकर राव (पार्वतीपुरम): उपाध्यक्ष महोदय, पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है। भूकम्प जो गुजरात में पिछले माह आया था इसका स्वरूप अत्यन्त तीव्र था और अत्यन्त विनाशकारी था। इससे भारी जानमाल की क्षति हुई। हजारों लोग मर गए और लाखों लोग घायल हुए। इसमें कुल डेढ़ करोड़ लोग प्रभावित हुए। अपने दल टी.डी.पी. की और अपने राज्य आन्ध्र प्रदेश की ओर से मैं प्रभावित परिवारों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं।

[डा. डी.वी.जी. शंकर राव]

यह नोट करके बहुत खुशी हुई कि लगभग सभी राज्यों, संघ सरकार और गैर-सरकारी संगठनों और बच्चों सहित वैयक्तिक प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सहृदयता करने के लिए आगे आए हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चन्द्रबाबू नायडू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सहायता प्रदान की। उन्होंने चिकित्सीय दल और वस्त्र भेजे। सशस्त्र बलों द्वारा किये गए बचाव कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय हैं।

इस त्रासदी ने हमारे देश में इस प्रकार की आपदाओं से निपटने की तैयारी के अभाव की पोल खोल दी है। उच्च स्तर की तत्परता की आवश्यकता है। आपदा राहत कोष में भी बढ़ोत्तरी किये जाने की आवश्यकता है।

मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री सवशीभाई मकवाना (सुरेन्द्रनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां भूकम्प का ज्यादा असर है। सुरेन्द्र नगर जिला जो कच्छ के बाजू में है। राजकोट, जामनगर जिले में नुकसान हुआ है। सुरेन्द्र नगर की 10 तहसीलें हैं और उनमें गांव के गांव ध्वस्त हो गये हैं और वहां सूखा पड़ा हुआ है और उन गांवों के लोग आज तंबू में डेरा डाले हुए हैं। आज उनके लिए रोजी-रोटी की समस्या है। हम दो साल से कहते आ रहे हैं कि इन लोगों को जहां सूखा पड़ा हुआ है रोजी-रोटी मिलनी चाहिए। आज गुजरात में 40 रुपये में रोटी नहीं मिलती है, भोजन नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है तथा पशुओं के लिए घास नहीं मिलती है। हमारे यहां कांग्रेस अध्यक्षा आई थीं और काफी लोगों ने इस बारे में उनसे शिकायत की थी। माननीय केशूभाई पटेल के शासन को मैं शासन नहीं कहूंगा। वहां भेदभाव हो गया है। अगर सर्वदलीय पार्टी आती तो मैं अपनी बात साबित करने को तैयार हूं। मैं 18 दिन तक सारे क्षेत्र में घूमा हूं और सुरेन्द्र नगर तहसील के पाटली गांव में भेदभाव को खुद मैंने देखा है।

मैं धरती पर रहने वाला आदमी हूं। मैं इस सदन के सभी दलों से कहना चाहता हूं कि गुजरात के शासन को सुधारा जाए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में रोजी-रोटी के साधन मिल जाते हैं लेकिन गुजरात में काम मांगा जाता है तो काम नहीं मिलता। वहां अब धीरे-धीरे काम का विस्तार होने लगा है लेकिन हजारों-हजार लोगों को हाजरी भरने के लिए पन्ने नहीं मिलते। वहां का ऐसा शासन है। आप वहां जाकर इसे देखिए।...*(व्यवधान)* मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैं सच्ची बात कहने वाला आदमी हूं। मेरी आत्मा कहती है कि इसके परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। वहां पड़े सूखे से निपटा जाए।...*(व्यवधान)* मैं पहली मर्तबा बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे डिस्टर्ब न किया जाए। मेरी प्रार्थना है कि इसमें राजनीति न की जाए। गुजरात के कई जिलों में सूखा पड़ा है। पहले वहां के लोगों को भूकम्प ने मार दिया। अब वे सूखे से धीमी मौत मर जाएंगे। मेरी सदन, केन्द्र सरकार और गुजरात सरकार से विनती है कि वह सूखे से निपटे। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने पहली बार मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): उपाध्यक्ष महोदय, कच्छ, भुज के बाद सुरेन्द्रनगर आता है और सुरेन्द्रनगर के बाद अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट आता है। ये सभी इलाके भूकम्प से प्रभावित हुए। मेरे क्षेत्र में तीन दिन पहले जमीन कटी और जमीन में से पानी निकला। वहां आज भी जमीन से भाप निकल रही है। आज भी धोलका ताल्लुका और बालमेरा में जमीन के अन्दर से आवाज आती है। गुजरात के लोग आज भी अपने घरों से बाहर रहते हैं। वहां के कई क्षेत्र में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं। मेरे क्षेत्र में भूकंप के कारण अधिकतर मकान गिर गए। मैं यह बात जरूर कहूंगा कि वहां जान-माल की हानि नहीं हुई लेकिन मकान गिर गए। आज भी वहां डरावना माहौल है। मेरे साथियों ने जो बात कही मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। गुजरात सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं वहां के लोगों की मदद कर रही हैं। वहां के लोगों को रहने और खाने-पीने की सुविधा मिल रही है। भूकम्प के साथ एक दर्दभरी कहानी भी जुड़ी है। मानसी बिल्डिंग सारे हिन्दुस्तान और पूरी दुनिया में फेमस हो गई। वह बिल्डिंग मेरे घर से पांच मिनट की दूरी पर है। वहां 70 लोगों की मौत हो गई थी। वहां के लोगों के ऊपर मलबा गिर गया था। एक मां और बच्चा जो मलबे के नीचे दबे थे, मां अपने बच्चे से कहती है कि बेटा, अभी हम दबे हुए हैं। बेटा मां से कहता है कि मां, मुझे निकालो। मां उसे कहती है कि बेटा, सुबह तक निकल जाएंगे।

एक घंटे के बाद आवाज आनी बंद हो गई। मां ने सोचा कि बेटा बाहर निकाल दिया गया है लेकिन दूसरे दिन जब मां बाहर निकली तो मालूम हुआ कि उसका बेटा अस्पताल में है। जिस तरीके की दुखद स्थिति वहां बन गई, उसके लिए मुझे कहना पड़ा रहा है। दलितों के संबंध में यहां बात की गई। हमारे गुजरात में दलितों के लिए केवल दो सीटें—पाटण और धंधुका हैं। जब दलितों के संबंध में गलत बातें बाहर जाती हैं तो हमारा बहुत ही अपमान होता है। जब विदेशों में यह बात गई तो उन लोगों ने मदद देना रोक दिया। कारण, जो प्रचार किया गया कि दलितों को वहां कुछ नहीं मिलता है, इसलिए भेजी जाने वाली मदद रुक गई। मैंने कल रिक्वैस्ट की थी कि यदि पार्टी की छवि बिगड़ जाये तो वह दुरुस्त हो जाती है लेकिन यदि समाज और देश की छवि बिगड़ जाये तो उसे सुधारना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि जाति विशेष का नाम लेकर हमारे लिए अपमान पैदा मत करें।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग पिछड़े हुए मान लिये गये हैं। हमें हर कोई मदद करने के लिए तैयार है। हालांकि गुजरात में गरीब लोगों के पास सफेद और लाल कार्ड मिला हुआ है लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि अब कार्ड की जरूरत नहीं है। चाहे अमीर हो, गरीब को, सबको एक साथ लाइन में लगकर सामान मिलेगा। इसलिए 5 किलो चावल और 20 किलो गेहूं दिया गया है। यदि कोई नहीं लेना चाहता है तो भी उसे जबरदस्ती दिया गया है और यह कहा गया कि यदि जरूरत नहीं तो पशुओं को डाल दीजिए। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जिन लोगों के घर में अनाज नहीं दिया गया है, वहां उपलब्ध कराया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मुझे तो बस इतना ही कहना है कि:

आओ हम सब मिलकर, गुजरात का पुन:निर्माण करें।
टूटे हुए दिलों का हौसला बढ़ाए।
उजड़े हुए कुनबों को संभालें
बिखरे तिनकों से घोसला बनायें।
हे प्रभो, विनती है हमारी
ऐसा कहर फिर न बरपायें।

[अनुवाद]

डा. बी.बी. रमैया (एलूरु): उपाध्यक्ष महोदय, भूकम्प ऐसा मामला है जिस पर हर व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता है दोष देना आसान है लेकिन उसे सिद्ध करना अत्यन्त कठिन है। गुजरात में भूकम्प एक मिनट से भी कम समय के लिए आया था।

पहला, चक्रवात के मामले में हमारे पास उपग्रह प्रणाली है जो पूर्व चेतावनी देता है। हम कुछ बचाव कर सकते थे अथवा उसका मुकाबला करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकते थे लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते थे। भूकम्प की स्थिति में भी हमें कुछ वैज्ञानिक व्यवस्था का पता लगाना होगा ताकि हम इसके घटित होने से पहले इसका पता लगा सकें किसी प्रकार की व्यवस्था को विकसित करना पड़ेगा।

दूसरा, माननीय सदस्यों जिन्होंने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है क्या धनराशि का उचित रूप से उपयोग किया गया है अथवा नहीं किया गया है और राहत कार्य किस प्रकार चल रहा है। निसन्देह, सर्वदलीय समिति गठित की जानी चाहिए ताकि धनराशि का उचित प्रयोग किया जाए और किसी को दोषी न ठहराया जाए। जापान में बारंबार भूकम्प आते हैं लेकिन वे इसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। वे उस क्षेत्र का पुनर्निर्माण और विकास करने के लिए समर्थ हैं। हमें भूकम्प रोधी मकान बनाने के लिए जापान से कुछ सलाह लेनी चाहिए। हमें उनके द्वारा प्राप्त किये गये अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए।

तीसरा, राष्ट्रीय आपदा समिति जिसका गठन किया गया है को भूकम्प, चक्रवात, सूखा और बाढ़, का ध्यान किए बिना सभी पहलुओं की छान-बीन करनी चाहिए। देश में हर उस व्यक्ति और पूरे विश्व ने भूकम्प से प्रभावित लोगों के प्रति उचित प्रतिक्रिया और सहानुभूति व्यक्त की है। हमें प्रभावित लोगों की उचित देखभाल करनी चाहिए। हमें भविष्य में ऐसी चीजों से बचने के लिए कदम उठाने चाहिए। यदि हम इसे रोक नहीं सकते हैं तो हमें वह कदम उठाने चाहिए, जिससे उन लोगों को कैसे बचाया जा सके, किस प्रकार अविलम्ब राहत प्रदान की जाए और किस प्रकार उपलब्ध धनराशि का प्रभावी उपयोग किया जाए।

मैं सुझाव दूंगा कि रामकृष्णन मिशन की तर्ज पर धर्मार्थ संस्थाएं जो जरूरतमन्दों की सहायता करने के लिए समर्पित है, भूकम्प आदि के शिकार लोगों की देखभाल करने के लिए ऐसी संस्थाएं बनाई जानी चाहिए।

श्री के. पी. सिंहदेव (ढेंकानाल): उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में भूमि के अन्तिम छोर से, भगवान जगन्नाथ की भूमि से आते हुए मैं पश्चिम में भूमि के अन्तिम छोर भगवान सोमनाथ के लोगों को अपनी संवेदनाएं, शोक, एकजुटता दर्ज कराना चाहता हूं। मैं उड़ीसा अथवा गुजरात कहना नहीं चाहता, वे सभी भारतीय हैं।

प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है और माननीय कृषि मंत्री के वक्तव्य से जिसे माननीय गृह मंत्री के मार्फत सभापटल पर रखा गया था मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और स्पष्टीकरण चाहता हूं क्योंकि इस सरकार—ने स्मार्ट सरकार-साधारण, नैतिक सुगम्य, प्रतिक्रियाशील और पारदर्शी होने का दावा किया है। अत: मैं पारदर्शी उत्तर चाहता हूं।

पहला प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया था कि उड़ीसा में 1999 के महाचक्रवात की विनाशता ने उन्हें स्थायी विपत्ति प्रबन्धन प्राधिकरण बनाने की प्रेरणा दी थी जिसकी विपक्ष के नेता और हमारे नेता द्वारा मांग की जा रही है।

[श्री के.पी. सिंहदेव]

यह अत्यन्त संतोषजनक बात है। उन्होंने उस सुझाव को स्वीकार कर लिया है। मैं जानना चाहता हूं इसके तन्त्र, उपस्कर, निकाय और प्रशिक्षित जनशक्ति का क्या हुआ। यहां दो दिन की चर्चा में हमें सुनने को मिल रहा है कि उड़ीसा में क्या हुआ कि प्रशासन के कुछ लोग अपने कर्तव्यों को छोड़कर भाग गए और वहां कोई प्रशासन नहीं था। अत: मैं उस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। इसके बाद प्रशिक्षित जनशक्ति का क्या हुआ? मैं अकाल संहिता के कारण यह पूछ रहा हूं यह बताया गया है कि वर्ष में दो बार प्रत्येक राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदा की बैठक बुलाई जानी चाहिए जिसकी अध्यक्षता जिलाधीशों द्वारा की जाती है।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने उड़ीसा में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का दूसरे चक्रवात के दौरान डेढ़ घंटे का दौरा किया था। जब वह पहले चक्रवात के दौरान वहां गए थे तो उनके पास मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी था और वह यहां से केवल दो केन्द्रीय मंत्रियों को साथ ले गए थे। उनके इस सदन में 14 महीने पहले की स्वीकारोक्ति में कहा था कि हर दिन के समय उन क्षेत्रों का दौरा भी कर सकें क्योंकि वह बचाव और राहत कार्य को प्रभावित नहीं करना चाहते थे। लेकिन यहां श्री नीतिश कुमार के प्रभावशाली वक्तव्य में यह कहा गया है कि कई केबिनेट मन्त्रियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं वहां गये थे ताकि राहत कार्य को तेज किया जा सके। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उड़ीसा के प्रति यह पक्षपातपूर्ण क्यों है अथवा क्या यह पक्षपात है?

हम अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, देश की सभी राज्य सरकारों और निजी दानकर्ता जिन्होंने राहत में दिल खोलकर अंशदान किया है के प्रति आभारी हैं। जहाँ हम भारत के पश्चिमी भाग के लिए दी गई सहायता के लिए आभारी हैं। तो जब उड़ीसा अथवा भारत के पूर्वी भाग पश्चिमी बंगाल, आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों पर आते हैं तो अड़चन क्यों उत्पन्न की जाती है? मैं इस प्रश्न का उत्तर भी चाहता हूं। महोदय, विपत्ति हर व्यक्ति के लिए समान है चाहे यह भारत का पश्चिमी भाग हो अथवा भारत का पूर्वी भाग हो। कष्ट बरबादी, मृत्यु विनाश और चोट हर जगह एक समान होगी। अत: मेरा चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो राष्ट्रीय विपदाओं का समानार्थी है और उसके जुड़े हुए हैं, ने वरिष्ठ नेताओं ने कहा है जिसे प्रेस में उड़ीसा के दैनिक पत्र दारित्री और 21 तारीख के अन्य समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है, कि पुराने कपड़े उड़ीसा के लिए तो ठीक हैं लेकिन भारत के पश्चिमी भाग अर्थात् गुजरात के लिए ठीक नहीं हैं।

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): उपाध्यक्ष महोदय, इस लम्बी चर्चा में माननीय प्रधान मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद बहुत कुछ बाद में कहना आवश्यक नहीं होता। लेकिन संसदीय परम्परा का निर्वहन करते हुए इस बहस में माननीय सदस्यों ने जो कुछ बातें कही हैं, उस सिलसिले में सरकार की तरफ से कुछ कहा जाना आवश्यक होता है। इसलिए मैं बहुत ही संक्षेप में कुछ बातें रखना चाहता हूं। चर्चा के दौरान कितने लोग मरे, इसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं। इस संबंध में कल तक के जो आंकड़े गुजरात सरकार के पास उपलब्ध थे, वे हमें आज प्राप्त हुए हैं, उनके हिसाब से 19727 आदमियों की डैथ हुई है और इसके साथ ही गुजरात सरकार ने सूचना दी है कि कच्छ इलाके के 232 लोग लापता हैं। उन लोगों ने इसके लिए विज्ञापन दे रखा है और वे लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि अगर उनकी जानकारी में कोई लापता या मिसिंग लोग हैं तो कृपया उनके बारे में सूचना दीजिए। इस प्रकार जो आंकड़े आ रहे हैं, उनसे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि जो यहां आशंका व्यक्त की गई है कि जितने लोग मरे हैं. उससे ज्यादा लोग मरे होंगे। किसी ने किसी ढंग के आंकड़ों का जिक्र किया है। खास तौर से रक्षा मंत्री के वक्तव्य की भी कई लोगों ने चर्चा की है।

उन्होंने अपनी आशंका जतलाई थी। शुरू-शुरू में जिस ढंग से डिवास्टेशन था और कोई वहां जाए और देखे तो उसको देखे उसको लग सकता है कि इतने मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं तो उस हालत में संभव है कि बहुत अधिक मौतें हुई होंगी। उन्होंने आशंका प्रकट की थी जिसका बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण भी दे दिया था। इसलिए यह बताना सदन को आवश्यक था कि गुजरात सरकार से तत्काल ये आंकड़े उपलब्ध हुए हैं।

इसके बाद कंपनसेशन दिये जाने के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। उन लोगों ने सूचित किया है कि मृत्यु की स्थिति में जो मुआवजा राशि या ऐक्सग्रेशिया पेमेन्ट दी है, कच्छ और सभी जगहों में कुछ मिलाकर 14 करोड़ रुपये की पेमेन्ट की है। कैश जो पेमेन्ट दी है वह 7,70,909 परिवारों को 51 करोड़ 83 लाख रुपये की पेमेन्ट हुई है। जो हाउसहोल्ड किट्स की चर्चा की गई, वह 3,12,870 परिवारों के लिए 29 करोड़ रुपये के मूल्य की दी गई। इस तरह से टैन्ट आदि का भी काफी इंतजाम किया गया है और हमारे पास उनके द्वारा उपलब्ध आंकड़े हैं। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, यहां पर कई बार उल्लेख किया गया था, हमने गुजरात सरकार के अधिकारियों के माध्यम से जो भी प्राप्त करने की कोशिश की है, लेकिन आंकड़ों में जहां तक टैन्ट का सवाल है, मैं स्वयं आंकड़े यहां नहीं रखना चाहता हूं, कल मुझे राज्य

सभा में दिया गया था, उसके आगे मैं नहीं देख रहा हूं कि उसके बारे में कोई खास जानकारी है। मोटे तौर पर लगता है कि टैन्ट आदि का प्रबंध जितना भी संभव हुआ है, उतना उन लोगों ने करने की कोशिश की है जिसमें बाहर से भी टैन्ट मिले हैं, राज्यों की तरफ से भी टैन्ट भेजे गए हैं और गुजरात सरकार ने भी प्रबंध किया है। टैन्ट ही नहीं, तारपोलीन का भी प्रबंध किया गया, जीसीआई शैड्स का भी प्रबंध किया है। इन सब चीजों के लिए जो भी संभव हुआ है, गुजरात सरकार ने करने की कोशिश की है।

एक बात कही गई कि कितनी सहायता वहां दी गई है। उसके संबंध में जो गुजरात को इस त्रासदी के पहले एक तो गुजरात के साथ दुर्भाग्य है कि वह सूखे की चपेट में है और इसी बीच में भूकंप आ गया और सूखे से निपटने के लिए जो एन.सी.सी.एफ. का गठन किया और गुजरात को मदद दी गई थी, वह 85 करोड़ रुपये की मदद भूंकम्प से पहले दी थी। एन.सी.सी.एफ की पहली बैठक में गुजरात के लिए जो रिपोर्ट थी, उसके आधार पर दिया गया और यह इस साल के लिए दिया गया क्योंकि आपको मालूम है कि 500 करोड़ रुपये की राशि से उसका निर्माण किया गया था। उसी में बंगाल के फ्लड के लिए भी और चार अन्य राज्यों में सूखे की स्थिति को देखते हुए यह राशि उनको दी गई थी लेकिन उसके बाद प्रधान मंत्री जी ने भूकंम्प के बाद 500 करोड़ रुपये की ऐडहॉक असिस्टेन्स की भी घोषणा की और प्रधान मंत्री राहत कोष से भी 10 करोड़ दिया गया। दूसरे राज्यों से जो सहायता दी गई है, प्रधान मंत्री जी ने सदन में ही अलग-अलग राज्यों का जिक्र रख दिया। हमारी स्टेटमेंट में किसी भी एक राज्य का उल्लेख नहीं था इसलिए रघुवंश जी चिन्तित थे। किसी एक राज्य का उल्लेख करना पक्षपात हो जाता। क्योंकि हम भी वहीं से आते हैं। इसलिए पूरी राज्य सरकारों का उल्लेख किया और कुल मिलाकर जो फिगर्स दी गई, उनके अनुसार 48 करोड़ 68 लाख रुपये की कुल सहायता मिली है। जहां तक बाहर से आई मदद का सवाल है, कुल 70 देशों से मदद आई जिसको प्रधान मंत्री जी ने सदन के पटल रख दिया। सब तरह की सहायता को मिलाया जाए तो मोटे अनुमान के तौर पर क्योंकि वह अलग-अलग करेन्सी में सहायता आई है, उसमें थोड़ा संशोधन की गुंजाइश होगी, लेकिन हमारे अधिकारियों ने उसका जो हिसाब लगाया है, उसके हिसाब से बाहर से जो सहायता कैश मिली है, ह्यूमेनिटेरियन असिस्टेन्स की कीमत तो आंकी नहीं जा सकती है, लेकिन भौतिक रूप से जो मदद दी है, उसका आकलन किया जाए तो कुल 175 करोड़ रुपये की राशि दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से कुछ मिलाकर 815 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मदद हुई है, लेकिन मदद यहीं तक सीमत रहेगी, ऐसी बात नहीं है। जहां तक सवाल है मेमोरेंडम का, मैं बताना चाहता हूं कि गुजरात सरकार का मैमोरेंडम भारत सरकार को प्राप्त हो गया है। जो पहले से परम्परा है, उसके हिसाब से सेंट्रल टीम भी कांस्टीट्यूट की जा रही है। उसका नेतृत्व कौन करेगा, वह भी तय किया जा चुका है। वह सेंट्रल टीम जाएगी और रिपोर्ट देगी। उसके ऊपर सरकार विचार करेगी। रिपोर्ट के आधार पर जो एन.सी.सी.एफ. है उसमें से और मदद दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जो दो प्रतिशत सरचार्ज लगाया गया है वह केवल गुजरात के लोगों को ही सहायता देने के ख्याल से नहीं लगाया गया है। आपको स्मरण होगा कि 11वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में यह अनुशंसा की थी कि एक एन.सी.सी.एफ. का गठन किया जाए और उसको 500 करोड़ रुपए के फंड से प्रांरभ किया जाए तथा सरचार्ज लगाकर उसको रिकूप करते रहा जाए। यह सरचार्ज उसी क्रम में लगाया गया है। उससे जो धन आएगा वह एन.सी.सी.एफ. को जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां गुजरात में जो सूखे का सवाल भी उठा है। एन.सी.सी. एफ. के माध्यम से गुजरात में जो सूखे की स्थिति है, उससे निपटने के लिए भी सहायता दी जाएगी और जब तक बरसात नहीं आती है तब तक सूखे की स्थिति देखकर बराबर मदद की जाएगी। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की ओर से गुजरात सरकार को जो भी संभव है, वह मदद दी जा रही है और दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बोलते-बोलते रघुवंश बाबू ने कुछ सवाल और उठा दिए हैं। वे तो सदन में भी भूकम्प लाने का प्रयास करते हैं। उनकी आवाज ही ऐसी है कि भूकम्प जैसी स्थिति हो जाती है। उन्होंने बिहार के हिस्से को केन्द्र सरकार द्वारा रिलीज न करने की बात कही।...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अरे हमने क्या कहा है, अखबार में छपा है, लाखों लोग जानते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: चूंकि चर्चा के दौरान उल्लेख हुआ है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि कैलेमिटी रिलीफ फंड के बारे में 11वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश में व्यवस्था की है और उसके आधार पर वित्त मंत्रालय की ओर से सारे देश के राज्यों को एक निर्देश जारी किया गया है कि जब तक राज्य अलग एकाउंट नहीं रखेंगे तब तक इस फंड के तहत पैसा रिलीज नहीं किया जाएगा। यह केवल बिहार के लिए नहीं, बल्कि सभी राज्यों के लिए है। एन.सी.सी.एफ. का पैसा भी सी.आर.एफ. के माध्यम से जाएगा। इसलिए एकाउंट खोलना बहुत ही आवश्यक है।

[श्री नीतीश कुमार]

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, उसकी तरफ से कहा गया है कि फ्लड के लिए पर्याप्त सहायता नहीं दी गई, यह ठीक नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि 500 करोड़ रुपए का फंड था उसमें से लगभग 103 करोड़ रुपए बंगाल में फ्लड से राहत के लिए दिए गए हैं। बाकी सभी जगह सूखे की स्थिति है। गुजरात का डिजास्टर तो बाद में आया है। दो प्रतिशत सरचार्ज तो बाद में लगाने की बात आई है। मैं कहना चाहता हूं कि जितना संभव हुआ है उतना केन्द्र सरकार की ओर से हर प्रकार का सहयोग किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, डिजास्टर मैनेजमेंट का मैकेनिज्म क्या हो, इस बारे में बोला गया है। अभी शिवराज जी पाटिल बोल रहे थे। मैं उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कांग्रेस के मैनीफेस्टो को उद्धृत किया। हमने कांग्रेस का मैनीफेस्टो मंगाकर देखा। हमने इस बात को कई बार सदन में प्रश्न के उत्तर के माध्यम से बताया है और अपनी समझ से जानकारी देने का प्रयास किया है कि गुजरात के पहले सुपर साइक्लोन आया। इससे पहले भी 1999 में ही भारत सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी श्री जे.सी. पन्त की अध्यक्षता में गठित की। उसमें एक्सपर्ट लोगों को इन्वाल्व किया गया कि जो नैचुरल डिजास्टर आते है उसके मिटीगेशन के लिए क्या व्यवस्था की जाए इसके बारे में सुझाव देने हेतु उक्त समिति का गठन किया गया है। यदि अचानक ऐसी बात हो जाए, तो उससे निपटने के लिए क्या सलाह दी जाए या क्या उपाय किए जाएं, इस पर अध्ययन करने के लिए वह समिति काम कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य से इसी दौरान बाढ़, सुपर साइक्लोन और भूकम्प जैसी घटनाएं हमारे देश में घटित हो गई। इस कमेटी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। दो अंतरिम रिपोर्ट दे दी हैं। समिति ने अपनी द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि नैशनल फंड फार नैशनल कैलेमिटी मिटीगेशन होना चाहिए।

शाम 7.00 बजे

उसमें लगातार लोगों को ट्रेनिंग देने का काम चलते रहना चाहिए ताकि जब कोई डिजास्टर आये, हम तुरन्त उसी समय हरकत मे आयें और लोगों को काम में लगायें। बाकी समय में हर स्तर पर ट्रेनिंग का काम होना चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको अलग-अलग विंग्स में कुछ ट्रेनिंग दी जाये, पैरामिलिट्री फोर्सेस में दी जाये और अगर नीचे आ जायें तो जो सिविल डिफेंस फोर्सेस हमारा है, सरकारी कर्मचारी हैं, एन.जी.ओज हैं, उनमें ऐसी व्यवस्था की जाए। उसके अलावा कम्युनिटी अवेयरनैस का भी प्रोग्राम है।

आपको यह भी मालूम है कि युनाइटेड नैशंस की तरफ से वर्ष 1990 से 1999 का दशक डिजास्टर रिडक्शन डिकेड के तौर पर मनाया गया है लेकिन भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम इसको आगे भी जारी रखेंगे और पिछले साल भी इसको मनाया जाता है। कम्युनिटी अवेयरनैस और प्रिपेयरनैस की थीम पर पिछले साल 11 अक्टूबर, 2000 को इसकी अवेयरनैस के लिए मैंने खुद सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। यहां पर उसके लिए कुछ प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। जब तक लोगों की तैयारी नहीं होगी, ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। अब इलैवन्थ फाइनेंस कमीशन है। उसने भी कहा है कि हर स्टेट में लोगों को ट्रेनिंग दी जाये और ट्रेनिंग देकर तैयार रहिये ताकि जब जरूरत पड़े तब उनको वहां काम में रखिये चाहे यह प्रदेश के अंदर हो या प्रदेश के बाहर हो। कोई अलग से बहुत बड़ी फोर्स हम खड़ी कर दें तो उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अलग-अलग जगहों पर लोगों को ट्रेंड करके रखें। अगर को-आर्डिनेशन का एक मैकेनिज्म हो, ते तत्काल जहां कहीं भी हमारे पास आदमी हों या रिसोर्सेस हों, उन रिसोर्सेस को मोविलाइज करके चाहे ह्यूमन रिसोर्सेस हों या मैटीयल्स हों, उनको मोबिलाइज करके किसी जगह भी पहुंचाया जा सकता है। श्री जे.सी. पंत को पहले नेचुरल जिजास्टर के बारे में सलाह देने के लिए कहा था - फिर मैनमेड डिजास्टर का भी मेनडेट बढ़ाया गया। उन लोगों ने 30 डिजास्टर आईडेंटिफाई किये। इसके बाद लोगों ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लैवल पर डिजास्टर मैनेजमैंट प्लान बनना चाहिए, यह सुझाव दिया जा चुका है। हमारी तरफ से सोर्स बुक भी जिला स्तर पर सप्लाई की जा चुकी हैं कि उसका सहारा लेकर हर जिले में डिजास्टर मैनेजमैंट प्लान बनायें। कोई जगह सूखे से प्रभावित होती है यानी कोई ड्राउट प्रोन एरिया है, कोई फ्लड प्रोन एरिया है तो कोई सारक्लोन प्रोन एरिया है। भूकम्प के बारे में जोनिंग की गई है। जोन फाईव से लेकर खतरे तक की जो बात है, वह पांच जोन मैं बांटा गया है। सबको ध्यान में रखकर हर चीज के लिए एटलस बनाई हुई है। फ्लड के बारे में एटलस बनाई हुई है। साइक्लोन के बारे में सारी सूचनायें उपलब्ध हैं, इसको ध्यान में रखकर जिला स्तर पर किया है क्योंकि एक किस्म की आपदा नहीं आती है बल्कि अनेक किस्म की आपदायें आती है। उस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या रिस्पांस मैकेनिज्म होना चाहिए, तत्काल किसको हरकत में आना चाहिए, इन सारी चीजों की डिटेल्स इलोबोरेट स्टडी करके यह सुझाव दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट लैवल पर डिजास्टर मैनेटमैंट प्लान के लिए काम चल रहा है। इसके अलावा स्टेट लॉ होना चाहिए। एक मॉडल डिजास्टर मैनेजमैंट एक्ट के बारे में उन्होंने सुझाव दिया। उस एक्ट को हमने सारे मुख्यमंत्रियों को लिखकर भेज दिया है। हर स्टेट को यह सर्कुलेट किया जा चुका है। इसके बारे में एक लॉ होना चाहिए। ताकि ऐसी परिस्थिति में कैसे हम लोगों की सेवायें लें। उसी तरह से सैंकेंड इंटरिम रिपोर्ट पर नैशनल लैवल पर एक एक्ट की बात की है। उनकी जो सैंकेंड इंटरिम रिपोर्ट आई है, उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं और उस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे। इस बीच प्रधान मंत्री जी ने एक नैशनल कमेटी डिजास्टर मैनेजमैंट के लिए बनाई है जिसमें सारे राजनीतिक दल शमिल हैं।

जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और जिनको राज्य स्तर पर मान्यता मिली हुई है, वह सारे राजनीतिक दल उसमें शामिल हैं। उसके टर्म्स ऑफ रेफरैंस का यहां उल्लेख करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे पूरा सदन अवगत है। वहां भी यह बात हुई कि एक वर्किंग ग्रुप बना दिया जाये। उस वर्किंग ग्रुप के सामने जितने भी एक्सपर्ट्स के ओपीनियन हैं, जो अब तक का काम है, वह उनके सामने रख दिया जायेगा। उसके हिसाब से आज प्रधान मंत्री जी ने कहा। उस कमेटी की मीटिंग में भी उन्होंने कहा था एक सैंट्रल अथारिटी बनानी है तो वह भी बनाई जाये। बार-बार एक शिकायत उठती है कि नैशनल कैलेमिटी है या नहीं। पिछली बार उड़ीसा साइक्लोन के कांटेस्ट में बात आई थी कि वह नैशनल कैलेमिटी है या नहीं। उसको किसी ने डिफाइन नहीं किया। यह नैशनल कमेटी इसको भी डिफाइन करेगी, पैरामीटर्स तय करेगी कि किस कैलेमिटी को नैशनल कैलेमिटी कहेंगे। जो इलैवन्थ फाइनेंस कमीशन है, उसने कहा है कि एक नैशनल सैंटर फॉर कैलेमिटी मैनेजमैंट होना चाहिए। वह बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उसने कहा है कोई सरकार कहे या न कहे, यह राउंड दी ईयर अपना काम करती रहे और किसी भी राज्य में कोई आपदा आये तो वह सैंटर उसको स्वयं एसेस करके तय करेगी कि इसमें एन.सी.सी.एफ. से मदद मिलनी चाहिए। इस प्रकार ऐसा नहीं है कि पहले से काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है।

लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इस बीच हमें दो ट्रैजेडी झेलनी पड़ी। वह काम और तेज किया गया है। इस बीच सब लोगों की चिन्ता प्रकट हुई है। सब लोगों की एक्सपर्टीज, उनके अनुभव और विचारों को ध्यान में रखते हुए, इस पर एक परमानैंट मकैनिज्म होना चाहिए, इस पर एक राष्ट्रीय सहमति है जो राष्ट्रीय स्तर पर क्विकली रिस्पौंड करे। लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक हम सबको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि कौन सी स्थिति में क्या करना चाहिए। इसे नीचे तक जाना पड़ेगा, कम्युनिटी अवेयरनैस लानी पड़ेगी तब जाकर हम इसका मुकाबला कर पाएंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बात आगे हो रही है।

जो शिवराज पाटिल साहब और श्री रामसजीवन ने कहा था कि ऐग्रीकल्चर पर असर पड़ सकता है। जहां तक ऐग्रीकल्चर का सवाल है, सूखे की स्थिति के चलते पहले से ही उस पर प्रभाव है। ऐग्रीकल्चर से संबंधित कदम पहले से ही उठाए जा रहे हैं। इसके बाद भी गुजरात सरकार का हमारे पास प्रस्ताव आया है। वहां नैशनल ऐग्रीकल्चर इंश्योरैंस स्कीम के तहत जो इंश्योरैंस क्लेम्स थे, उनके बारे में उन्होंने कहा कि इसका निपटान जल्दी होना चाहिए। हमने उसके लिए तत्काल बैठक बुलाई है और उनको कहा कि द्रुत गति से उन सब मामलों का निष्पादन करें और जल्दी से जल्दी लोगों के क्लेम्स का डिस्पोज़ल होना चाहिए ताकि लोगों को कुछ राहत इस मामले में भी मिल सके।

कुछ बातें ऐसी थीं जिनके बारे में मैंने उचित समझा कि उल्लेख कर दिया जाए। जब भी इस तरह की बात आती है, हम डिफैंस फोर्सेस, पैरा मिलिट्री फोर्सेस को उतारते हैं और उनकी सब जगह प्रशंसा होती है। सदन ने भी उनकी प्रशंसा की है। मुझे उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं एक सूचना देना चाहता हूं। राशन कार्ड की बात आई थी। वहां की सरकार ने लोगों को अब रिलीफ कार्ड देना शुरू कर दिया है जो वहां की सरकार ने सूचना दी है। रीहैबिलिटेशन पैकेज के बारे में आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने पैकेज बना दिया है, घोषित कर दिया है। अगर कोई मदद करना चाहता है, जिसके बारे में बात फैली हुई है कि ऐडॉप्सन पॉलिसी क्या हो, उन लोगों ने पैकेज बना दिया है और उसके आधार पर वहां जो भी मदद करना चाहते हैं, पैकेज स्कीम के अंतर्गत मदद करें। गुजरात सरकार ने इसे रखा है। लेकिन फिर भी यहां जो शिकायतें आई हैं, प्रधान मंत्री जी ने, उसके संबंध में जो कुछ कहा जाना चाहिए था, कह दिया है। लेकिन जो कुछ माननीय सदस्यों ने यहां सुझाव दिए हैं या शिकायतें की हैं, हम उन सब चीजों को गुजरात सरकार को आप-ऑन करेंगे ताकि उनके बारे में वे प्रॉपर एक्शन लें। पाटिल साहब ने कल यहां कुछ जगहों का नाम लिया था। वहां की दो जगहों के बारे में वहां की सरकार का बहुत ही स्पैसीफिक रिप्लाई आया है और उन्होंने बताया है कि वहां इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। एंटरवीन करते हुए शायद उन्होंने पांच जगहों का नाम लिया था। उसमें से दो जगहों के बारे में बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा है यह एक ऐसी त्रासदी है जिसमें सब लोगों का योगदान आवश्यक है। हर पार्टी, हर पक्ष के लोगों का योगदान है और सबके परस्पर सहयोग से हम इतनी बड़ी विपत्ति का सामना कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन भूकम्प की तो अलग कहानी होती ही है। शिवराज पाटिल साहब के इलाके लातूर में जब भूकम्प आया था, हम सब इसी सदन के सदस्य थे, दसवीं लोक सभा के समय वे लोक सभा के अध्यक्ष थे। उस समय भी जिस ढंग से लोग मदद देने के लिए आगे आए थे, इस देश में यह ताकत है कि जब भी इस तरह की विपत्ति आती है, सब लोग दलगत भेदभाव से ऊपर उठकर मदद देने के लिए आगे आते हैं। इस दौर में भी सब लोगों ने, जितना बन पड़ा, मदद दी है, सहयोग दिया है।

इसी भावना के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि जो इलाका प्रभावित हुआ है, सबके सहयोग के साथ वह फिर से बसेगा और हरा-भरा होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा कल 28 फरवरी, 2001 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 28 फरवरी, 2001/ 9 फाल्गुन 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/14/6/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।